(1)

राजस्थान विधान-सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 7] विधान सभा के सातवें सत्र का नवां दिवस [संख्या 7

मंगलवार,

दिनांक 25 फरवरी, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सिंचाई; देवस्थान, खादी एवं ग्रामोद्योग; विद्युत्, स्वायत्त शासन, राजस्व, जन स्वास्थ्य, सहकारिता, नागरिक रसद विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री गुरदयालसिंह संधु।

पोंग बांध

121. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) पोंग बांध में राजस्थान का खर्चा व सिंचाई बिजली सुविधाओं में क्या हिस्सा है और उसके प्रबन्ध में राजस्थान क्या योगदान दे रहा है ?

(2) पोंग बांध का जो एक दरवाजा (गेट) टी 2 नवम्बर 1974 में जिसका लीकेज हो गया था उसकी सूचना राजस्थान सरकार को कब मिली थी और वह सूचना गंगनहर क्षेत्र व राजस्थान नहर क्षेत्र के काश्तकारों को समय पर न देने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने पंचायत समितियों को सूचना पंचायतों में प्रसारण हेतु दिसम्बर 1974 के पहले सप्ताह में दी थी और जिसे पंचायत समितियों ने 10 दिसम्बर 1974 को पंचायतों को भेजा था और 12-12-74 का पंचायतों में वह सूचना मिल पाई थी जबकि किसान रबी की फसल बो चुके थे ?

(4) क्या इस वर्ष पोंग बांध में 15-1-75 से टी 2 के लीकेज के कारण पानी की कमी हो जाने से रबी की फसल नष्ट हो चुकी है व इससे पूर्व दो फसलें गंगनहर क्षेत्र में पहले नष्ट हो चुकी हैं ? क्या सरकार ऐसी स्थिति में किसानों को कोई (रिलीफ) सहायता देना चाहती है और भविष्य में पोंग डैम में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) पोंग बांध परियोजना में राजस्थान का सिंचाई एवं विद्युत् उत्पादन दोनों में बराबर बराबर 58.5 प्रतिशत हिस्सा है। खर्चे में भी इस राज्य का इतना ही जिम्मा है और राज्य सरकार अब तक ऐसे ही योग दे रही है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(2) इस बांध के गेट टी-2 के लीकेज की सूचना राज्य सरकार को तारीख 20-11-74 को मिल गई थी और चूंकि उस समय ऐसी धारणा थी कि शायद गेट जल्दी ही ठीक कर दिया जाय औपचारिक रूप से काश्तकारों को इस विषय में विशेष सूचना देना आवश्यक नहीं समझा गया। जब निश्चित रूप से माह दिसम्बर 1974 में इसका ज्ञान हो गया तो उसकी सूचना दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में दे दी गई।

(3) सूचना समय पर दे दी गई थी। जिस समय सूचना दी गई थी उस समय भी रबी की बिजाई चालू थी।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है। 15-1-75 तक ही नहीं बल्कि आज तक भी गंगनहर क्षेत्र में पूरा पानी आ रहा है। अतएव किसी फसल के नष्ट होने का अब तक प्रश्न नहीं उठा है। राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों इस विषय में सतर्क हैं कि ऐसी स्थिति भविष्य में नहीं उठे।

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या यह सत्य है कि यह जो गेट था वह फ्रेंच कम्पनी द्वारा इंडिया में मैन्यूफैक्चर किया गया था ? इस हालत में मैन्यूफैक्चरिंग में डिफेक्ट हुआ या किसी इन्जीनियरिंग के फीटिंग में डिफेक्ट है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सारा का सारा कन्स्ट्रक्शन पोंग डैम का भारत सरकार के माध्यम से ब्यास कण्ट्रोल बोर्ड द्वारा कराया गया है जिसका कांट्रेक्ट दिया हुआ था। अब मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट था या दूसरा कंस्ट्रक्शन के अन्दर डिफेक्ट हुआ या सील को लगाने में डिफेक्ट रहा यह सूचना मेरे पास स्पेसिफिक तौर पर जानकारी पर नहीं है। अगर स्पेसिफिक प्रश्न पूछा जाता तो मंगाई जा सकती थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या यह सत्य है कि एक करोड़ 36 लाख एकड़ फीट पानी का नुकसान हुआ जिसमें राजस्थान के हिस्से का 70 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ ? ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने इस मैनेजमेंट की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इस प्रश्न के बारे में पहले भी सदन में चर्चा हो चुकी है और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस के गेट टी-2 की सील की वजह से कोई नुकसान पानी का नहीं हुआ है जैसा कि आपने कहा है कि करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया। जो कुछ भी पानी अधिक मिला है, पोंग डैम का पानी था वह पानी हमने रबी की फसल में काम में लिया है और यही नहीं घग्घर के अन्दर इस वर्ष पानी नहीं आ पाया था और चावल की फसल खराब हो रही थी, इसको भी पानी दिया है। इसलिए यह कहना कि पानी की वजह से नुकसान हुआ है, इस बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। उस पानी का जितना भी उपयोग किया जा सकता था पूरा उपयोग किया गया है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरा प्रश्न यह है कि यह जो पानी इस समय आ रहा है यह तो बारिश का पानी आ रहा है और उस पोंग डैम का 1 करोड़ 36 लाख एकड़ फिट पानी जमा होने वाला था वह जमा नहीं हो सका जिसके कारण 135 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

की रिपोर्ट है और उसके अन्दर हमारे शेयर का 70 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसी हालत में राजस्थान सरकार ने मैनेजमेंट की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : हमने तो कहा है कि नुकसान नहीं होना चाहिए और जो कुछ भी हुआ है, जो खराबी हो चुकी, नुकसान हो चुका उसके बारे में भविष्य में ही सचेत रहने की बात है। यह नुकसान भी कोई जान बूझ कर इंटेंशनली या राजस्थान को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से नहीं किया गया है और न ब्यास कण्ट्रोल बोर्ड और न ही भारत सरकार ने ऐसा सोचा भी है। अब जो नुकसान होना था वह तो हो चुका है लेकिन भविष्य में और अधिक सचेत रहने की बात है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गुरदयालसिंह संधु : एक प्रश्न और, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पूछिए।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं यह मानकर चलता हूं कि जो नुकसान होने वाला था वह तो हो चुका है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आप पानी दे रहे हैं वह तो आ रहा है बरसात का पानी। उसमें इकट्ठा किया हुआ पानी 15 जनवरी को समाप्त हो चुका है और मेरा प्रश्न यह है कि जब डिफेक्ट हुआ तो वह मेन्यूफेक्चरिंग डिफेक्ट था या फिटिंग का डिफेक्ट था इसकी जानकारी आपने करने की कोशिश नहीं की जब कि हमारी तरफ का 70 करोड़ का नुकसान हो चुका है। उसमें से आप खुद मैनेजमेंट का ध्यान क्यों नहीं दिलाते यह आपकी जिम्मेदारी है। बड़ा राजस्थान को नुकसान हुआ है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसका पता करने की कोशिश क्यों नहीं की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने पता पूरा किया है और जो भी जानकारी की जानी चाहिए थी वह भी की है। भविष्य के लिए कहा कि दोनों ही राजस्थान सरकार और भारत सरकार भी इस बात के लिए सजग रहेगी कि इस प्रकार का डिफेक्ट न रहे। अब काम करते वक्त कोई डिफेक्ट रह जाता है तो अनजाने में ही रह सकता है। वह दूसरी बात है कि यह एक मीयर एक्सीडेंट है। जानबूझ कर कोई नुकसान करने की नियत से नहीं किया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मंत्री महोदय कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मेन्यूफेक्चरिंग डिफेक्ट है या डिफेक्ट बाद में आकर हुआ है ? इस क्वेश्चन को साइड ट्रैक करके मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। आप स्पेसिफिक बतायें कि किस डिफेक्ट की वजह से नुकसान हुआ है ? माननीय सदस्य का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसको साइड ट्रैक नहीं किया जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य ने शायद मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की है। मैंने स्पेसिफिकली कहा है कि इसका कंस्ट्रक्शन राज्य सरकार नहीं कर रही है।

(व्यवधान: अश्रव्य)

प्रश्न संख्या 122

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री रामप्रसाद बोहरा।

सूर्य मन्दिर झालरापाटन

123. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन शहर में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर बिजली गिरने से व एक छतरी गिर जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था ?

(2) क्या इसकी मरम्मत हेतु भी राज्य सरकार से निवेदन किया गया परन्तु आज तक कोई मरम्मत नहीं की गई ?

(3) क्या यह सूर्य मंदिर एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे देखने हेतु दूर दूर से लोग आते हैं ?

(4) इस सूर्य मंदिर को राज्य सरकार पुरातत्व विभाग (सैंट्रल) को क्यों नहीं देना चाहती ?

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) मंदिर को पुरातत्व विभाग को सुपुर्द करने का निर्णय लिया जा चुका है, उक्त विभाग ने अभी तक चार्ज में नहीं लिया है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, यह बिजली गिरने और छत टूटने के बारे में जो प्रश्न किया गया उसके जवाब में आपने फरमाया है कि जी नहीं और अब तक इसकी मरम्मत नहीं होने के क्या कारण हैं जबकि चार साल हो गए हैं ?

श्री मूलचन्द मीणा : मैंने प्रश्न के भाग 1 में जवाब दिया है कि जी हां जिसका अर्थ है कि इस पर बिजली गिरने से नुकसान हुआ है। उस मंदिर की छत और गुम्बद में दरार पड़ गई और उसके पश्चात् डिपार्टमेंट द्वारा और जिलाधीश द्वारा कार्यवाही की गई, इसके एस्टीमेट पी. डब्ल्यू. डी. से करवाने के लिए। लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. से कोई भी एस्टीमेट प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके पश्चात् गवर्नमेंट ने यह तय किया कि इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया जावे और पुरातत्व विभाग को सौंप देने का निर्णय लिया जा चुका है और पुरातत्व विभाग चार्ज में कभी भी ले ले।

श्री ओंकारलाल चौहान : (डग) पुरातत्व विभाग को देने का निर्णय कब हुआ ?

श्री मूलचन्द मीणा : यह सरकार की ओर से निर्णय 12-3-74 को हुआ है।

श्री ओंकारलाल चौहान : 12-3-74 से अब तक क्यों नहीं संभाला क्या मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री मूलचन्द मीणा : पुरातत्व विभाग ने क्यों नहीं सम्हाला इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि बराबर रिमाइण्डर्स उनको दिये जा रहे हैं कि आप सम्हाल लो, लेकिन वह क्यों नहीं सम्हाल रहे हैं इसकी वजह वे ही जानें।

श्री रामप्रसाद बोहरा : पुरातत्व विभाग का क्या निर्णय ·····

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया था कि पी.डब्ल्यू.डी. ने एस्टीमेट बनाकर उनके पास नहीं भेजा है। इससे यह मालूम पड़ता है कि पी. डब्लू. डी. में काफी सुस्ती है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि पी डब्ल्यू.डी. के मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं और यह इनके विभाग की सुस्ती है तो क्या वे इस बारे में सोचेंगे कि अब उनका विभाग ज्यादा सजग रहेगा और विलम्ब नहीं? होगा मंत्री महोदय ने इस बारे में यह कहा है कि वे बराबर लिख रहे हैं और उनका विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो उसके बारे में क्या वे कार्यवाही करेंगे ?

श्री निरन्जन नाथ आचार्य (मावली): एक प्रश्न मेरा यह है कि आपका पुरातत्व विभाग को देने का निर्णय हुआ और पुरातत्व विभाग नहीं ले रहा है तो इसका अर्थ है कि आपके निर्णय से पुरातत्व विभाग बाध्य नहीं है और न ही अगर वे सम्हालें तो आप कुछ नहीं कर सकते ?

श्री मूलचन्द मीणा : जब तक पुरातत्व विभाग का स्पष्ट कोई निर्णय हमारे सामने नहीं आ जाता तब तक देवस्थान विभाग देखरेख करता रहेगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वह तो ठीक है। यदि पुरातत्व विभाग इन्कार करता है तो क्या आप उसको बाध्य कर सकते हैं पुरातत्व विभाग को ?

श्री रामगोपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी इस बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और केवल सुन रहे हैं शांतिपूर्वक इससे क्या यह मान लें कि उनके विभाग में सुस्तीपन है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : पुरातत्व विभाग ने इस मन्दिर को लेना स्वीकार नहीं किया तो बिजली गिरने से जो उसकी छतरी की छत टूट गई है उसकी मरम्मत क्यों नहीं करवाते हैं ?

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : सार्वजनिक निर्माण विभाग एस्टीमेट बनाकर नहीं देता है तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोआर्डिनेशन नहीं है या सार्वजनिक विभाग परवाह नहीं करता है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : दोनों मसलों पर परवाह नहीं करता है ?

श्री मूलचन्द मीणा : वह एक पुराना मन्दिर है, प्राचीन, ऐतिहासिक और एक विशिष्ट प्रकार का बना हुआ है ऐसी स्थिति में जब तक पी. डब्ल्यू डी. एस्टीमेट नहीं दे दे तब तक देवस्थान विभाग के सामने यह समस्या है कि किस तरह से खर्चा किया जाय और विलम्ब होने का कारण भी यही रहा है। अब जो निर्णय लिया गया है वह इस आधार पर लिया गया है यह एक ऐतिहासिक मन्दिर है इसलिए इसको पुरातत्व विभाग को अपनी देखरेख में लेना चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय ••

श्री रामप्रसाद बोहरा : पुरातत्व विभाग ने कब लेना स्वीकार किया है यह पूछ रहा था ?

Page No 6

(6)

श्री मूलचन्द मीणा : यह सूचना पुरातत्व विभाग से हमारे पास नहीं है। हमने जो निर्णय लिया है उसकी सूचना मेरे पास है।

श्री लक्ष्मणसिंह : केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के पास कोई पैसा वैसा नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा, मंत्री महोदय सूचना जो सदन को दे रहे हैं केन्द्रीय पुरातत्व विभाग को राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कब सूचना दी है और राजस्थान सरकार के इस सुझाव के सम्बन्ध में केन्द्रीय पुरातत्व विभाग इस मन्दिर का संचालन अपने हस्तगत ले तो क्या केन्द्र से आपके पास कोई ऐसी इन्फर्मेशन आई है इस मन्दिर को अपने निरीक्षण में लेने के सम्बन्ध में ?

श्री मूलचन्द मीणा : इसका राज्य के पुरातत्व विभाग से सम्बन्ध था।

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर राज्य के पुरातत्व विभाग से सम्बन्ध है तो प्रश्न का तो कुछ उत्तर ही नहीं दिया आपने। सारी रात दल करके, परिश्रम करके बीच में आगये आप। मैं सिर्फ यही जानना चाहूंगा कि आपका निर्णय पुरातत्व विभाग, द्वारा राजस्थानके अन्तर्गत इस ऐतिहासिक और अद्वितीय मन्दिर को देने का है या केन्द्रीय पुरातत्व विभाग को ? दोनों पुरातत्व विभाग हैं सेन्टर का भी और स्टेट का भी।

श्री मूलचन्द मीणा : देवस्थान विभाग ने अपना निर्णय लिया है पुरातत्व विभाग को देने का, लेकिन न शिक्षा विभाग इसको ले रहा है और न पुरातत्व विभाग।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): यह सवाल हो गया है कि रात भर रोते रहे और मरा एक और वह भी सुबह उठकर चला गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 124।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या राजस्थान सरकार का इरादा है इस मन्दिर की मरम्मत कराने का ?

श्री मूलचन्द मीणा : यह शुरू से ही इरादा था लेकिन जब तक छत की और दूसरी दुरस्ती करने के लिए एस्टीमेट नहीं आते है तो क्या करें ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आपकी तर्क ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 124।

मारवाड़ खादी संघ को ऋण

124. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मारवाड़ खादी संघ के स्वीकृत ऋण को नगदी में न देकर खादी बोर्ड ने ऊन खरीद कर 18-50 रु. से 22-00 रु. प्रति किलो के भाव से दी जब कि इस वर्ष उक्त ऊन के खरीद के समय बाजार भाव 14-00 रु. प्रति किलो था ? यदि हां, तो सरकार इस काण्ड में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने करीब 5 माह पूर्व 600 किलो मेरीन ऊन खुले बाजार से 80 रुपये के बाजार भाव करके उसका मूल्य बोर्ड के रिकार्ड में 180 रु. अंकित किया ? यदि हां तो क्या सरकार इसकी जांच करवा कर सदन को जानकारी देगी ?

(विराम)

श्री अध्यक्ष : खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री महोदय।

राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड मारवाड़ खादी संघ को नकद रुपया नहीं देकर 20 रु. किलो के भाव से बाहर से बाजार से ऊन खरीद कर देगा ?

श्री मूलचन्द मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य का प्रश्न था और इसके संदर्भ में मेरा उत्तर था "जी नहीं", क्योंकि अभी तक बोर्ड की ओर से किसी भी संस्था को, यह खाली मारवाड़ खादी संघ का ही प्रश्न नहीं है, किसी भी संस्था को जितना भी उनका पैसा है वह, नकद के रूप में या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा दिया जाता है और किसी माल के रूप में नहीं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह धनराशि कितनी थी नकद के रूप में ?

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : यह कब का मामला है ?

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, वैसे यह प्रश्न अलग से पूछा जाना चाहिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि आपने कुल धनराशि मारवाड़ खादी संघ को कितनी दी ?

श्री मूलचन्द मीणा : यह सूचना मैं आपको दे दूंगा।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

नेक्स्ट ! श्री मूलचन्द सामरिया।

दौसा क्षेत्र में बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र

125. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सहायक अभियन्ता दौसा के कार्य-क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है ?

(2) उक्त क्षेत्र में गत दस वर्षों में कितने कनेक्शन दिये गये ?

(3) तथा कनेक्शन्स के लिए आवेदन-पत्र किस किस तारीख को दिये गये ? एस्टीमेट्स किस किस तारीख को व किस किस के द्वारा बनाये गये ?

(4) उनमें से कितने एस्टीमेट्स रिवाइज्ड क्यों व किसके द्वारा किये गये ? मूल एस्टीमेट्स व रिवाज्ड एस्टीमेट्स में कितना अन्तर रहा ?

(5) दौसा में जे. ई. एन. श्री झालानी ने कार्यभार किस दिन सम्भाला ? उस दिन से आज तक श्री झालानी ने कितने कनेक्शन के एस्टीमेट्स बनाये ?

(6) इसमें से कितनों को पुनः बनाना पड़ा ?

(7) पूर्व के बाद के एस्टीमेट्स में कितनी कितनी धनराशि का अन्तर रहा ? प्रत्येक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(8) क्या श्री भालानी द्वारा जो एस्टीमेट्स बनाये गये उनके कनेक्शन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के आधार पर ही दिये गये या कुछ परिवर्तन के साथ ? यदि परिवर्तन किया गया तो किस किस के नाम, पता व परिवर्तन का कारण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(9) क्या यह सही है कि दौसा की जनता की ओर से भालानी के विरुद्ध लगातार शिकायतें आ रही हैं ?

(10) क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांश श्री भालानी द्वारा रिश्वत लेने के सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना यह है कि 10 वर्षों में दौसा क्षेत्र में जितने भी कनेक्शन हुए हैं, कब कब दरख्वास्तें आई हैं, क्या क्या निर्णय हुए हैं, कितने एस्टीमेट्स बने, कितने रिवाइज्ड एस्टीमेट्स हुए तो यह इतनी सारी लम्बी सूचना है कि इनका कलेक्शन करना संभव नहीं हो सकता और सूचना देना भी ठीक नहीं रहेगा। माननीय सदस्य को कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछना है तो जवाब दे दिया जायगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : अगर कोई ऐसी बात हो मेरे प्रश्न में कि उसका उत्तर देना असम्भव हो तो····

श्री हीरालाल देवपुरा : लम्बी प्रश्न है।

श्री मूलचन्द सामरिया : अगर आपके पास रेकार्ड नहीं तो ऐसा कह दें तो मैं इस प्रश्न को रोक ही लूंगा। सरकार इस बात का दावा करती है कि उनके पास एफिशियन्ट रेकार्ड है तो फिर जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : What about this ? Do you ask for postponement ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सूचना जो आपने मांगी है वह 10 वर्षों की है···

श्री अध्यक्ष : नेट रिजल्ट क्या है ? अगर ऐसी कोई बात है पब्लिक इन्ट्रस्ट में डिस्कलोज नहीं करने की तो गवर्नमेंट को अधिकार है कि नहीं दे और उसके लिए असेम्बली को लिख दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : यही मैंने निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : लिखा हुआ नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह हो गया है।

श्री अध्यक्ष : मुझे नहीं मिला है कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में दिखाई देना जरूरी नहीं है, I have not received that.

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे इस प्रश्न का जवाब देने में कोई ऐतराज नहीं है। मैं तैयार हूं जवाब देने के लिए और पोस्टपोनमेंट सीक कर सकता हूं। लेकिन इस प्रश्न की सूचना एकत्रित करने में जितना खर्चा होगा, उतना लाभ इससे माननीय सदस्य को मिलने वाला नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह एक अहम् प्रश्न है। मैंने राजस्थान भर की सूचना नहीं मांगी है। आप ए. ई. एन. दौसा के आफिस का रेकार्ड उठा लें तो उनसे पता चल जायगा। लेकिन यदि आप यह कहें कि आपके पास रेकार्ड नहीं है या एफिशियन्ट आफिस नहीं है तो यह बात दूसरी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन कर दिया।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : या तो उत्तर दें या इसको स्थगित कर दें ?

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोनमेंट।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या आप गवर्नमेंट की अपनी इनएफिशियेन्सी छिपाने के लिए यह कह रहे हैं ?

श्री मूलचन्द सामरिया : If you are not efficient और आपका आफिस एफिशियेन्ट नहीं है या 10 साल का रिकार्ड आपके पास नहीं है अगर यह स्वीकार कर लें तो मैं क्वेश्चन को विथड्रा कर सकता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : रेकार्ड तो है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस प्रश्न में जो इन्फर्मेशन पूछी गई कि वह काफी विस्तृत है। अध्यक्ष महोदय यह आप पर निर्भर है और आपका निर्णय मुझे स्वीकार है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न पूछा गया है यह बहुत लम्बा प्रश्न है, लेकिन इस के अन्दर यह कहा गया कि एस्टीमेट्स बने है और वह रिवाइज्ड एस्टीमेट्स हुए हैं। यह कहा गया कि इस कर्मचारी के खिलाफ शिकायतें भी हैं, भ्रष्टाचार का भी इसके अन्दर आरोप लगाया गया है तो मंत्री महोदय क्या इस सम्बन्ध में जांच नहीं कर सकते हैं और जो कुछ उन्हें मालूमात हुए हैं तो क्या संक्षेप में सदन में इसकी सूचना देने की स्थिति में हैं या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय प्रश्न का उत्तर उसके हिसाब से दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन कर देते हैं। नेक्स्ट।

नगर परिषद्, कोटा द्वारा बैंक से ली गई राशि

126. श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 को नगर परिषद् कोटा ने 5 लाख की रकम एक मुश्त बैंक ऑफ राजस्थान लि. कोटा रामपुरा बाजार से विथड्रा की ?

(2) यदि हां, तो इतनी भारी रकम एक साथ विथड्रा करने का क्या कारण था ?

(3) क्या इस उक्त भारी रकम को उक्त बैंक से विथड्रा कराने पर नगर परिषद् कोटा को आर्थिक हानि हुई है ?

(4) यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां।

(2) चालू खाते से निकाल कर फिक्स्ड डिपोजिट में रकम को जमा कराई।

(श्री रामनारायण चौधरी)

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री औंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई थी जिससे कि साल के एण्ड के दिन 5 लाख रुपया की रकम एक मुश्त निकलवायें ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कोटा म्युनिसिपैलिटी द्वारा यह 5 लाख रु० विथड्रा करके फिक्स्ड डिपोजिट में जमा कराये गये हैं। यह म्युनिसिपैलिटी के हक में है।

श्री औंकारलाल चौहान : 5 लाख रुपये की रकम एक मुश्त निकलवा रहे हैं तो उसका इन्ट्रेस्ट का नुकसान तो होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, 5 लाख की रकम है। उसको विथड्रा करके आफिस में लाना और फिक्स्ड डिपोजिट में जमा कराना बड़े सन्देह की बात है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 28-12-74 को निकाले। और 30-12-74 को फिक्स्ड डिपोजिट में जमा कराये।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : यह 8-12-74 नहीं है, 28-12-74 है।

श्री रामनारायण चौधरी : 28 ही कहा है।

युनाइटेड कमिशियल बैंक में	1,50,000.00
बैंक ऑफ बड़ौदा में	1,00,000.00
सेण्ट्रल को. बैंक में	1,00,000.00
नागरिक सहकारी बैंक में	50,000.00

रुपया जमा कराये हैं।

एक माननीय सदस्य : यह आप क्यों पढ़ रहे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य ने कहा कि किस बैंक में जमा कराये हैं।

एक माननीय सदस्य : किस तारीख को जमा कराये ?

श्री रामनारायण चौधरी : 30-12-74 को जमा कराये हैं।

श्री औंकारलाल चौहान : इतनी बड़ी रकम का जो साल भर का इन्ट्रेस्ट होता है, उसका नगर परिषद् को नुकसान हुआ है।

एक माननीय सदस्य : इन्ट्रेस्ट का नुकसान नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम मुजासर की भूमि

127. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम मुजासर जिला जोधपुर के सीव में बने नये सार्वजनिक पीचके कुए के इर्द-गिर्द की खातेदारी की भूमि अभी तक पीचके के आगोर की आबादी अभी तक घोषित नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कितनी जमीन कब आबादी घोषित कर दी गई ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पीचके कुए की आबादी की एवं रास्तों की जमीन न होने से गांव वालों को बड़ी भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है ? अगर नहीं, तो उस कठिनाई को कब तक दूर कर दिया जावेगा ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह भी सत्य है कि गांव वालों की मांग उक्त पीचके इर्दगिर्द की भूमि की आबादी में परिवर्तन करने की मांग कई वर्षों से की जा रही है ? अगर हां, तो अब उक्त जमीन आबादी में परिवर्तित की जाकर अमल दरामद कबतक करवा दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) ग्राम मुजासर की सींव में खुदे नये सार्वजनिक कूप के आसपास की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 412 क्षेत्रफल 10 बीघा 13 बिस्वा का परिवर्तन कर बेरे का ताडा (आगोर) दिनांक 6-4-73 भू. अ. अभिलेख में, दर्ज कर दी गई है।

(2) रास्तों की भूमि तय कर दी गई है। ग्रामवासियों को कोई कठिनाई नहीं है।

(3) ग्रामवासियों की मांग पर पीचके कुवे के इर्द गिर्द की खातेदारी भूमि का परिवर्तन कर दिनांक 6-4-73 को अमल दरामद किया जा चुका है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अमलदरामद रेकार्ड में हो चुका हैं। अब गांव वालों को कोई ऐतराज नहीं है ?

श्री मूलचन्द मीणा : कोई ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

भीम उपखण्ड की ग्रामीण जल प्रदाय योजना

128. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम): क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले की भीम, ग्रामीण जल प्रदाय योजना सागर स्कीम कब स्वीकृत की गई थी ? उसकी कुल लागत क्या थी ? अब तक उस पर कितना कार्य हो चुका है?

(2) क्या यह सही है कि भोपालसागर जल प्रदाय योजना (भीम) जिला उदयपुर लम्बे समय से बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों और यह योजना कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की देवगढ़ तहसील के लस्सानी ग्राम के भीम तहसील के दवेर ग्राम के ग्रामीण जल प्रदाय योजना मद में प्रत्येक ने अपना कण्ट्रीब्यूशन राज्य कोष में जमा करा दिया है ? यदि हां, तो यह राशि कब जमा हुई ? अब तक दवेर व लस्सानी में जल प्रदाय का कार्य क्यों नहीं शुरू किया गया ?

(4) यदि राज्य सरकार के बजट में उदयपुर जिले के भीम उपखण्ड में इस मद में योजना हेतु राशि का प्रावधान नहीं था तो उनसे कण्ट्रीब्यूशन की राशि क्यों जमा कराई गई ? अब ग्राम दवेर में व ग्राम लस्सानी की जल प्रदाय योजनाओं को कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) ग्राम भीम को भोपालसागर से जल उपलब्ध कराने की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति 25-1-75 को की जा चुकी है। व तकनीकी स्वीकृति की जा रही है। तकनीकी स्वीकृति के बाद कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

(2) भोपालसागर जल प्रदाय योजना का कार्य चालू ही नहीं हुआ है। बन्द पड़ा

(श्री चन्दनमल वैद)

रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। योजना का कार्य स्वीकृति के उपरान्त शुरू किया जावेगा। योजना का कार्य पूरा करने में साधारणतया दो से तीन साल की अवधि लगती है।

(3) लस्सानी ग्राम की जन सहयोग की राशि 2500/- जनवरी, 1973 में प्राप्त हुई और दवेर ग्राम की जनसहयोग की राशि 2500/- सितम्बर, 1975 में प्राप्त हुई। दवेर एवं लस्सानी ग्राम की जल प्रदाय योजनाएं अभी स्वीकृत नहीं की गई हैं।

(4) जन सहयोग राशि जमा होने पर योजना बनाने व स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी जाती है। अब जिला योजना समिति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री चिम्मनसिंह भाटी: यह आपने जो नं० 2 का जवाब दिया है कि चालू ही नहीं हुई है। फिर कुवें खोदे हैं, वह किस उम्मीद में खोदे हैं? आपने तो स्वीकृति नहीं दी।

श्री चन्दनमल वैद: अध्यक्ष महोदय, एक योजना भीम ग्राम को पानी सप्लाई करने के लिए बनाई गई। फिर यह पाया गया कि वहां पर पानी थोड़ा है। इसीलिए गोपालसागर से पानी के लिए नयी योजना स्वीकार की गई है। उसे अभी तकनीकी स्वीकृति नहीं मिली है। सम्भव है, पहले कुवों में से चेष्टा की गई हो।

श्री चिम्मनसिंह भाटी: वह किस मद में से खर्चा किया गया?

श्री चन्दनमल वैद: सर्वे की मद से किया गया होगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

हिंग हिंगोटा के स्टोर से पाइप की चोरी

129. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हिंग हिंगोटा (भरतपुर) में सिंचाई विभाग के स्टोर से कोई पाइप चोरी चले जाने की रिपोर्ट लैबोरेटरी असिस्टेन्ट ने दिनांक 28-1-71 को की थी? यदि हां, तो उस पर अन्तिम कार्यवाही क्या हुई?

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर की ओर से एस. पी. भरतपुर को इस सम्बन्ध में पत्र में लिखा गया था? यदि हां, तो एन्क्वायरी के क्या परिणाम निकले?

(3) उक्त माल के चोरी चले जाने की जिम्मेदारी किसकी है और उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(4) क्या यह भी सही है कि एस. पी. भरतपुर ने अपनी रिपोर्ट में उक्त पाइप नहीं खरीदा जाना तथा न चोरी चला जाना दर्ज किया है? यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है?

सिंचाई मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां, सम्बन्धित चौकीदार जिसकी ड्यूटी के समय पाइप गया उससे वसूली की कार्यवाही जारी है।

(2) जी हां। चोरी प्रमाणित नहीं हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(3) इसके लिए जिम्मेदारी चौकीदार की पाई गई है। व वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(4) एस. पी. की रिपोर्ट में पाइप की खरीद के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। व स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज न होना बताते हुये रिपोर्ट खारिज की है। वास्तव में ये पाइप गम्भीर नदी समोगढ़ गेज साइट पर भेजने हेतु हिंगोटा रखे गये थे। व उसकी रसीद चौकीदार की अलग से मौजूद है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें एस. पी. साहब ने कौन सी तारीख को फाइनल रिपोर्ट दी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पुलिस से 3-12-71 को सूचना मिली है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उसके बाद इस चौकीदार के मामले में जानकारी यह है कि एक बड़े अधिकारी का इसमें हाथ था। लेकिन चौकीदार पर जिम्मेदारी डालकर उसे बचाना चाहते हैं। फाइनल रिपोर्ट मिल गई फिर कितने दिनों बाद कार्यवाही की गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद ही कार्यवाही हुई है। आपका यह कहना है कि किसी बड़े आदमी का हाथ था तो यह कार्यवाही हो रही है। क्योंकि जिस स्टोर में पाइप रखा हुआ था, उस पर चौकीदार की ड्यूटी थी। इसलिए उसकी जिम्मेदारी आयद होती है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपने इन्क्वायरी फरमाई है 71 के बाद केस की। कार्यवाही कब शुरू की है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 71 की बात है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : केस कौनसी तारीख से इन्क्वायरी हो रहा है?

श्री हीरालाल देवपुरा : डेट की जानकारी नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप डेट नहीं बताना चाहते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कहा है, मेरे पास डेट नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तो फिर यह स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ तारीख का प्रश्न है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): चालान कब किया है। सीधी सी बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मन्त्री महोदय, यह एफ. आर. दी गई, उसमें क्या दिया है ? चौकीदार पर कार्यवाही कर रहे हैं। वह काम पर है ? अगर काम पर है तो क्यों ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 160/- रु. का पाइप था। एफ. आर. पुलिस ने दी है। जिस स्टोर में रखा हुआ था, उस समय के रजिस्टर में एन्ट्री नहीं है। यह पाइप उस स्टोर से सम्बन्धित नहीं था। यह पाइप सामोगढ़ ले जाया जा रहा था। बीच में वह रख दिया गया। क्योंकि वह

Page No 14

(14)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

स्टोर रजिस्टर में दर्ज नहीं था इसलिए एफ. आर. दी है। चूंकि उसी चौकीदार की ड्यूटी के समय में गया है, इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं अर्ज करूं, दूसरे स्टोर का था तो वहां कोई इन्द्राज है। असल सवाल यह है कि चौकीदार को आपने सस्पेंड फर्मा दिया···

श्री हीरालाल देवपुरा : चौकीदार मौजूद है, उसको सस्पेंड नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह जानकारी प्राप्त की है कि मूल स्टोर के अन्दर जहां से पाइप आया हुआ बताया जाता है, एन्ट्री है या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने स्पष्ट कहा है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : पाइप स्टोर से रवाना हुआ, रास्ते में उतार लिया गया। जहां से रवाना हुआ, वहां रवानगी है क्या बताइये (विराम) ऊपर से ऊपर निकाल दिया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: चपरासी पर तो रहम कीजिये।

प्रश्न संख्या 130

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री निरंजन नाथ आचार्य।

स्वरूप सागर की बाढ़ से क्षति

131. **श्री निरञ्जननाथ आचार्य** (मावली): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) उदयपुर नगर के स्वरूप सागर के नाले की गत बाढ़ से पंचवटी, भूपालपुरा, अलीपुरा आदि किन बस्तियों के मकानात जल मग्न हुए और कितने मकानों को क्षति पहुंची और कितना नुकसान हुआ ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त नाले के जल प्रवाह में उक्त बस्तियां कितनी बार जलमग्न हुई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पंचवटी के समीपस्थ नाले के किनारे पर पानी की रोक के लिये नगर न्यास उदयपुर द्वारा एक दीवार बनाई गई ? यदि हां, तो क्यों और इससे क्या लाभ और हानि इस बस्ती को पहुंची ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त नाले के निकट जमीन आवंटन करते समय सिंचाई विभाग अथवा नगर न्यास के नाले में प्रत्याशित बाढ की सम्भावना पर ध्यान नहीं रखा ?

(5) क्या उक्त क्षतिग्रस्त मकानों के लिये राज्य सरकार ने कोई आर्थिक सहायता प्रदान की है ?

(6) उक्त नाले की बाढ़ से बस्तियों की रक्षा के लिए क्या सरकार के सम्मुख कोई योजना है ? क्या इस सम्बन्ध में पंचवटी समिति द्वारा कोई ज्ञापन सरकार को दिया गया ?

सिंचाई मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध नगर आयोजना विभाग से है और मेरे यहां से नगर आयोजना विभाग को लिख दिया गया है। नेक्स्ट टर्न पर जवाब दे देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो जो क्वेश्चन इसमें उससे सम्बन्धित है मैं वेव कर देता हूं। आपसे सम्बन्धित हैं उनका उत्तर दे दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य इस आसन पर बैठ चुके हैं, उनका कोई अनुभव ऐसा है कि किसी क्वेश्चन को पार्ट में, दो हिस्सों में किया गया हो।

श्री चन्दनमल वैद : यह दुखद यात्रा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सीधा प्रश्न है। अतीत खोदने का प्रश्न नहीं, वर्तमान बनाने का है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दुखद याद दिला रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद : भविष्य बनाने का है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: जो बाढ से सम्बन्धित है, सब का उत्तर तो नहीं दे पायेंगे लेकिन जहां तक यह प्रश्न है कि जल मग्न हुआ, पानी से खराबा हुआ, बाढ आया—इसका जवाब दे दीजिये। मैं उसको वेव कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपने आसन काल में रूलिंग दी है कि एक प्रश्न दो विभागों से सम्बन्धित हो तो दोनों विभाग को भेज दिया जाय और कलेक्टिव इन्फार्मेशन दे दी जाय।

एक माननीय सदस्य : हांडा साहब मदद पर हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों की कृषि ऋण दात्री संस्थाओं की स्थिति एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट

132. **श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :** क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

क्या राज्य सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यकारी निदेशक डा. सी. डी. दांते की अध्यक्षता में एक दस सदस्यीय समिति का गठन किया है जो राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों की कृषि ऋण दात्री संस्थाओं की स्थिति एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन करके रिपोर्ट देगी? अगर हां, तो उक्त समिति ने किन किन जिलों का दौरा किया तथा उक्त जिलों की किन किन सहकारी ऋणदायी संस्थाओं एवं जन प्रतिनिधियों से सुझाव आमन्त्रित किये गये है?

सहकारिता मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की समिति का कोई गठन नहीं किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

है बल्कि केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने राजस्थान राज्य में ऋणदायी संस्थाओं के अध्ययन के लिए डा. सी. डी. दाते कार्यकारी मुख्य निदेशक की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की समिति का गठन किया है जिसके सदस्य सचिव, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के संयुक्त मुख्य अधिकारी है अतएव इस सम्बन्ध में अन्य सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री भीमसेन : प्रश्नावली जारी की है वह किस तरह कर रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : न सवाल का पता लगा, न उत्तर का पता लगा।

श्री रामनारायण चौधरी : कमेटी भारत सरकार ने रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के एक्जीक्यूटिव चीफ डाईरेक्टर श्री दांते की अध्यक्षता में दस सदस्यीय बनाई है, उसकी राजस्थान में जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और अलवर में बैठकें हो चुकी हैं, इनमें क्या कार्यवाही हुई, वह कार्यवाही उन्हीं के पास में है और सेक्रेट्री कमेटी के हैं संयुक्त मुख्य अधिकारी रिजर्व बैंक आफ इन्डिया बम्बई के है, उनके पास हैं, इसलिए अधिक जानकारी देने में असमर्थ हूं।

श्री मीठालाल : शुरू शुरू में कह देते कि हमें पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर।

राज्य को आवंटित सीमेंट

133. **श्री दीपंकर (लाडनूं) :** क्या नागरिक रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य को वर्ष 1974 की अंतिम तिमाही (अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर) के लिए सीमेंट का कितना कोटा आवंटित था इसमें से कितनी सीमेंट के परमिट किन-किन जिलाधीशों द्वारा दिये गये तथा कितनी सीमेंट का कोटा लेप्स हो गया ? लेप्स होने के क्या कारण रहे ? जिले वार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों के रिटेलरों को सीमेंट का कुछ कोटा बिना परमिट बेचने की अनुमति थी अगर हां, तो सभी जिलों में यह छूट समान क्यों नहीं दी गई ? इस छूट देने के क्या आधार रहे हैं ?

नागरिक रसद मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) राज्य को वर्ष 1974 की अन्तिम तिमाही के लिये की सेल के अंतर्गत 33,500 टन आवंटित था। इस तिमाही में 31127 टन फैक्ट्रियों से उठाया गया। सीमेंट आवंटन के लिए सक्षम अधिकारी रीजनल सीमेंट कन्ट्रोल आफिसर नई दिल्ली है और जिलाधीश द्वारा स्टोकिस्ट को इस हेतु परमिट नहीं दिये जाते। सीमेंट का 2373 टन कोटा डीलरों द्वारा फैक्ट्रियों से निर्धारित अवधि में नहीं उठाया जा सकने के कारण लेप्स हुआ। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। राज्य के किसी भी जिले के खुदरा विक्रेताओं को सीमेंट का कोई भी कोटा बिना परमिट बेचने की अनुमति नहीं थी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से सप्लीमेन्ट्री दो तीन निवेदन करना चाह रहा हूं। जो लिस्ट मुझे दी गई है उसमें जिलेवार आंकड़े दिये गये हैं, उसमें किसी को तो छः हजार दे दिया, किसी को 3900 बोरी दे दी, किसी को 400 दे दी। इस तरह अधूरा देने में क्या उस जिले की आवश्यकता मानी है या वहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात मानी है। आज वहां पर, मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूं कि बहुत-सी सीमेंट पंचायत समितियां भी गांवों में देती हैं, जो सार्वजनिक काम के लिए, खेतों में टंकी बनाने के लिए, शहरों में वापिस आ जाती है। उसके लिए सरकार का क्या विचार है, क्या इतनी सीमेंट सफीसियेन्ट थी, जो कोटा निर्धारित किया गया है? नम्बर एक और नम्बर दो, जो कोटा लेप्स हुआ, उसके लिए कह रहे हैं, जिन स्टोकिस्ट को मुकर्रर किया गया, उन लोगों ने नहीं उठाया। नहीं उठाया तो गांव वालों की आवश्यकता थी और सरकार से लेवी के समय भी, लेवी लेने के वक्त वायदा किया था कि सीमेंट देंगे। तो जब सीमेंट नहीं थी तो देंगे कहां से। तो क्या यह जरूरी नहीं था कि किसी दूसरी एजेंसी के मार्फत तहसील, जिला, मुख्यालय तक सीमेंट पहुंचाने की कार्यवाही की जाती। इसके साथ साथ मंत्री महोदय बिल्कुल ××× बोल रहे हैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह एक्सपंज किया जाना चाहिए ×××

श्री मीठालाल : बिल्कुल सही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने कहा कि ××× बोल रहे हैं, इसको एक्सपंज किया जाना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ××× काला ××× हो गया है।

श्री लक्ष्मणसिंह : लाल इज पार्लियामेन्ट्री।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिल्कुल पार्लियामेंट्री है। ××× से ऐतराज है तो ××× कह दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह ××× शब्द एक्सपंज होने चाहिए।

श्री दीपंकर : मैं निवेदन कर रहा था....

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री दीपंकर : मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढा : इस पर आपकी रूलिंग नहीं आयी, ××× पार्लियामेंट्री है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : ××× के ××× जोड़ा जाय तो ××× रहता नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा : यह प्रश्न है कि ××× शब्द पार्लियामेन्ट्री हैं या नहीं, इस पर आपकी रूलिंग आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ××× नहीं होता, ××× रहता है।

श्री शिवचरण माथुर : ××× बोलने वाली बात कही वह स्वयं में गलत है।

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No 18

(18)

श्री दीपंकर : मैं सबूत में निवेदन कर रहा हूं, लाडनूं के रिटेलर हैं उसको बीस परसेन्ट की छूट बिक्री की दी गई, वह बिना परमिट के बेच सकता है। यह लिखित प्रमाण है, मंत्री महोदय चाहें तो मैं दे दूं। प्रश्न के जवाब में यह दे चुके हैं कि अलग अलग जिलों को अलग अलग लोगों को, अलग अलग जिलाधीशों के द्वारा अलग अलग रिटेलरों को कुछ परसेन्ट की छूट दी गई। छूट देने, का नतीजा यह हैं कि माल ब्लैक में जाता है, उसके साथ परमिट का माल ब्लैक में जाता है। इसलिए × × × नहीं है तो यह कैसे फर्मा रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इतना लम्बा है····

श्री अध्यक्ष : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि × × × और × × × इन शब्दों का प्रयोग अभी हुआ है, यह असंसदीय हैं अथवा नहीं।

श्री मीठालाल : काला × × × भी आ गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें काला × × × भी शामिल कर दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह: इसमें लाल × × × भी शामिल कर दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर भगवा × × × भी शामिल कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष: मेरे अख्तियार में × × × में शामिल करने का अख्तियार नहीं है और न निकालने का अख्तियार है। × × × जिस शक्ल में मेरे सामने आया है, उस शक्ल में देखने का अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस सम्बन्ध में × × × अनपार्लियामेंट्री है और इसलिए यह एक्सपंज किया जाता है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता ने जितने सवाल दिये हैं कल भी आपने कहा था। माननीय सदस्य ऐसा कथन करने के आदि हैं। उन्होंने तीन प्रश्न पूछे हैं, पहला प्रश्न पूछा है, किस आधार पर जिले में आवंटन किया जाता है। मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, यह आधार तीन साल पहले जिस जिले में जितनी सीमेंट की खपत होती थी, जब कंट्रोल नहीं था, वह मूल आधार है। उस आधार पर यह जितना कोटा घटता बढ़ता है उसके आधार पर दुबारा अलग अलग जिलों को आवंटित होता है आपने कहा कम आवंटित हुई है और दूसरे जो सरकार के काम हैं उनको देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो केवल फ्री सेल का जो कोटा है जो सिविल रिक्वायरमेंट्स के लिए काम आता है वह है। इसके अलावा जो सरकारी काम हैं उनके लिए अलग से कोटा निर्धारित है, वह सीमेंट इसमें शामिल नहीं है। यह तो केवल सार्वजनिक आवश्यकता के लिए है। तीसरी बात आपने किसी लाडनूं के डीलर के संबंध में कहा कि 30 प्रतिशत फ्री सेल का परमिट दिया है। यह सितम्बर 1974 से पहले की बात हो सकती है जब सीमेंट कन्ट्रोल आर्डर लागू नहीं था। 27-9-74, जब से सीमेंट कन्ट्रोल आर्डर लागू हुआ, किसी व्यक्ति को बिना परमिट सीमेंट देने की इजाजत नहीं है, न फ्री सेल पर सीमेंट रखने वाली बात है। हो सकता है कि पिछले सत्र में मैंने जवाब दिया हो कि

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री शिवचरण माथुर)

अलग अलग कलक्टर्स अपने जिले की स्थिति देखकर इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन सितम्बर 1974 के बाद जो अधिकारी परमिट्स देने के सक्षम हैं उनके परमिट वगैर सीमेंट प्राप्त नहीं कर सकते।

श्री दीपंकर : क्या आप उस आदेश के आधार पर आज भी अनुभव नहीं करते कि विकास अधिकारी जी परमिट काटते हैं तो उसको देखते हुए मात्रा बढ़ाना उचित नहीं समझते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : यह जो 27-9-74 से सीमेंट कन्ट्रोल आर्डर लागू हुआ उसकी दरअसल में मन्शा यह थी कि पहले जब सीमेंट की कमी होती थी सीमेंट स्टाकिस्ट्स आर्टीफिशियल कमी पैदा करते थे तो सक्षम अधिकारी परमिट दे सकते हैं, यह व्यवस्था की गई है लेकिन बाद में सीमेंट स्टाकिस्ट्स ने लोबी क्रीएट करने की कोशिश की और कन्ट्रोल आर्डर को फ्लोट करने की कोशिश की। यह सही है कि कई दिनों तक ये जो अधिकारी थे वे भी परमिट समय पर नहीं दे पाए। इसी दिक्कत को देखते हुए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने नए आदेश दिए हैं कि 20 थैले तक किसी प्रकार की परमिट की आवश्यकता नहीं है। 20 थैले तक अपने राशन कार्ड पर इंद्राज करा कर ले सकता है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं जानना चाहता था कि कुछ राज्यों ने सीमेंट का कन्ट्रोल किया है, क्या राज्य सरकार यहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था सोच रही है कि सीमेंट पर से नियंत्रण समाप्त किया जाए ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सीमेंट पर नियंत्रण करने से राजस्थान का कोटा लैप्स हुआ है। परमिट सिस्टम से किसान सीमेंट नहीं ले सकते। आपने कहा तीन साल पहले एक बार किया था। उस समय कुएं नहीं बनाए थे। यह गलत व्यवस्था है, आपने वास्तव में किसानों को हैरान किया है और किसानों को ब्लैक में 50 60 रुपए में प्रति थैला लेकर, कुएं बनाने पड़ते हैं, यह तथ्य है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो स्पेशल एलाटमेंट राजस्थान के लिए किया गया है, उसके आधार पर जिलों के लिए एलाटमेंट किया गया है और डीलर्स को भी बाहर से एलाट किया गया है जैसे गुजरात से। भरतपुर के डीलर्स से कहा कि गुजरात से ले लो। राजस्थान में सीमेंट फैक्ट्री है, वहां से स्पेशल एलाटमेंट करना चाहिए, बाहर के प्रान्तों से क्यों ? क्या सरकार इस पर रोक लगाना चाहती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस साल जो सीमेंट का उत्पादन है उसकी मात्रा आपकी जानकारी में है ? अच्छा उत्पादन हुआ हो तो वैसे श्री गोटेवाला ने पूछा है कि उस क्वान्टिटी के संदर्भ में डीकन्ट्रोल का क्यों नहीं सोचते ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके बोलने से मालूम होता है कि जब तक नियंत्रण नहीं किया गया था तब तक जिला अधिकारी अनापशनाप तरीके से इसका वितरण करते थे लेकिन सीमेंट कन्ट्रोल ऑर्डर के बाद और नियंत्रण के बाद आप कह रहे हैं कि स्थिति

Page No 20

(20)

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

सुधर रही है, इसलिए नियंत्रण जारी रखा जाए, आप अपनी नीति स्पष्टतः बतायें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जब नियंत्रण नहीं था तो रघुनाथजी को मालूम है कि 25) में थैला मिल जाता था। बीच में नियंत्रण हट गया तो भी 25) में बोरी मिलती थी। नियंत्रण हटाने के लिए मैंने कोशिश की, मुख्यमंत्री के पास गया, कृषि मंत्री के पास गया, ज्यों-ज्यों ज्यादा गया, सीमेंट की कीमत बढ़ती गई और 55) प्रति बोरी भी किसानों को सीमेंट लेना पड़ा। इसलिए आप डिकन्ट्रोल करें, जनता आराम पाएगी।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : इस तरह तो दूसरे प्रश्न रह जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी से उत्तर आने दो।

श्री शिवचरण माथुर : एक बात मैं निवेदन कर दूं, कुछ क्वान्टिटी लैप्स हुई है उसका कारण यह है कि दरअसल में जो पिछले साल के जो लास्ट क्वार्टर का सवाल है, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने पिछले साल के लास्ट क्वार्टर के सम्बन्ध में जानकारी चाही है। लास्ट क्वार्टर के पहले महीने तक 12॥ प्रतिशत कटौती लागू की. उस समय सीमेंट का उत्पादन डाउन था, राजस्थान में जितना सीमेंट एलाटेड था उस पर 12॥ प्रतिशत कट लागू थी लेकिन अक्टूबर, नवम्बर के के बाद में उत्पादन ठीक हुआ तो न तो हमको दिसम्बर के बिल्कुल लास्ट में 14 प्रतिशत रिवाइव किया। इसलिए थोड़ी-सी मात्रा, करीब 2 हजार क्विंटल, लेप्स हुई है।

पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होने के बाद में डिकन्ट्रोल का सवाल पैदा हुआ है। मैंने निवेदन किया कि हमने पार्शल कन्ट्रोल कर दिया, अर्थात 20 थैले अपनी आवश्यकता के लिए इंदराज करवा कर ले सकते हैं···

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कब से हुआ ?

श्री शिवचरण माथुर : सब जगह लागू कर दिया है। 20 थैले तक कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड पर इंदराज करवाकर ले सकता हैं। वरना तो कोई भी व्यक्ति सीमेंट का स्टाक इकठ्ठा करेगा और जब कभी आएगी तो ब्लैक में बेचने की बात करेगा···

कई माननीय सदस्य : कहां से लेंगे ?

श्री मीठालाल : क्या रिटेलर्स से डाईरेक्ट ले सकते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : जी हां।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : एक एक करके पूछें तो उसका उतर आना भी सम्भव है। 7–8 आदमी एक साथ पूछते हैं तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता और लिखा भी नहीं जाता।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपने घोषणा की है 20 कट्टे हर व्यक्ति ले सकता है। यह घोषणा कब की है ? रिटेलर्स से प्राप्त करेंगे ? क्योंकि आज जयपुर में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज प्रातः

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

भी 10—15 व्यक्ति आए और कहा कि सीमेंट के बगैर मकान कैसे बनायें, आपकी यह नीति कब घोषित हुई।

श्री रामलाल (बाड़ी) : जो कट्टा पिछले साल 14 रुपये में मिलता था आज उस कट्टे के लिए 42 या 45) रुपया देने पड़ते हैं, डीलर जो सीमेंट लाते थे वे कहते है कि हम नहीं लायेंगे इसलिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आज किसान 10 हजार रुपया लगाता है, बैंक से लोन लेता है उस को 50 कट्टे ही मिलते हैं। कुआ ठहर जाता है।

श्री अध्यक्ष : एक एक मिनट की सप्लीमेंटरी पूछें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अपना सीधा सिद्धान्त है। कन्ट्रोल या डिकन्ट्रोल। आप को सैद्धांतिक उत्तर देना है कि कन्ट्रोल या डीकन्ट्रोल।

अध्यक्ष महोदय, एक और सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसी प्रकार शार्ट सप्ली-मेंट्री करें तो ठीक रहेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महो-दय, इसी प्रकार छोटा सप्लीमेंट्री करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी नालेज में यह बात नहीं है कि, मैंने स्वयं ने ही सीमेंट की शार्टेज के बारे में प्रश्न पूछा था। जिस वक्त सीमेंट की शार्टेज चल रही थी तो उस वक्त गंगानगर में स्टूडेन्ट्स फेडरेशन और कांग्रेस फेडरेशन के छात्रों ने सीमेन्ट के डिपो पर छापा मारकर 30 हजार बोरी सीमेन्ट की बरामद करवा कर उन्होंने गंगानगर में लोगों को दिलवायी थी। इसमें सीमेंट के कन्ट्रोल और डीकन्ट्रोल की बात नहीं है यह तो स्टोकिस्ट के पास कितनी सीमेंट है वह ब्लैक तो नहीं कर रहा है। दूसरे आपकी सरकारी मशीनरी तो इसमें सीमेंट के रिटेलर्स से मिलकर ब्लैक तो नहीं करा रही है यह देखने की बात है। इसका डिस्ट्रिब्यूशन प्रोपर हो रहा है कि नहीं। आपतो इसके लिये कोई प्रोपर सोल्यू-शन निकालो सिर्फ डीकन्ट्रोल कर देने से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल :

श्री मीठालाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें स्टोकिस्टों का तो मैं कोई दोष ही नहीं मानता क्योंकि जब पिछली बार सीमेंट की कमी थी उसके लिये सारे के सारे दोषी आपके अधिकारीगण थे क्योंकि स्टो-किस्ट तो सीमेंट जब देता है जबकि उसके पास परमिट सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त होते है और चूंकि सरकारी अधिकारी लोग ही जब परमिट नहीं काटें तो स्टोकिस्ट सीमेंट किसको देता यह तो आपके अधिकारियों की गलती से ऐसा पहले हुआ था। स्टोकिस्ट के पास माल हो तो और उसको आपके अधिकारी सिर्फ दो तीन बोरी के परमिट ही काटते तो उनके पास तो बेचारों के पास पुराना माल उठे तब ही तो स्टोकिस्ट नया माल ला सकता था। इसके अलावा मैं आ-पको हमारे क्षेत्र का ही उदाहरण देता हूं हमारे यहां पर जो विकास अधिकारी थे वह किसानों को कुओं के लिये सीमेंट की आव-श्यकता पर सिर्फ दस दस कट्टे के परमिट काटते थे अब दस कट्टे के परमिट से जितना

(श्री मीठालाल)

माल उठ सकता था तब ही तो दूसरा माल आता। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप अपने यहां की जो वितरण प्रणाली है उसे ठीक करावें। अब दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 20 कट्टे प्रति व्यक्ति को राशन कार्ड पर सीमेंट देने के आदेश निकाल दिये लेकिन वहां इतना माल नहीं हुआ तो। इसके अलावा एक सवाल मेरा यह है कि यह राज्य सरकार ने जो आदेश निकाले हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो सीमेंट लेना चाहे वह अपना राशन कार्ड पर 20 कट्टे सीमेंट प्राप्त कर सकता है तो क्या यह आपने सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिये लागू किया है या ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था लागू होगी यह जरा मंत्री महोदय सदन में स्पष्ट करदें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें आप लोग एक एक करके सप्लीमेंट्री करेंगे तो ठीक रहेगा जवाब ठीक आयेगा और लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार कितने समय तक कन्ट्रोल रखती है और कितने समय तक डीकन्ट्रोल पहले कितना माल लेप्स हुआ उसके आंकड़े दिये जायं...

(व्यवधान अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। एक एक कर बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं पहला तो यह है कि पहले जब कन्ट्रोल था तब क्या स्टोकिस्टों के पास कन्ट्रोल का माल तो पड़ा रह गया और ब्लेक में सीमेंट सस्ती मिलती थी। अब चूंकि आप डीकन्ट्रोल कर रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि आप ब्लेक सीमेंट का समाप्त कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कहीं आप भूल नहीं जाइये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक सवाल तो मेरा यह था। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि वह जरा जवाब इन्टेलीजेंटली दें। दूसरे क्या यह जहां है फिर जब ब्लेक में महंगा मिलने लगेगा तब आप फिर इसमें डीकन्ट्रोल को समाप्त करके वापिस सीमेंट का कन्ट्रोल कर देंगे ताकि इससे ब्लेक में पैसे अधिक मिलें ताकि आपके रिटेलर जनता का शोषण कर सकें।

श्री अध्यक्ष : मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, कन्ट्रोल किसी चीज का करना तो एक प्रगतिवाद और समाजवाद का द्योतक है और डीकन्ट्रोल किसी वस्तु का करने से जनता को वह सुलभता से मिल जाती है इसलिये मेरा कहना यह है कि आप कन्ट्रोल और डीकन्ट्रोल के चक्कर में नहीं पड़कर इन दोनों के बीच का ऐसा सामंजस्य बैठावें कि जिससे जनता को आराम से वह वस्तु मिल सके। अगर आप इस विषय में कोई कारगर कदम उठावें तो जनता का हित होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री डांगी।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, आजकल सीमेंट भी एक ऐसेन्शियल कोमोडिटी में आती है और उसकी हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती रहती है। अपने मकान बनाने के लिये कई लोग अपने कुए वगैरहा बनवाने में सीमेंट की मांग करते हैं मैं खुद चूंकि काश्तकार हूं....

श्री अध्यक्ष : कृपया पूरक प्रश्न ही पूछें।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मैंने मेरे लिये सीमेंट की मांग की थी अब आप 20 कट्टे की बात कर रहे हैं। मेरा निवेदन इसमें यह है कि इसलिये आपको चाहिये कि एक निश्चित नीति बनालें और उस नीति को कम से कम एक निश्चित अवधि तक आप उसे बदलेंगे नहीं चाहे वह एक माह हो एक साल हो लेकिन इसके लिये एक निश्चित नीति होनी चाहिये राज्य सरकार को जिससे कि जनता को मालूम हो कि इतने समय तक हमें इस प्रकार से सीमेन्ट मिलती रहेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अभी जो सदन में मन्त्री महोदय ने कहा कि सीमेन्ट का डीकन्ट्रोल कर दिया है और कोई भी आदमी एक राशन कार्ड पर बीस कट्टे सीमेन्ट प्राप्त कर सकता है।

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, मैं एक एक करके सभी को बोलने का मौका दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, इतने पूरक प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसके बाद भी मेरा प्रश्न है........

श्री अध्यक्ष : क्या हुक्म फरमाया आपने। मैं कुछ समझा नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पांच मिनट बाद प्रश्न काल समाप्त हो जायेगा और अगर यही प्रश्न चलता रहा तो हमारा प्रश्न कैसे आयेगा।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आपने जो हिदायत दी है उसको मैं ध्यान में रखूंगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे हिन्दुस्तान में करीब बीस करोड़ राशन कार्ड बने हुए हैं और उस हिसाब से देखें तो एक एक व्यक्ति 20 कट्टे तो क्या पौने तीन बोरी पांती आयेगी। वैसे आप बीस कट्टे की बात करते हैं इससे कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं आप तो सीमेन्ट आम लोगों को मिल सके उसका ब्लेक मारकेट नहीं हो ऐसी व्यवस्था करावें।

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप क्या पूछना चाहते हैं छोटा सप्लीमेन्ट्री करें। मेरा निवेदन यह है कि अब पांच मिनट रहे हैं अब पांच मिनट चाहें तो आप ले लें या पांच मिनट में मन्त्री महोदय से इन पूरक प्रश्नों का जवाब ले लिया जाय। अच्छा भारतीयजी आप पूछ लें।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इसके बाद ही मेरा प्रश्न आ रहा है उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय मन्त्रीजी।

Page No 24

(24)

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने सीमेन्ट के वितरण के बारे में मुद्दे उठाये हैं कुछ माननीय सदस्यों ने सीमेन्ट का कन्ट्रोल रखा जाय या नहीं इस बारे में आपने विचार व्यक्त किये हैं। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कन्ट्रोल और डीकन्ट्रोल आफ सीमेन्ट के पक्ष में और विपक्ष में अपनी अपनी दलील दी। मैं कन्ट्रोल और डी-कन्ट्रोल के पक्ष और विपक्ष में अभी नहीं पड़ना चाहता। मुझे तो सिर्फ इता ही निवेदन करना है कि जब सीमेन्ट हमारे पास प्रचुर मात्रा में होती है तो सीमेन्ट ज्यादा लोगों को दे देते और उसका डीकन्ट्रोल कर देते है और जब सीमेन्ट की कमी होती है तो हम कन्ट्रोल कर देते हैं। इससे कई फायदे भी हुए हैं। अब थोड़ा बहुत कहीं कोई लेप्सेज रह जाय तो बात दूसरी है। अब लेप्सेज तो रहे कम और उसके बाद में 14 परसेन्ट का रिवाईवल भी हमें सीमेन्ट नहीं उठाने के कारण मिला।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसके लिये किसका उत्तरदायित्व है, कौन रेस्पोन्सिबल था?

श्री शिवचरण माथुर : इसमें उत्तरदायित्व डालने का क्या सवाल है? इसमें किसी पर भी उत्तरदायित्व डालने का सवाल पैदा नहीं होता। दूसरा सवाल जो माननीय सदस्य ने कहा कि आप बीस कट्टा सीमेन्ट देने की जो बात कह रहे हैं कोई भी आदमी आयेगा और राशन कार्ड पर सीमेन्ट 20 कट्टा उठाकर ले जायेगा इससे लोग सीमेन्ट इकट्ठी करके फिर सीमेन्ट का ब्लेक करेंगे तो यह बात सही नहीं है ऐसे कितने आदमी होंगे जो 20-20 कट्टे सीमेन्ट शामिल करेंगे और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति सीमेन्ट बगैर काम लेने नहीं आयेगा। जिसको जरूरत होगी वही लेने आयेगा और अगर कमी सीमेन्ट की कमी आयेगी तो वापिस उसे डीकन्ट्रोल तोड़कर कन्ट्रोल कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का ध्येय तो हमेशा जनता को लाभ पहुंचाने का है। यहां पर एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि यह सिर्फ व्यवस्था शहरी क्षेत्र के लिये ही है या ग्रामीण क्षेत्र के लिये भी है इसके लिये मैं उन्हें निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लिये पहले ही राज्य सरकार ने 65 परसेन्ट कोटा रिजर्व कर रखा है और बाकी का शहरों के लिये कोटा रखा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले जो कोटा लेप्स हो गया था उसके परमिट नहीं काटने की वजह से कोटा समाप्त नहीं हो सका था। इसके लिये आपने क्या किया।

श्री मीठालाल : क्या मन्त्री महोदय इसका जवाब देंगे कि 20 कट्टा राशन कार्ड पर सीमेन्ट के देने के आदेश निकल गये हैं या आदेश निकलने वाला है।

(व्यवधान: अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमारा तो प्रश्न ही नहीं आया और 12 बजे चुके हैं। बड़ी मुश्किल से तो हमारा प्रश्न लगता है·······

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने कह दिया है कि आदेश हो चुके हैं तो आदेश निकल गये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को जो इसके ठीक नीचे ही है अगर इतने सप्लीमेन्ट्रीज नहीं होती तो मेरा प्रश्न आजाता अत: मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के अपने अपने प्रश्न को स्थगित करने के कहने पर)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न इस सूची में स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : किन किन माननीय सदस्यों के प्रश्न को स्थगित करूं। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ऊंडू पनाउड़ा एवं भाडरवा देरासर जल प्रदाय योजना

122. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर की ऊंडू पनाउड़ा एवं भाडरवा देरासर जल प्रदाय योजनाओं के कार्य की क्या प्रगति है ?

(2) उक्त दोनों योजनाओं के सम्पूर्ण होने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं और कमी महसूस हो रही है ? उनके निराकरण एवं पूर्ति के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(3) उक्त दोनों योजनाओं का कार्य कब तक सम्पूर्ण कर दिया जावेगा ? निश्चित तिथि से अवगत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना ऊंडू पनाउड़ा योजना के अन्तर्गत टंकी बनाने, पाइप लाइन बिछाने, नलकूप बनाने इत्यादि सभी कार्य पूरे किये जा चुके हैं, सिर्फ जैनरेटिंग सेट्स प्राप्त किये जाने बाकी हैं। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना भाडरवा, देरासर, चूलीभादरेस के अन्तर्गत नलकूप बनाये जा चुके हैं, पानी के हौज बन चुके हैं। पाइप लाइन में लगभग 40% कार्य हो चुका है। शेष कुल 6" व 4" के पाइप प्राप्त किये जाने बाकी हैं। डीजल इंजन प्राप्त किये जा रहे हैं।

(2) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना ऊंडू पनावड़ा के लिए जैनरेटिंग सेट्स प्राप्त होने पर लगभग डेढ़ माह में चालू की जा सकेगी। जैनरेटिंग सेट्स प्राप्त करने के लिये डी. जी. एस. एण्ड डी. को इण्डेन्ट मुख्य अभियन्ता द्वारा दिया जा चुका है।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना चूली भादरेस पर कुछ पाइप व पम्प प्राप्त करने बाकी हैं इसके लिए क्रय आदेश दिये जा चुके हैं। योजना की लागत भी बढ़ती हुई कीमतों के कारण अधिक हो गई है। इसके लिये योजना को रिवाइज्ड की गई है व रिवाइज्ड योजना की तकनीकी जांच मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा की जा रही है।

(3) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना ऊंडू पनावड़ा जैनरेटिंग सेट्स प्राप्त होने पर लगभग डेढ़ माह में चालू की जा सकेगी।

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना चूली भादरेस के एक या दो ग्रामों में इसी वित्तीय वर्ष में जल दिया जा सकेगा व शेष रिवाइज्ड जल प्रदाय योजना की स्वीकृति के बाद अगले वित्तीय वर्ष में पूरे किये जाने की सम्भावना है।

चूरू जिले में भू-खण्डों का आवंटन

130. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (गांधी नगर, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं भूमिहीन श्रमिकों को आवासी भू-खण्ड के पट्टे वितरित करने में कुछेक जिलों में मात्र आंकड़ों की दृष्टि से ही खाना पूर्ति की गई है? यदि हां, तो किन किन जिलों और स्थानों पर ऐसा हुआ है? यदि नहीं, तो चूरू जिले में ऐसे कितने नए परिवारों को भू-खण्ड का आवंटन किया गया है?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील लूणकरणसर, कोलायत व बीकानेर तहसील के गांवों में डेरियों के लिए ऋण

55. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील लूणकरणसर, कोलायत व बीकानेर तहसील के गांवों में डेरियों के लिए किस किस गांव में किस किस को कितना कितना ऋण सरकार ने उपलब्ध कराया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त क्षेत्र में डेयरियों की कितनी सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, इनकी हिस्सा पूंजी कितनी है तथा सरकार से व सहकारी बैंकों से कितना कितना ऋण दिया हुआ है? क्या ऐसी समितियां वर्तमान में सही रूप से कार्य कर रही हैं तथा इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है?

उत्तर

(1) तहसील लूणकरणसर, कोलायत व बीकानेर के किसी भी गांव में डेयरी विकास विभाग द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया।

(2) उक्त क्षेत्र में अभी तक 80 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं जिनकी हिस्सा पूंजी 55670/-रुपये की है, इसके अतिरिक्त 37 समितियों को 1500/- रुपये प्रति समिति के हिसाब से 55500/-रुपये राजकीय अंशदान दिया गया है, सरकार व सहकारी बैंकों द्वारा इन समितियों को कोई ऋण नहीं दिया गया, 80 समितियों में से 43 समिति कार्यशील है। औसत दुग्ध उत्पादन की मात्रा लगभग प्रति समिति 1.50 लाख लीटर प्रति वर्ष है।

बीकानेर जिले की पंचायत समितियों में प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षक

56. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले की पंचायत समितियों में सन् 1972-73 व 1973-74 के शिक्षा सत्र में प्राथमिक पाठशालाओं के कितने शिक्षकों को कार्यालय पंचायत समि-

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

तियों के लिपिक के पदों पर डेपूट किया गया था ? उन शिक्षकों के नाम, स्कूल के नाम एवं पंचायत समितियों के निर्णयों की प्रतिलिपियों सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा अध्यापकों को लिपिक के पदों पर कार्य करवाये जाने की मुमानियत किये जाने के बावजूद भी कहीं बीकानेर जिले के किसी अध्यापक को पंचायत समिति में कार्य करना पड़ा है ? यदि हां, तो अध्यापक व पाठशाला का नाम तथा कार्य करने की अवधि काल की तिथियों सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या किसी अध्यापक द्वारा छात्रों के अल्पाहार को फर्जी लिख लाने की शिकायत ग्रामीण लोगों द्वारा समितियों के समक्ष की गई है ? शिकायत व जांच सम्पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(स्थगित किया गया)

चूरू जिले की गृह निर्माण समितियां

57. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू जिले में अब तक कितनी गृह निर्माण समितियों का गठन हो चुका है ग्रामवार बताने का कष्ट करें।

(2) ऐसी सभी समितियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं या नहीं ?

(3) इनमें कितनी अनुसूचित जाति व कितनी अनुसूचित जनजाति की तथा कितनी मिली जुली हैं ?

(4) अनुसूचित जाति और जनजाति की उपरोक्त समितियों को सरकार द्वारा देय सदस्य पूंजी दे दी गई है या नहीं ?

(5) इन समितियों को इसी वित्तीय वर्ष में कर्ज उपलब्ध करा दिया जावेगा या नहीं ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में अब तक 48 गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन हो चुका है। सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) इनमें से 13 समितियां अनुसूचित जाति एवं जन जाति की हैं तथा 5 समितियां मिली जुली हैं।

(4) उक्त समितियों में से 10 गृह निर्माण समितियों के 355 सदस्यों को समाज कल्याण विभाग द्वारा सदस्यता पूंजी स्वीकृत की गई है। सूची संलग्न है।

(5) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

रेल्वे स्टेशन श्री डूंगरगढ़ की सीमा

58. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रेल्वे स्टेशन श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू किस ग्राम व ग्राम पंचायत की सीमा में है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री डूंगरगढ़ रेल्वे स्टेशन जिस ग्राम की सीमा में है, वह

(श्री लूणाराम)

ग्राम नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ की सीमा में शामिल नहीं है ?

(3) यदि हां, तो नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ यात्री कर व माल टैक्स किस आधार पर वसूल करती है ?

(4) क्या यह सही है कि सन् 1960-61 के लगभग पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ ने इस आशय का प्रस्ताव कि रेल्वे स्टेशन श्री डूंगरगढ़ नगरपालिका सीमा में नहीं है और पंचायत क्षेत्र बाना में है इसलिए यह टैक्स ग्राम पंचायत बाना को मिलना चाहिए पारित करके जिलाधीश चूरू व राज्य सरकार को भेजा था ?

(5) क्या यह सही है कि जिलाधीश चूरू ने टैक्स बजाय नगरपालिका के ग्राम पंचायत को देने का सुझाव राज्य सरकार को भेजा था ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार अब भी पंचायत को टैक्स दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रेल्वे स्टेशन नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ की सीमा में है।

(2) जी नहीं।

(3) रेल्वे स्टेशन भूतपूर्व बीकानेर राज्य की विज्ञप्ति दिनांक 16-12-38 के अनुसार नगरपालिका की सीमा में है। यात्री कर उसी के अनुसार वसूल किया जाता है।

(4) जैसा कि जिलाधीश ने सूचित किया दिनांक 21-1 63 को पंचायत समिति की साधारण सभा के प्रस्ताव संख्या के अनुसार रेल्वे स्टेशन श्री डूंगरगढ़ की सीमा में न रखे जाने बाबत प्रस्ताव पास किया था।

(5) जिलाधीश चूरू द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत कुछ वर्षों में ऐसा कोई सुझाव राज्य सरकार को जिलाधीश द्वारा नहीं भेजा गया लेकिन तत्कालीन प्रशासक नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ से विचार विमर्श के बाद इस विभाग ने पंचायत विभाग, जिलाधीश, चूरू व नगरपालिका श्री डूंगरगढ़ को पत्र दिनांक 2-1-64 द्वारा यह सूचित किया था कि रेल्वे स्टेशन डूंगरगढ़, नगरपालिका की सीमा का ही भाग है और ऐसी परिस्थितियों में टरमिनल टैक्स की आय में से पंचायत को कोई हिस्सा देने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है।

(6) जी नहीं।

ओवरसियर के खिलाफ शिकायत

59. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंहनगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरदार रघुवीरसिंह ओवरसियर तहसील रायसिंहनगर में करीबन 8-10 साल से है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ओवरसियर आर० बी० नहर के पेड़ खुद कटवा कर सरे आम बाजार में बेचता है ? क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं ; श्री रघुवीरसिंह, ओवरसियर का रायसिंहनगर तहसील सेक्शन में प्रथम बार दिनांक 7-10-70 को पदस्थापन किया गया था तथा 23-4-73 को उसका पदस्थापन राजपुरा सेक्शन में किया गया। राजपुरा सेक्शन का हैडक्वार्टर रायसिंह नगर ही है।

(2) जी नहीं। आर० बी० नहर पर पेड़ नियमानुसार नीलामी द्वारा कटवाये गये हैं अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

तहसील कोटपूतली में सिंचाई विभाग द्वारा किया गया व्यय

60. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिंचाई विभाग द्वारा जनवरी, 1972 से मार्च, 1975 तक कोटपूतली तहसील में अकाल राहत, क्रेश योजना व विभागीय कार्यों के लिए कितना कितना रुपया किस किस कार्य के लिए स्वीकृत किया गया है तथा इसमें कितने रुपये का उपयोग किया गया है ? सूची पूर्ण विवरण के साथ सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) केवल पांचूडोला कार्य के अतिरिक्त अन्य समस्त कार्यों पर स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग किया गया है। पांचूडोला बांध पर स्वीकृत राशि खर्च न होने का कारण भूमि अवाप्ति सम्बन्धी कठिनाई है जिसके अन्तर्गत धारा 5 की कार्यवाही चल रही है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

राता भाटा बाजोरा फीडर ब्यावर

61. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राता भाटा बाजोरा फीडर, उप-खण्ड ब्यावर, जिला अजमेर पर लेबर रेट पर किसी कार्य का ठेका श्री माधोलाल टांक को दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदार को पैसा देने के सम्बन्ध में कई दफा वादा किया है और पैसा दिया नहीं गया ?

(3) यदि हां, तो उसको कार्य पूरा होने पर अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया और अब कब तक कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कार्य समाप्ति के बाद अकाल राहत खण्ड अजमेर के टूटने पर जोधपुर अकाल राहत खण्ड में समावेश होने तथा जोधपुर अकाल राहत खण्ड के भी टूट जाने के बाद सिंचाई खण्ड अजमेर में वापस कागजात पहुंचने व बजट की स्वीकृति पुनः प्राप्त करने में समय लगा। तथा दिनांक 20-1-75 को ठेकेदार का भुगतान चैक नं० 91577/010306 द्वारा कर दिया गया है।

(सिचाई मंत्री)

(3) पैरा 3 का उत्तर पैरा 2 में समायोजित हो गया है।

गंग नहर क्षेत्र में नहरों आदि के लिये बनाये गये पुल

62. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि गंगनहर क्षेत्र में पहले से बने हुए नहरों आदि के पुल करीब करीब टूट चुके हैं और उनकी कोई मरम्मत नहीं की जा रही है ?

(2) क्या यह सच है कि आर. बी. हैड का पुल, पी. सी. हैड का पुल, आर. बी. बाईफरकेशन का पुल, आर. बी. लोअर के करीब करीब सारे ही पुल करनीजी पर आर. डी. 55 सरूपसर के पास वाला पुल और इस तरह दूसरे सारे ही पुल टूटे हुए हैं ? जिन स्थानों पर पुलों की कमी है उन स्थानों पर नए पुल न बनाने का क्या कारण है ? इस कमी को सरकार कब तक पूरा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गंग नहर क्षेत्र में बने नहरों पर पुल अब भी बने हुए हैं और उनकी समय समय पर जब भी टूट-फूट होती है मरम्मत करवाई जाती है।

(2) आर० बी० हैड का पुल, पी० एस० हैड का पुल, आर० बी० बाई-फरकेशन का पुल कुछ भाग में क्षतिग्रस्त है जिनकी अस्थाई मरम्मत की हुई है और मोटर इत्यादि आ जा सकते हैं। आर० बी० लोअर के शेष पुल ठीक हैं। करनी जी आर० डी० 55 के पुल का कुछ भाग क्षतिग्रस्त है अस्थाई मरम्मत की हुई है। मोटर आ-जा सकती है। शेष करनीजी के पुल ठीक हैं। क्षतिग्रस्त पुलों की बन्दी आने पर मरम्मत कराई जायगी। मुख्य मार्गों पर इस विभाग द्वारा पुल पहले ही बनवाये हुए हैं। कृषि उपज मन्डी समिति के प्रस्ताव के अनुसार नई पुलिया उनके खर्चे पर बनाई जा सकती है।

राजस्थान नहर परियोजना में ठेकेदारों के एवं राजकीय ईंटों तथा टाइल्स के भट्टे

63. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर लिफ्ट परियोजना में ठेकेदारों के एवं राजकीय ईंटों एवं टाइल्स के भट्टे अलग अलग से हैं ? यदि हां, तो उसके विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) ईंटों एवं टाइल्स के तैयार करने में राजकीय भट्टों पर कितना कितना प्रति हजार ईंट व प्रति हजार टाइल्स पर खर्च पड़ता है।

(3) क्या सरकार द्वारा भट्टे के ठेकेदारों को कन्ट्रोल का कोयला भी ईंट एवं टाइल्स पकाने हेतु दिया जाता रहा है ? यदि हां तो किस किस ठेकेदार को कब कब कितना कोयला दिया गया और कितना माल कब कब किस किस द्वारा तैयार कि

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

1 अप्रेल 70 से 31 मार्च, 74 तक की सूची सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

(स्थगित किया गया)

सीलिंग के तहत प्राप्त भूमि का भूमिहीनों को आवंटन

64. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में सीलिंग के तहत भूमि का कितना रकबा राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है और इसमें से कितनी भूमि भूमिहीनों को कहां कहां आवंटित की गयी? जिलेवार कितना रकबा प्राप्त हुआ व कितनी जमीन आवंटित की गयी? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान में कृषि जोतों पर कानून होने के पश्चात् पुराने व नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत अब तक एक लाख 54 हजार 360 एकड़ भूमि का सरकार द्वारा कब्जा लिया जा चुका है। उपरोक्त कुल भूमि में से अब तक 33 हजार 435 एकड़ भूमि 4588 भूमिहीनों को आवंटित कर दी गई है। (जिलेवार सूची संलग्न है)

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा

65. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अनुसार जिला गंगानगर एवं जिला कोटा में कितनी भूमि सेक्सन 4 (ए) सेक्सन 4 (बी) तथा सेक्शन 4 (सी) के अन्तर्गत आती है? प्रत्येक जिले की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

राजस्व सम्बन्धी मुकद्दमात

66. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सब डिवीजन रतनगढ़, चूरू, राजगढ़ व जिलाधीश चूरू के न्यायालयों में सन् 1972-73 व दिसम्बर 1974 तक राजस्व के कितने मुकद्दमात प्रस्तुत हुए जिनमें राज्य सरकार पक्षकार थी? न्यायालयवार बताने का कष्ट करें।

(2) जिन मुकद्दमात में राज्य सरकार पक्षकार है उनमें राज्य सरकार की ओर से न्यायालयों में पैरवी के लिए तारीख पेशियों पर हर तहसील से क्या पटवारी, रेवेन्यू इन्स्पेक्टर, नायब तहसीलदार उपस्थित होते रहे हैं?

(3) राजस्व न्यायालयों में तारीख पेशियों पर उपस्थित होने वाले कर्मचारी व अधिकारियों ने उन दिनों कितना टी.ए. एवं डी. ए. राज्य सरकार से प्राप्त किया है और 1972-73 व 1973-74 तथा दिसम्बर 1974 तक राज्य सरकार का कुल कितना खर्च हुआ?

(श्री लूणाराम)

(4) वर्षवार कितने मुकदमें डिग्री हुए जिनमें राज्य सरकार विपक्षी थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वर्ष 72 से दिसम्बर, 74 तक निम्नलिखित प्रकार से राजस्व मुकदमें न्यायालयवार प्रस्तुत हुए जिनमें राज्य सरकार पक्षकार थी :-

वर्ष	नाम न्यायालय	तादाद मुकदमें
1972	प. अधि. रतनगढ़	82
1972	प. अधि. राजगढ़	98
1972	प. अधि. चूरू	18
1972	जिलाधीश चूरू	162 (अपील)
1973	प. अधि. रतनगढ़	44
1973	प. अधि. राजगढ़	105
1973	प. अधि. चूरू	10
1973	जिलाधीश चूरू	198 (अपील)
(दिसम्बर 1974 तक)		
1974	प. अधि. रतनगढ़	70
1974	प. अधि. राजगढ़	110
1974	प. अधि. चूरू	11
1974	जिलाधीश चूरू	83 (अपील)

(2) हां राज्य सरकार की ओर से पटवारी, रेवेन्यू इन्स्पेक्टर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार भी तारीख पेशियों में उपस्थित होते रहे हैं।

(3) राजस्व न्यायालय पर तारीख पेशियों पर उपस्थित होने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों ने उन दिनों का कुल रुपया 1621-01 (टी. ए. एवं डी. ए.) लिया है। सन् 1972-73 व 1973-74 तथा दिसम्बर, 74 का राज्य सरकार कुल रुपया 1621-01 खर्च हुआ।

(4) जिन मुकदमों में राज्य सरकार विपक्षी थी वे न्यायालयवार (प. अधि.) निम्नलिखित प्रकार से डिग्री हुये हैं :-

वर्ष	रतनगढ़	राजगढ़	चूरू
1972	29	12	16
1973	13	25	8
दिसम्बर 74 तक 1974	4	14	9
योग	46	51	33

राज्य पर केन्द्र सरकार का ऋण एवं ब्याज

67. श्री चेतराम (टोडाभीम): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार पर 1973-74 एवं 1974-75 के वर्षों में केन्द्र सरकार का कुल कितना ऋण किन किन मदों में किस किस प्रकार है और उनका वार्षिक देय ब्याज कितना अदा किया है ? वर्षवार एवं मदवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार पर अन्य कितना ऋण देय है और किन का है ? उसका वार्षिक देय ब्याज कितना है ?

(श्री चेतराम)

(3) राज्य सरकार ने उक्त कर्जे की अदायगी एवं उनके माफ कराने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं और कहां तक सफलता मिली है ?

(4) वर्तमान में राज्य सरकार पर ओवर ड्राफ्ट कितना है ? पिछले 3 वर्षों के अनुपात में इसकी स्थिति कैसी है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1973-74 के अन्त में राज्य सरकार का कुल 760.57 करोड़ रुपये का कर्ज था एवं वर्ष 1974-75 के आय-व्ययक अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अन्त तक केन्द्र सरकार का राज्य सरकार पर कुल 786.28 करोड़ रुपये का ऋण होने का अनुमान है। वर्ष 1973-74 में 39.99 करोड़ रुपये का व्याज का भुगतान किया गया है एवं वर्ष 1974-75 के आय व्ययक अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अन्त तक 41.77 करोड़ रुपये का व्याज देय है। व्यौरे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) केन्द्र सरकार के अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष के प्रारम्भ में राज्य सरकार पर अन्य ऋण का विवरण निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

1.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया	3.63
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	10.39
3.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	3.00
4.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	0.01
5.	केन्द्रीय भन्डागार निगम	0.01
6.	भारतीय दुग्ध निगम	0.88
7.	बाजार ऋण	90.01
8.	अल्पकालीन ऋण	8.41
	योग:	116.34

उक्त ऋणों पर वर्ष 1974-75 के आय-व्ययक अनुमानों के अनुसार व्याज की देय राशि 6.55 करोड़ रुपये हैं।

(3) उक्त कर्ज को माफ कराने का प्रश्न नहीं उठता। कर्ज की अदायगी उसकी शर्तों के अनुसार की जा रही है।

(4) वर्तमान में राज्य सरकार पर कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं है। अतः पिछले 3 वर्षों से उनकी आनुपातिक स्थिति का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

खासोली से दूधवाखारा जल प्रदाय योजना का कार्य

68. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) खासोली से दूधवाखारा जल प्रदाय योजना का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ? अब तक इस कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

(2) ढाढर से खासोली नल लाइन डालने का कार्य कब से रुका पड़ा है ? इसके क्या कारण हैं ?

(3) अब यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

Page No 34

(34)

उत्तर

(1) योजना का सम्पूर्ण कार्य दिसम्बर '75 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। अब तक जल योजना कार्य में निम्न प्रगति हुई है।

(1) निम्न ग्रामों में भू-जलदाय का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

1. खासोली 2. ढाढर 3. लाबाऊ 4. आसूल स्टेशन 5. लादड़िया 6. सिरसला 7. लोहसाना बड़ा 8. लोहसाना छोटा 9. ढाकों का बास 10. दूधवा खारा स्टेशन 11. सिरसली।

(2) ढाढर से दूधवाखारा ग्राम तक पाईप लाइन का कार्य पूर्ण हो गया है।

(3) दूधवाखारा स्वच्छ जलाशय व पम्प हाउस का कार्य प्रगति पर है।

(4) सिरसला से लोहसाना बड़ा, लोहसाना छोटा व ढाकों के बास में पाइप लाइन का कार्य चालू है जिसके मार्च, 75 के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है।

(5) खासोली व दूधवाखारा में टंकी बनाने के ठेकेदारों को आदेश दे दिये गये हैं।

(6) ढाढर से दूधवाखारा ग्राम तक अस्थाई रूप से जल वितरण चालू किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्राम ढाढर, लाबाऊ, आसलू, ढानी लक्ष्मणसिंह, सिरसला, दूधवाखारा रेल्वे स्टेशन, सिरसली व दूधवाखारा तक पानी पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है एवं खासोली गांव नवनिर्मित नल कूप से नियमित रूप से जल वितरण किया जा रहा है।

(2) 200 एम. एम. के सी. आई. जोइन्ट्स उपलब्ध न होने के कारण पाइप लाईन डालने का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। जोइन्ट का आदेश दिया जा चुका है जोइन्ट एक माह में प्राप्त होने की सम्भावना है।

(3) कुल पाइप लाइन का कार्य जोइन्ट्स प्राप्त होने पर दो माह में पूर्ण हो जायेगा।

कोटपूतली तहसील की जल प्रदाय योजनायें

69. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपूतली तहसील में किस किस जल प्रदाय योजना के लिए कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इन जल प्रदाय योजनाओं पर खर्च की गई राशि से पूरा कार्य नहीं हुआ है और काफी लाइन बाकी है जिसमें और धन की आवश्यकता है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

नगरों में ड्रेनेज के लिये धनराशि का प्रावधान

70. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(1) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में किन किन नगरों के ड्रेनेज के लिए कितनी कितनी धनराशि का प्रावधान था ?

(2) वित्तीय वर्ष 1974-75 में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और कोटा में उपरोक्त कार्य के लिए कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

(3) वार्षिक योजना 1975--76 में उपरोक्त कार्य के लिए उपरोक्त नगरों में कितनी धनराशि अलग अलग व्यय करने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) पांचवी पंचवर्षीय योजना में जयपुर के लिये 2.70 करोड़ जोधपुर के लिये 25 लाख, अजमेर के लिये 20 लाख और बीकानेर के लिये 15 लाख रुपये प्रस्तावित किये गये हैं। किन्तु अभी तक योजना विभाग से योजना का प्रारूप अनुमोदित नहीं किया गया है।

(2) वित्तीय वर्ष 1974-75 में :–

1. जयपुर के लिये कोई राशि व्यय नहीं की जा रही है।

2. जोधपुर के लिये लगभग 2 लाख रुपये और

3. बीकानेर के लिये लगभग 2 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

4. अजमेर, कोटा व उदयपुर के लिये कोई राशि इस वित्तीय वर्ष में व्यय नहीं की जा रही है।

(3) वर्ष 1975-76 में निम्न प्रकार धनराशि प्रस्तावित है :–

1. जयपुर 10 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा एवं 20 लाख रुपये जीवन बीमा निगम द्वारा।

2. जोधपुर 2 लाख रुपये।

3. बीकानेर 2 लाख रुपये।

4. अजमेर, उदयपुर एवं कोटा के लिये कोई भी राशि प्रस्तावित नहीं की गई है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल और केसरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर स्थित सीमेन्ट फैक्ट्री के कर्मचारियों को गत दो माह से वेतन न देने और उसके एक बड़े भाग को बन्द कर देने के विषय में। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

2 श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, सदस्य विधान सभा की ओर से 1966 में राज्य सरकार द्वारा पंजाब सरकार के साथ किये गये एक समझौते के अन्तर्गत गंगानगर की आर. डी. 86 से पंजाब को पानी देने के विषय में,

3. श्री अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से बीकानेर के न्यू सरक्युलर

(श्री अध्यक्ष)

मार्केट स्थित शहीद स्तम्भ को गत 29 जनवरी को प्रशासक के आदेश से तुड़वाये जाने के विषय में.

4. श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित रविन्द्र रंगमंच के कर्मचारियों को गत 8 माह से वेतन न मिलने और नौकरी से हटाये जाने के नोटिस दिये जाने के विषय में,

5. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से श्री लोकचन्द सोनी द्वारा गंगानगर में तस्करों को प्रश्रय देने के विषय में।

ये स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक-महत्व की किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

6. सर्वश्री निरंजननाथ आचार्य, मोहम्मद गफ्फारअली व केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में। यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है। अतः मैं इसे भी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया है वह सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के सम्बन्ध में है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि यह फैक्ट्री हिन्दुस्तान की ही नहीं बल्कि सारे एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इस विषय में सदन में पहले भी कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं और इस फैक्ट्री की उपयोगिता केवल कृषि क्षेत्र में ही नहीं बल्कि औद्योगिक क्षेत्र के लिये भी इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेन्स है। इस फैक्ट्री की जितनी उत्पादन क्षमता है वह उसकी 30 परसेन्ट पोटेन्शियेलिटि में काम कर रही है और इसकी 70 परसेन्ट बाकी की उत्पादन क्षमता बन्द पड़ी है। वहां पर मेरी जानकारी के अनुसार, वहां के आफिसर्स और कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। हमारी राज्य सरकार का 25 लाख रुपया इस फैक्ट्री के अन्दर डिबेन्चर्स के रूप में इन्वेस्टेड है। 42 लाख रुपया पानी और बिजली का बकाया है जो वसूल करना है। अध्यक्ष महोदय, अब वहां पर यह स्थिति बनी है कि पंजाब नेशनल बैंक के 50 लाख रुपये इस फैक्ट्री की तरफ आते हैं। बैंक वालों ने इस फैक्ट्री के जो भी चैक्स आते हैं, पेमेन्ट के लिए, उन अदायगी के चेक्स को जब्त करना शुरू कर दिया है और उन चैक्स की रकम को अपने खाते में जमा कर लेते हैं। साढ़े बारह लाख रुपया इस कम्पनी के पास मजदूरों का पैसा है, जो मजदूरों के प्रोविडेन्ट फन्ड और जो यह गवर्नमेन्ट की कम्पलसरी डिपाजिट की स्कीम है उसके तहत जमा होता है, उसका साढ़े बारह लाख रुपया जमा इस कम्पनी के पास है। यह पैसा कम्पनी को गवर्नमेन्ट को देना चाहिए था, उसको उन्होंने जमा नहीं करवाया है। इसका नतीजा यह हुआ अध्यक्ष महोदय, कि कम्पनी में एक जबरदस्त आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है और इसका कारण यह नहीं है कि कम्पनी को घाटा हुआ है बल्कि इसका एक प्रमुख कारण यह है कि कम्पनी जितना उत्पादन करती है और उसमें से कन्ट्रोल रेट में जितने कट्टे-देते हैं उनकी संख्या बहुत कम

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है । लेकिन जो कम्पनी की एक्च्युअल पैदावार है उसके बहुत बड़े हिस्से को कम्पनी दबाये रखती है और उसको ब्लैक मार्केट में ऊंची रेट पर बेच देती है और मुनाफा कमाती है । इस तरह से कम्पनी के पास नम्बर दो का पैसा, ब्लैक मार्केट का पैसा बहुत बड़ी तादाद में जमा हो रहा है और जो इसका मैनेजमेन्ट है, इसके व्यवस्थापक हैं उनके पास ब्लेक के रूप में वह पैसा जमा होता जा रहा है और कम्पनी को घाटा दिखाया जा रहा है । कम्पनी में कई तरह का अनाप-शनाप खर्च दिखाया जा रहा है ।

श्री आलोक प्रसाद जो इस कम्पनी के, अध्यक्ष महोदय, जो मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं इस कम्पनी के, वे अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं । ऐसा मालूम हुआ है, अध्यक्ष महोदय, कि वे एक रंगीन मिजाज आदमी हैं । वे कई प्रकार के व्यक्तिगत खर्चे कम्पनी की कोस्ट पर करते रहते हैं और इस प्रकार के खर्चों को कम्पनी के अकाउन्ट में डाला जाता है । अध्यक्ष महोदय, कम्पनी इस तरह से आर्थिक संकट में पड़ गई है । राज्य सरकार का इतना पैसा होते हुए भी, इतनी बड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री होते हुए भी और इसकी उत्पादन क्षमता इतनी घट जाने पर भी राज्य सरकार का रुख इस ओर बिल्कुल उदासीनता का रहा है । अभी राज्य सरकार द्वारा जो पत्थर-चूने का ठेका दिया गया वह भी इसको कन्सेशनल रेट पर दिया गया है इस प्रकार की जो लापरवाही इस कम्पनी के अधिकारियों द्वारा हो रही है, पैसे का गबन हो रहा है इसके अन्दर ब्लैक मार्केट हो रहा है और फिर भी राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है जिससे राज्य की इकानोमी पर और कम्पनी की आर्थिक स्थिति पर भारी असर पड़ रहा है । इसलिए मेरा निवेदन करना है कि दरअसल तो जरूरत इस बात की है कि इस कम्पनी का तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय और इतनी बड़ी कम्पनी है, इतना ज्यादा इसका उत्पादन है और यह कम्पनी बन्द पड़ी है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को पूरी तौर पर इस कम्पनी का मैनेजमेन्ट अपने हाथ में लेना चाहिये और इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए । इस प्रकार से इसमें हस्तक्षेप करके बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस विषय में एक स्टेटमेन्ट देवें ।

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो एडजोर्नमेन्ट मोशन पेश किया है उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह से कारखानेदार इन कारखानों को खुर्द-बुर्द किये जा रहे हैं । इसके व्यवस्थापकों की तरफ से, चालकों की तरफ से स्थिति को बिगाड़ा जा रहा है । कुछ भी हो उनको तो प्रोफिट चाहिए । वह यह नहीं देखते कि मजदूरों का क्या हो रहा है, वे तो कम से कम प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट कमाना चाहते हैं । आज उन्होंने यह रास्ता अपना लिया है । हरएक कारखानेदार ने यह रास्ता अपना लिया है । ब्लैक करके पैसा मारते हैं यही उनकी एक नीति रह गई है । माननीय सदस्यों को मालूम होगा अभी वेजीटेबल के कारखाने वालों ने, कपड़े के कारखानेदारों ने, कपड़े में रूई की रेट कम हुई है फिर भी....

श्री अध्यक्ष : मुख्य विषय पर आ जाइये।

श्री केसरीमल : कपड़े वाले कपड़े का प्रोडक्शन कम करके, वेजिटेबल वाले वेजीटेबल का प्रोडक्शन कम करके, और कारखानों को बन्द करके और इस तरह का वातावरण पैदा करके वे यह कोशिश करते हैं कि प्रोडक्शन को कम करके ज्यादा से ज्यादा प्रोफिट कमाया जाय। आज सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री का ½ भाग बन्द पड़ा हुआ है। जहां उसमें तीन-चार हजार मजदूर काम करते हैं, वहां उनकी संख्या केवल दो ढाई हजार ही रह गई हैं। फैक्ट्री करीब करीब बन्द होने की हालत में है और कई मजदूर बेकार हो गये हैं। इसकी उत्पादन क्षमता भी कम हो गई हैं। कम्पनी का प्रोडक्शन बन्द हो जाय इतनी बड़ी बात हो जाय और सरकार कुछ भी इन्तजाम न करे उसको अपने हाथ में ना ले यह ठीक बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कारखानेदार इस तरह से जनता को लूट रहे हैं, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं और प्रोडक्शन को भी छिपाते हैं, वे इनको सैन्ट्रल एक्साइज वालों को नहीं बतावें और बाकी हिस्सा चुरा लेते हैं। प्रोडक्शन का और टैक्स का सारा का सारा पैसा चुरा लेते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मजदूरों का लाखों रुपया प्रोविडेन्ट फन्ड और कम्पलसरी डिपोजिट फन्ड्स के उनके पास जमा हैं और उन्होंने उसको अपने पास दबा कर रख लिया और गवर्नमेंट में जमा नहीं कराये हैं। अगर मालिक यह कारखाना बन्द करके भाग जायगा तो मजदूरों का पैसा उनसे वसूल होना मुश्किल हो जावेगा। ऐसी कई कारखानों की स्थिति पैदा हुई है हिन्दुस्तान के।

इस तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, कारखाने को खुर्द बुर्द कर रहे हैं। देश को नुकसान पहुंचाया है ऐसे कारखानेदार के खिलाफ कार्यवाही करें जिसने अमानत में खयानत करके, मजदूरों को नुकसान पहुंचाया हैं, सरकार को नुकसान पहुंचाया है सरकार में पैसा जमा नहीं करवा कर जो कि मजदूरों का पैसा काटा गया है, सरकार ऐसे कारखाने को अपने हाथ में ले, क्योंकि इसमें लाखों रुपया सरकार का लगा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में बयान दिलाया जाय।

श्री केदारनाथ : केसरीमल जी ने और रामानन्द जी ने जो मसला रखा है यह स्टेटमैंट दिलाने का मसला है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो माननीय सदस्य श्री रामानन्द जी ने प्रस्ताव रखा है वह बड़ा इम्पोरटेन्ट प्रश्न है और इस पर बयान दिला दिया जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु: मेरा, अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है कि गंगकैनाल से पंजाब ने एक माइनर बना लिया और जिसके बारे में पहले यहां पर भी चर्चा हुई और कहा गया था कि सरकार ने पंजाब को विश्वास दिया था इस कारण से यह बना लिया है। पर सरकार ने यह बताया था कि ऐसा कोई विश्वास पंजाब

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

सरकार को नहीं दिया। पंजाब ने माइनर बना लिया है तो भी पानी छोड़ने नहीं देंगे।

उसके बाद 9 अप्रैल को इसी सदन के अन्दर कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी विश्वास लिया था कि पंजाब से कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। हनुमानगढ़ में 16 आदमियों की मीटिंग हुई, उसमें भी यह बात साफ हो गई। उससे पहले हम प्रधान मंत्री जी से, सेन्ट्रल इर्रीगेशन मिनिस्टर साहब से मिले थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने ऐसा रास्ता बनाने के लिए मन्जूरी दे दी थी और इस कारण से यह बनाया है। इस पर हमने फिर चिन्ता व्यक्त की तो सरकार ने फिर विश्वास दिलाया।

श्री अध्यक्ष : हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : थोड़े में ही कहूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गंभीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : नतीजे की बात कहें। हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : सरकार ने बार बार विश्वास दिलाया कि पंजाब से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन नतीजा यह हुआ कि उस माइनर में पिछले वक्त रेगुलेटर नहीं लगा था अब लग चुका है। और पानी खोल दिया गया है। 30 कुशेक पानी का तो बहाना किया जा रहा है। इस वक्त यह हालत है। पोंग डेम के लिये कहा जाता है कि नहरों में पानी आ रहा है। घग्घर फ्लड चल रहा है। लेकिन गंगकैनाल में पानी नहीं आ रहा है। जो नहर पहले ही पानी पूरा नहीं दे रही है और जब उधर माइनर से पानी जाना शुरू हो जावेगा तो यह बड़ी चिन्ता और सोचने की बात है उस एरिया में पानी पहुंचने में बाधा जरूर आवेगी जहां कि हमेशा से पानी जाता रहा है। यह बड़ा ही गम्भीर विषय है और चिन्ता का विषय है। वहां के लोगों को सरकार ने बार बार विश्वास दिलाया लेकिन अब पता चला है कि माइनर में रेगुलेटर भी लगा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : अगर उधर पानी दे देंगे तो गंगकैनाल में पानी कम रह जायगा और आखिर बीकानेर द्वारा बनाया गया है। 3 करोड़ इस पर खर्च कर दिया था उस माइनर को पानी हमारे हिस्से में से काट कर दिया जा रहा है। जब गंगनहर पानी ले ही नहीं सकती तो पानी देने का सवाल नहीं है। सरकार इसका जवाब दे। इस विषय में इलाके के लोगों को और सब लोगों को बड़ी चिन्ता है। बड़ी ही चिन्ता का यह विषय है। सरकार की ओर से स्टेटमेंट दिलाया जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सदन में यह बार बार कहा गया है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पिछले वर्ष यह कहा गया है। माननीय सदस्य केन्द्रीय सरकार से ऐसी सूचना लाये हैं कि इस प्रकार का एग्रीमेंट है। यह विवादास्पद प्रश्न तो है ही लेकिन ब्रीच ऑफ प्रिवेलेज का भी प्रश्न बन गया है। यदि इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट है तो उसका

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

सदन के पटल पर रखा जाय । अथवा गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने कोई गलत सूचना दी है यह सब मालूम हो सके ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : आप अपने ही मोशन पर बोल लें । हर मोशन पर बोलें ही यह कोई आवश्यक नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस पर है । प्रश्न यह है कि सदन में सिंचाई मंत्रीजी ने कहा था कि माइनर नहीं चलने दिया जायगा और इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं है । 30 कुशेक देते हो ऐसी बात नहीं, किन्तु 150 कुशेक पानी गंगनहर से धक्के से पंजाब ले रहा है और हमारे एग्रीमेंट के द्वारा ले रहा है । पंजाब विधान सभा में भी यह प्रश्न आया था । और वहां भी कहा गया । तीन चार हजार एकड़ भूमि है जिनको उनको देने के लिये धक्के से पानी ले रही है पंजाब सरकार ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : इसका उत्तर दिला दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : कोशिश करूंगा ।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है बीकानेर केन्यू सरक्युलर मार्केट स्थित शहीद स्तम्भ को गत 29 जनवरी को प्रशासक के आदेश से तुड़वाये जाने के विषय में । प्रशासक ने 29 जनवरी को आदेश प्रसारित किये । जब म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारी उस शहीद स्तम्भ को तोड़ने के लिये पहुंचे और उसको क्षतिग्रस्त किया, जनता को मालूम होने पर जनता काफी इकट्ठी हो गयी और वहां पर एक तनाव की सी स्थिति पैदा हो गई । आपने स्थगन प्रस्ताव को मान्यता प्रदान नहीं की है लेकिन मैं चाहूँगा कि यह गम्भीर प्रश्न है और इससे जनता में बड़ा ही रोषपूर्ण वातावरण है । चूंकि इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, दो सौ वर्ष पुराना यह स्मारक है, स्तम्भ है, जनता में बड़ा इसके लिये रोष है इसलिये इसकी पुनः मरम्मत की कार्यवाही करने की कृपा करें और यह आदेश आप इसके लिये फरमावें ।

श्री अध्यक्ष : श्री भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक मात्र राजस्थान के रविन्द्र रंगमंच के कर्मचारियों के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव है..

श्री अध्यक्ष : आप इस पर बोल चुके हैं और स्थगन प्रस्ताव भी दे चुके हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस संबंध में नहीं बोला हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बोले हैं । जहां अन्तर किया है, उसमें ही बोलें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 31 दिसम्बर 1974 को ललित कला अकादमी की ओर से यह आदेश दे दिये कि जो रविन्द्रमंच के कर्मचारी हैं उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है । ललितकला अकादमी ने राज्य सरकार की आज्ञा पालन की दृष्टि से 31 दिसम्बर को रविन्द्र मंच पर जो काम कर रहे थे उनकी सेवायें समाप्त कर दीं । मैं यह पूछना चाहूंगा कि ये स्वायत्त शासन संस्थायें हैं उनमें सरकार की ओर से क्यों दखल दिया

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जा रहा है। चाहे युनिवर्सिटी हो, चाहे नगरपालिका हो, हर जगह सरकार की ओर से दखल दिया जा रहा है ग्रौर रविन्द्रमंच के कर्मचारियों को हटाने के विषय में भी सरकार का दखल। राजस्थान सरकार के लिये भी यह अशोभनीय घटना है। 1 मार्च, 1974 को रविन्द्र मंच कमेटी के लोगों ने कुछ निर्णय लिये। निर्णय यह था कि एक महीने के लिये इसको बन्द कर दिया जाय। उस निर्णय के ग्राधार पर ग्रप्रेल 74, एक माह के भीतर भीतर उसको बन्द रखेंगे। दूसरे यह था कि एक लाख रुपया राज्य सरकार से मांगा ग्रौर तीसरे यह था कि रविन्द्रमंच की पी० डब्लू० डी० मरम्मत कराकर देगी ग्रौर चौथा यह था कि 41 हजार रुपये का जो शुद्ध लाभ है उसमें से वहां के कर्मचारियों को वेतन दिया जायेगा। ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खेद है कि एक वर्ष का समय समाप्त हो गया लेकिन राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बांटने के लिए 50 हजार रुपया ग्रनुदान के रूप में दिया जिसके लिए तो सरकार धन्यवाद की पात्र है लेकिन उसके बाद भी ग्राज तक किसी भी कर्मचारी को 9 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। जब भी कर्मचारी अपने वेतन के लिए जाते है तो कहते है कि टर्मीनेशन का ग्रार्डर भी साथ ले जाग्रो और वेतन भी ले जाग्रो। यह कोई तरीका है ? ग्रध्यक्ष महोदय, सन् 1961 ग्रौर 62 से जो 14-15 वर्ष से कर्मचारी नोकरी पर लगे हुए हैं उनको हटाना ग्रौर वेतन नहीं देना ग्रौर टर्मनिशन का ग्रार्डर देना मैं समझता हूं कि राज्य सरकार यदि उनको टर्मीनेट करना चाहती है तो पहले उनको वेतन दे और फिर उसके बाद कुछ करे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि रविन्द्रमंच के एडमिनिस्ट्रेशन को हम अपने हाथ में लेंगे ग्रौर हम उसकी मरम्मत भी करायेंगे ग्रौर 1975 तक रविन्द्रमंच का मैनेजमेंट ठीक हो जायेगा लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि रविन्द्रमंच ग्राज दिन तक ठीक नहीं हुग्रा। कहा यह गया था कि एक वर्ष ग्रौर लग जायगा और सन् 1975 में रविन्द्रमंच ठीक हो जायेगा तो पुराने कर्मचारियों को निकालने का कौन सा ग्रौचित्य है ? जब सरकार कहती है कि हम एक महीने में उसकी मरम्मत करा देंगे तो क्या सरकार पुराने कर्मचारियों को निकाल कर नये कर्मचारियों को भर्ती करना चाहती है ?

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी से कर्मचारी लोग जाकर मिले ग्रौर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को नहीं निकाला जायेगा ग्रौर तनख्वाह भी दी जायेगी लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी के ग्राश्वासन के बावजूद भी ग्राज उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है और टर्मीनेशन के नोटिस दिये जा रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि 4 फरवरी को उनसे एक शिष्टमंडल जाकर मिला था और उन्होंने भी कृपा पूर्वक कहा था कि तुमको तनख्वाह मिलेगी ग्रौर टर्मीनेट भी नहीं किया जायेगा लेकिन घोषणा के बावजूद भी वहां का मैनेजमेन्ट ठीक नहीं हुग्रा ग्रौर कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी के ग्राश्वासन के बावजूद उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है ग्रौर उनको निकाला जा रहा है। मेरा निवेदन करना यह है कि रविन्द्र मंच की गतिविधियां बिल्कुल बन्द

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पड़ी है और उसकी मरम्मत नहीं हो रही हैं और कर्मचारियों को निकाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वहां पर आज निराशा का वातावरण बना हुआ है। हमारे यहां राज्य में ललित कला अकादमी और संगीत कला अकादमी हैं और शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ललित कला अकादमी जोधपुर चली जायेगी और संगीत कला अकादमी यहीं रहेगी लेकिन फिर पता नहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी किस प्रभाव में आ गये कि संगीत कला अकादमी तो वहीं रह गयी और ललित कला अकादमी भी यहीं रह गयी। रूस के शिष्ट मण्डल भी यहां आये थे और उन्होंने कहा कि यह यहां का रंगमंच है? मैं समझता हूं कि उससे हमारा नुकसान ही हो रहा हैं। वहां पर रवीन्द्र रंगमंच के सारे कनेक्शन बिजली का, पानी का, टेलीफोन का सब कट गये और वह एक दर्शनीय स्थान बन गया है। वहां पर लोग चिड़िया घर देखने आते हैं तो देखते हैं कि यह रवीन्द्र मच भी है। रवीन्द्र मंच में अब केवल अवशेष ही रह गये हैं।

मेरा अन्त में निवेदन यह है कि रवीन्द्र मंच एक सांस्कृतिक केन्द्र है और वहां हमारी गतिविधियां समाप्त हो रही है। इसलिए रवीन्द्र मंच की सुचारू रूप से व्यवस्था हो, उसकी मरम्मत हो, कर्मचारियों को उनका वेतन दिया जाये और उनको निकाला नहीं जाय। वहां एक अधिकारी मुकल बैठे हुए हैं जो कि सांस्कृतिक अधिकारी हैं। उनको वहां से हटाया नहीं जा रहा है। मुकल जी के कारण वहां की सारी सांस्कृतिक गतिविधियां समाप्त हो रही हैं। इसलिए उसकी मरम्मत की कोई सुचारू रूप से व्यवस्था हो, सारी सुविधायें उपलब्ध हों जिससे वहां की गतिविधियां प्रारम्भ हो सकें। उन कर्मचारियों को जिनको 9 माह से वेतन नहीं मिल रहा है आश्वासन के बाद भी वह ठोकर खा रहे हैं उनको वेतन दिलाया जाये, उनको टर्मीनेट नहीं किया जाये और वापिस नौकरी में रखकर रवीन्द्र मंच की व्यवस्था और गतिविधियां शुरू हों और तीनों अकादमियों का दफ्तर जयपुर में ही हो, यही मेरा निवेदन हैं।

श्री अध्यक्ष : बस कह चुके?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं समझता हूं कि मेरी बात को मैंने रख दिया है कि उन कर्मचारियों को जो पिछले 9 माह से वेतन नहीं मिल रहा है वह वेतन दिलाया जाये और उनकी सर्विसेंज को टर्मीनेट नहीं किया जाये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने फिर इनको जगा दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है उसका संबंध गृह मंत्री जी से है और आशा करता था कि वह सदन में उपस्थित रहेंगे। आज पाकिस्तान को हथियार देने से बहुत बड़ी चिंता हो गयी। सारे देश में उस स्थिति में पाकिस्तान का एक नागरिक रायसिंहनगर की नगरपालिका के अन्दर उपाध्यक्ष के पद पर है और पाक

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जासूसी का काम करता रहे तो इसको कम गम्भीरता से नहीं लिया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में और वहां की यूथ कांग्रेस ने इस संबंध में एस० पी० गंगानगर, मुख्य मंत्री राजस्थान को, राजस्व मंत्री राजस्थान को, आई०जी०पी० राजस्थान को पत्र लिखा कि श्री लोकचन्द सोनी जो कि रायसिंहनगर में 5 वर्ष पहले आये और उस समय जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं थी और आज लाखों रुपयों की सम्पत्ति अर्जित कर ली है। उनके परिवार के अन्य चार भाई आज भी पाकिस्तान से खुले आम उनके पास आते हैं और उनके पास रहते हैं और लोकचन्द सोनी के घर पर रहते हैं और पूरी तरीके से पाक जासूसी करते हैं, बल्कि गंगानगर के सारे तस्करी के अड्डे उनके घर पर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद कलेक्टर ने कहा कि लोकचन्द सोनी को आज तक भारत की नागरिकता प्रदान नहीं हुई है। अब प्रश्न यह है कि कलेक्टर ने कह दिया कि यह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है लेकिन उसके बाद भी नगरपालिका का सदस्य कैसे रह सकता है ? और उपाध्यक्ष कैसे रह सकता है या वह किसी भी संस्था का चुनाव कैसे लड़ सकता है ? जब कलेक्टर महोदय स्वीकार कर लेते हैं कि वह भारत का नागरिक नहीं है और उसके बाद एक दिन भी कैसे किसी इलेक्टेड सीट पर रह सकता है और किस प्रकार से यह उचित है ? एस०डी०एम० ने भी यही रिपोर्ट दी है कि उसने भारत की नागरिकता स्वीकार नहीं किया है और कलेक्टर ने भी स्वयं रिपोर्ट की है। दो एस०पी० की रिपोर्ट मांगी है, एस० पी० जैसलमेर और एस०पी० गंगानगर की और कहीं भी उसका भारत का नागरिक होना साबित नहीं होता और न उसने कभी भारत की नागरिकता मांगी और न एप्लाई ही किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए इस प्रश्न की गम्भीरता को सदन के अन्दर प्रस्तुत करूंगा। मुझे तो इस बात पर खेद है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखने के बाद आज मुझे तीन महीने से अधिक हो गए मुझको उनका रिप्लाई नहीं मिला। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि आप इस संबंध में मुझसे मिलो। हर बात के लिए कहते हैं, लेकिन इस संबंध में पर्सनली मैं मुख्य मंत्रीजी से नहीं मिला पर माननीय राज्य मंत्री श्री गुलाब सिंह जी शक्तावत के दरबार में हाजिर हुआ और उनसे अर्ज की कि यह बहुत गम्भीर बात है कि रायसिंहनगर में खुले आम पाक जासूसी हो रही है। खुले आम क्षेत्र के नक्शे पाकिस्तान में जा रहे हैं। खुले आम पाकिस्तान के नागरिक आ रहे हैं और श्री लोकचन्द सोनी के घर के अन्दर रात रात भर, दो दो दिन तक ठहरते हैं, ऐसी स्थिति को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए। आज लोकचन्द लाखों रुपयों की वजह से एस. डी. एम. का मुंह बन्द कर सकता है, कलेक्टर गंगानगर का मुंह बन्द कर सकता है। एस. पी. का मुंह बन्द कर सकता है और आज के राजनैतिक दबाव जो पैदा हो गए हैं इसलिए राज्य सरकार यह देखे कि इसको फौरन वहां से हटाया जाय और मीसा के तहत गिरफ्तार किया जावे। यह जनता सहन नहीं करेगी और आज पाकिस्तान जिस प्रकार से आई

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हो रहा है, पाकिस्तानी स्पाइज की एक्टीविटीज सारे बोर्डर क्षेत्र के अन्दर सक्रिय होती चली जा रही है, इस हालत में, मैं समझता हूं कि यह गम्भीरतम प्रश्न है और अध्यक्ष महोदय, आप गृह मन्त्री को कहें, मुख्य मन्त्री को कहें कि सदन के अन्दर इस प्रश्न का उत्तर दें। इस दिशा में कार्यवाही करने का इस सदन के अन्दर आश्वासन दें और तुरन्त लोकचन्द को मीसा के अन्दर गिरफ्तार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री आचार्य।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र देने का प्रश्न है, सारे सदस्यों को चिंतित और बैचेन किया है। निश्चय ही यह केन्द्र का प्रश्न है किन्तु राष्ट्र की अन्य विधान सभायें भी मेरा विश्वास है इस प्रश्न को बेचैनी के साथ लेंगी और अपनी चिन्ता व्यक्त करेंगी। हमारे प्रान्त की स्थिति, अध्यक्ष महोदय, विशेष है। इस प्रान्त का लम्बा बोर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है और इस प्रान्त ने जितनी क्षति पाकिस्तान के साथ युद्ध से उठाई है मेरा विश्वास है अन्य प्रान्तों ने नहीं उठाई है। हमने हमारे योद्धा खोये हैं, हमने हमारी सम्पत्ति खोई है, कई विस्थापित हुए हैं और हजारों की संख्या में अभी भी विस्थापित यहां पर पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को शस्त्र देना अमेरिका द्वारा राजस्थान के लिए विशेष परिस्थिति पैदा करता है। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्थिति, जो सम्बन्ध हमारे पाकिस्तान से ठीक होने को चल रहे थे, जो रिश्ते अमेरिका के साथ ठीक होने जा रहे थे, उन सब स्थितियों में बाधा पड़ी है। ऐसी स्थिति में, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न चिंता का प्रश्न है। राजस्थान के लिए विशेष चिन्ता का प्रश्न है। और हिन्दुस्तान का तो यह प्रश्न है ही। इसलिए इस पर यदि आप चर्चा की अनुमति दें तो बहुत हा अच्छा है और अगर आप यह समझते हों कि पार्लियामेंट में इस प्रश्न पर चर्चा होना स्वाभाविक है अथवा चर्चा होने जा रही है, तब तो उस चर्चा होने के बाद इस प्रश्न को सदन में आप द्वारा लाने की अनुमति दी जानी चाहिए इतना ही मुझे इस वक्त निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : किसी और रूप में आ सकता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, हम कोशिश करेंगे कि हम किसी और रूप में लायें पर यह ऐसा विषय है कि जिस पर प्रकाश डालना जरूरी है। जैसा कि, अध्यक्ष महोदय, सब इस बात से वाकिफ हैं कि हमारा कम से कम 1400 किलोमीटर का बोर्डर पाकिस्तान से मिलता है और इस वक्त जब हमारे सम्बन्ध पाकिस्तान से इस्तवार होने जा रहे हैं शिमला पैक्ट के मातहत केन्द्र ने कुछ कदम उठाए और कुछ कदम उधर से उठे और आने जाने में पाबन्दी कम हुई, डाक का सिलसिला शुरू हुआ और उस वक्त अमेरिका ने यह देखा कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती है वह एक खतरनाक रूप धारण कर सकती है और यदि यह सब हो गया तो अमेरिकी साम्राज्यवाद है उसको पीछे हटना पड़ेगा, इस खयाल से उसने फिर पाकिस्तान के

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

अन्दर हस्तक्षेप करके यह फैसला किया कि जो उनको हथियारबन्द करे। पाकिस्तान को हथियार बन्द करके वह किसके विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है यह सोचनीय विषय है। मेरा अर्ज करना यह है कि पाकिस्तान की एक साइड में चीन का बोर्डर मिलता है, पाकिस्तान का खुद का बोर्डर रशिया से मिलता है और एक ओर काबुल से मिलता है तो इन मुल्कों की तरफ तो देखने की भी हिम्मत उसकी नहीं हो सकती है। तो अब वह किसके प्रति द्वेष रखता है, दुश्मनी रखता है और किसके प्रति और किसके खिलाफ उसके हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। यह अमेरिका भी बखूबी जानता है। लेकिन आज की अमेरिका की नीति यह है, अध्यक्ष महोदय, कि वह एशिया के मुल्कों को आपस में लड़ाये और अपने साम्राज्यवाद को कायम रखे। जैसा कि आप भलिभांति जानते हैं न सिर्फ एशिया के मुल्कों के अन्दर बल्कि अरबों के अन्दर भी खाड़ी के मुल्कों के अन्दर खुद उनमें ऐसे अड्डे कायम कर रहा है। यह ऐसा गम्भीर मसला है कि वह पूरा इस महाद्वीप के अन्दर आपस में मतभेद पैदा करके उनको घेरना चाहता है। हाल ही में आपको मालूम होगा, अध्यक्ष महोदय, कि मसकट आयलैंड के और ओमान के रूलर सुल्तान से समझौता किया है, वहां अड्डा इसीलिए कायम किया गया कि जो खाड़ी के देश हैं उन पर हमला किया जा सके और जो हिन्दुस्तान के मित्र हैं उनके रिश्तों में रुकावट पैदा की जा सके। जो हमारे समझौते तेल मुल्कों से हो रहे हैं उनमें भी रुकावट डाल कर हमारा तेल बन्द किया जा सके। एक तरफ बहरीन से, दूसरी तरफ मसकट से और तीसरा अड्डा सुल्तान ओमान के साथ। इस तरह से तीनों तरफ से अड्डे कायम किए हैं और इस तरह से आज अमेरिका अपना साम्राज्यवाद कायम रखना चाहता है और पाकिस्तान को मदद देने का सिर्फ मकसद यही है कि जो काश्मीर का मसला हम बड़ी मुश्किल से हल कर पाये हैं, अमेरिका उसमें आग लगा कर फिर से हमला कराने की कोशिश करे। यह ऐसा गम्भीर प्रश्न है कि जिस पर हमारी असेम्बली की चिन्ता वहां तक पहुंचनी चाहिए केन्द्र तक और हम चाहेंगे कि इस असेम्बली में मुत्तफिक तौर पर यह तजवीज पेश करे और यह जो कुछ भी कर रहा है अमेरिकी साम्राज्यवाद, एक तरफ तो हमारे साथ में ट्रेड का कमीशन बैठाता है, ताल्लुकात खुशगवार करना चाहता है और दूसरी तरफ फोर्ड यह कहे कि यह हमारा हक है कि हम किसी भी मुल्क के अन्दर उपद्रव पैदा करें। हकीकत में भी उपद्रव पैदा किए गए हैं और इण्टरनली पैदा हो रहे हैं। आज हर व्यक्ति जानता है कि जो लहर बिहार से चल कर छः तारीख को दिल्ली शहर में पहुंच रही है वह कितनी खतरनाक लहर है। अगर हम सतर्क नहीं रहे और हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मैं आप को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी यह जो आजादी है वह बड़े संकट में पड़ जायगी। मेरे कुछ दोस्त जो इस तरफ बैठने वाले हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं जो लहर मुल्क के अन्दर आई है वह बिहार में खत्म होगी और जल्दी ही दिल्ली में जाकर भी खत्म होगी। मेरा सुझाव यह है, कि अध्यक्ष महोदय, हमारी चिन्ता है और हमारी कठिनाई हमने आपके सामने रखी है वह सैन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने जानी चाहिए। केन्द्र की हुकूमत को सोचना चाहिए कि यह

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

सब कुछ हो रहा है। तो वह साम्राज्यवादी देशों के साथ अपने ताल्लुकात खुशगवार करने के बजाय वह समाजवादी देशों के साथ अपने ताल्लुकात खुशगवार करने की ओर क्यों नहीं बढ़ती है और क्यों इस तरफ कदम नहीं उठाना चाहती ? हमारी चिन्ता वहां तक जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अमेरिकी साम्राज्यवाद की भर्त्सना करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में हम सब जितने यहां साथी हैं जो सदन में बैठने वाले हैं वे सब इसके बारे में एक यूनानिमस रेज्योल्यूशन पास करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हम भी चाहेंगे कि सदन के अन्दर किस प्रकार से विचार इस समस्या पर किया जावे और पाकिस्तान को अमेरिका से जिस प्रकार से शस्त्र दिया जा कर बोर्डर के ऊपर हमले की तैयारी की जा रही है वह राजस्थान के लिए अधिक चिंता का विषय है। राजस्थान सीमा प्रहरी है। सन् 65 के अन्दर, 71 में जोधपुर में जिस प्रकार का बम्बार्डमेंट हुआ, जिस प्रकार से राजस्थान के ऊपर, राजस्थान के बोर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया यह आप और हम सब इस बात को जानते हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस प्रस्ताव को समर्थन देना चाहूंगा कि इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए चाहे यह विधान सभा का, राज्य स्तर का प्रश्न न हो लेकिन सीमा के कारण से और बंगला देश के बन जाने के बाद में, अध्यक्ष महोदय, अब यदि किसी प्रकार का युद्ध होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान की सारी की सारी सीमा धधकेगी और इसलिए हमारी विधान सभा के लिए भी इससे बड़ा लोक महत्व का प्रश्न हो नहीं सकता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि श्री भुट्टो बारबार इस बात को कह चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से ऐलान कर चुके हैं कि हिन्दुस्तान से एक हजार वर्ष तक युद्ध लड़ेंगे, बराबर युद्ध लड़ेंगे और बराबर जंग होगी, बराबर खून खराबा होगा और इस कारण से किसी भी प्रकार से पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात कहना चाहे शिमला समझौते के रूप में एक झूठा स्वरूप हमारे सामने लाकर जनता को भुलावे में डालने का प्रयास करना, चाहें ताशकन्द समझौते के रूप में स्वीकार किया जाना, यह सारे भारत के द्वारा जब कभी पाकिस्तान के साथ युद्ध के अन्दर किसी प्रकार की उपलब्धि होती है उसको वापिस लेने का एक प्रकार का षड्यंत्र होता है तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट रूप से इस बारे में निवेदन है, और आज तो हालत पूरी खतरनाक है। एक तरफ तो अमेरिका मदद दे रहा है पाकिस्तान को हथियारों की और पाकिस्तान अमेरिका से मदद लेकर भारत पर हमला करना चाहता है। बंगला देश के अन्दर जिस प्रकार से मुंह की खानी पड़ी है उसका बदला लेना चाहता है, और दूसरा, अध्यक्ष महोदय, हमारी सीमाओं के सबसे ऊपर काश्मीर में इस प्रकार का षडयन्त्र चल रहा है कि जिस व्यक्ति को आज मुख्य मंत्री बनाया जा रहा है उसको स्वयं प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ही हाथों से जेल के सीखचों में बन्द किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज संविधान की धारा 370 को स्थाई रूप से लाया जा रहा है जो कि हमारे संविधान में कलंक है और जिसके कारण काश्मीर का भारत में

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

विलय नहीं हो सका । काश्मीर के अन्दर नापाक प्रवृत्तियां और पाक की प्रवृत्तियां जो इस देश के लिए खतरनाक हैं वह फिर से चल रही हैं ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : किसी एक नेता के प्रति इस तरह के शब्द कहना जो कि दूसरे राज्य के मुख्य मंत्री हो रहे हैं उचित नहीं है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : रायसिंहनगर की नगरपालिका के उपाध्यक्ष के लिए कहना तो उचित है । जो भारत का नागरिक अपने आपको स्वीकार नहीं करता है वह काश्मीर का मुख्य मंत्री बन रहा है ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : उनका अपना स्टेटमेंट आ गया है कि वे भारत के नागरिक हैं ।

श्री दीपंकर : शेख अब्दुल्ला ने स्वयं ने स्वीकार कर लिया है वह भारत के नागरिक हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं । आज इस प्रकार की देश में फिजां बन रही है तो निश्चित रूप से यहां पर इस प्रकार की चर्चा की जाय और सारे प्रश्न पर चर्चा की जाय । काश्मीर में इस प्रकार की स्थिति बन रही है और पाकिस्तान में जिस प्रकार की स्थिति बन रही है और जिस प्रकार से राजस्थान को खतरा पैदा हो रहा है उस समय आज राजस्थान में यह बात कही गई है कि बिहार का मसला कहां रहता है वह दिल्ली में रोक लिया गया है और इधर संकेत किया गया था कि उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों की तरफ संकेत किया गया है कि बिहार के मसले को दिल्ली में रोक लिया गया है ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनका तो बिहार में ही नाम समाप्त हो गया है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि बिहार का मसला न तो दिल्ली में रोका जा सकता है और न वह मास्को में रोका जा सकता है और न अरब सागर में ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बिहार में उसकी कब्र खुद गई ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कब्र खोदी है । यह तो बात साफ हो गई है कि मिश्रा साहब की हत्या करने में चारा कम्युनिस्ट सी. पी. आई. वालों का हाथ है । उन्होंने कन्फेशन किया है कि हमने मिश्रा साहब को कत्ल किया है और हमने षडयन्त्र बनाया है ...

श्री अध्यक्ष : This is not relevant.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह × × × है ...

(व्यवधान)

....यह आक्षेप लगाते हैं × × × । इनको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने आनन्दमार्गी होने का कन्फेशन किया है जो कि आपके दोस्त हैं ।

× × × ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गए ।

(48)

श्री मूलचन्द सामरिया : आप क्यों छेड़ते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या हमारी भाभी लगते हो जो हम तुम्हें छेड़ें।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : भाभी को छेड़ना बुरा है आदमी को छेड़ना कोई बुरा नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं ठीक चल रहा था, बात चल रही है अमेरिका की, बात चल रही पाकिस्तान की और बीच में ही बिहार के आन्दोलन को रेफर कर दिया तो यह कहना अपने आप में आत्म-हत्या करना है।...

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिहार का तथाकथित जन-आन्दोलन अमेरिका से प्रेरित है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : बिहार के आन्दोलन को आप रोक नहीं सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : यह बात सही है कि औरों को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि आप खुद अपने को नहीं रोक सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह विदित हो गया है कि बिहार में मिश्राजी की हत्या सी. पी. आई के कम्युनिस्टों ने की है। उन्होंने खुद ने कन्फेशन किया है....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह बिल्कुल × × × हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह बात नहीं । आपकी तरफ से हवा आई है कि .. एस. एस. और जनसंघ....

श्री अध्यक्ष : It is still under investigation कि किस के हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उन्होंने इस बात का कन्फेशन कर लिया है और सी.पी. आई. का कार्ड उनके पास पाया गया है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह मेलिशस प्रोपेगेण्डा है।

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : सूरज की स्थिति से इन्कार करने पर भी सूरज रहेगा। कोई दिन को यह कहे कि दिन नहीं है तो भी वह दिन ही रहेगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार की हवा सारे देश में फैल गई है। वह दिल्ली में 6 तारीख को पूर्ण रूप से प्रकट होगी। उसको कोई नहीं रोक सकता है। न रूस रोक सकता है और न अन्य स्थानों पर बैठे हुए लोग रोक सकते हैं। भारत की गंगा में ज्वार आया है और गरीब के खून में उबाल आया है ..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गरीब और जनसंघ ?

श्री अध्यक्ष : काफी कह दिया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ये बेचारे लखपति गरीब हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप 20 मुरब्बा के गरीब हैं।

× × × ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह सारा आपको दिया, आपको एलाट किया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : रामानन्द जी पेट्रोल पम्प चलाते हुए गरीब हैं, बनना चाहते हैं.......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा........ आपके बलराज खन्ना ने लाखों का गबन कर लिया......

(शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज सारे देश की जनता जयप्रकाशजी के साथ में है...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपकी जनसंघ की तो कब्र खुद गई अब तो मर्सिया पढ़ना बाकी रह गया है.......

(शोर-गुल)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप हांडा जी को रोकिये। अगर बोला करें तो अच्छी तरह बोला करें। उनका जवाब देने में असमर्थ नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठने में तो कम से कम असमर्थ हैं ही।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा जो हथियार दिये जा रहे हैं वह सोचने का विषय है। उसके सम्बन्ध में चर्चा की जाय और निश्चितरूप से पाकिस्तान का किस तरह से मुकाबला कर सकें और अमेरिका से मुकाबला कर सकें और उन सारी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं जो पाकिस्तान को मदद देकर हिन्दुस्तान पर हमला कराना चाहती हैं। उनका हम मुकाबला कर सकें इसके लिए हमें यह चर्चा रखना चाहिए यहां पर।

श्री केदारनाथ : माननीय अध्यक्षजी, इस स्थगन-प्रस्ताव का न तो ताल्लुक, वास्ता यह होना था 6 मार्च से और न काश्मीर एवार्ड से होना था उसका ताल्लुक या वास्ता। अगर कोई माननीय सदस्य इन्डाइरेक्ट इन्फरेन्स निकालता है और इन्टरल्यूड्स के साथ बीच में आ गया तो मैं समझता हूं कि वह अपने आप आगया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि ऐसे अवसर जो अन्तर्राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय मसले होते हैं जिनका डाईरेक्ट सम्बन्ध यहां के माननीय सदस्यों से नहीं है उनको हम यहां बैठकर बतौर मेम्बर के, बतौर सिटिजन के बोलकर पीपल्स के अनुभवों को रख सकते हैं, क्या अपना रिजेन्टमेंट जाहिर नहीं कर सकते हैं ? मेरा आपको निवेदन इतना सा करना है। यू० पी० में यह प्रश्न उठा है और वहां के खुद मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है....

श्री अध्यक्ष : किससे मतलब है आपका ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस पर चर्चा की जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने कब मना किया। आपने स्थगन-प्रस्ताव का नोटिस दिया है। आप चर्चा कर सकते हैं।

श्री केदारनाथ : धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय, यह मसला 10 साल से पहले सन् 65 में पाकिस्तान को आर्म्स देने के लिए अमेरिका ने एम्बार्गो पर बान फिक्सड किया था और अमेरिका इन 10 सालों के बीच में ईरान के मारफत पाकिस्तान को हथियार देता रहा है । खुद ने डाइरेक्टली नहीं दिये लेकिन इन्डाइरेक्टली यूरोप के देशों के मारफत वह पाकिस्तान को हथियार देता रहा है । अब उसने पूरे तौर से ऐलान किया है कि अमेरिका एम्बार्गो पर से बान लिफ्ट कर रहा है और उन्होंने यह कहा है कि चूंकि हम बैलेन्स आफ पावर मैन्टेन करना चाहते हैं, क्योंकि आज हिन्दुस्तान एक न्यूकिलयर पावर बन गया है इसलिए सारे एशिया में और इस सबकान्टीनेन्ट के बैलेन्स आफ पावर में डिस्टर्बेन्स आ गया है उसको कम करने के लिए वह पाकिस्तान को हथियारों के एम्बार्गो पर से बान लिफ्ट कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, आज पाकिस्तान के अन्दर बहुत बड़े हिस्से में रिवोल्ट जारी है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंगला देश के नाम से अलग हो गया है, पाकिस्तान में इकोनामिक और पोलिटिकल कन्डीशन्स भयंकर रूप से बिगड़ती जा रही है । ऐसे समय में हथियार देना अमेरिका उसको प्रोत्साहन देकर पाकिस्तान को एग्रेसिव बनाना चाहता हूं, वह पाकिस्तान को एग्रेसिवनेस की तरफ ले जाना चाहता है तो यह हमारे लिए बड़ा कन्सर्न का सवाल है । अध्यक्ष महोदय, दो लड़ाइयों में पाकिस्तान के साथ राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और अभी अमेरिका के साथ में जो ज्वाइन्ट कमीशन के रूप में ट्रेड पेक्ट हुआ है उसमें और इम्प्रूवमेंट आता । हम यह भी आशा किये बैठे थे कि शिमला पैक्ट के तहत पाकिस्तान से भी ट्रेड पैक्ट चलता ताकि दोनों देशों के लोग आपस में घुलतेमिलते और आपस में ज्योग्राफिकली और प्रिन्सीपली बिचार करते । न तो हिन्दुस्तान की किसी के हिस्से पर कब्जा करने की इच्छा है, उलटे कब्जा करके छोड़ दिया है, और अब भी वह मन्शा नहीं है कि एक इंच भी पाकिस्तान की ज़मीन वह ग्रैब करे ।

अध्यक्ष महोदय, काश्मीर में हमारा एकार्ड हुआ । आपस में मतभेद हो सकते हैं इस देश में, मगर काश्मीर पर एकार्ड करना ठीक समझता हूं, और पाकिस्तान में वहां के श्री भुट्टो ने पाकिस्तान में हड़ताल का नारा दिया और सीज फायर लाइन के दूसरी ओर जो आजाद काश्मीर के लोग हैं उनको भी हड़ताल करने की दावत दी । बगावत की भावना इस तरह से पैदा करना और फिर यह कहना कि हमारे इन्टरनल मामलों में दखल न दें, यह सारे हालात ऐसे हैं कि इसका इन्फरेन्स यह है कि पाकिस्तान लड़ाई पर उतारू हो रहा है । हमारा यह सीरियस कन्सर्न आपकी मारफत हम कराना चाहते हैं । यही निवेदन है ।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवादित बात है, पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार मिलेंगे । जो पाबन्दी थी, वह हटा ली गई है । इसके साथ-साथ अमेरिकन सोर्सेज के द्वारा यह भी कहा गया है कि भारतवर्ष अगर हथियार चाहे तो अमेरिका से ले सकता है । माननीय सदस्यों ने सदन में जो बातें रखी हैं, इस सम्बन्ध में

Page No 51

(51)

(श्री लक्ष्मणसिंह)

कोई दो राय नहीं हो सकती है। आज पाकिस्तान में जो हो रहा है, उससे हम व्यग्रता उत्पन्न करें। और इस बारे में केन्द्र का ध्यान आकर्षित करें। हमारा एक विस्तृत बोर्डर पाकिस्तान से मिलता है। हमको पाकिस्तान का कटु अनुभव हो चुका है। सन् 1965 से इस प्रान्त को क्षति पहुंची है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध बुरे हों। आज जो हथियारों द्वारा पाकिस्तान में तैयारी हो रही है, उससे हमको आशंका पैदा हो रही है। इस बारे में इस सदन में एक संकल्प के रूप में प्रस्ताव पारित हो। चर्चा हो इस सदन में, कि राजस्थान क्या चाहता है। तो यह अच्छा होगा। मैं दूसरी बातों के पचड़े में नहीं जाना चाहता। लेकिन जहां तक काश्मीर का सवाल है, उसको मैं बुरा नहीं मानता हूं। पाकिस्तान के बारे में और काश्मीर की समस्या से हमें कोई मतभेद नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके बारे में दो ही विरोधी हैं। भुट्टो और जनसंघ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनका भुट्टो से सलाह मशविरा चल रहा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में व्यग्रता को प्रकट किया जाये।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई सुझाव है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि प्रेक्टिकली यह सब्जेक्ट ऐसा है, जो राजस्थान से अत्यधिक सम्बन्ध रखता है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति यह है कि पाकिस्तान की सीमा राजस्थान, पंजाब और गुजरात से मिलती है। दूसरी स्टेट्स से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। पाकिस्तान में जब जब भी कोई ऐसी बात होती है तो राजस्थान, पंजाब और गुजरात हैं, यहां जनता को नामेली यह फेज करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि इस सदन के लिए और राजस्थान के लिए यह एक विशेष चिन्ता का विषय है। मैं समझता हूं कि सारा सदन इस बारे में सहमत है। जहां तक अमेरिका के आर्म्स देने का सम्बन्ध है। अमेरिका ने आर्म्स देने का फैसला कर लिया है। हिन्दुस्तान के विरुद्ध रुख अपना कर किया है। अमेरिका का पाकिस्तान को हथियार देना हिन्दुस्तान पर हमला करने जैसा, या उकसावे जैसी बात है। पिछले 1971 के युद्ध के बाद शिमला पैक्ट के जरिये से, उससे एक शुरुआत हुई थी। उसके नाते हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जनता में खुशी हुई थी। कई चीजें जो बन्द थी वह आपस में शुरू हुई। लेकिन अब हथियार देने की घोषणा के जरिये से अब दोनों देशों में तनाव लाने की कोशिश की जा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अमरिकी फैसला है, यह एक पृष्ठभूमि है। हमारे देश के कुछ लोग अमेरिका से संबंध बनाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरा ख्याल इसको डिस्कशन में लेंगे तो और समय दिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा......

श्री अध्यक्ष : अभी आप समय ले लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सदन की तरफ से कोई निन्दा प्रस्ताव या रेजूलेशन मूव किया जाये, ऐसा सदन के सचेतक महोदय से निवेदन है।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी अभी जो चर्चा सदन में चल रही है। मैं समझता हूं वह बहुत ही गम्भीर है। और इस प्रकार से माननीय सदस्यों को चिन्तित होना स्वाभाविक है। वैसे यह अलग बात है, मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी कहता हूं। जब हम किसी मसले को हम जिस गम्भीरता से कहना चाहते हैं, और हम ऐसा महसूस करते हैं तो उसके बावजूद हम ऐसी बातें कह जाते हैं, जिनका कि सम्बन्ध उस विषय से नहीं होता है। या उसकी गम्भीरता को कम करते हैं। इसलिये मैं, जहां तक मेरा सुझाव है, मुख्य सचेतक महोदय से यह निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा समाधान निकालें जिससे कि इस सदन में चर्चा हो। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न चाहे समाजवादी देश हो या साम्यवादी देश हो इससे नहीं। या काश्मीर से या शेख अब्दुल्ला ने क्या किया है, इससे भी नहीं है। इसकी चर्चा हम रात-दिन करते रहते हैं। हम जिस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो उसको सीमित रख कर गंभीरता से चर्चा करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसको कण्ट्रोवर्शियल नहीं बनायें।

श्री फूलचन्द जैन : मेरा निवेदन है कि गम्भीरता रखने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य सचेतक को मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं। यह कांसेसस ओपिनियन हो गई है, सदन में इस पर विचार किया जाय, पालियामेंट में विचार के लिए आ जाय, उस पर चर्चा हो जाय, उसके बाद मुख्य सचेतक इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, तो यहां प्रस्ताव रख दें, हम एक्सेप्ट कर लें या फिर हम रख दें तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें ......

श्री फूलचन्द जैन : बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में तय कर सकते हैं किसी दिन।

श्री रामानन्द अग्रवाल: बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी का प्रश्न नहीं है, किसी दिन रख दें।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, लोकचन्द सोनी का बर्निंग पाइन्ट आ रहा है। मुख्य सचेतक महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आपको जानकारी दे दी, हाण्डाजी ने पाइन्ट आउट किया है, यह पाक नागरिक हैं, यहां बस गया है। इस पर जानकारी दे दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह बतायें, पाक नागरिक है?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र देने की शुरूआत की गई है, उसके बारे में अभी भावनायें व्यक्त की गई। उसके बारे में निवेदन करना है, आपके चेम्बर में किसी समय विचार हो जाय और तय कर लें कि क्या एग्रीएबल प्रस्ताव रख दें, जिससे कन्ट्रोवर्सी नहीं हो।

दूसरा प्रश्न भावली से आने वाले .....

श्री गुमानमल लोढ़ा : कितने पाक नागरिक कहां कहां हैं।

श्री खेतसिंह : मैंने कहा, उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन कर दूंगा। आपको भेज दी जायेगी।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री रामगोपाल सिशोदिया को सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामगोपाल सिशोदिया विभाजन संख्या 124 ने दिनांक 17 फरवरी, 1975 से सत्र के एण्ड तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मीठालाल मीणा : कारण नहीं बताया है। कारण बताते हैं।

श्री अध्यक्ष : टेक्निकल डिफैक्ट है। मैंने इसे रिजेक्ट नहीं किया।

श्री केदारनाथ : इतने तो उदार हों।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं।

सदन की मेज पर रखें जाने वाले पत्र

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनायें।

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रुप (गृह-7) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13 (5) (60) गृह-ख-1/64 दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 6 (115) राज.ग्रुप-4/74, दिनांक 29 नवम्बर, 1974 जिसके द्वारा राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर नियम, 1974 जारी किये गये हैं, सदन को मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

श्री अध्यक्ष : विधेयक का पुरःस्थापन।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि विकास निगम विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा के प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि विकास निगम विधेयक 1975 को पुर: स्थापित करता हूं।

(श्री शिवचरण माथुर)

मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान भूमि विकास निगम अध्यादेश (सं. 20 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक !

राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय ......

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव !

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका मिल जाय ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : पहले आप बोल लें।

श्री अध्यक्ष : इसमें है तो नहीं। पहले आप फर्मा दीजिये।

परिनियत संकल्प

[निम्न परिनियत संकल्प श्री लक्ष्मण सिंह ने प्रस्तुत किया]

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1975 को प्रख्यापित राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं. 6 सन् 1975) को अस्वीकार करता है।"

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन आफ लैंडओनर्स एस्टेट्स (अमेंडमेंट) बिल, 1975 के संबंध में मेरा निवेदन है

(1.02 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन) कि राज्यपाल महोदय ने इस संबंध में अध्यादेश 18-1-75 को जारी किया, उसके 20 दिन बाद विधानसभा 17-2-75 को यहां बुलाई गई। यह ठीक है कि आपकी पार्टी ने रावतभाटे की मीटिंग में यह निर्णय लिया था कि लैंड ओनर्स या एक्स रूलर्स की जमीन को ले लिया जाय....

श्री रामानन्द अग्रवाल : बेचारे 22 ?

श्री लक्ष्मण सिंह - बेचारे 22 मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है....

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, बेचारे 22 के लिए करुणा प्रस्ताव क्यों नहीं रख दें....

श्री फूलचन्द्र जैन : कुछ तो सहनशीलता रखें, थोड़ी।

श्री लक्ष्मण सिंह : करुणा प्रस्ताव तो नहीं है, माननीय सदस्य बेचारे 22 कहें, कहना चाहें तो फार द सेक आफ फन वह कह सकते हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूं; उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अदब के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक क्लब है और क्लब के मेम्बर हैं और उस क्लब के नियम होते हैं और परम्परायें होती हैं....

श्री गुमानमल लोढ़ा : कोई नियम नहीं होते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : उस नियम और परम्परा की अवहेलना करते हैं तो कर सकते हैं और फार द सेक आफ फन कोई चर्चा करें, किसी भी तरह की, तो चर्चा कर सकते हैं। उनको अधिकार है, लेकिन मेरे ख्याल में यह स्पष्ट क्लब परम्परा है, क्लब के नियम हैं, उनकी अवहेलना मखौल और मजाक के रूप में कोई करते हैं तो वह कर सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं माना जाता।

मेरा यह निवेदन है कि सरकार को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी, 20 दिन बाद अध्यादेश जारी होने के विधान सभा बुलाई जानी थी, कि राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी करें। अध्यादेश की परम्परा के बारे में बराबर यहां पर कहा जा चुका है, एक अच्छी परम्परा नहीं है, और खासतौर पर जबकि यह मसला दस वर्ष, बारह वर्ष से विचारार्थ था तो बीस दिन की जल्दी और ताबड़ तोड़ में आपको जल्दी क्या थी। रोवतभाटे में निर्णय लिया, अपनी सुर्खरू बतानी भी थी, तो बता सकते थे। लेकिन यह परम्परा, यह संसदीय परम्परा नहीं है। और मैं तो इतना तक भी कहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने ऐसा अध्यादेश विधान सभा के बीस दिन पहले जारी करके उनकी गरिमा और महिमा में अभिवृद्धि नहीं की। मामला कोर्ट के अन्दर, अदालत के अन्दर 1964 से था। उपाध्यक्ष महोदय, और कोर्ट का फैसला एक्स रूलर्स, हमारे हक में 1967 में हुआ। गवर्नमेंट ने उस फैसले के खिलाफ 1968 में अपील की और 1968 से लगा कर 1975 तक एक भी पेशी कोर्ट के अन्दर नहीं हुई। यह इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि बांइस लोगों की दुर्भावना के लिए कोर्ट के अन्दर भी पेशी नहीं दी जाय, इसमें भी सरकार की साजिश होने का मुझे अंदेशा है। अगर ऐसा किया गया है तो मैं इसकी प्रशंसा नहीं कर सकता....

श्री रामानन्द अग्रवाल : साजिश रूलर्स के साथ मिल कर की गई है, अलग नहीं की गई है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे ख्याल में ऐसी साजिश एक्स रूलर्स के साथ हुई है तो मेरे साथ नहीं हुई, अगर हुई होती तो उसे स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होती...

श्री रामानन्द अग्रवाल : ला, उनके इन्ट्रेस्ट में था, यहां लागू नहीं हो। प्रिजम्पशन यह है कि रूलर्स का इन्ट्रेस्ट सर्व हुआ है और सरकार और रूलर्स ने मिल कर साजिश की, सरकार ने अपील फाइल कर दी इसलिए फौरी एक्जीक्यूशन नहीं हुआ। खुद साजिश और कोलोबोरेशन सरकार और एक्स रूलर्स का है।

श्री लक्ष्मणसिंह : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, इस साजिश का आरोप अलवर से आये हुए माननीय सदस्य लगा सकते हैं, उनको अधिकार है। यह साजिश नहीं इसका कारण आपको बताऊं, सरकार ने इस दरम्यान में संविधान में संशोधन किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन किये-एक के बाद एक, एक के बाद एक, दूसरा और तीसरा उन संशोधन के द्वारा कोई भी भूमि सुधार के संबंध में मामला हो, वह नाकाबिल अदालत करार दे दिया गया। जब सरकार ने अपने आपको इस तरह की आर्बीट्रेरी पावर से आर्म कर लिया, सशस्त्र बना दिया, तैयार कर लिया, पेशकदमी कर ली तब सरकार आर्डीनेन्स लायी। मैं यह नहीं कहता, यह सरकार ने अच्छा किया या बुरा किया। मैं इस बात

(श्री लक्ष्मणसिंह)

को स्पष्टतया मानने के लिए तैयार हूं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान भी मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि आज के जमाने में भारतवर्ष की परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी एक आदमी हजार बीघा जमीन नहीं रख सकता और नहीं रखना चाहेगा। जब इन 22 एक्स रूलर्स के विशेषाधिकार समाप्त हुए तो मैं समझता हूं वे लोग भी सामान्य नागरिक बन गए, वे जो प्रिविलेज्ड पीपुल कहलाते थे उनके प्रिविलेजिज हट जाने के बाद सामान्य नागरिक के अधिकार तो प्राप्त हुए, यह तो मैं मानता हूं। ऐसी परिस्थिति के अंदर आपने एक स्पेशल कानून क्यों बनाया ? और अध्यादेश क्यों लाए ? जब आपके पास कामन ला है, वह भी इस 10 वर्षों के अंदर दो बार परिवर्तित हो चुका है और जो आम कानून राजस्थान में लागू है वह सीधा इन एक्स-रूलर्स पर क्यों नहीं लागू किया ? अध्यादेश के अंदर आपके एग्जेम्शन्स की बात बताई-तालाब, कुएं मंदिर, एन्कलोजर, मकान वगैरह, जो मैं जानता हूं कोई नहीं रख सकता, उनको भी वहां रखने का प्रावधान किया है। यह व्यवस्था बदले की भावना से भरी हुई है और एक सीलिंग कानून जब सुपरसीड करके दूसरा सीलिंग कानून बनाया, मैं उस संबंध में भी विशेष चर्चा नहीं करूंगा। इतना ही कहूंगा कि सीलिंग के अंतर्गत एक व्यक्ति अमुक जमीन रख सकता है उसके अनुसार जब आपका एग्जिसटिंग ला है, कामन ला, तो कामन ला को आप क्यों नहीं काम में लेते और राजस्थान की दो करोड़ जनता के लिए जो कानून लागू है वह 22 व्यक्तियों के लिए भी लागू होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मैं खेद किए बिना नहीं रह सकता।

उपाध्यक्षजी, इस कानून को आपने रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया है 13-4-64 से। यह भी अजीब व्यवस्था है, ये एक्स-रूलर्स कोई भगवान नहीं थे। आखिर कोर्ट में गए तो उनके हक में फैसला हुआ। उनको क्या मालूम था कि 10 साल पहले की व्यवस्था 1975 में लाकर रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट उसमें देंगे ? तो पिछले समय से प्रभावशील करने के लिए आपने 11 वर्ष की रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट का प्रावधान किया है, वह अन्यायपूर्ण है, दुर्भावनापूर्ण है, इर्राशनल, इल्लीगल और इल्लोजीकल है।

इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जमीन नरेशों के पास थी, एबसोल्यूट ओनरशिप की जमीन थी, यह कोर्ट ने भी स्वीकार किया। पूर्ण स्वामित्व के जो अधिकार थे, सेल्फ एकुवायर्ड लैण्ड थी, ऐसी हालत में, आप कामन ला के रूप में लाना चाहते हैं तो जो तौर तरीका आपने बरताता है वह विचित्र है उसको मैं बुरा कहे बिना नहीं रह सकता। जागीरदारों के लिए भी जो व्यवहार सरकार ने किया है उससे भी बदतर व्यवहार एक्स रूलर्स के लिए क्या है। क्या यह डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है ? आपने जो नाजायज कब्जे थे उनके 1971 तक के रेग्यूलराइज किए। करोड़ों रुपयों के इंतकालात गंगानगर में 1971 तक आपने रेग्यूलराइज किए तो इन 22 व्यक्तियों के लिए जो 13-4-64 से रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से यह कानून सदन के समक्ष लाए, यह बदले की भावना से भरा

(श्री लक्ष्मणसिंह)

हुआ नहीं है तो क्या है ? आखिरकार ट्रांसफरीज जिनको जमीन दी है उन्होंने उस पर कुएं भी बनाये हैं, मकानात भी बनाए हैं, मेड़बंदी भी की है, नाना प्रकार का खर्चा किया है। अगर उन भूमिहीनों को वहां से बेदखल किया तो इससे बुरी चीज और क्या हो सकती है ?

मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कर्मचारियों के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया। जागीरदारों के सेवकों को आपने नहीं लिया और कई ठिकानों के कामदार हैं वे भी राजस्थान के कर्मचारी हैं। जब आप किसी व्यक्ति के एसेट्स लेते हैं तो उसके साथ साथ लायबिल्टीज लेना भी अनिवार्य रूप से हो जाता है। जब आप मुआवजा देंगे एक्स-रूलर्स को तो उस संबंध में एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जिज डिडक्ट करने का प्रावधान किया है उसका भी मैं स्वागत करता हूं लेकिन उसके लिए भी सिद्धांततः जब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जिज आप डिडक्ट करते हैं तो लायबिल्टीज के जिम्मेदार आप होते हैं।

मेरी परसनल प्रापर्टी की इन्वेंटरी का फाइनल सेटिलमेंट सन् 1950 में हुआ तो भारत सरकार ने मुझे आदेश दिये कि छोटे-मोटे मेरे 5 जंगल मैं नहीं रख सकता और उनको राज्य सरकार को सौंप देने चाहिए। राज्य सरकार को ये जंगल मैंने 1-9-50 को सौंपे तो उसके साथ साथ मेरे कर्मचारी भी सौंपे गये, राज्य सरकार ने कर्मचारी भी लिए। यह एक मानवीय प्रश्न है आखिरकार। जब 5 हजार बीघा जमीन देने वाला एक जागीरदार है, वह कर्मचारियों को सुपुर्द कर सकता है आप उसको लेते हैं तो आखिरकार मैंने कोई सीलिंग कानून से इवेड करने की चेष्टा नहीं की है। 5 हजार बीघा वाले से आप ले सकते हैं मगर 50 हजार बीघा जमीन मैं देता हूं, मेरे कर्मचारियों को नहीं लें तो यह हाइली डिस्क्रिमिनेटरी है। जो लोग 20-20, 25-25 वर्ष भूमि के साथ नौकरी करते आए, यह भूमि देने के बाद व्यक्तिगत रूप से इन 22 एक्स रूलर्स की आर्थिक स्थिति नहीं होगी कि उन लोगों को पेन्शन दे सकें, यह एक ह्यूमन प्राबलेम है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : 10 करोड़ के जवाहरात रख सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों को पेन्शन नहीं दे सकते ?

श्री लक्ष्मणसिंह : जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, उनका भविष्य भी अंधकारमय है, उसके लिए कुछ हजार रुपए सरकार खर्च करती है तो समस्या का समाधान बराबर निकलेगा और विरोधी पक्ष को भी अगर ठीक बात है और ठीक सुझाव देता है तो उस संबंध में सरकार को देने चाहिए और इस मानवीय प्रश्न को उचित रूप से हल करने के लिए सरकार से निवेदन करना चाहिए।

साथ साथ में सरकार की जो नीति है उस संबंध में भी दो शब्द प्रकाश डालने के रूप में निवेदन करूंगा। मैंने एक ट्रस्ट कायम किया था देवस्थान निधि डूंगरपुर में। मैंने सरकार से निवेदन किया कि ये मन्दिर हैं मुझसे ले लिए जायं....

व्यवस्था का प्रश्न

व्यक्तिगत हित के मामले को सदन में रखने सम्बन्धी

श्री रामानन्द अग्रवाल : पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, अपनी प्रक्रिया एवं नियमावली के अनुसार कोई भी माननीय सदस्य अपनी सेल्फ इन्टरेस्ट की बात को लेकर इस सदन में प्रश्न नहीं उठा सकता। इसलिए डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य अपने व्यक्तिगत इन्टरेस्ट की बात इस सदन में नहीं कह सकते, उनको एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते जनता के हित और जनता के दृष्टिकोण की बात को रखना चाहिए।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैंने एक शब्द भी व्यक्तिगत हितों को मद्देनजर रखते हुए नहीं कहा है और न मैं कहूंगा। यह तो सिर्फ जो 22 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं उनके सम्बन्ध में, मैं निवेदन कर रहा था।

श्री दीपंकर : इन्होंने अपने मन्दिरों के बारे में कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लोग स्थान ग्रहण करें। आन ए पोइन्ट आफ आर्डर आप स्थान ग्रहण करें। अभी जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया, जहां तक डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में जो विचार व्यक्त किए उसमें उनका खुद का निजी इन्टरेस्ट की बात उन्होंने किसी भी प्रकार की, नहीं की उन्होंने तो डूंगरपुर देवस्थान निधि के बारे में कहा था और उसमें क्या क्या खामियां हैं यह कहा है, इसलिए मैं इसे उनका व्यक्तिगत मामलात न मानते हुए यह व्यवस्था देता हूं कि माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस व्यवस्था के प्रश्न को मैं उचित नहीं समझता हूं।

परिनियत संकल्प पर अग्रेतर विचार

श्री लक्ष्मणसिंह : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर देवस्थान निधि के मन्दिरों के बारे में यहां पर इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि मेरी वृद्धावस्था है और मैं चाहता हूं कि उन मन्दिरों का भविष्य ठीक रहे। इसलिये मैंने सन् 1964 में ही इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को निवेदन किया था कि वह उनको अपने पास ले ले। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। यह मैं कोई बात विरोधी के नाते नहीं कहता आज जो सरकार भू-स्वामियों से जमीनें ले रही है उसका भी मैं विरोध नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि जितना जल्दी करे उतना ही अच्छा है, शुभस्य शीघ्रम। आप एक विधेयक लाते हैं उसमें अगर आप पांच हजार बीघा जमीन वाले की जमीन लेते हैं, तो मेरे पास तो पचास हजार बीघा जमीन है मैं खुद इतनी जमीन को नहीं रखना चाहता, मैं इतनी जमीन का क्या करूंगा? इसके लिए आपने पहल कर ली, अच्छा वरना मैं खुद इसके लिए पहल करता। देखने की बात तो यह है कि जिस प्रकार मैंने देवस्थान निधि डूंगरपुर के बारे में कहा उसी तरह ही इन जमीनों को लेकर उनकी हालत खराब करते हों तो मैं उसे सरकार की अकर्मण्यता का उदाहरण ही मानता हूं। मैं तो सरकार को इसके लिए खासतौर से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कानून अगर आप सिर्फ राजस्थान के 22 व्यक्तियों के

(श्री लक्ष्मणसिंह)

लिए लागू करना चाहते हैं तो यह उचित बात नहीं है। और यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह कानून आपने रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से लागू क्यों किया। आपने कामन लॉ के अनुसार सन् 1971 से ही लागू क्यों नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को चाहिए कि उन जमीनों के साथ साथ जो भी कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हों उनको भी राज्य सरकार की सेवाओं में ले। यह तो एक मानवीय प्रश्न और राज्य सरकार को इसके बारे में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन लोगों को राज्य सरकार की सेवाओं में एब्जोर्ब करना चाहिए। उन्हें भी राज्य सरकार के कर्मचारी बनाए जाने चाहिये। इतना मेरा निवेदन है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने भू-स्वामियों से जो जमीनें ली वह सरकार ने वितरित अवश्य की है लेकिन वह भी अपने ही चाहने वालों को की हैं। इसमें शासनारूढ दल ने घोर अनियमिततायें की हैं। कई अपने दल के लोगों को हजारों लाखों रुपये की जमीनें दे दी हैं जिससे उन लोगों को बहुत सी आमदनी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों को लाखों रुपये की आमदनी क्यों हुई उसका मैं विरोध नहीं करता हूं लेकिन सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि उसके अनुपात में आपने आदिवासी क्षेत्र में और हरिजनों को कितने लाख रुपये की जमीनें अलाट की हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि अब भी आप इन लोगों से जमीनें लेकर जिन्हें आप बड़े भू-स्वामी मानते हैं, भूमिहीनों में वितरित नहीं करके अपने ही व्यक्तियों को अलाट कर दें। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कह कर इतना ही निवेदन करूंगा और जो मैने तीन मुख्य मांगें की हैं उस सम्बन्ध में ऐसी मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार गम्भीरतापूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरी तरफ से श्री गिरधारीलाल जी भार्गव बोलेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अरे इन्हें क्यों बुलवा रहे हो ? यह तो हमारे चंगुल में फंसे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं कि यह आपके चंगुल में है और वह कहेंगे कि आप उनके चंगुल में फंसे हुए हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो अब क्या कहेंगे ? यह तो बुझते हुए दीपक की निशानी हैं, उनके चंगुल में हम क्या आयेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो कन्ट्रोल और डीकन्ट्रोल के झगड़े में फंसे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : गुमानमलजी ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि पीछे वाले लोग साथ छोड़ कर भाग जायं और आप अकेले ही इस सदन में रह जावें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो पहले ही अकेले हैं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज । श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल जयपुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश समय की बदली हुई परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा सदन मे लाया गया है । मैं इस अध्यादेश का विरोध न करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो इस अध्यादेश के जरिये इस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया है तारीख 13-4-64 से । उपाध्यक्ष महोदय दिसम्बर 1969 में न्याय मूर्ति वेदपाल त्यागी ने अपने फैसले में इसे पब्लिक परपज नहीं माना और इसमें चूंकि कुछ कमी रह गयी थी इसलिये उन खामियों को दूर करने के लिए यह बिल लाया गया । इस बिल के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में माननीय मन्त्रीजी ने स्वयं ने इसका हवाला दिया है उसमें लिखा है कि उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि इन अध्यायों में भूमि सुधार की किसी स्कीम का उल्लेख नहीं है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 31 के द्वारा दिया गया संरक्षण उपलब्ध नहीं हो सका । इस निर्णय के विरोध में राज्य सरकार ने अपील की और उस अपील का फैसला अभी तक नहीं हो सका है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार हमेशा जनता के सामने थोथी घोषणायें करती है और खोखले कानून बनाती है और ऐसे खोखले कानून बना देती है । और जनता को मूर्ख बनाती है । उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस सरकार जनता को मूर्ख बना कर अपने वोट सीधे करती है और यही कारण है कि यह ऐसे कानून बना देती है जिसमें खामियां रहती है । वर्तमान कानून उस वक्त राजस्थान में बना था जबकि राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी श्री मोहनलाल सुखाड़िया साहब थे । वह कांग्रेस के राजा महाराजाओं के बलबूते पर ही जीत कर आते थे इसलिए उन्होंने राजा महाराजाओं को धौंस देने के लिये यह कानून बनाया था । लेकिन इस कानून में भी कई खामियां रह गयीं और जिसके अनुसार राज्य सरकार हाई कोर्ट में केस हार गयी, और अपील जो राज्य सरकार ने की है उसका आज तक फैसला नहीं हो सका है । तो मेरा निवेदन यह है कि आखिर राज्य सरकार इस राजस्थान की गरीब जनता को मूर्ख क्यों बनाती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार के इस प्रकार के रवैये को सिवाय राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाने और उसके साथ बेईमानी करने के कुछ नहीं मानता । उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में राज्य सरकार बिल लाती है उसमें हम कुछ अमूल्य सुझाव देते हैं, संशोधन भी उचित बताते हैं, लेकिन राज्य सरकार किसी भी प्रकार के संशोधन को, चाहे वह कितना ही सही और राजस्थान की जनता के हित में हो, नहीं मानती है । और जो कानून राज्य सरकार के लॉ डिपार्टमेंट के अधिकारी, जिनको कि 500-600 रुपये माहवार मिलते हैं, दे दें उन्हें ही सही मानते हैं । कई बार कानूनी खामियां रह जाती हैं और हम सदन में बताते है पर राज्य सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी रहती है । कल भी हमने छंगाणी जी को कानून की खामियों के बारे में कहा और कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने भी कहा लेकिन उन्होंने उनको नहीं माना । उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रजातन्त्र है और इसमें विधान

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सभा लोकतन्त्र के फायदे के लिये बनायी जाती है। अगर आपको विपक्षी लोगों के सुझावों को नहीं मानना है तो फिर विधान सभा में विपक्षी लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है ? आप आपके कांग्रेसी सदस्यों को ही बुलाकर कानून बनाले। हम आपको सदन के बाहर तो कोई सुझाव देते नहीं हैं, सदन के अन्दर सुझाव देते हैं, उनको तो आपको स्वीकार करना चाहिये जो वास्तव में सही हैं और अमूल्य भी। आखिर एक विधायक एक लाख व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है और राजस्थान की ढाई करोड़ जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन कर भेजती है, चाहे वह कांग्रेस के हों चाहे विपक्ष के आप उन लोगों की बात तो नहीं मानते हैं लेकिन जो आपके लॉ डिपार्टमेंट के अधिकारी बात कह देते हैं उसे आप मान लेते हैं।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में भूमिहीन किसानों को जमीनें नहीं देने का प्रावधान रखा है। अब एक प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्रीजी, कि 1963 के अन्दर आपको राजाओं से कितनी भूमि मिलने वाली थी, कितनी मिली और कितनी नहीं मिली। यानि मर्जर के समय राजाओं के पास कितनी भूमि थी, आपको उनसे कितनी भूमि मिली और कितनी भूमि उनके पास रह गई। मैं आपको फिर से कह देता हूं, मन्त्री महोदय, कि मेरा निवेदन है कि 1963 में कितनी भूमि मिलने वाली थी ?

श्री परसराम मदेरणा : आप बता रहे हैं, मैंने तो आपकी यह पूछा नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हां, आपने तो नहीं पूछा, परन्तु मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं कि राज्य सरकार को यह विधेयक बहुत पहले ले आना चाहिये था, मैं पूछना चाहता हूं कि इतना ज्यादा समय हो गया अब यह इतनी देर से बिल क्यों लाया गया। अगर आपको सच्ची भावना से राजा-महाराजाओं की भूमि को लेकर भूमिहीनों में बांटनी है तो आप पहले क्यों नहीं इस बिल को लाये ?

श्री रामगोपाल : राजा-महाराजाओं की गोद में तो आप बैठे हुए हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप बैठे हुए हैं राजा-महाराजाओं की गोद में तो। भरतपुर से कांग्रेस को आप ही जिताना चाहते थे।

श्री दीपंकर : आपके राजा-महाराजाओं ने वहां स्वयं कांग्रेस का अपनी इच्छा से समर्थन किया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह कोई इच्छा से नहीं किया है, वह तो दबाव से उन्होंने आपको समर्थन दिया है। आज भी कई राजा-महाराजा दबकर चल रहे होंगे, मालूम नहीं आखिर आप उनसे क्या राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं उनको दबाकर। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप क्यों इस विधेयक को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आप अपनी घोषणायें करके बड़ी दृढ़ता के साथ जनता के सामने कहते हैं कि हम राजा-महाराजाओं की भूमि लेकर भूमिहीनों में बांटेंगे। रावतभाटा में आपने निर्णय लिया इसी तरह से प्रिवी पर्स के बारे में कहा। किसानों को कहते हैं कि तुमको

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सीमेन्ट देंगे, और तुमको लेवी पर इस तरह से फायदा होगा और दूसरी तरफ किसानों के लिये खाद नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं और उनको किसी प्रकार की सुविधायें नहीं। आखिर आप किसानों के नाम पर क्या क्या करने जा रहे हैं? अनाज का आपने राष्ट्रीयकरण किया और उसमें आप फेल हुए।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य विषय पर बोलिये, अनाज का राष्ट्रीयकरण इससे रिलेवेन्ट विषय नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राष्ट्रीयकरण किया तो आप उसको पूरा करिये। घोषणा तो कर देते हैं कि अनाज तीन किलो देंगे और भर पेट देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात आप कहें, करके दिखाइये, पीछे नहीं हटिये उससे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो बात आपने कही वह हुई नहीं। कभी आप 50 और कभी 500 की बात करते हैं जैसी मर्जी आवे कह देते हैं। और जो जी में आये फैसले दे देते हैं। अर्बन प्रोपर्टीज के बारे में.....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप तशरीफ रखिये। आपको जो कुछ भी कहना है, रिजोल्यूशन का जो टोपिक है, उस पर ही सीमित रखिये। यह मतलब नहीं है कि आप जितना भी मेटर नोट करके लाये हैं, नेशनेलाइजेशन पर, सीलिंग प्रोपर्टीज पर इन चीजों पर बोलने के लिये समय नहीं है क्योंकि कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो रिजोल्यूशन का टोपिक है उस तक ही सीमित रहिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल सीमित हूं। मेरा निवेदन करना है कि जिन लोगों को जमीनें मिल गई हैं उन जमीनों का विकास कैसे करें इसके लिये भी राज्य सरकार को देखना चाहिए। राज्य सरकार जो घोषणाएं करती है वह जल्दी में करती हैं, बिना सोचे विचारे करती है और फिर उसके पीछे हटती है। कई अध्यादेश निकाल देती हैं और रिट होती है तो कोर्ट में हार जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब 19 जून 1973 को कोर्ट में पीटिशन दायर हुई, और 22 जून 73 को इस पर बहस हो गई और 23 जून को आदेश निकाल दिये तो यहां पर मेरा प्रार्थना करने का तात्पर्य यह है कि सरकार बहुत ही जल्दी में अध्यादेश लाती है। हम संशोधन लाते हैं और सरकार उन पर विचार नहीं करती। सरकार उसको स्वीकृत नहीं करती है। इसीलिए विधेयक जल्दी में लाये जायं वह उचित नहीं है। राज्य सरकार ने अब तक 19 अध्यादेश जो निकाले हैं उनमें, माननीय सभापतिजी, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी में, उपाध्यक्ष महोदय, कई कमियां रह जाती हैं, कई खामियां रह जाती हैं। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटीज के बारे में बिल लाये उसको भी आप शिक्षा के संबंध में लायेंगे. मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (घंटी बजने पर) आप कितना ही शंकर भगवान का घंटा भी बजावें, तो यह सुनने वाले नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप अपना काम करिये, मैं तो बोलूंगा, आपको बीच में बोलने की आदत है सो बोलेंगे । मैं तो चेयर की आज्ञा का पालन करूंगा । मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार इस विधेयक को बहुत देर से लायी है जो कि बहुत पहिले लाना चाहिए था । अतः मैं इस अध्यादेश का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार जिस अध्यादेश को लेकर आज सदन में आई है, सैद्धान्तिक रूप से तो मैं उस अध्यादेश का स्वागत करता हूं । केवल खेद इस बात का है कि 1973 में जिस एक्ट को लेकर वह आये और राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एन्ड एक्वीजीशन आफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 1963 उसकी पालना करवाने के लिये, इतने समय के लिये क्यों पड़ा रहा, इसका कोई प्रावधान जानबूझकर नहीं किया गया है । हाईकोर्ट में रिट हो जाय या और कोई निर्णय हो जाय उसकी अपील का भी प्रावधान इसमें किया जाना चाहिये और अपील के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार लेन्डिंग एक्ट ले सकती है । लेन्डिंग एक्ट आजकल कई प्रकार के आये हैं, और पचासों आयेंगे । इसमें राज्य सरकार का निर्णय हो जाने के बाद राज्य सरकार ने कहा है कि " Notwithstanding anything contained in it, this would be the law and it would be deemed to be the law of the land." तो यह निश्चित है कि इसमें तो मुझे वजन लगता है कि हमारी सरकार केवल भूमिहीनों को जमीनें देने के लिए जमीनें इन लोगों से अक्वायर करने की घोषणाएं करती है और ऐसी घोषणाएं बार-बार करती है, प्रस्ताव बार बार इस सदन में लाती है, उनको पारित किया जाता है, चाहे इस प्रकार के निर्णय रावत भाटा में लिये जावें । परन्तु इसमें उनका राजनैतिक दृष्टिकोण अधिक होता है, वास्तविक रूप से राजा-महाराजाओं से जमीनें लेने का कभी नहीं होता । उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की तो सत्यता मालूम होती है कि निश्चितरूप से राजस्थान सरकार ने राजा-महाराजाओं के साथ में इस मामले को लेकर जब यह कानून बना दिया और विधान सभा में पारित कर दिया गया और बार बार घोषणा की गई कि प्रस्ताव पारित हो गया है । परन्तु इसके बाद इसकी क्रियान्विति का प्रयास नहीं किया गया । ब्लेकमेलिंग के रूप में राजा महाराजाओं को लटकती तलवार के नीचे रखा और दूसरी ओर भूमिहीन जनता को एक लुभावना नारा दिया और झूठी इम्पोर्टेन्स लेने का पूरा पूरा प्रयास किया, फ़ायदा उठाने की कोशिश की । मेरी निश्चित मान्यता है कि आज राजस्थान में निश्चितरूप से हमारा शासक दल, कांग्रेस सरकार राजा-महाराजाओं के अन्दर मोटे तौर पर मिली हुई हैं । वह चाहे भरतपुर के महाराजा का प्रश्न हो, जिन्हें इस बात के लिए बाध्य किया जाय कि वे विरोधी पक्ष को छोड़ कर त्याग पत्र दें विधान सभा से चाहे कोटा के महाराजा का प्रश्न हो, चाहे बूंदी के महाराजा का प्रश्न हो । आज राजस्थान में इन सब लोगों को, अधिकतर इन लोगों को, चाहे ब्लैकमेलिंग के कारण से, चाहे पोलिटिकल प्रेशर के कारण से, प्रगतिवाद का दम भरने

Page No 64

(64)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

वाली कांग्रेस और कांग्रेसी शासन ने अपने साथ बैठा रखा है और यह प्रयास लगातार किया जा रहा है। खिवसर में कभी महाराजाओं के साथ मीटिंग अरेन्ज की जाती है, अथवा अन्य साधनों से प्रयास किये जाते हैं। लगातार यही प्रयास किया जाता है कि इनका कांग्रेस में किस प्रकार मिलाया जाय, और जहां पर भी इनका जो कुछ भी प्रभाव रह गया है उसका उपयोग किया जाय और दूसरी ओर अपने आपको प्रोग्रेसिव, लेफ्टिस्ट और अपने आपको भूमि सुधार और भूमि हीन का मसीहा होने का दावा किया जाता है। इसी कारण से आर्डिनेन्स की बाढ़ आई है। गरीबी हटाओ का नारा लगाकर देश को भुलावे में डाला जाता है और इसी प्रकार के थोथे आर्डिनेन्स यहां पर लाये गये हैं।

एक बहुत बड़ी कमी है आर्डिनेन्स में, मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा भूमिहीन किसान को राहत देने के लिये ऑब्जेक्ट में आप लिखते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा जिन व्यक्तियों ने सन् 64 से लेकर अब तक इस जमीन को खरीद कर उस पर काश्त की, झोंपड़ी बनाई, अपना डेरा बनाया, बेरा खुदवाया, उसका इम्प्रूवमेंट किया जमीन का उन व्यक्तियों का भविष्य क्या होगा? यह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिये है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप भूमि तो लेना चाहते हैं राजा-महाराजाओं से, वह भूमि तो उनके पास आज है नहीं, स्थिति यह है सन् 64 से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते है, आप स्वयं यह महसूस करते हैं कि सीलिंग के कानून के बाद भूमि बची रह नहीं सकती, वह भूमि या तो बंट गई, या बेच दी गई, या किसी प्रकार उसका ट्रान्सफर हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वे अपने उत्तर में स्पष्टीकरण करें। मैंने इस आर्डिनेन्स के बिल को अच्छी तरह से, गम्भीरता से देखने का प्रयास किया है। इस सारे के सारे आर्डिनेन्स में और भी बिल लिया जावेगा उसको बाद में विचार करेंगे, इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि उस गरीब व्यक्ति का क्या होगा। क्लाज 7 में आपने लिख दिया :

"All transfers of an estate liable to acquisition under this Act or part thereof of the nature referred to in clause (i) made by the landowner or on after the date of vesting shall be null and void; and....

"नल एण्ड वायड" का अर्थ शून्य बन जाता है, उपाध्यक्ष महोदय। किसी ने कोई जमीन खरीद लिया, वहां पर इम्प्रूवमेंट कर दिया, सारी की सारी वह मेहनत 1964 से लेकर 1975 तक, 11 वर्ष तक जो भी उस पर परिश्रम किया है, पैसा लगाया है, उसका रिटर्न क्या मिलेगा कहां पर वह जायगा? इस आर्डिनेन्स और इस एक्ट के जरिये से क्या इस किस्म के किसान को, किसान के तबके को या उन लोगों को जिन्होंने वह भूमि खरीद ली है, उन सबको क्या भूमिहीन नहीं बना दिया जायगा? यदि उनको वहां से नहीं हटाया जायगा तो यह इश्यू यहां साफ किया जाना चाहिये। आपने सेक्शन 7 में डेट अपोइन्ट करने का लिखा है। आपने 10-4-64 की डेट अपोइन्ट की।

(श्री गुमानमल लोढा)

उसके बाद के सारे ट्रांसफर्स का क्या होगा उसका कोई उल्लेख नहीं। आर्डिनेन्स तो समाप्त हो चुका। अल्प उम्र में रहा, उसके द्वारा वह भूमि दे दी गई मैं ऐसा भी नहीं मानता। क्योंकि जनवरी 28, 1975 को इस आर्डिनेन्स को छापा गया और उसके बाद में अब जब विधान सभा के सत्र में आ गया है तो इतने कम समय में इस आर्डिनेन्स के तहत कोई बहुत बड़ा भू-खण्ड प्राप्त कर लिया गया हो और वितरित कर दिया गया हो ऐसा मैं नहीं मानता। यह आर्डिनेन्स नारे के रूप में आया है। जिन लोगों ने भूमि खरीदी, जो बोनाफाइडी पर्चेजर हैं, ट्रान्सफरी में, बोनाफाइडी ट्रान्सफरी हैं पर्चेजर के राइट कन्डक्ट होने चाहिये। यदि उसकी भूमि सीलिंग कानून में आ जाती है तो ले लेंगे अपने आप। उस ट्रांसफर को अगर नल एण्ड वायड कर दिया और उसके कान्सिक्वेन्सेज सेक्शन 8 में लिखे गये हैं।

"As from the date of vesting of any estate the right, title and interest of the landowner and of every other person claiming through him in his estate shall stand acquired to and vested in the Government...... इसका अर्थ यह हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, कि every other person claiming through him in his estate... ट्रान्सफरी जिसने भूमि को खरीदा है, पैसा देकर खरीदा है, किसी पर्सन के पास से खरीद कर, उस पर खाद लगाया है, इन्जिन लगाया है, कुआ खुदवाया है और पानी देकर उसको काबिल काश्त बनाया है और झोंपड़ी लगाकर वहां पर बैठा है, ढकने के लिये उसने छप्पर बनाया है, अब आप उसको क्या करेंगे? उसको सेव करने के लिये आपको इसमें प्रोविजन करना चाहिये। आपकी मंशा साफ है, आपने कहा था, सीलिंग के कानून में मंत्री महोदय ने कहा था ऐसे लोगों को हटाने की मंशा नहीं हैं। क्या अरबन कानून के समय में ऐसा होगा? कानून में जो लिख दिया जावेगा वैसा ही होगा और उसी प्रकार से कोर्ट इन्टरप्रेट करेंगीं। जिन लोगों ने भूमि खरीदी है और बोनाफाइडी खरीदी है, उनको डिस्पजेस नहीं करना है, उनको भूमिहीन नहीं बनाना है, तो यह प्रावधान करना चाहिये कि भूमि उन्हीं के पास रहेगी, जो कीमत उन्होंने दी है लैंड ओनर को, वह उससे वसूल कर ली जायगी। यदि आपकी यह इच्छा है कि लैंड ऑनर को फायदा न हो आपकी यह मंशा है कि भूमिहीनों में वितरित की जाय आपकी दोनों ही इच्छायें नेक हैं तो बोनाफाइडी को प्राप्त हो जावेगी।

यह जो आर्डिनेन्स प्रस्तुत किया गया है, उस आर्डिनेन्स का सैद्धान्तिक विरोध न करके, इसमें जो कमी है उसको पोइन्ट आउट करने के लिये ही मैंने इसको प्रस्तापित करने के लिये यह रखा है। मैं इस प्रस्ताव को वापिस लेता हूं। मैं यह महसूस करता हूं कि इसको केवल मात्र नारे के रूप में न रखूं, किन्तु वास्तविक रूप में इससे भूमिहीनों को लाभ मिल सके उसके लिये यथार्थरूप में इसको रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह (टोंक) :
(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री मालाराम

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने और राज्यपाल महोदय ने आर्डिनेन्स मेकिंग पावर का कहीं इस्तेमाल किया है सही रूप में किया है तो इस आर्डिनेन्स को लाने के लिये किया है वह सही है और उचित कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है, लैंड रिफोर्म मेजर्स, जिसमें बिचौलियों को समाप्त करने का लक्ष्य अपने देश में न केवल शासक दल का बल्कि अपने देश के उन तमाम लोगों और पार्टीज का, जिन्होंने देश की आजादी के आन्दोलनों में हिस्सा लिया, बिचौलियों को समाप्त करके भूमि का मालिक जोतने वाले किसान को बनाया जाय, यह लक्ष्य था। पहली पंचवर्षीय योजना में ही इस लक्ष्य को पूरा करने की तरफ संकल्प भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से किया गया था। यह खेद का विषय है कि राजस्थान में यद्यपि जागीर एबोलीशन एक्ट, बिस्वेदारी एबोलीशन एक्ट वगैरह कानून लाकर इन्टरमीडियेरीज को खत्म किया गया। भूतपूर्व राजाओं के पास किसी प्रकार से जो जमीनें थीं जिसकी वह इन्टरमीडियरीज के रूप में दूसरे लोगों से काश्त करा-कर सामन्ती शोषण को कायम रखते थे। इसलिए 1963 तक कोई कानून पास नहीं हुआ था। 1963 में भी जो कानून पास हुआ उसको 1964 में हाईकोर्ट ने कुछ कानूनी खामियां बताकर उनकी वजह से उनका कुछ हिस्सा और हाईकोर्ट ने उसको अवध करार दे दिया। तब से लेकर अब तक न तो सरकार स्वयं दूसरा कानून लाई और न ही यह मामला अदालती दलदल से निकला जबकि हमारे देश में और अपने प्रांत में भी इन्टरमीडियरीज को समाप्त करके भूमि का मालिक असल जोतने वाले को बनाया जाये यह मांग लगातार उठ रही थी, उठ रही है और किसान जिसके पास जमीन नहीं है वह इसके लिए जगह जगह आन्दोलित हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जागीर एबालीशन, बिस्वेदारी एबालीशन के बावजूद टिनेन्सी एक्ट में धारा 15 के तहत खातेदारी देने के बावजूद हमारे प्रदेश में वापिस बिचौलियों की सी स्थिति पैदा हुई और चूंकि राजा पुराने तरीके के बिचौलिये, स्टेचुटरी तरीके के इन्टरमीडियरीज अभी भी कायम थे वह एक प्रेरणादायक उन लोगों को मिले जो कि इनको देखते हुए उन्होंने भी इसी प्रकार से फिर बटाई पर देना, लगान पर देना, सामन्ती शोषण करना जारी रखा। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों को लेकर 1970 में हिन्दुस्तान भर में और अपने राजस्थान में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमि सुधार के लिए जमीन के बटवारे के लिए, राजाओं के कब्जे में जमीनें हैं इनके बंटवारे के लिए, जागीरदारों के पास खुदकाश्त की नाम से जमीनें हैं उनके बंटवारे के लिए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जबरदस्त आन्दोलन चलाया । उपाध्यक्ष महोदय, यह एक विडम्बना है कि भूतपूर्व राजाओं के ऊपर एक तरफ यह दलील इस संकल्प को मूर्व करने वाले डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य की ओर से रखी गई कि यह बेचारे 22 अब कामन मैन हैं और उनको कामन मैन की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिये । उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिये । जहां तक एडवर्स डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है एक कामन मैन से भी उनकी हालत खराब कर दी जाये इस बात का हमारा दल भी कोई समर्थक नहीं है । परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि यह अपने आपको बेचारे कहलाने वाले इस संकल्प को रखने वाले माननीय सदस्य और इनकी विचारधारा रखने वाले उन्होंने कानून का सहारा या लूपोल का फायदा लेकर यह क्लेम किया है कि हम कामन मैन नहीं हैं । हमारे ऊपर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू नहीं होता, हमारे ऊपर राजस्थान सीलिंग एक्ट लागू नहीं होता, हमारे से लेण्ड रेवेन्यू वसूल नहीं होना चाहिए और हमारे ऊपर यह कानून भी नहीं लागू होना चाहिए और इस तरह इतिहास तो यह रहा है कि हर कानून उन तमाम कानूनों में हमारी विशिष्ट स्थिति है । हम रूलर्स रहे हैं और इसलिए हमारे ऊपर यह लागू नहीं होते, हैं हमारे से विशेष एग्रीमेंट है, हमारे प्रिवीपर्स, हमारी प्राइवेट सम्पत्ति के अन्दर यह सम्पत्ति दर्ज है इसलिए यह सामान्य कानून लागू नहीं होते । यह सर्वविदित बात है । कितने ही रूलर्स ने आज तक अपना पूरा लगान भी नहीं दिया, रेसिस्ट करते रहे कि हमसे लगान नहीं लें । एक भी रूलर के ऊपर सीलिंग कानून लागू नहीं हुआ । सीलिंग कानून के तहत एक भी रूलर ने जमीन नहीं दी । रूलर्स हाईकोर्ट में इस बिना पर भी गये कि सीलिंग कानून भी हमारे ऊपर लागू नहीं होता, जो दुहाई दी जाती है कि हम कामन मैन हैं लेकिन फिर भी कामन ला उनके ऊपर लागू नहीं होते और वह कहते हैं कि कामन ला हमारे ऊपर लागू नहीं होने चाहिए । जबकि वास्तविकता यह है कि जब वह अपने आपको कामन मैन मानते हैं तो फिर उनके ऊपर कामन ला लागू होने चाहिये । वास्तविकता यह है कि यह बेचारे कहलाने वाले कामन मैन अदालतों में जाकर अपना विशिष्ट दर्जे को कायम करते रहे हैं और किन्हीं न किन्हीं लूपोल के कारण उनको लाभ मिलता रहा है और इस कारण से यह कानून जो कि 1963 में पास किया उसमें भी हासिल कर सकें और सीलिंग कानून में भी हासिल कर सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बीच में इस सदन के अन्दर कितनी ही बार मामला आया कि कोटा महाराजा कोआपरेटिव सोसायटीज बना कर जमीन बेच रहे हैं, और उदयपुर के महाराजा बेच रहे हैं, जयपुर के महाराजा बेच रहे हैं, अलवर के महाराजा बेच रहे हैं और इस तरीके से एक धन्धा, एक सीधे तरीके से फ्लाउट करने के और उधर से स्टे आर्डर और इधर कानून का फायदा लेकर इस एक्ट को फ्लाउट करने की इनकी तरफ से लगातार 11 वर्षों से कोशिश होती रही है इसलिये अगर यह आर्डिनेन्स नहीं लाया जाता और यह आर्डिनेन्स रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लाया जाता तो इस आर्डिनेन्स को लाना ही बेमकसद था और उपाध्यक्ष महोदय, कुछ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कानून इस प्रकार के होते हैं जो इस सदन के अन्दर बहस होकर उसमें समय भी लगे तो भी कोई बात नहीं लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं कि जिनकी सीक्रेसी आउट होते ही उसका इधर उधर किया जाना जैसे टेक्सेशन के मामले हैं या ट्रान्सफर्स के मामले हैं उसमें विशेष सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस स्टेज पर मैं इस बिल के मैरिट्स में नहीं जाना चाहता हूं। सलेक्ट कमेटी के रेफर करने के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है उस समय बोलूंगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी इस संकल्प को लाने वाले महानुभाव चाहे वह डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य हों और चाहे वह हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य हों

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चाहे एक ने कहा है कि वह उनका विरोध करते हैं और दूसरे भी यह कहते हैं कि हम जमीन नहीं बांटते इसलिए विरोध करते हैं, इस स्टेज पर भी इस आर्डिनेन्स को लाना नहीं चाहिये, यह बात अलग है कि उसी दल के जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका संकेत किया है। एक दल में दो राय होना कोई बड़ी बात नहीं है...

श्री गुमानमल लोढ़ा : संकल्प को वापिस लेने का गिरधारी लाल जी ने भी कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो यह अच्छा है, देर आमद दुरुस्त आयद यह अच्छी बात है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बुनियाद पर मैं समझता हूं कि सामाजिक दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से यह आर्डिनेन्स का फैसला गवर्नमेंट ने ठीक किया और यह लाना उचित समझा। यह कहकर मैं संकल्प का विरोध करता हूं और यह संकल्प रिजेक्ट किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष जी, मुझे भी इजाजत दी है कि मैं भी संकल्प के खिलाफ दो शब्द कहूं। वैसे तो मान्यवर, डिटेल्स में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बहस पर मैंने अपने और अपने दल की ओर से इस बिल के बारे में दे दी और जो शंकायें हैं मान्यवर मेरा एक यह चार्ज कि अगर राज्य सरकार की पालिटिकल विल होती और यह कानून जो पहले आना चाहिये था यह इतनी देरी से नहीं आता। अब भी अगर चाहते हैं और जो कानून आप लाये हैं उसका सही इस्तेमाल हो तो सारे के सारे लेण्ड रिफार्म्स सन् 1962 से पहले के वह आपके हाथ में आने चाहिए। मान्यवर, यह जो हाईकोर्ट को केस पेश हुआ, एक्स रूलर्स गए, पब्लिक इन्टरेस्ट डिफाइन नहीं हो सका वह क्लाज ड्रोप हो गया, राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और पांच साल तक केस पेन्डिंग रहा और अब इस आर्डिनेन्स के रूप में आया है जिसका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि जो आर्डिनेन्स एग्रेरियन लेबर के हक में हो, लैंडलैस के हक में हो, किरायेदारों के हक में हो या शिड्यूल्ड कास्ट के हक में या बेकार यूथ के हक में हो और जो आर्डिनेन्स चेन्जेज लाता हो देश में जिस आर्डिनेन्स के मार्फत जो सोशल चेन्जेज होते हों इन फोर्सेज को मदद मिलती हो, सोसायटी का इकोनोमिक डेवलपमेंट होता हो, उस

(श्री केदारनाथ)

ग्रार्डिनेन्स का, हालांकि ग्रार्डिनेन्स राज्य के हम खिलाफ हैं लेकिन इस ग्रार्डिनेन्स की ग्रहमियत को देखते हुए यह दिल से स्वागत करते हैं।

मान्यवर, मैं ग्रर्ज करूं कि राजाओं की जमीन पर सन् 1962 के पहले कौन काबिज हैं, कौन ग्रसली मालिक है, इसलिए ग्राज वही लोग हैं या दूसरे ग्राकर बस गए हैं ग्रौर उनकी बसावट में ग्रगर ग्रपने कानून के ग्रोब्जेक्ट को फैल कर देते तो बहुत बड़ी मुश्किल ग्रा जायगी। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन इस कानून में बिल्कुल इन्कोम्पीटेन्ट है। मान्यवर, आज का ग्रापका जो सेट ग्रप है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटग्रप है उसकी मार्फत आप चाहते हैं कि यह कानून लागू हो तो जो पहले सीलिंग ला का हाल हुग्रा, जितने भी लैंडरिफार्म्स फ्रस्ट्रेट हुए यही हालत इसकी होगी। मान्यवर, हाइ पावर कमेटी स्पोट पर जावे, रिकार्ड देखे कि 1962 के पहले कौन काश्तकार काबिज था, यह रिकार्ड नहीं है आज। जब ग्रापने 1962 के साल से लागू किया तो 1962 का रिकार्ड साज कर देते, वह चाहे हाई कोर्ट में रिट करते रहते लेकिन रिकार्ड तो ग्रापके हाथ में रहता ग्राज जमीन दूसरों के हाथों में हो गई, जिनके ट्रान्सफर्स को नल एण्ड वोइड कर दिया लेकिन जो 62 के पहले काबिज थे उनमें शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हों उनको जमीन दें तो हम मानेंगे कि इस कानून का उपयोग हुग्रा। वह कैसे मालूम करेंगे कि 1962 से पहले कौन काबिज है ग्रौर जब कमेटी वहां पर जाकर जांच करेगी कि वह पहले से बसे हुए हैं या बाद में आकर बसे हैं तो बिना रिकार्ड के उनको कैसे मालूम होगा। जो कानून का सही मकसद है वह पूरा नहीं हो सकेगा। इसके ग्रलावा बाग-बगीचों को हमने छोड़ दिया है। आज ताज्जुब करेंगे मान्यवर, जहां इरीगेटेड लैंड हैं वहां पर भी बाग बगीचे लिस्ट में शामिल नहीं हैं। हमारे महाराजा करणीसिंहजी का गंगानगर में 23 मुरब्बे में उनका प्लाट है। तो वहां पर जो लोग 22 साल से बैठे हैं उनका लालसा वही है ग्रपने मकान बनाने की लेकिन आपने वहां मकान बनाने को उनको प्लाट नहीं दिया। सब जगह प्लाट दिए पर वहां नहीं दिए। वह वहां पर फसल करते हैं और वहां पर वर्षों से बैठे हैं जो खेतीहर मजदूर हैं, वहां पर बैठे हैं उनको तीन मील दूर जाकर ग्राप उनको बसाते है। इसलिए करते है कि कहीं ऐसी कण्डीशन्स पैदा न हों कि सरप्लस लैंड उनके हाथ में न चली जाय ग्रौर यह ग्रापका मकसद है वह खत्म हो जाय। इसलिए जो वहां पर बैठे हैं दस दस साल से खेतीहर मजदूर के नाम पर काश्त करते हैं किसी तरह से खेती करते हैं उनको ग्राप जमीनों का ग्रलाटमेंट कीजिए। चाहे बाग बगीचा कुछ भी हो ग्राज सारे कानून के ग्रन्तर्गत ग्रगर ग्राप भूमिहीनों को राजाग्रों की जमीनों को बांटना चाहते हैं तो ग्राप इन बाग-बगीचों को भी कानून के ग्रन्तर्गत लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय श्री गिरधारी लालजी भार्गव, गुमानमलजी लोढ़ा, भानु-कुमारजी शास्त्री ने प्रस्तुत किया है उसका विरोध करता हूं ग्रौर मैं समझता हूं कि ग्राज जबकि कांग्रेस के द्वारा पूंजीपति मार्ग पर चलने के कारण गम्भीर संकट पैदा हो गए हैं ग्रौर इसके ग्रलावा और कोई रास्ता नहीं रहा कि कांग्रेस पूंजीपति मार्ग को

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

छोड़कर गैर पूंजीवादी मार्ग को अख्तियार करें और वह डेमोक्रेट्रिक टास्क जो कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को पूरा करने थे तुरन्त बाद पूरे करने थे उनको पूरा करे। यह बिल उसी कड़ी में एक कदम है, महत्व-पूर्ण और ऐतिहासिक बिल है। नरोरा के सम्मेलन के बाद और उसके बाद रावतभाटा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यह निर्णय लेने के बाद कि वह इस डेमोक्रेटिक टास्क को पूरा करेगी मैं समझता हूं कि अधिक समय नहीं हुआ आर्डिनेंस आए, उसी दिन आर्डिनेंस आजाता तो मैं उसका भी समर्थन करता। यह ठीक है कि आर्डिनेंस के राज्य में मैं विश्वास नहीं करता और न ही आर्डिनेंस का राज्य डेमोक्रेटिक राज की भांति सर-कार चलने वाली होती है। लेकिन इस सम्बन्ध के अन्दर अगर तुरन्त दूसरे दिन आर्डिनेंस आता, तुरन्त यह डेमोक्रेटिक टास्क कांग्रेस को पूरा करने वाला बिल था नेक्स्ट डे आर्डिनेंस आता तो मैं उसका समर्थन करता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो एग्जेम्पशन किया है लैंड की डेफिनेशन में उसकी डिटेल्स तो मैं बाद में लूंगा लेकिन मैं मुख्तसर में यह अर्ज कर देना चाहूंगा कि जो बिल्डिंग प्लाट, Plots specified in the inventory इसमें से निकाल दिए गए हैं वह नहीं निकाले जाने चाहिए थे। इस संबंध में मैं, निवेदन करूंगा कि भारतीय कम्यु-निस्ट पार्टी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था महाराजा अलवर के महलात के सम्बन्ध में और कलक्टर के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि उस समय इसका वैधा-निक और कानूनी पहलू डिस्कस किया गया लेकिन उस कानूनी पहलू को डिस्कस नहीं किया गया। मैं आज भी इस मान्यता का हूं कि राज्य सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह इन महलात को लें। यह कितनी लज्जा की बात है यह सदन जिसमें आज हम भाषण कर रहे हैं उसका हम एक रुपया सालाना किराया देते हैं। यह कितनी लज्जा की बात है कि आज सचिवालय के अन्दर जिसमें हमारा सचिवालय चलता है महाराजा जयपुर वहां के कंस्ट्रक्शन को रोक दें। यह कितनी गलत चीज होगी और फिर, उपाध्यक्ष महोदय, क्या झिझक है। इसके कानूनी पहलू पर गहराई से विचार करके इन बेचारों के सोने के लिए कितनी इमारत चाहिए, कितने महल चाहिए जबकि हजारों करोडों इस देश के अन्दर फुटपाथ पर पैदा होते हैं, जवान होते हैं और मर जाते हैं। एक परिवार को कितने महल चाहिए। आज चन्द्रमहल में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कम से कम कालेज चलेगा। उस मोती डूंगरी में जहां तख्तेशाही का खजाना नंगा रखा हुआ है और आज भी डिटेक्टर जगह-जगह पर लग कर महाराजा जयपुर की सम्पत्ति खोज रहे हैं। जहां तक भूमि का सम्बन्ध है किसी जगह पर इन महाराजाओं की भूमि नहीं है। अनेक बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बार बार यह प्रश्न उठाया है। जयपुर महाराजा खातीपुरा की जमीन बेचते रहे सन् 59 से, 52 से, 57 से और तब से लगातार यह प्रश्न चला आ रहा है और यह बात कही गई है कि वे प्रिवियस एण्ट्री करवा रहे हैं और लगातार खातीपुरा की जमीन को बेच रहे हैं जिसकी आपने आज्ञा दे दी। महाराजा बूंदी ने सारी जमीन बेच दी और उनको आज्ञा दे दी। महाराजा जयपुर ने मनोहरपुरा में दस दस

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हजार एकड़ जमीन हरिजनों को बांट दी और उन्होंने बंदूक की नोक पर हरिजनों को बेदखल करना शुरू कर दिया और इस सदन के अन्दर आवाज उठी तो नजरअन्दाज कर दिया गया। एक नहीं अनेक केस हैं। महाराजा जोधपुर ने हजारों एकड़ जमीन दबा रखी है। राजस्थान केनाल की बेहतरीन जमीन दबा रखी है और आज जब उनके वाशिन्दों को नोटिस दिया जाता है तो वहां नोटिस को रिसीव करने वाला नहीं मिलता है और हाईकोर्ट के अन्दर उसके केस रिजेक्ट होते हैं आज राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अन्दर उस केस के विरुद्ध जाना पड़ता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब मैं इस सदन के अन्दर जब इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के सम्बन्ध में अर्ज करूंगा तो उसकी डिटेल्स में जाऊंगा। इसमें कुछ पहलू कोलोनाइजेशन का है

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

और जिनके बारे में माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि वे भी कवर हो सकते हैं और उनको कवर किया जाना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट के अन्दर जो महाराजा जोधपुर अपने 60 हजार एकड़ जमीन के केसेज को लेकर पहुंचे हुए हैं उसके लिए आवश्यकता थी कि कॉलोनाइजेशन एक्ट के अन्दर कुछ इस तरह की तरमीम होती है कि वह सारे इससे कवर हो जायेंगे। कानूनी रूप से मैं यह सोचता हूं कि यह कानून उनको कम से कम पूरी तरह से कवर नहीं करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो प्रश्न माननीय सदस्य जो गंगानगर से आते हैं उन्होंने प्रस्तुत किया है कि अगर सारे ला को रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर देते हैं और सारी लेण्ड का, भूमि का सीजर कर लेते हैं सारी भूमि को अवाप्त कर लेते हैं और लैण्ड की डेफिनिशन में जो भी आइटम्स आते हैं उनको अवाप्त कर लेते है, और जो किसी भी केस में और इन्वेन्ट्री में आइटम्स दिये गये हैं उनके लिए कानूनी कदम उठा लेते हैं तो आज हजारों एकड़ भूमि जिसमें शिकमी काश्तकार हैं और टेनेन्सी एक्ट की दफा के अन्दर मालिक के ही नाम से गिरदावरी दर्ज होती है जो कि लाखों की तादाद में शिकमी काश्तकार मिलेंगे जो कि वहां की धरती पर काश्त करते हैं लेकिन उन लोगों को गिरदावरी आज तक नहीं मिली है। आज पिछड़ी हुई जातियों के हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो महाराजाओं की जमीनों पर काश्त करते थे। अनूपगढ़ तहसील में बांगड़ी की जमीन पर 200 परिवार काश्त कर रहे हैं। चाहे जोधपुर के महाराजा की जमीन है वह स्वयं वहां पर काश्त नहीं करते हैं और सारी की सारी धरती पर वहां पर काश्तकार शिकमी एक बहुत बड़े अंश के अन्दर उन जमीनों के ऊपर काश्त करते हैं। अगर इस बिल की मन्शा को आप पूरा करना चाहते हैं और यह बिल अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो वह सारे काश्तकार जो नजर-अन्दाज किये गये हैं इस टेनेन्सी एक्ट की एक दफा के कारण, उन सारों में वह धरती वितरित की जानी चाहिए पिछड़ी हुई जातियों के लोगों में और हरिजनों में तभी वास्तव में आपका यह डेमोक्रेटिक टास्क पूरा होगा।

अन्त में, मैं इस आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहूंगा कि एक संकल्प तो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

यह कहता है कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाय लेकिन इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों ने, अधिकतर माननीय सदस्यों ने विशेषकर जनसंघ के नेता ने अपने संकल्प को वापिस ले लिया है....

श्री उपाध्यक्ष : वह तो अच्छी बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो वह तो एक बहुत स्वागत की बात है, लेकिन जहां तक पार्टी की सीलिंग पालिसी का सम्बन्ध है वह 500 एकड़ है या 100 एकड़ से तो अधिक ही है, और हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक परिवार को जमीन देने का...

श्री भानुकुमार शास्त्री : यहां कहां से पढ़कर आये हैं ?

श्री गुमानमल लोढा : यह कहां पर है कि 500 एकड़ ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो कितना है बता दें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 30 से ज्यादा नहीं है। आप कभी मिलें, पढ़ें और समझें। मैं समझता हूं कि आपको पहले पढ़ना चाहिए। आप पढ़िये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं पढ़ लूंगा, 30 एकड़ का कमिट करते हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपको झूठी बातें नहीं कहनी चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इनसे कमिट करवाना चाहता था कि कितने एकड़ कहना चाहते हैं और यह रेकार्ड में रखा जाय अन्डरलाइन करके कि जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने 30 एकड़ एक परिवार के लिए सीमा मानी है ताकि वक्त जरूरत काम आये।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जब सन् 59 के अन्दर आपको सीलिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी उस वक्त क्या स्टेण्ड था हमारा ? उस वक्त भी इन्डिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने यह बात कही थी कि रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट की बात सीलिंग कानून में लागू करें। जब 63 का कानून आया तो उस वक्त भी हमने इस बात को दोहराया कि रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से इस कानून को लगाया जाय। 1973 या 1972 में जब यह कानून आया तब भी हमने कहा कि इसको रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट दिया जाय। 16 लाख एकड़ जमीन खाली थी तो उससे दो लाख एकड़ पर आ गये तो 1959 से पहले से रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट लागू करेंगे तो धरती मिलेगी। इसलिए यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि जो धरती प्राप्त होने वाली है वह रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होने पर ही होगी उसके बाद से लागू होने पर नहीं होने वाली है। आर उसके सम्बन्ध में हमें इस बिल को और अधिक कठोर और अधिक मजबूत बनाना होगा और सारे लेकूनाज को प्लग करना पड़ेगा ताकि सारी की सारी धरती को आप अवाप्त करके उस को भूमिहीन किसानों को वितरित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी ?

श्री मोहरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : वे बोल रहे हैं।

Page No 73

(73)

श्री उपाध्यक्ष : I have requested the Hon'ble Minister. Please have your seat.

बैठिये, आप तशरीफ रखिये।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मन्त्री) उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इस सदन में कतिपय माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया है और इसको प्रस्तुत करते वक्त जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य थे इस आर्डिनेंस के बनाने और इसके प्रोमलगेशन से सहमत हैं। उसी प्रकार से उनकी पार्टी के दूसरे सदस्य जो कि हवा महल से आते हैं उन्होंने भी इस संकल्प को वापिस लेने की अपनी इच्छा इस सदन में प्रकट की है। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे इस सदन में उठाये हैं संकल्प को प्रस्तुत करते हुए। उनका ऐसा कहना है और दूसरे माननीय सदस्य का, हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने भी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझ-कर कानून में कुछ कमियां रख देती हैं ताकि उस कानून के दायरे में आने वाले लोग बच सकें या कानून को जब ला कोर्ट के द्वारा इन्टरप्रेट किया जाय तो ला की स्क्रूटिनी में यह स्टेण्ड न कर सके।

दूसरी बात यह कही गई थी कि यह कानून या आर्डिनेन्स प्रोमलगेट करना केवल मात्र एक नारा है। नरोरा और रावतभाटा के अन्दर इस प्रकार का रिजोल्यूशन पास किया है। जो कानून इस सदन ने बनाया था 1963 में और 6 अप्रेल 1964 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा जिस पर अनुमति दी गई और 13-9-64 को राजस्थान पर लागू हुआ और फोर्स में आया, और इसके फोर्स में आने के कुछ ही दिन के बाद 8 राजा हाईकोर्ट में इस कानून के वाइरस को चेलेन्ज करते हुए रिट पिटीशन में गये। 1969 के दिसम्बर में रिट पिटीशन तय हुई। उच्च न्यायालय के निर्णय में जो रिट पिटीशन पर दिया गया जो राजाओं ने एक्सरूलर्स ने जो रिट पिटीशन की थी वह पार्टली स्वीकार की गई और पार्टली अस्वीकार की गई। इस पूरे कानून में जो कि लागू हो रहा है वह राजस्थान लेण्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजिशन आफ एस्टेट्स, 1964 के जो स्टेपन्डाउन पोर्शन हुआ है—चेप्टर 4, 6 और अनुसूची उनको लिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान सरकार हाई कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध डी. बी. में स्पेशल अपील में गई तो हाईकोर्ट ने उन 8 राजाओं को जिन्होंने रिट पिटीशन की और जो हमारी अपील पिटीशन में रेस्पान्डेन्ट हो उनके विरुद्ध हाई-कोर्ट ने यह आज्ञा जारी कर दी कि वह किसी भी एस्टेट को एलिमिनेट नहीं करेंगे। डी. बी. का फैसला उन 8 राजाओं पर लागू हो गया। राज्य सरकार ने यह अनुभव किया कि जो 13 और राजा है—कुल 21 राजा हैं जो 13 राजा रिट में नहीं गये हैं उनके खिलाफ यह निषेधाज्ञा नहीं है, स्टे आर्डर नहीं है इसलिए वे अपनी प्रापर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस कानून को लाने के लिए एक बात तो यह है।

दूसरी बात यह कहनी थी कि जो यह दृष्टि है कि नरोरा और रावतभाटा में सरकार ने कुछ नारा देने के लिए और लोगों को कहने के लिए रातोंरात प्रगतिशील हो गये हैं, ऐसा नहीं है। जो आर्डिनेन्स आज लाया गया है उसका प्रारूप सितम्बर, 1974 के विचाराधीन था केबिनेट के

(श्री परसराम मदेरणा)

सामने, लेकिन उसके बाद में जो देरी हुई है वह इसलिए हुई है कि इसके बाद में कई कानूनों के देखने के बाद में और एडवोकेट जनरल से कई दफा राय लेने के बाद में जो प्रोवीजन्स आर्डिनेन्स में रखे जा रहे थे उनमें काफी संशोधन किया गया है ताकि किसी प्रकार का ऐसा कोई लेकूना इन्फर्मेटिव आर्डिनेन्स के प्रारूप में न रहे कि वह स्टेप डाउन किया जा सके, और इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन के बाद और इस घोषणा के बाद कि एक सप्ताह के अन्दर आर्डिनेन्स प्रोमलगेट कर दिया जायगा गवर्नमेंट ने इस आर्डिनेन्स को प्रोमलगेट नहीं किया क्योंकि इस कानून की बहुत सी बारीकियों में गये, मैं स्वयं गया। इसलिए इसमें देरी हुई है। यह बात सही है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद और कइयों ने यह कहा और राय दी गई कि एग्रीकलचर लैण्ड के सीलिंग के कानून के अन्दर में इस प्रकार से कर सकते हैं तो इस प्रकार के भी आदेश दिये गये हैं।

इसलिए आप यह कहें कि हमने नया क्लाज 33 डाला है, वह इसीलिए डाला है। जो एक्शन ले लिये गये हैं, पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत, मैं नहीं कह सकता कितना होगा लेकिन कुछ हजार बीघा होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन से रूलर्स की ?

श्री परसराम मदेरणा : दो या तीन का बतलाया है। बीकानेर या शायद धौलपुर का होगा। तीसरा मुझे याद नहीं है। इसलिए सीलिंग केस में सीलिंग कानून में जमीन लेने की बात आई। तो यह देखा गया कि सीलिंग कानून को लाने के बाद भी इण्टरमीडियरी यह लास्ट रह गई है तो यह डेटरी रहने वाली नहीं है। दूसरा यह है कि वह प्रोपराइटर है खुद काश्त के। तो इसके लिए यह स्पेशल तरीके से लाया जायेगा ताकि राजाओं की भूमि जो एग्रीकल्चर लैण्ड हैं और जो इस डेफीनेशन में है। लैण्ड रिफार्म को अन्जाम देने के लिए जैसे कि हमने डिफाइन किया है। इसमें जमीन एक्वायर की जा सकती है। सूरतगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा है कि फोर्ट वगैरह हैं, वह एक्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चेप्टर 2,-31, ए, है हाई कोर्ट ने भी यह माना है। यह लैण्ड रिफार्म के लिए है। चेप्टर 4 एकुइजीशन आफ स्टेट लैंड है और चेप्टर 6 पेमेन्ट आफ कम्पेनसेशन है। इस प्रकार से जो सिविल का प्रिंसिपल रखा गया है, वह इसी दृष्टिकोण से है। इस बारे में 3, 4, और 6 हैं। चेप्टर 8 है। बाकी कानून पड़ा हुआ है सामने। हम स्पेशल अपील लेकर गये हैं। उसका फैसला नहीं हुआ है। जो 8 राजा अपील में नहीं गये हैं, ओरिजनली रिट में नहीं गये थे। वह प्रापर्टी डिस्पोज आफ कर रहे थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह एलीमिनेट कर रहे थे।

श्री गुमानमल लोढा : बाकी के लोगों की एक्वायर क्यों नहीं की ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं कह रहा हूं You listen to me.

श्री गुमानमल लोढा : 1955-1956 में राजा-महाराजाओं की जमीन आपने क्यों नहीं एक्वायर की ?

Page No 75

(75)

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास तारीख नहीं है, उन्होंने कब की है रिट। वह अगर आबादी की होती और हम एक्वायर कर लेते तो इल्लीगल होती।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इल्लीगल कैसे होती ?

श्री परसराम मदेरणा : हाईकोर्ट का जजमेन्ट हो गया है। वह अपील में गये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं पूछता हूं

श्री परसराम मदेरणा : मुझे कह लेने दीजिये। फिर बाद में आप कह लें। मैं लैण्ड रिफार्म्स की बात कर रहा था। चेप्टर 2 और 3 ये लैण्ड रिफार्म्स की तरफ बढ़ाने वाले हैं। पर इसमें यह कहा गया है कि किस परपज के लिए एक्वायर करना चाहिए। लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट भी बना हुआ है। उसके मारफत करते हैं तो प्रोटेक्शन नहीं है। 31-ए, पार्ट में दिया है। इसमें मैंने किया है। दूसरे कानूनों में भी आपने देखा होगा। भूमि को नियमित करने की बात नहीं की होगी। There is difference between land reforms and agrarian reforms.

13-4-64 से 9-10-64 तक रिकगनाइज नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है कि जब कानून बनेगा तो वह डिस्पोज आफ कर सकते हैं। इसीलिए इसमें रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से रखा गया है। इसका मतलब यही है, जो आपके सामने चेप्टर 4 और 6 हमेशा के लिए उसके अन्तर्गत था। यह रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने और आर्डिनेन्स को रिप्लेस करने के लिए यह बिल लाया गया इसमें उसका उल्लेख है। मैं यह निवेदन कर रहा था, कामन लॉ में सभी प्रकार की प्रोपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते थे। इसलिए लाया गया था। इसमें किसी के साथ ऐसा कुछ करने का सवाल नहीं है। इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया है। यह स्ट्राइक डाउन 16 दिसम्बर, 1969 को हुआ। डूंगरपुर से आनेवाले माननीय सदस्य 1967 का हवाला दे रहे थे। वह गलत है। लेकिन दिसम्बर 69 को हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी अपील कब हुई है ?

श्री परसराम मदेरणा : अपील 7 जनवरी को फायल कर दी थी 7 जनवरी, 70 में 21 दिन के अन्दर ही स्पेशल अपील फायल कर दी हाईकोर्ट में। इसलिए यह कहना कि ट्रांसफर्स को जो आपने रिग्नाइज नहीं किया है वह 1-9-64 के बाद हो गये हैं उनको नल एण्ड वोइड माना है। इससे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, जो प्रभावित होंगे। न प्रभावित होने में अधिक खराबी होगी। जमीन में उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेन्ट किया होगा। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। इसके लिए इस मोशन की स्टेज के ऊपर, जब मेरे सामने मोशन है आर्टिकल 213 के पार्ट 2 के तहत, मैं क्लाजवाइज नहीं जाना चाहता। आपने क्लाज 7 पढ़ लिया होगा। स्थिति साफ है। सरकार उसी स्थिति में रहना चाहती है।

यहां पर दुर्भावना और बदले की भावना की बात कही। यह बात निराधार है। मैं रिफ्यूट करता हूं, इस एलीगेशन को।

(श्री परसराम मदेरणा)

कर्मचारियों के सिलसिले में एक बात कही गई, जैसा जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उनके रिहेबिलिटेशन के सम्बन्ध में इस कानून में प्रावधान नहीं है, तो भी कितने लोग वहां प्रभावित होंगे, ऐसी जानकारी हमें एक्स कलर्स, लैंड ओनर्स ने नहीं दी है। जानकारी देने के बाद सरकार उस बारे में विचार करेगी।

इसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू करना अत्यन्त आवश्यक था। अगर रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं करते तो पैसों में कम्पेन्सेशन सीलिंग लॉ में ज्यादा देना पड़ता-वह अलग बात है, लेकिन ऐसे कानून, जिस कानून के अन्तर्गत चेप्टर दो और तीन को वेलिड होल्ड किया है हाईकोर्ट ने और चेप्टर तीन के अन्दर जब उन्होंने यह बात कही कि जो उनके टेनेन्ट थे लैंड ओनर के उनको खातेदारी हक मिल गया है, और रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं करते तो जिस पर्टीक्यूलर डेट आफ वेस्टिंग, वेस्टिंग की डेट से प्रोस्पेक्टिव करते तो इस कानून के सभी उद्देश्य और सभी मन्शायें हैं वह डिफिट हो जाती। इसलिए यह आवश्यक था कि इस कानून की मन्शा और लेजिस्लेशन की मन्शा रही है कि 1963 में इस बिल को पास करते हुए उसके अनुरूप इसे रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जाय। मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने मेरे इस उत्तर के बाद जो यह संकल्प किया है, वह इसे विथड्रा करेंगे और सदन उसे अस्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह उपस्थित नहीं हैं विथड्रा करने वाले।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय, द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों कि भू-संपदा अवाप्ति (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं. 6 सन् 1975) को अस्वीकार करता है।

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वापिस लेने का पहले निवेदन कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : महारावल साहब।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह न लेवें। वापिस लेने का हमने निवेदन किया।

श्री उपाध्यक्ष : Anyway that has been decided now.

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री दीपंकर।

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया। "राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"]

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने रावत भाटे में जो चिन्तन किया, उसके दूसरे प्रगतिशील कदम के रूप में यह विधेयक यहां पेश करने जा रहे हैं। इससे हमें मानना चाहिए, इसमें कुछ आवश्यकता और है, इस हेतु मैंने प्रस्ताव रखा है कि जनमत जानने हेतु इसे प्रसारित किया जाय ताकि इसमें अगर कोई कमी रह गई है तो उसकी पूर्ति कर दी जाय। परन्तु अपने प्रति यह अनोखा बिल है, बड़ी हिम्मत का बिल है, बड़ा अच्छा बिल है और बड़ी जरूरत को पूरा करने वाला बिल है। इसलिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। इस बिल के जरिये हम मानते हैं कि जहां एक तरफ हमारे यह जन कल्याणकारी राज्य ने भूमिहीन लोगों को बसाने के लिये आबादी के पट्टे दिये और उसके साथ साथ यह भी घोषणा की थी कि हम मकान भी बनायेंगे, तो उनको खेती की जमीन भी देंगे। तो खेती की जमीन देने की दिशा में यह एक प्रयत्न है—इसमें कोई शक नहीं। पहले काश्तकारी कानून के तहत जो परिभाषा स्पष्ट नहीं थी, सीलिंग कानून को जिस मुस्तैदी के साथ लाया जाकर लागू किया जाना चाहिए था और जिस तरह से माननीय सदस्य ने अभी थोड़े समय पहिले ही यह चर्चा की कि बहुत बड़ी जमीन काम में आ सकती थी, गरीबों के, यदि हम सीलिंग कानून को कड़ाई से काम में लाते तो गंगानगर जिले से, दूसरे स्थानों से हमें काफी तादाद में जमीन ले सकते थे और लेने के बाद उसके भूमिहीन लोगों को बांट सकते थे। परन्तु उसका मुस्तैदी से हम पालन नहीं कर पाये, इसलिए भूमिहीन लोग भूमिहीन रह गये और जिनके पास जमीन थी उन्होंने इधर-उधर रिश्तेदारों के नाम, इधर उधर और कारणों से खुर्द-बुर्द कर दी, जिससे सरकार की मन्शा पूरी नहीं हो सकी, परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, इस बिल के जरिये इसमें कोई शक नहीं है, कतई कोई जमीन प्राप्त होने वाली नहीं है ऐसी बात नहीं है। राजा-महाराजा के पास आय के बहुत साधन थे और इस बिल के जरिये काफी साधन युक्त भूमि जब सरकार प्राप्त करेगी और उसमें भी यह व्यवस्था है कि पहले जिस तरह से अदालत में चले जाया करते थे, अब नहीं जा पायेंगे, मैं समझता हूं, इस नीति से निश्चित रूप से सरकार अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकेगी। और चाहे कोई मत्स्य पालन का स्थान हो, चाहे कोई शिकारगाह हो, चाहे और कोई ऐसा स्थल हो जहां पर वह प्राइवेट तौर पर खनन करते थे, किसी भूमि से और कोई उपज होती थी तो हर तरह जो बेकार हैं, जो साधनहीन हैं, ऐसे लोगों को खेती करने के लिए, और भी कई तरह के साधन उपलब्ध होंगे, इस कानून के जरिये सरकार ऐसे गरीब लोगों को दे पायेगी। इसलिये भूमि अवश्य प्राप्त होगी और भूमि के लिए जो असर डाला गया है, वह बहुत ही ज्यादा है। जो समय दिया गया है उस समय का ऐतराज किया गया कि ऐसा क्यों किया गया। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी हमारे पास में दो तीन साथी मिले थे, जोधपुर महाराजा का बहुत बड़ा फार्म है, उसमें से जमीन को देना चाहते हैं, और बिना स्टाम्प सादा कागज में किसी तरह लिख कर दो, चाहे जितना पैसा दो। किसी तरह अब भी कुछ करना चाहते हैं। हरएक के पास फार्म है, हरएक के पास शिकारगाह है, हरएक के पास जोड़ की जमीन है, हरएक

(श्री दीपंकर)

के पास तो नहीं, काफी लोगों के पास मुरब्बे हैं। तो काफी भूमि प्राप्त होगी और उसको इधर उधर नहीं कर सकेंगे। यह बहुत बड़ा रखा है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि थोड़ा समय बख्शा जाय........

श्री उपाध्यक्ष : शुभस्य शीघ्रम्। इतने अच्छे कानून में क्यों देरी की जाय।

श्री दीपंकर : नहीं साहब, देरी नहीं करनी है। मैं वही सदन के ध्यान में लाने जा रहा हूं। बहुत से व्यक्ति, जिस तरह माननीय सदस्य, डूंगरपुर से आने वाले ने बताया, उनके पास बहुत बड़ा स्टाफ राजाओं के पास था, उनको ऐसी भूमि के ऊपर रख दिया गया और उनको हटा देगें तो बेकार हो जायेंगे, लाइबिलिटी बढ़ जायेगी। मैं समझता हूं, न जागीरदारों ने पहले समय में की और न इन्होंने की, दूसरों को देना तो सीखा ही नहीं, दूसरों का उपयोग करना सीखा है, उनको अपने हित में बनाये रखा। यह बताया गया, यह काश्तकार हैं, यह बताया गया, यह जमीन के मालिक हैं परन्तु उसका लाभ उन्होंने लिया। यह महज कहने की बात हैं। इसलिए सरकार ने, मंत्री महोदय ने जिस तरह कहा, अगर सरकार के ध्यान में आयेगा तो उनको सेटल किया जायगा। तो उन्हें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं हैं, बहुत तरीके से जमीन खुर्द बुर्द करने का तरीका था, उन सबको इस कानून ने इस तरह जकड़ा हैं कि न दान की जा सकती है, न वसीयत की जा सकती है, न गिरवी की जा सकती हैं और न बेची जा सकती है। इस तरह के व्यापक दृष्टिकोण का यह कानून है। जो भूमि के मालिक रहे, जो नौकोटि के धणी मेवाड़ में कहलाते थे, दो कोटि के धनी कहलाते थे, कई कोटि में बड़ी जमीन पड़ी है जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आपकी आज्ञा हो तो मैं न बोलूं ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं, लेकिन बार बार उसी चीज को रिपीट न करें। आपने कहा एक्स-रूलर्स की जमीन को लेना चाहिए। दूसरी बात हो तो फरमायें।

श्री दीपंकर : मैं निवेदन कर रहा था कि किसी तरह से लोगों को इसमें नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं है और जो जमीन प्राप्त होगी उसमें साधारण लोगों को फायदा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। साधारण लोगों को बहुत फायदा होगा और इसमें किसी को तंग करने की नीयत से कानून लाया गया है, यह गलत है। न सरकार की इन 22 व्यक्तियों के प्रति दुर्भावना रही है। जहां तक सरकार पर आरोप है कि अलग से राजाओं से मुलाकात है तो यह जाति मुलाकात हो सकती है, उसका पोलिटिकल इफेक्ट नहीं है। जो इस पर शंका करते हैं उसका मैं खंडन करता हूं। जो संपत्ति प्राप्त होगी उससे गरीब लोगों को फायदा होगा और सरकार को एक निश्चित तिथि पर एक लिस्ट बनानी चाहिए जो भूमिहीन हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो यहां से भूमिहीन का सर्टिफिकेट लेकर जिस तरह से गंगानगर में वहां जाकर मुरब्बे ले लेते हैं उसी तरह से

(श्री दीपंकर)

राजाओं से प्राप्त की हुई भूमि का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाए, इस पर निगरानी रखें और कोशिश करें । आपके ये अच्छे विचार हैं कि भूमिहीनों को भूमि देंगे और एक तरह से गरीबों के हित में कानून को लायेंगे और धीरे धीरे जिस तरह से राजाओं के विशेषाधिकार गए और अब विशेष साधन भी जा रहे हैं और गरीब जनता के काम आ रहे हैं तो यह जरूरी है कि इसमें विशेषरूप से और ध्यान रखा जाए कि जो काश्तकार कानून के तहत जिस तरह से परिभाषा स्पष्ट नहीं थी सीलिंग कानून के जरिए उसको लाभ नहीं मिल पा रहा था उसमें और थोड़ा सा जोड़कर बड़े भूमिपति हैं जिन्होंने लाभ उठाकर जमींदारों ने इधर उधर जमीन कर दी, तो इसमें भी कमी रह सकती है, उसकी पूर्ति करने के लिए अच्छे तरीके से निगरानी करके जोड़ने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जन साधारण की जानकारी हेतु प्रसारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर विस्तार से तो मेरी पार्टी के लीडर माननीय रामानंदजी बोलेंगे । मैं कुछ कानूनी पहलुओं पर अपने विचार रखूंगा । राज्य सरकार ने जो यह कदम उठाया है वह बहुत ही सराहनीय है और इस कदम को अगर हम जयपुर के इतिहास में एक लैंडमार्क कहें, बहुत बड़ा परिवर्तन कहें तो नाजायज नहीं होगा । लेकिन मुझे संदेह पैदा होता है जब मैं देखता हूं कि बहुत से ऐसे दस्तावेजात जो फर्जी दस्तखतों के साथ सामने आयेंगे, उनका यह राज्य सरकार कैसे मुकाबला करेगी ? मेरी जानकारी में है कि महाराजा मानसिंह के देहावसान के बाद भी उनके दस्तखतों से पुराने कागजों पर कुछ पट्टे दिए गए और वे पट्टे अब आपके आड़े आयेंगे, तो किस तरह से उन कठिनाइयों का हल कर पायेंगे जयपुर के राजघराने में इतनी जमीनें और इतने ग्रास फार्म हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, हजारों ग्रास फार्म हैं जो हम और आप में बंटे हैं । इन जमीनों को खरीदने वाले हमारे और आपके बीच में बैठे हुए हैं और अगर यह कानून आपने सख्ती से लागू नहीं किया तो फिर इस कानून को लाने का मकसद ही फौत हो जाएगा ।

मैंने राज्य सरकार के सामने कुछ सवाल रखे थे जिनका संबंध इन ग्रास फार्म से था जो दोवा की बीड़ें कहलाती थीं । मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां पर नाजिम और तहसीलदार की साजिश से उन जमीनों को फर्जी दस्तखतों से बेचा गया है और लेने वाले हमारे ही लोग हैं । हमारे लोगों का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं है, कांग्रेस के बहुत से लोग शामिल हैं । तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप जनता के प्रतिनिधियों को इन्वाल्व करें ताकि हकीकत उभर कर आ सके । ऐसा न हो कि आप कानून को लागू करना चाहें और फिर कठिनाई पैदा हो कि फलां सरपंच ने खरीद रखी है और वह संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य के रिश्तेदार हैं । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए रास्ता खोजना पड़ेगा । मैं आशा करता हूं कि इस सदन में शायद वह सवाल जो मैंने पहले भी उठाया था वह आ जाएगा । मैं कोई मोटिव एट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, मैं तो सदन

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

में इस दृष्टि से रखना चाहता हूं कि आप अगर इस कानून को इम्पलीमेंट करना चाहते हैं तो इसमें जहां एक तरफ जनता को इन्वाल्व करेंगे वहां हर पार्टी के आदमी को इन्वाल्व करेंगे। वार बेसिज पर उन जमीनों को जिनका उल्लेख किया गया है। अगर उनको तुरन्त ले लें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मेरी मान्यता यह है कि राज्य सरकार दो महीने के अंदर 5,60,000 पट्टे वितरित कर सकती है, यह काम बहुत सराहनीय है और मामूली काम नहीं था लेकिन आपने तय किया कि 26 जनवरी से पहले यह काम होगा तो हुआ। इसी तरह से उसमें नोटीफिकेशन छापने की बात है। हमारे दल की तरफ से सुझाव है कि इसको तुरन्त लागू किया जाए। लेकिन इससे भी मसला हल होने वाला नहीं है। अगर इम्पलीमेंटेशन में देर करेंगे तो और बहुत से फर्जी दस्तावेजात आपके सामने आयेंगे। तो मेरा सुझाव है कि ऐसे दस्तावेजात जो किसी भी नाम से हों, खत्म करें और आप पूरी ताकत के साथ उन पर कब्जा करें।

आपने इसमें कुछ जमीनों को एग्जेम्प्ट किया है और कुछ जमीनें मालूम होता है शामिल नहीं होती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जो बीड़ें होती हैं वे फारेस्ट्स में नहीं आती हैं तो उन बीड़ों का क्या हशर होगा, डेफीनेशन में पता नहीं चल सकता। आपके यहां जो फारेस्ट लैंड है उसका भी आप मुआवजा देना चाहते हैं। प्राइवेट फारेस्ट लैंड केरल सरकार ने बिना मुआवजा दिए हुए एकुवायर की है और कोई कारण नहीं कि राज्य सरकार भी यहां के जो फारेस्ट्स हैं रूलर्स के उनको न ले। उनको लिया जा सकता है, अगर आपको इसमें कुछ कठिनाई हो तो केरल सरकार से आप सलाह मशवरा करें क्योंकि आप कह सकते हैं कि और जो जमीनें हैं, आपका सुझाव है, बगैर मुआवजे दे दी जायं तो यह शायद पूरा नहीं हो सके और वे लोग हाईकोर्ट में चले जायं लेकिन जो चीजें अमल में लाई जा चुकी हैं कोई मिनरल्स हों, फारेस्ट् हों, यह किसी की संपत्ति नहीं हो सकती। पहले जितने राजा-महाराजा तमाम माइन्स को एक्सप्लाइट करते थे लेकिन वे सब आटोमेटिकली आप में वेस्ट हो गए और जो फारेस्ट्स चाहे कहीं भी हों, अगर प्राइवेट फारेस्ट्स हैं तो तुरन्त उनको शामिल करना चाहिए। किलों के चारों तरफ कृषि की जमीन है वह वहां बिक रही है। महाराजा मानसिंह ने अपने महात्मा को हथरोई के किले के चारों तरफ की कृषि की जमीन दी उसको बेचा जा रहा है और वह बिक्री अब ज्यादा तेजी से चल रही है तो उसको हाथ में लेने की कोशिश करें। तो उनकी जो डिवाइसिज हैं, चालाकियां हैं उनका मुकाबला करने के लिए आप सतर्क रहें। शहर में उनकी बहुत सी जमीनें हैं जिस पर वे कब्जा किए हुए बैठे हैं और आपने इसमें कहा है एनक्लोजर। उसका क्या मतलब ? किले के चारों तरफ की जमीन, वह एनक्लोजर नहीं है ? तो मैं उपाध्यक्ष महोदय यह गुजारिश करना चाहता हूं कि यह जो राज्य सरकार ने एनक्लोजर्स लगाये हैं यह क्यों लगाये हैं आप क्या किया चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि मैंने जो सुझाव पेश किये हैं उन्हें शीघ्रता से लागू किजीये और उसके मुकाबले के लिये राज्य सरकार को तैयार रहना चाहिए।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मुकदमेबाजी तो होती ही रहती है । अगर आप इन्हें दो महीने के अन्दर 2 एक्वायर करलें तो उचित रहेगा । आप इसमें पहले मत पड़िये कि जमीनों को कैसे बांटेंगे आप तो पहले जमीनों को ले लें । नहीं तो यह लोग आज अपनी जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं । इसके अलावा मैं एक बात और गुजारिश करूंगा वह यह है कि पहले भी आपने कानून में खामियां रख दी थीं वह खराब थी आपने उन रूलर्स की जमीनों को क्यों नहीं एक्वायर किया जिन्होंने इस मुतल्लिक कोई कोर्ट केस नहीं किया था । ऐसे करीबन 12 रूलर्स थे जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया था । सिर्फ 8 रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने कि इस बारे में राज्य सरकार के आर्डर्स के खिलाफ में कोर्ट केस किया था । अगर आप उन लोगों की जमीनों को एक्वायर कर लेते उस वक्त तो यह झगड़ा नहीं पड़ता । आपको सन् 69 में ही उन जमीनों को ले लेना चाहिए । अगर ले लेते तो यह सभी माकारा हो जाता है । और जिन लोगों का शोषण इतने समय तक हुआ वह शोषण नहीं होता । अब आप उन लोगों को जिन्होंने जमीनें ले ली हैं उन्हें डिसपजेस करने की बात कहते हैं तो ठीक नहीं है । राज्य सरकार को इन राजे-महाराजाओं की जमीनों को तुरन्त एक्वायर करनी चाहिए । अगर अदालतों में केस चलते तो चलते रहते उनका मुकाबला करते । क्योंकि कई राजा-महाराजाओं ने कोर्ट केस में अपने दस्तखत नहीं किये और आप इस डर से कि कहीं यह भी कोर्ट में नहीं चले जावें आपने उन 12 रूलर्स के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं की । आपको इन रूलर्स की प्राईवेट प्रोपर्टी को एक्वायर कर लेना चाहिये था । बस इन शब्दों के साथ मैंने जो इस बिल को जो जनमत जानने हेतु तजवीज दी उसे वापिस लेता हूं और यह चाहूंगा कि यह तुरन्त प्रभावशील होना चाहिये । अब इसके जनमत सरक्यूलेशन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975 को इस सदन में आज लाया गया है । वास्तव में इस विधेयक की सभी माननीय सदस्यों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है । और यह विधेयक वास्तव में प्रशंसनीय विधेयक है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयकों के लिए प्रेस्क्राइब किया है कि इस विधेयक को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे । इसका कारण यह है कि उपाध्यक्ष महोदय, आखिर हम कोई बिल सदन में सीलिंग के लिए लाते हैं उसके पीछे कोई मकसद जरूर होता इस बिल के पीछे मकसद यह है कि जो भूमि अवाप्त की जायेगी उसको भूमिहीनों में बांटा जायेगा । वह भूमि भूमिहीनों के पास जायेगी । हमारा उद्देश्य यही है कि जिन लोगों के पास जमीनें नहीं है जो वास्तव में भूमिहीन हैं उनको ही भूमि बांटना चाहते हैं । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में हमने जो जमीन के लिये सीलिंग बिल लायेंगे और जो जमीन हमने एक्वायर की थी वह वास्तव में भूमिहीन लोगों के पास नहीं पहुंच सकी जिससे कि वास्तव में जिन लोगों को भूमि मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली और जो हमने जिस उद्देश्य से जमीनें ली थी उसका मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो सका और भूमिहीन

(श्री शंकरलाल)

किसानों को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिये हमें ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे कि असली भूमिहीन लोगों के हाथ में जमीन खेती करने के लिये आये।

उपाध्यक्ष महोदय, उस कानून के अन्दर आपने धारा इस बारे में रखी है कि जमीनदार से जिसकी कि जमीन होगी उसको कम्पेनसेशन दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो कम्पेनसेशन की बात रखी है उचित नहीं है क्योंकि आप भूमि लेकर भूमिहीन को देना चाहते हैं और वह कम्पेनसेशन जो जमीन लेगा वह उस जमीन के मालिक को देगा अगर वह कम्पेनसेशन नहीं देगा तो वह जमीन वापिस उस भूमिहीन के पास से ली जायेगी। उपाध्यक्ष, यह जो प्रावधान आपने रखा यह उचित नहीं रखा क्योंकि भूमिहीन के पास अगर पैसा होता तो वह भूमिहीन क्यों होता। भूमिहीन के पास पैसा होगा नहीं और वह जमीन वापस मुझे ऐसा दिखता है कि पैसे वाले लोग भूमिहीनों के नाम से खरीद लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून पहले सीलिंग का सन् 1964 में बना तब राज्य सरकार ने यह प्रावधान रखा लेकिन उसके बाद में सन् 71 में जबकि पार्लियामेंट के मध्यावधि चुनाव हुए और पार्लियामेंट के अन्दर इस तरह के कानून बनाये गये कि जिसमें कम्पेनसेशन वर्ड को हटाकर एक शब्द रखा गया एमाउन्ट और उसके हिसाब से राजाओं के प्रिवीपरसेज समाप्त किये गये तो तब कंपेनसेशन शब्द को हटा दिया गया और उसमें संशोधन कर दिया गया तो इसमें ऐसा क्यों रखा गया है। आज आपने इस बिल के शिड्यूल 7 में लिखा है कि जिसकी जमीन ली जायेगी उसको सात गुना कंपेनसेशन दिया जायेगा और वह कंपेनसेशन जो भूमिहीन जमीन लेगा वह देगा। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा कि जमीन किस प्रकार अलोट होगी आप जो सात गुना कंपेनसेशन की बात करते हैं क्या जिस व्यक्ति के पास भूमि ही नहीं है और जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उसके पास पैसे देने को होंगे। अगर वह पैसे नहीं दे सकेगा तो आपका जो उद्देश्य भूमिहीनों को जमीन देने का है क्या वह पूरा हो सकेगा? कहीं ऐसा नहीं हो कि जमीन नाम किसी के हो और कोई दूसरा व्यक्ति ही उसको परचेज कर ले और जो हमारा गरीब मजदूर है, गरीब काश्तकार जो भूमिहीन है वह भूमिहीन ही रहे। चूंकि इसका जनता से ताल्लुक है इसलिये मैंने इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव रखा है इससे जनता से राय भी प्राप्त हो सकेगी। और जहां तक सवाल कंपेनसेशन का है अगर आपको रखना ही है तो आप उस कंपेनसेशन को बिलकुल ही नामीनल ही रखिये जैसे इस विधान सभा का किराया सिर्फ नोमीनल है एक रुपया। उसी तरह जो यह सात गुना कंपेनसेशन रखा है वह कम किया जाना चाहिये और बिलकुल ही नोमीनल कंपेनसेशन आप देने का प्रोवीजन इसमें रखें। ताकि इस बिल का जो मूल उद्देश्य है पूरा हो जाये। और भूमिहीन को नोमीनल प्राइस में जमीन हाथ आ जाये। ताकि इस बिल के लाने का जो मेन मकसद है वह पूरा हो जाये। नहीं तो फिर कोई महत्व ही नहीं रहता।

दूसरी बात ता मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि इस बिल में आपने पीनल क्लाज भी रखा है उसमें आपने वन

(श्री शंकरलाल)

फिफटीन्थ ऑफ दी कम्पेनसेशन का क्लाज रखा है। इसके अलावा आपने क्लाज 9ए के अन्दर जो लैंड ओनर के बारे में पजेशन देने के बारे में है उसमें आपने कोई पैनेल्टी नहीं रखी है अगर कोई लैंड ओनर पजेशन नहीं देता है तो उसके लिये आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि दीवानी मामलों में तो कब्जा सच्चा और झगड़ा झूठा वाला सिद्धांत सही है। अगर भूमिहीन को कब्जा नहीं मिलता है तो आप द्वारा उसे भूमि अलोट करने से भी क्या फायदा। इसलिये इसमें, जनता से राय जानने की जरूरत है। इसी तरह आपके क्लाज 11 में आपने refund of sums to which land owner is not entitled इस प्रावधान के बारे में भी आपने क्लीयर नहीं रखा है यह भी क्लीयर होना चाहिये। जिस प्रकार उस जमीन का यूटिलाईजेशन होगा इसमें उपाध्यक्ष महोदय मोड ऑफ यूटिलाईजेशन का क्लीयर होना चाहिये। जिससे कि हम जो वास्तव में भूमिहीनों को जमीन देने की बात कर रहे हैं वह उन्हीं को मिले।

दूसरी बात और जो मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, वह है क्लाज 10 के बारे में इसमें आपने प्राइवेट लैंड्स, बिल्डिंग्ज, वेल्स, हाउस साईट्स एण्ड एनक्लोजर्स के बारे में अलग से प्रावधान रखा है। अब आपने जो प्राईवेट बिल्डिंग्स के तालाबों और बांधों वगैरह को इससे अलग रखा है उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिये आपने पाली तहसील में जो सरदार समन्द का तालाब है अगर उसके नीचे की जमीन से सीलिंग के अन्दर ले लिया तो फिर उस बान्ध को आप क्यों नहीं लेते हैं अगर उसको नहीं लेंगे तो फिर उस जमीन पर सिंचाई कैसे होगी? आप उसे प्राईवेट प्रोपर्टी से अलग क्यों नहीं करते हैं।

"all private buildings, places of worship, and wells situated in, and trees standing on, lands included in such enclosures or house-sites, as are specified in clause (1) above, or land appertaining to such buildings or places of worship."

अब जो जमीन किसी तालाब या बांध के नीचे आती है उसको आप एक्वायर कैसे नहीं करेंगे अगर नहीं करते हैं तो इसमें आपका मकसद क्या है वह तो अपने आप ही एक्वायर हो जाना चाहिये। वहां अगर कोई तालाब है तो वह इसमें कैसे नहीं एक्वायर हुए बिना रह सकता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि सन् 64 के बाद जितने भी ट्रान्सफर्स जमीनों के हुए हैं उन्हें नल एण्ड वाइड किया जाना चाहिये। वह आपने नहीं किया। यह बहुत बड़ी खामी है इसके अलावा वह बात अलग है कि अगर किसी भूमिहीन के नाम अगर वह जमीन अलोट हुई और वास्तव में यह भूमिहीन है खेतिहर मजदूर है और उनका वह जमीन अलोट हुई और जो एक्बुअली उस जमीन पर काश्त कर रहा है तो उसको नल एण्ड वाईड ट्रान्सफर नहीं माना जाना चाहिये लेकिन इसमें वह स्पष्ट रूप से आना चाहिये कि ऐसे काश्तकार को बेदखल नहीं किया जायेगा।

(श्री शंकरलाल)

यह तो आपने कह दिया कि जिस रकम पर उन्होंने जमीनें ली हैं, उनको रिफन्ड देंगे। लेकिन यह साफ बहुत ही स्पष्ट है कि आप क्या मकसद पूरा करना चाहते हैं जिससे यह बिल कहीं डिफीट न हो जाय। आप उन लोगों से क्यों जमीन लेना चाहते हैं जो कि पहले से ही जमीनों पर काश्त कर रहे हैं और क्यों दुगना मुआवजा देकर उन लोगों को देना चाहते हैं, जो पैसे वाले हैं उनको जमीनें दी जायं। तो उपाध्यक्ष महोदय, ट्रान्सफर के मामलों को पूरी तरह से इस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। मेरा निवेदन करना है कि जो जमीनें भूमिहीन किसानों के पास हैं उनको किसी भी प्रकार से बेदखल नहीं किया जाय। इसलिए पहले इस बिल को जनता के पास एक सप्ताह के लिये जानकारी मालूम कर ली जावे। संविधान में जो 71 के बाद संशोधन हुए 64 में कानून बना और आज उसमें अमेंडमेंट करने जा रहे हैं इस सारे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अगर कदम उठाये जायं तो मैं समझता हूं इसका मकसद हल हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री, श्री मालाराम, श्री अजीतसिंह, श्री गुमानमल लोढ़ा, श्री मनोहरलाल।

(अनुपस्थित)

विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

जो प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहते हैं उनके भी नाम,

श्री वृद्धिचन्द्र जैन, श्री रघुनाथ विश्नोई श्री झाबरमल सूण्डा, श्री केशरीमल, श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री यशवन्तसिंह नाहर, श्री रामानन्द अग्रवाल।

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया : "राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत कर (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी]

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिये मोशन निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का स्वागत करते हुए भी मैं यह महसूस करता हूं कि इसमें जो खामियां हैं, मन्त्रीजी ने जो संकल्प का उत्तर दिया था उसमें कुछ तथ्य इस सदन के सम्मुख रखें कि 1964 में यह बिल लागू कर दिया, उसके बाद रूलर्स हाईकोर्ट में चले गये और 1969 में दिसम्बर 1969 में इसके कुछ चेप्टर्सस्ट्रक-डाउन हुए। 70 में गवर्नमेंट अपील की गई और 75 तक उसकी कोई भी पेशी नहीं पड़ी। इस बीच में 64 से 75 तक मैं समझता हूं, कहना चाहिए इस कानून की अवहेलना की बहुत-बहुत बड़ी बातें ट्रान्सफर वगैरह की हुई हैं। हमें इस दृष्टि से देखना पड़ेगा इस बिल को कि जो लैण्ड रिफार्म्स का हमारा मकसद है कि हम बिचौलियों को हटा दें— बिचौलियों ने इस कानून का फायदा लेकर हाईकोर्ट के जजमेंट में इसको डिक्री कराने का फायदा लेकर इसको जो डिफीट करने का प्रयत्न किया है इस बिल के जरिये हमको उसे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वापिस दुरुस्त करना होगा, यह हमारा मकसद इस बिल को लाने का होना चाहिये और जो जमीन बिचौलियों से लेकर हल जोतने वालों के पास पहुंच जाय, यह हमारा लैण्ड रिफार्म्स का मकसद है, इस दृष्टिकोण से मैंने इस बिल को देखने की कोशिश की है। सही दिशा में एक कदम होते हुए भी कि मैं महसूस करता हूं कि इन उद्देश्यों की पूर्ति में इस बिल में कई प्रकार की खामियां हैं। पहले मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपकी मार्फत मन्त्री जी का कि जो डेफिनेशन्स इसमें की गई हैं खासतौर पर जो लैण्ड की डेफिनेशन्स की गई है उसमें ग्रोव्ज और गार्डन्स इसको शामिल नहीं किया गया है। जो कि मैं समझता हूं कि जैसा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि बीकानेर के एक स्तर के पास 22 मुरब्बा जमीन गंगानगर में है जिसमें सबमें गार्डन उन्होंने लगाया हुआ है। गार्डन को क्यों बाहर रखा है, क्यों नहीं इसमें है, क्यों नहीं इसमें इन्क्लूड किया गया या ग्रोव्ज को क्यों बाहर रखा गया है, क्यों नहीं इसमें इन्क्लूड किया गया यह बात समझ में नहीं आती है। अगर माननीय मन्त्री जी यह महसूस करते हैं कि जो इसका पहला सेन्टेन्स है कि "'land' means any land held or let for purposes of agriculture of for purposes ancilliary thereto." इसके अन्दर गार्डन और ग्रोव्ज अपने आप आ गई हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि आगे के सेन्टेन्स में इसमें कुछ किस्म की जमीनों को स्पेसिफाई किया गया है कि इन्क्लूडिंग दिस, दिस, दिस। यह बेहतर होगा कि ग्रोव्ज और गार्डन को भी उसके अन्दर स्पेसिफाई कर दें उससे कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी बल्कि दुरुस्ती हो जायगी कि यह इसमें शामिल किया गया है। अगर गवर्नमेंट की मन्शा ग्रोव्ज और गार्डन्स की लैण्ड को इसमें शामिल करने की हो, जैसा कि मैं मानता हूं कि होनी चाहिए। क्योंकि जो सीलिंग कानून बना और दूसरे कानून हुए उसमें भी यह बात की गई है। ग्रोव्स और गार्डन्स को शामिल किया गया है तो उसमें इस बिल में रिआयत बरती जाय, इसका यह मकसद नहीं हो सकता है। और यह हाईकोर्ट से भी कन्फिलिक्ट में नहीं आ सकता। इसलिए मुझे यह ऐसा लगता है कि "tanks, lakes, pond, rivers and water channels held for purposes of irrigation." यह चीजें इसमें इन्क्लूड होनी चाहिए।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी संकेत दिया कि— यह जो "tank, lakes ponds, dams for purposes of irrigation" टैंक्स, लेक्स, पोण्ड्स, डेम्स फार परपजेज ऑफ इर्रीगेशन" है, इसको तो इसके अन्दर इन्क्लूड किया गया है लेकिन कई टैंक्स ऐसे हैं जो इस समय इस्तेमाल इर्रीगेशन्स के लिये नहीं हो रहे हैं, वे इर्रीगेशन के लिये इस्तेमाल हो सकते हैं, खासतौर से मैं मिसाल दूंगा अलवर के विजय सागर बांध की जिसका इस सदन में कई बार उल्लेख किया जा चुका है। कि वह जो वहां पहले से महाराजा के महल की शोभा बढ़ाने के लिये उसके साथ में है और वह बाद में बना हुआ है किसी वक्त उससे सिंचाई भी होती थी लेकिन महाराजा ने अपने ही जमाने में वह सिंचाई बन्द कर दी। उससे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहरें निकाली हुई हैं, दरवाजे बने हुए हैं, और अब केवल इसलिए कि महाराजा चाहते हैं कि उनके महल की रौनक बनी रहे इसलिए रेकार्ड में देखेंगे तो इर्रीगेशन नहीं होता। मैं समझता हूं कि राजस्थान में इस प्रकार के कई टैंक्स और भी कई जगह होंगे इसलिए आज जबकि हम नये-नये प्रोजेक्ट्स हाथ में ले रहे हैं, नये-नये बांध हम बनवा रहे है, जमीनों को एक्वायर करके बनवा रहे हैं तो बने बनाये बांधों को केवल इस कारण से कि पहले इनसे इर्रीगेशन नहीं होता था और उनको छोड़ दें, इन्क्लूड नहीं करें यह दुरुस्त नहीं होगा। इसलिये मैं इसको वाइडन करने का सजेशन रख रहा हूं। चाहे तो यह इर्रीगेशन के परपजेज के लिये काम आता हो, या इस प्रकार का हो कि जो इर्रीगेशन परपजेज के लिये काम आ सकता हो। अगर वहां किसी भी इर्रीगेशन परपजेज के लिये काम आ सकता है तो फिर लैंड की डेफिनिशन में होना चाहिये, यानी, एक्वायर हो सकने में होना चाहिये, इसकी परव्यू में आना चाहिये।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इसमें जो पुरानी डेफिनिशन थी, उसमें भी निकला हुआ था, "forts, palaces, buildings and building plots specified in the inventory." उसको निकाल दिया गया है इसमें। लैंड की डेफिनिशन में और चीज होते हुए इनको शामिल नहीं किया गया है:

"but does not include forts, palaces, buildings and building plots specified in the inventory."

इनको इस डेफिनिशन से एक्सक्लयुड कर दिया गया है, वे एक्वायर नहीं होंगे और इसकी परव्यू से निकल जावेंगे। उसके साथ जो प्लाट्स हैं, जमीन हैं, जो और अदरवाइज एक्वायर हो सकती है वे भी उसमें रह जावेंगी और एक्वायर नहीं होंगी। फोर्ट्स के अन्दर एग्रीकल्चर लैंड है, महलात के साथ एग्रीकल्चर लैंड है और आज भी कई रूलर्स कर रहे हैं, दस मील मे महल हो तो यह कहा जा सकता है कि लैंड रिफार्म्स के परपजेज नहीं हैं इसलिए इसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से उसको मान सकते हैं, पैलेसेज एक्वायर नहीं करने चाहिये एक सोशियल थ्योरी के रूप में नहीं, क्योंकि लैंड एक्वीजिशन के मेजर्स हैं, हाई कोर्ट जजमेंट को देखते हुए, ऐसी चीज को रखें जिससे यह कहा जा सके कि लैंड मेजर्स के बाहर हैं, किसी चीज को इस दृष्टि से एक्सक्लयूड किया जाय, जैसे माइन्स वगैरा को एक्सक्लयूड किया है, पुरानी डेफिनिशन में माइन्स को शामिल किया हुआ है कि डेफिनिशन में माइन्स को छोड़ दिया गया है, क्वेरीज एण्ड माइन्स पुरानी डेफिनेशन में है, लैंड की डेफिनिशन में है, टू दैट एक्सेटेन्ट इसको 'नेरो डाउन' कर दिया गया है।

क्वेरीज और माइन्स को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। इसको लीगल बना कर छोड़ दिया है। हाई कोर्ट के जजमेन्ट में क्वेरीज और माइन्स को एक्वायर करना लैंड रिफार्म का मेजर नहीं हो सकता है, यह लीगल ओपीनियन है तो उस पर विचार हो सकता है, विचार किया जाना चाहिये। अगर लीगल ओपिनियन नहीं है, जिसके बारे में मैं खुद डाउटफुल हूं, क्या

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लैंड रिफार्म्स के मेजर में क्वेरीज और माइन्स को शामिल कर लें, तो लैंड रिफोर्म्स से बाहर हो जावेगी ऐसी मान्यता नहीं है। राजस्थान सरकार ने इसको इसलिये नेरोडाउन किया है कि हाईकोर्ट के जजमेन्ट से बाउन्ड हो जावेंगे। माननीय मन्त्रीजी अपना उत्तर दें तब इस बात को स्पष्ट करें क्योंकि जजमेन्ट हमारे सामने नहीं है और न देख पाये हैं, इसलिये माननीय मंत्रीजी अपने उत्तर में इसको साफ करेंगे तो पता चल सकेगा।

साथ में फोर्ट्स, पैलेसेज, बिल्डिंग्स, एन्ड बिल्डिंग प्लाट्स स्पेसिफाइड इन दी इन्वेन्टरी इनको भी एक्सक्ल्यूड करने का मैं औचित्य नहीं मानता। लीगल तरीके से कोई दिक्कत है तो मंत्रीजी इसमें बतायें। मैं समझता हूं इस बारे में कोई औचित्य नहीं है। इसको भी इसमें शामिल करना चाहिये।

इसके अलावा जो बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस पीरियड में जो बहुत से ट्रान्सफर्स हुए हैं, जो एक्स रूलर्स ने किये हैं, उनके सम्बन्ध में जो स्कीम इसमें रखी है, मैं समझता हूं वह डिफेक्टिव है। क्या स्कीम रखी है? इन ट्रान्सफर्स के बारे में यह कहा गया है कि वे ट्रान्सफर्स एक किस्म के ट्रान्सफर्स हैं वे "फोर दी परपजेज ऑफ दिस एक्ट" रिकोग्नाइज नहीं किये जावेंगे। सेक्शन 7 क्लाज (ए) जो इसमें इन्क्ल्यूड की गयी है।

"(i) no transfer of an estate liable to acquisition under this Act or part thereof made by the landowner on or after the date of commencement of this Act and before the date of vesting, whether by way of sale, mortgage, gift, exchange lease, assignment, surrender, bequest, creation of trust or otherwise, shall be recognised for any purpose of this Act and the estate or part so transferred shall be deemed to continue to vest in the landowner;"

That means it is not ab-initio null and void.

एब इनशियो नल एन्ड वायड नहीं रखा गया है। केवल for the purpose of this Act. जिस परचेजर ने खरीद ली, बेचनेवाले और खरीदने वाले के बीच में जो कान्ट्रैक्ट हुआ, उसको यह बिल null and void नहीं करता है। पर्चेजर ने जो राइट्स एक्वायर किये हैं पर्चेज और मार्टगेज की वजह से उसके राइट्स को यह रिकग्नाइज करता है। जिसने इस को डिफीट करने का यह किया है उसको यह अटेक नहीं करता है। बेचने वाले को संक्शेन्ट मानता है। उनको ग्रमयदान इससे मिलता है। मैं समझता हूं, हमारा जो सोशियल परपज है वह इससे डिफीट होता है और यह न्यायपूर्ण भी नहीं। इसलिये, मैं समझता हूं इसलिये तमाम ट्रान्सफर्स, whether before the commencement, whether before the vesting of the estate in the Government, both kinds of transfers should be null and void.

श्री परसराम मदेरणा : नल एन्ड वाइड है। सेक्शन 7 (ए) के जो तीन पार्ट्स हैं उनको पढ़ लीजिये। ये तीनों ही ट्रान्सफर्स कानून लागू होने के बाद दो में नल एन्ड वाइड हैं और एक को रिकाग्नाइज ही नहीं किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट की यह मंशा है यह इसमें पूर्ण नहीं होती है। शब्दावली क्या है ? "will not be recognised for the purposes of this Act" and "null and void abinitio" इन दोनों में लीगली फर्क है। और गवर्नमेंट की यह मंशा है फर्क नहीं रखना चाहती है तो आई वैलकम इट, फिर नल एन्ड वायड ही करें।

तीसरी बात जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आपके द्वारा दिलाना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय वह यह है कि जो क्लाज 1 है जिसके तहत कान्सीक्वेन्सेस आफ एक्वीजीशन क्या 2 होंगे उनकी डिटेल दी हैं। इसमें मैं समझता हूं कि 3 कान्सीक्वेन्सेस और जोड़े जाने चाहिए जो कि महत्वपूर्ण हैं। एक तो कान्सीक्वेन्स यह कि जो क्लाज 7 (ए) से ताल्लुक रखता है जो इन एक्स-रूलर्स ने इस बीच में ट्रान्सफर करके परचेजर्स को गुमराह करके उनसे पैसा लिया है इसका कान्सीक्वेन्स यह होना चाहिए कि वह लीगली they should be made liable to pay that amount to the Government. जिस तरह आगे हमने रिफण्ड का इसमें प्रावधान रखा है। रिफण्ड का क्लाज 11 रखा है कि कोई भी लगान वगैरह इस वेस्टिंग के बाद वह वसूल नहीं कर सकता और अगर वसूल किया तो उनको रिफण्ड करना पड़ेगा और रिफण्ड नहीं करे तो गवर्नमेन्ट उनसे रियेलाइज करेगी और पेनेलाइज करेगी। उसी तरह से मेरा यह कहना है कि जितने भी ट्रान्सफर्स किसी भी किस्म के इन 11 वर्षों में एक्स-रूलर्स ने किये हैं और "in lieu of those transfers" जितना भी अमाउन्ट उन्होंने रियेलाइज किया है वह अमाउन्ट "As a consequence of those एक्वीजीशन" वह अमाउन्ट पेएबल होना चाहिए एक्स-रूलर्स द्वारा गवर्नमेंट को। यह भी इसमें एक प्रावीजन होना चाहिये।

दूसरा कान्सीक्वेन्स यह होना चाहिए जैसा अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इन ट्रान्सफर्स के जरिये जो बोनाफाइडी परचेजर्स थे, बोनाफाइड ट्रान्सफरीज थे वह पेनेलाइज नहीं होने चाहिए इसलिए एक इसका कान्सीक्वेन्स यह भी होना चाहिए कि बोनाफाइड ट्रान्सफरीज को जो उन्होंने पैसा अदा किया था वह पैसा उनको स्टेट गवर्नमेंट कम्पन्सेशन जो एक्स-रूलर्स का होगा उसमें से वापिस पैसा उनको मिलेगा।

तीसरा कान्सीक्वेन्स इसका यह भी होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारा मकसद इस जमीन को टिलर के पास पहुंचाने का है। अगर वह जमीन आलरेडी टिलर आफ दी साइल के पास पहुंच गयी है और उसके कल्टीवेटरी पजेशन में है तो बजाय इसके कि हम पैसा उससे लें और फिर अलाटमेंट हो स्ट्रेटवे इसी लेजिस्लेशन में यह आना चाहिए। इसका कान्सीक्वेन्स यह भी होगा कि: whosoever is in cultivatory possession of that land on the date of vesting shall become khatedar of that land.

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एक्ट हमने पास किया है उस एक्ट में पहला प्रावधान है कि जब हमने 1963 में इस बिल को पास करके इसको एक्ट बनाया तो उसमें हमने यह प्रावधान रखा है कि जिसके तहत जो भी टिनेन्ट्स उस समय कब्जे में थे सेक्शन 6 है :

"6. Khatedari rights in estates.—(1) Every person who, at the commencement of this Act, is, or is entered in the revenue records as a tenant or a tenant of Khudkasht, but not as a sub-tenant, of any land forming part of an estate shall, unless he had become a Khatedar tenant thereof previously to such commencement by virtue of any law or otherwise, be deemed to be the Khatedar tenant of such land holding from the landowner of the estate :

Provided that Khatedari rights under this sub-section shall not accrue to any person to whom land is or has been let out temporarily in the Gang Canal, Bhakra............"

तो इस तरह से पहले भी इस एक्ट के तहत जो भी एक्स-रूलर्स की जमीनों पर एज टिनेन्ट काश्त कर रहे थे वह तो 1963 का कानून बना उसके मुताबिक खातेदार टिनेन्ट बन गये लेकिन उनमें भी दो तीन केटेगरीज के लोग रह गये । एक तो वह लोग जिनको कि कहा गया है कि टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स थे, दूसरे वह लोग जो कि सब-टिनेन्ट्स थे और तीसरे वह कि जो लोग खुदकाश्त के टिनेन्ट्स थे । हमने टिनेन्सी एक्ट में खुद-काश्त के टिनेन्ट्स को और सब-टिनेन्ट्स को सेक्शन 19 के तहत खातेदार बनाया तो मेरा यह निवेदन करना है कि चाहे वह ट्रान्सफरीज के जरिये टिलर ऑफ दी सॉइल के पास पहुंच गयी थी जमीन और चाहे एज सब-टिनेन्ट्स के तहत और अभी तक वह काश्त करके सब-टिनेन्ट्स उसके खातेदार नहीं हैं और न ही ट्रान्सफरीज हैं वह इस क्लाज 7 (ए) से इफैक्टेड होंगे । तो मेरा कहना है कि कान्सीक्वेन्स यह होना चाहिए कि : whosoever is in cultivatory possession of the land at the time of vesting, he should be declared a Khatedari tenant *ipso facto*.

जैसा कि सेक्शन 6 जो कि पहले से एडि-जस्ट करता है उस सेक्शन 6 की भावना को हमको इस अमेन्डिंग बिल के अन्दर भी लेनी चाहिए कि कल्टीवेटरी पजेशन में चाहे ट्रान्सफरी की वजह से और चाहे टिनेन्ट्स या सब-टिनेन्ट्स होने की वजह से जो भी काश्तकार है उनको अधिकार मिलेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इससे अगला पाइन्ट मुझे यह निवेदन करना है कि जो एग्जम्प्शन्स इसमें दिये हुए हैं वह बड़े खतरनाक हैं और परपज है लैंड रिफार्म का वह इसको डिफीट करता है । यह क्लाज 10 में दिया हुआ है । इसमें (ए) का फर्स्ट पार्ट है :

Page No 90

(90)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

"(1) all open enclosures in the possession of the land-owner used for agricultural or domestic purposes, "

बिल्डिंग नहीं है। ओपिन एण्ड क्लोजर्स को भी इसमें इन्क्लुड कर रहे हैं और ऐसी जगह जो कि एग्रीकल्चर के परपज के काम में आ रही है, मैं समझता हूं कि इसका कोई भी जस्टीफिकेशन नहीं है और यह उसको डिफीट करने का परपज है। दूसरे :

"(ii) all private buildings places of worship and well situated in, and trees standing on, lands included in such enclosures or house-sites, as are specified in clause (i) above, or land appertaining to such buildings or places of worship. "

अगर मन्दिर है या इसी प्रकार का उनका महल है उसके अन्दर कोई है वह बात समझ में आ सकती है। तो मैंने बहुत ही सीमित दायरे का अमेन्डमेन्ट दिया है। जिस समय क्लाज बाई क्लाज विचार करेंगे तब मैं कहूंगा। तो इसको सीमित करने की जरूरत है जिसको कि मकान का ही अपार्टमेन्ट कह सकते हैं। बाकी के लिए छूट देना दुरुस्त नहीं है।

इसी तरह से क्लाज 3 रखा है :

"(iii) all groves, wherever situate, belonging to or held by the landowner or any other person, "

श्री परसराम मदेरणा : कौन सा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्लाज 10 पार्ट (ए) सब-पार्ट (3) इसमें।

"(iii) all groves, wherever situate, belonging to or held by the landowner or any other person, "

याने एक टिनेन्ट खातेदार टिनेन्ट 100 बीघा का खातेदार टिनेन्ट के ऊपर तो आपने सीलिंग लगाया है, ग्रो लैण्ड को तो लिया है लेकिन एक्स-रूलर्स की ग्रो चाहे कहीं भी हो, चाहे वह दौसा के अन्दर हो वह भी छोड़ दी जायेगी– यह कन्सेशन किस बेसिस पर है ? क्या जस्टीफिकेशन है यह बात समझ में नहीं आई। यह निकाला जाना चाहिए। इस तरीके से जो (सी) है इसमें—

" (c) all tanks in the personal occupation of the land owner and used solely for irrigating the land referred to in sub-section (2) of section 6; "

वही जिसका मैंने पहले भी निवेदन किया था कि यह टैंक्स वह टैंक्स है जो इरिगेशन परपज के लिये काम आ रहे हैं, उनको आप छोड़ रहे हैं। पहले तो आपने लैण्ड की डेफिनिशन में उन टैंक्स को शामिल नहीं किया जो कि इरिगेशन के काम में नहीं आते हैं, सैरगाह के ही काम आते हैं। मैंने तो निवेदन किया है कि ऐसे टैंक्स जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इरिगेशन के काम में आ सकते हैं उनको भी लैण्ड की डेफिनिशन में लेना चाहिए । आप जो इरिगेशन के जो एक्चुअली काम आ रहे हैं उनको भी एक्सक्लूड करना चाहते हैं किसी पानी को किसी रूलर की अपनी ही जमीन के लिए रखते हैं जो इसको इरिगेट कर रहा है । मेरा निवेदन यह है कि जो भी इरिगेशन है यह पब्लिक परपज के लिए है । वह दूसरों के लिए काम आ सकता है इसलिए उसको इरिगेशन के काम आने वाले टैंक को आपको एक प्राइवेट आदमी की मर्जी पर नहीं छोड़ना चाहिए, और इसको एक्जेम्प्शन में रखना दुरुस्त नहीं है । मानता हूं, इसके अन्दर सुधार की ओर सोचने की आवश्यकता है ।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, एलाटमेंट की इसके अन्दर कोई स्कीम नहीं दी गई है । मकसद यह दिया गया है कि हम इसका एलाटमेंट करेंगे । मैं यह समझता हूं कि इस लेजिस्लेशन में उस स्कीम के आने की आवश्यकता है । इसमें यह कानूनी खामी होने की वजह से इसके स्टेप डाउन होने का खतरा है । इसका भी खतरा है कि रूल्स के जरिये आप पावर्स लेना चाहते हैं तो रूल्स में किसी तरह के पावर्स लेकर आप करना चाहते हैं तो वह दुरुस्त नहीं है । खासतौर से खेतिहर मजदूरों, छोटे किसानों की ओर जो लैण्ड रिफार्म्स में विश्वास करने वाले लोग हैं उनकी कमेटी बना कर एलाटमेंट करने की बात करें, उनका इन्वाल्वमेंट करें । पुराने सीलिंग का अनुभव है वही आखिर इसके अन्दर आयेगा । इसलिए इस चैप्टर को डिटेल्ड करने की आवश्यकता है । आपने इसमें केवल यह परपज बता कर कि हम इसको अलाट करेंगे, खत्म कर दिया है, यह नाकाफी है ।

मैं कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम कम्पेन्सेशन देने के बिल्कुल खिलाफ है और हम यह समझते हैं कि यह कम्पेन्सेशन की क्लाजेज बिल्कुल उड़ा देना चाहते हैं । कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 31 का एमेंडमेंट हो जाने के बाद जिसके अन्दर कम्पेन्सेशन देने की जरूरत नहीं रखी गई है हम कम्पेन्सेशन देने का इरादा रखते हैं तो कम्पेन्सेशन देने की आवश्यकता नहीं है । मैं समझता हूं कि आप यदि यह समझते हैं कि वह तबका जैसा कि एक्स-रूलर्स का है कोई गरीब तबका नहीं है, इनकी जमीनें रिज्यूम होने के बाद वह गरीब लोग हो जायेंगे, वह स्थिति नहीं है । सब के पास में एक एक कपट द्वारा है । किसी के पास में कपट द्वारा है, किसी के पास में छल द्वारा हो, किसी के पास में चारसौबीस द्वारा हो, किसी के पास में चोर-द्वारा हो । 22 स्टेटों में अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन मन्शा उनकी सबकी एक ही है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं पहले भी इस सदन में कहा था कि आप इनकी जमीन और आप यह सब चीजें ले लें तो भी केवल हीरे, जवाहरात पन्ने वगैरह

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

यही चीजें जो इन्होंने इतनी इकट्ठी की हैं कि अमेरिका के अच्छे से अच्छे साधन-सम्पन्न व्यक्ति से ज्यादा मुआवजा यह रूलर्स ले लेंगे । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन तमाम कम्पेन्सेशन की क्लाजेज को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बिल्कुल छोड़ दें। इसलिए हमने यह अमेंडमेंट दिया है, और मैं यह कहना चाहता हूं आपकी मारफत राजस्व मन्त्री जी को कि आपके सामने मिसाल मौजूद है केरल की। केरल की सरकार ने जिसमें आपकी पार्टी की भी साझेदारी है प्राइवेट फारेस्ट्स का विदआउट कम्पेन्सेशन के नेशनेलाइजेशन किया है, और वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर आये हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस एक्ट को सही करार दिया है।

तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कुछ खामियां हैं। हम डिले नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमने 7 दिन का केवल वक्त दिया है कि इस पर विचार करके इसको ज्यादा सुन्दर और ज्यादा अच्छा बना कर इसी सत्र में पास करा दें। यह हमारी इच्छा है। इसी दृष्टिकोण से मैं अपना यह एमेंडमेंट मूव कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रस्ताव का जिसके द्वारा इस बिल को पारित कराने में विघ्न डाला जा रहा है कि एक ओर तो यह आर्डिनेन्स जो यहां पर प्रस्तुत करने के बाद में विधान सभा के प्रारम्भ होने के पश्चात् संवैधानिक समय समाप्त होने के पश्चात् अपने आप में समाप्त हो जायेगा और दूसरी ओर इस बिल को पारित नहीं किया जाय, ऐसा हमारे कम्युनिस्ट साथियों का जो प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं। इसमें श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री केशरीमल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ सका कि इनकी मन्शा क्या है? कोई कान्स्टीट्यूशनल ऐसा डेडलाक क्रियेट किया जाय कि जिससे एक ओर आर्डिनेन्स का समय समाप्त हो जाय और दूसरी ओर यह बिल जो है वह पारित ही नहीं किया जाय, अर्थात् राजा-महाराजाओं को अपनी सम्पत्ति बेचने की छूट दी जाय....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मां से ज्यादा मासी की चिन्ता हो रही है।

श्री गुमानमल लोढा : मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार की स्थिति निर्माण करने का उनका क्या अभिप्राय है? एक ओर तो राजा-महाराजाओं के साथ रियायत की जा रही है। उनके इस प्रस्ताव को यदि पारित कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें दो राय नहीं है कि केवल इसमें एक्चुअली 22 व्यक्तियों को इस बात की छूट दे दी जाय कि सारी की सारी इस संपत्ति को इस समय के अन्दर खुर्द बुर्द कर दें। इसके अलावा दूसरा अभिप्राय इसका नहीं निकलता है। इसलिए मैं इस कम्युनिस्ट वाले प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को आज ही पारित कर दिया जाय और प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है उसका मैं विरोध करता हूं।

यहां पर यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने धारा 7 (ए) के अन्दर यह कहा है कि ट्रान्सफरी का सेल के अन्दर राइठ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

होगा। ट्रान्सफरर का राइट होगा वह वॉयड हो जायगा लेकिन ट्रान्सफरी का नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं समझता हूं। क्लाज 7 (ए) के अन्दर यह स्पष्ट है कि इस पर दो प्रकार की डबल पेनाल्टी के रूप के अन्दर क्लाज 7 (ए) का सब-क्लाज (1) है उसमें ट्रान्सफर को रिकग्नाइज नहीं किया है, और उसको अधिक स्पष्ट करने के लिए क्लाज (2) को उन्होंने एवोइड कर दिया है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने या तो उसको पढ़ा ही नहीं या पढ़कर सही मतलब निकालने की भूल की है। 7 (ए) में मेरे ख्याल से लेकूना है। वह लेकूना यह है, कि उपाध्यक्ष महोदय कि जो बोनाफाइड परचेजर है, जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से पैसा कमाकर कोई जमीन खरीदी है जिसके बारे में उस समय तक कोई प्रतिबन्ध नहीं था, और वहां पर जैसा कि मैंने बताया है कि परिश्रम करके इम्प्रूवमेंट किये हैं, कुआ खुदवाया है, मेहनत करके साधन जुटाकर पानी निकाला है, बाड़ बनवाई है, पु० फेंन्सिग किया है, कुटिया बनाई है तो उस का क्या कसूर है माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में इसके बारे में गोलमाल जवाब दिया है। मुझे इस बात का खेद है कि माननीय मंत्री महोदय हर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उन्होंने गोलमाल उत्तर दिया है जो कि मेरी समझ में नहीं आया है। उन्होने कहा है कि क्लाज पढ़ने से साफ हो जायगा। तो इस क्लाज के अन्दर तो यह सारे के सारे ट्रान्जेक्शन्स नल एण्ड वाइड हो जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा। मेरा मतलब यह है कि गवर्नमेंट के फन्क्शन हैं वह इन्कॉरपोरेट है क्लाज के अन्दर 7 (ए)। That was the reply of the Government to you. It was accepted in clause 7 A.

श्री गुमानमल लोढ़ा : उसके कन्क्शन का मतलब यही होता है कि उसको भूमिहीन काश्तकार के रूप में खड़ा कर दिया जायगा। जो भी इस जमीन के ऊपर होगा चाहे वह बोनाफाइड परचेजर हो, चाहे उसके पास एक इंच भी भूमि कहीं अन्यत्र नहीं हो उसने बड़ी मुश्किल से 100-200 रुपया बचाकर कुछ जमीन ली हो, चाहे वह 5-10 के अन्दर हो, हमारे जन-कल्याणकारी राज्य में भूमिहीनों को जमीन देना होगा। क्लाज 7 (ए) का फन्क्शन आता है वह स्पष्ट है कि उसने परचेज की है तो वह जमीन भी गई और उसको कम्पेन्सेशन मिलेगा। यह तो जले के ऊपर नमक छिड़कना है। लैण्ड आनर को तो कम्पेन्सेशन मिलेगा और जिस व्यक्ति ने इस भूमि को बेचा है और जो लैण्ड ओनर है, जो राजा-महाराजा हैं उसको तो कम्पेन्सेशन मिलेगा या उसको कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए, लेकिन जिसने जमीन खरीदी है उसको एक नया पैसा भी नहीं मिलेगा और एक इंच भी भूमि उसके पास नहीं रहेगी अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ सकता कि यह कौन सी जन-कल्याणकारी सरकार की कल्पना लेकर मन्त्री महोदय आ रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। इनकॉरपोरेट करने में क्या दिक्कत है। जो बेनिफिट हैं, उनको कम्पन्सेट किया जायगा उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा महत्व का प्रश्न यह है उपाध्यक्ष महोदय, आपने

(श्री गुमानमल लोढा)

स्पष्ट किया है you want to allot to landless persons by making others landless.

आप लैंडलेस परसन को अलाटमेन्ट करना चाहते हैं। तो समझता हूं कि इसको मन्त्री महोदय को रिमूव करना चाहिए। अन्यथा उसके कारण हजारों व्यक्ति भूमिहीन बन जायेंगे। आप नये भूमिहीन किसानों की टोली खड़ी कर देंगे। उसने जमीन का इम्प्रूवमेन्ट कर दिया। उसने उस पर कुआं खोदा। उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो मन्त्री महोदय को इसे ध्यान में लेना चाहिए। 7 'ए' का यह इन्टेशन है। वह जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। तो यह जन-कल्याणकारी कार्य नहीं है। इसलिए इसको मिटाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय यह अध्यादेश की बात चल रही थी। मैंने उस समय यह कहा था। उन्होंने बताया कि हाइकोर्ट में जिस समय रिट चल रही थी, इसलिए भूमि को अवाप्त नहीं कर सके। क्योंकि इसमें कई प्रोसीजर थे। मैं जानना चाहता हूं, यदि राज्य सरकार की मंशा उस भूमि को अवाप्त करने की थी तो केवल 8 राजाओं ने अप्लीकेशन मूव की थी। बाकी जो 20 थे, उनकी भूमि को अवाप्त क्यों नहीं किया। यह 1963 में आया है। 5 साल में एक्ट को रखते हुए भी आपने नहीं की। आपने ब्लैक मेलिंग की है। मैं तो यह कहूंगा ताकि आप उनके सिर पर तलवार लटकाते रहें जिससे कि आप उनसे कह सकें कि हमारे साथ रहोगे तो तुम्हारी भूमि नहीं लेंगे। हमारे साथ नहीं रहोगे तो भूमि ले लेंगे। तो लगातार यह कांग्रेस सरकार ब्लैक मेलिंग करती रही है। बारगेनिंग करते रहे हैं। अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने कहा था भारतीय जनसंघ ने जो 1952 के अन्दर दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, उसमें प्रस्ताव पारित किया था। जिसमें जमींदारी उन्मूलन के साथ साथ यह भी कहा था—"मुआवजा पुनर्वास अनुदान के रूप में ही हो सकता है और वह क्रमानुसार घटना या बढ़ना चाहिए। न्यूनतम जोत की सीमा अच्छी सिंचाई वाली 5 एकड़ भूमि के बराबर होनी चाहिए।" हमारे सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जनसंघ वाले 500 एकड़ कराना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: माननीय सदस्य, यह बतायें कि यह 1952 में हुआ है और भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में दूसरी नीति बोलते रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा: यह पुस्तक है। इसमें भारतीय जनसंघ की घोषणाएं हैं, प्रस्ताव हैं। उनको समय मिले तो अधिकृत रूप से मालूम कर लें। यह 1952, 1953 1954 की है। और 1955 में जोधपुर में सम्मेलन हुआ था।

श्री दीपंकर: लोढ़ा जी, यह किताब इनको भेंट कर दो।

श्री गुमानमल लोढा: इसमें यह स्पष्ट कहा है—"जागीरदारी, जमींदारी तथा इस प्रकार की अन्य प्रथाओं के कारण भूमि का उचितरूप से वितरण न होकर वह कुछ हाथों में केन्द्रित हो गई है। इससे उत्पादन में बाधा पहुंचने के साथ साथ भूमिहीन कृषकों को जीवन-निर्वाह के हेतु धन्धा मिलना भी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कठिन हो रहा है। अतः कुछ हाथों में केन्द्रित भूमि का भूमिहीन कृषकों में अविलम्ब वितरण कराया जाए। भूमि वितरण का न्यूनतम व अधिकतम आधार सिंचाई के प्रबन्धों से युक्त भूमि का क्रमश: 5 व 30 एकड़ अथवा उसकी पैदावार के बराबर हो।''

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह जोधपुर में जो अधिवेशन हुआ उसका प्रस्ताव रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : छुट्टी निकालेनी पड़ेगी। इसमें तो सब कुछ है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरी समझ में नहीं आता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जिम्मेदार लोग इस प्रकार से बात करते हैं। वह कहते हैं कि जनसंघ 500 एकड़ की सीलिंग करवाना चाहता है। तो मेरा निवेदन यह करना है कि भारतीय जनसंघ हमेशा कहता रहा है मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जमींदारी और जागीरदारी एबोलिशन के अन्दर हमारे जो 3, 4 सदस्य थे, उनको दल से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जब उनके साथ लगे तो बून्दी महाराजा, कोटा महाराजा उनके साथ में चुनाव लड़ते हैं। मैं कहता हूं। वह चुनाव तो लड़ लेते हैं। कभी भरतपुर के महाराजा से गठबन्धन करते हैं········

श्री दीपंकर : कांग्रेस का लोढ़ा साहब, किसी महाराजा से गठबन्धन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज केन्द्र में महाराजाओं को मिनिस्टर बनाकर रखते हैं। उस समय तो यह वोट की राजनीति समझकर करते हैं।

श्री दीपंकर : वोट की राजनीति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यहां बैठे बैठे ही रनिंग कमेन्ट्री करते रहते हैं।

श्री दीपंकर : गलत आरोप लगाते हैं तो विरोध करना चाहिए। जो चुनाव के लिए खड़े होते हैं, उनको तो लालच देकर बिठा देते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस रनिंग कमेन्ट्री से कुछ होता नहीं है। यह स्पष्ट बात है। यह उपाध्यक्ष महोदय ने ठीक कहा है। यह रनिंग कमेन्ट्री करते हैं। यह कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के कहने से इसको रोका नहीं जाये। इस बिल को पारित करने में विलम्ब नहीं किया जाये। मैं समझता हूं कि यह विरोध करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन जनमत जानने के लिऐ तो आप भेजना चाहते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वह तो मैंने वापिस ले लिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनका जनमत तो फटाफट आजायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है····

श्री रामानन्द अग्रवाल : सिलेक्ट कमेटी के लिए रखा है ।

श्री परसराम मदेरणा : वह करीब एक सप्ताह तक के लिए है । जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य का प्वाइन्ट कान्स्टीट्यूशनल है । 16 जनवरी के बाद में, विद इन दिस वीक, यह आर्डर रिलेस होना चाहिए । उन्होंने यह कहा है कि यह डेडलोक हो जायेगा । डेडलोक हो जाता अगर यह हाउस मोशन में नहीं होता । तो डेड लोक हो जाता है । अभी तक डेडलोक नहीं है । अगर बिल पास नहीं होता है तो आर्डिनेन्स है । इस बिल के पास करने से भी कानून नहीं बनता है जब तक कि प्रेसीडेन्ट की असेन्ट न आये और तब तक 42 दिन के भीतर भीतर आर्डिनेन्स है...

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह बात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं कहते हैं कि नहीं हुआ है डेडलोक । वहां तो डेडलाक हो जाता है और यहां आते ही मुंह पलट जाता है, शेष पलट जाती है । एक एक दिन में चार चार बिल रखवाते हैं । अगर जरूरत नहीं है, डेडलाक नहीं हुआ है तो क्यों रखवाते हैं । यहां कहते हैं कि डेडलाक नहीं है । एक वीक, दो वीक, तीन वीक राष्ट्रपति की कन्सेन्ट में लग सकते हैं, उसमें भी काफी समय लगता है ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई बात मैंने माननीय अध्यक्ष के चेम्बर में या बाहर नहीं कही थी कि डेडलाक का प्रश्न है । लेकिन जो बिजनेस है, इसको बजट के डयूरेशन में, इस लेजिस्लेशन वर्क को नहीं ले सकते । मार्च की 31 तारीख को 42 दिन समाप्त हो रहे हैं, तब डेडलाक आ रहा है । एक सप्ताह भर में डेडलाक नहीं आयेगा ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सप्ताह के बाद कैसे लेंगे, बजट के बीच ।

श्री परसराम मदेरणा : बजट के बीच में समय निकाल लिया जायेगा । आज डेडलाक नहीं होने वाला है । आप इनसे प्रोग्रेसिव बनना चाहते हैं, यह मन्शा हो सकती है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रोग्रेसिवनैस आपको बख्शी । इसमें प्रोग्रेसिव होने का प्रश्न नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : कान्स्टीट्यूशनली कोई डेडलाक की कन्डीशन नहीं होने वाली है ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : प्रोग्रेसिव शब्द से एलर्जी है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्रोग्रेसिव, नान-प्रोग्रेसिव में बिलीव नहीं करते हम ।

श्री परसराम मदेरणा : फोर्ट, पैलेसेज माइन्स और क्वेरीज को एक्सक्लूड किया है, यह कहा, पहले के एक्ट में माइन्स और क्वेरीज का शामिल था । फोर्ट पहले एक्सक्लूड रहा था, अब भी रहा है । यह किस कारण से रहा है । मैंने प्रारम्भ में भी निवेदन किया था, आज लैंड की डेफिनेशन है वह लैंड की डेफिनेशन आर्टिकल 31 (1) का री-प्रोडक्शन है, यों का यों पार्ट (1) डेफिनेशन का है उसका री-प्रोडक्शन है । मैं मिसाल देना चाहता हूं, उसमें वेस्ट लैंड है, कान्स्टीट्यूशन के अन्दर आर्टिकल में फारेस्ट लैण्ड भी है, लेकिन जब इन्टरप्रिटे-

(श्री परसराम मदेरणा)

शन किया गया तो हाईकोर्ट ने रेस्ट्रिक्टिव इन्टरप्रिटेशन किया है, एन्सीलियरी टू एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रेरिअन रिफार्म को आगे बढ़ाने के लिए हो। वेस्ट लैंड, फारेस्ट लैंड को भी एक्वायर नहीं कर सकते। इसलिए फोर्ट्स एण्ड पैलेसेज, प्रापर्टी दूसरी, लैंड एक्वीजीशन या एक्वायर की थी, उस पर लैंड एण्ड बिल्डिंग टैक्स को ज्यादा लिया जाय, सीलिंग आन अर्बन प्रापर्टी के तहत उसमें कार्यवाही की जाय-वह-रास्ता आपके सामने ओपन है। लेकिन अग्रेरियन रिफार्म के मेजर में शामिल नहीं किया जा सकता फोर्ट एण्ड पैलेसेज को इसमें लैंड की डेफिनेशन का री-प्रोडक्शन कान्स्टीट्यूशनल प्राविजन यों का यों किया है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के अन्दर एस्टेट के मामले को लेकर चैलेंज हुआ है और जहां जहां उनकी जो माइन्स हैं, माइन्स का मैटर आया। तो राजाओं और एक्स रूलर्स के पास न क्वेरी हैं, न माइन्स हैं। अगर नहीं है तो मैं डेफिनेशन में रखूं-उसकी आवश्यकता नहीं है। तो भी सुप्रीम कोर्ट के 1967 के जजमेंट में लिखा है, एस्टेट में माइन्स एण्ड क्वेरी नहीं आयेंगे। नहीं आयेंगे तो प्राटेक्शन नहीं मिलेगा 31 (1) में, इस लिए रखने की जरूरत नहीं थी। ऐसी प्रापर्टी नहीं है, इसलिए माइन्स एन्ड क्वेरी को सम्मिलित नहीं किया गया है।

दूसरे कल्टीवेटरी पजेशन की बात है। एक बात कही है, सेक्शन 6 में जिस तरह स्कीम्स आफ थिंग्स है, किसी लैंड ओनर के खातेदार थे और टिनेन्ट थे, या टिनेन्ट और खुदकाश्त थे तो लैंड ओनर के खातेदार टिनेन्ट बन गये। इस प्रकार का प्रावधान है। उसके दायरे में रखना चाहिये था। अगर ऐसा प्रावधान रखते कि जो कोई बैठा हुआ है, उसकी खातेदारी मिल जाती। इसका मतलब यह होता, वह लोग जो हैं, रिकार्ड में दर्ज हैं, रेवेन्यू रिकार्ड में, जो रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज हैं, वह वेस्टिंग की डेट से पहले और लॉ के एन्फोर्समेंट के पहले खातेदार वह रिकार्ड हैं। तो इस प्रकार के खातेदारों को, क्योंकि पहले से बैठे हुए थे और उनके पास जमीन लैंड ओनर की पहले थी, उनको पहले तो यह माना है, खातेदार, लैंड ओनर के खातेदार टिनेन्ट बन जायेंगे, ज्योंही लैंड ओनर का इन्ट्रेस्ट और टाइटल वगैरह एक्वायर हो जायगा तो गवर्नमेंट के सीधे खातेदार हो जायेंगे....

श्री केदारनाथ : स्टेप इन कर जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट के सीधे खातेदार हो जायेंगे। जब उनको माना है, दूसरे उन्होंने एन्टीसिपेटरी ट्रान्सफर किये हैं। 1954 में मालूम हो गया, इस प्रकार का कानून बनाया जा चुका है और हाईकोर्ट में चेलेंज हो गया है, उसके बाद कोई ट्रांसफर करते हैं तो वह ट्रांसफर नल एण्ड वोइड है। वह सरकार में जमीन एक्वायर होती है और सरकार खुद अलाट करती तो इस प्रकार के एन्टीसिपेटरी ट्रान्सफर, यह सोचकर कि कानून बन गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, एन्टीसिपेटरी इस प्रकार के ट्रान्सफर के सम्बन्ध में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मामले में होल्ड किया है, रेट्रोस्पेक्टिव इस प्रकार के ट्रान्सफर नहीं माने जायेंगे। इस प्रकार का प्रावधान हमने रखा है।

1964 में राजाओं ने रिट पिटीशन से इस कानून को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था

(98)

(श्री परसराम मदेरणा)

और 1964 में स्टे आर्डर मिल गया था। जो दलील दी गई, आठ का उसमें था तो उनकी प्रापर्टी एक्वायर नहीं की जाती, 1964 में, उसका जजमेंट 1969 में हुआ है, वह मैं लाया हूं स्टे आर्डर, इसका मतलब है कि 12 राजा बच गये थे, उनके मामले में एक्शन होता तो जो 8 के मामले के अन्दर स्टे आर्डर जारी किया गया था, उनके साथ यह 12 और चले जाते। और दूसरे आठ में जिस तरह से जिनको स्टे मिल गया, वह उन्हें भी मिलता। अब डेट आफ वेस्टिंग के बाद जो प्रापर्टी राज्य सरकार में वेस्ट होनी चाहिए, उसका तखमीना भी बनाया है, सभी स्टेट में 50 हजार एकड़ के आस पास, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है दो सौ, चार सौ एकड़ का, वह वेकेन्ट है, जो लैंडलैस को अलाट किया जा सकता है 16000 एकड़ के आस-पास ऐसी लैंड है जिस पर टिनेन्ट के खातेदारी राइट एक हो गये हैं। 31000 एकड़ के आसपास ऐसी लैंड है जो एक्स रूलर्स के खुदकाश्त की है और 13-4-64 से लेकर 1-9-64 तक जिनके ट्रान्सफर को रिकग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन इनको भी मैं एन्टीसिपेटरी ट्रान्सफर के रूप में मानता हूं। उनको मालूम था, कुछ प्रापर्टी, में से वेस्ट हो सकती है गवर्नमेंट के अन्दर, 7230 कुछ एकड़ है जिसको इस बीच में ट्रान्सफर किया, आपने कहा कि रिकग्नीशन वर्ड क्यों यूज किया है। वह इसलिए किया है कि राजा की खुदकाश्त लैंड एक्वायर नहीं कर सके, वह सीलिंग में आयेगी। जिसमें पर्सनल कल्टीवेशन करते हैं, पर्सनल कल्टीवेशन की कोई जमीन यदि उसने बेच दी है, वह दोनों पार्टी के बीच में है, हम उसे रिकग्नाइज नहीं करेंगे। वह पार्टी जाकर जिस तरह करना चाहती है करे, उस वक्त इल्लीगल नहीं था, 13-4-64 से लेकर 1-9-64 के बीच में कानून था, उस कानून के अन्दर इस प्रकार वेस्ट होने का प्रश्न नहीं था। वेस्ट 1-9-64 से होना था। वेस्ट होने की सम्भावना के अन्दर ऐसी प्रापर्टी उसने डिस्पोज आँफ की है, जो गवर्नमेंट में वेस्ट नहीं हो रही थी, जहां तक हम रिकग्नाइज नहीं करते, हम दोनो पर्पज के लिए नहीं करते, यदि राजा की खुद की थी, उसकी पर्सनल थी, एक्वायरी नहीं हो रही थी और बेच दी है तो दोनों पार्टी के बीच का सवाल है। हमारे अन्दर वेस्ट होती है तो हम इसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। इसलिए वर्ड रिकग्नीशन लिखा है। हमने इसलिए रिट्रास्पेक्टिव डेट से रिकग्नाइज नहीं किया है क्योंकि यह डिफरंसीएशन null and void होता, कानून की निगाह में गलती थी लेकिन एन्टीसिपेटरी ट्रांसफर्स समझकर सरकार में पावर्स वेस्ट नहीं हुई तो इस प्रकार का इरादा लेकर ट्रांसफर्स की तो उसको हमने रेकग्नाइज नहीं किया है।

यहां पर एलाटमेंट के संबंध में एक बात कही कि राज्य सरकार एलाटमेंट नहीं कर सकेगी क्योंकि काम्पेन्सेशन ज्यादा देना पड़ेगा। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा क्योंकि संविधान में संशोधन किया गया है कि काम्पेन्सेशन के वर्ड को सब्स्टीट्यूट जब अमाउंट से किया गया, 1972 में कान्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ उसके बाद में आपने वर्ड काम्पेन्सेशन क्यों रखा ? कान्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1972 का है जिसके द्वारा वर्ड काम्पेन्सेशन अमाउंट से सब्स्टीट्यूट किया गया है, यह 1972 से है और आज जो कानून आपके सामने है, यह

(श्री परसराम मदेरणा)

फोर्स में आगया 13-4-64 से। 8 साल के बाद जो संशोधन है 1972 के आगे उसी प्रकार का प्रावधान हम डालते। मेरे पास कम्पेरेटिव स्टेटमेंट है सीलिंग की जो जमीन ले रहे हैं उसमें काम्पेन्सेशन ज्यादा है। जो स्टेट्स हम एक्वायर कर रहे हैं उसमें काम्पेन्सेशन कम है। तो जो अमाउंट हम दे रहे हैं वह रीजनेबल अमाउंट है, मार्केट प्राइस के बराबर कतई नहीं है, बहुत कम है उससे। इसलिए काम्पेन्सेशन को हम रिट्रास्पेक्टिवली डाल नहीं सकते थे क्योंकि वह संशोधन 1972 में हुआ है संविधान का।

श्री शंकरलाल (पाली) : अब हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : संविधान से होता है Deemed to have been enforced on the day the constitution of India came into force तो हो जाता लेकिन संविधान में संशोधन रिट्रास्पेक्टिवली नहीं कर सकते। मैं लिस्ट देख रहा था कि राजाओं ने कब कब जमीन बेची है। मेरे पास डिटेल में लिस्ट आई। यहां पर दौसा के बीड़ के लिए कहा गया। दो तरह की स्थिति है एक तो जो 1963 में ट्रांसफर्स किए गए हैं, उससे पहले अगर किसी ने डिस्पोज आफ कर दी है तो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद डिस्पोज आफ की है तो उस ट्रांसफर को हमने नल एण्ड वाइड माना है।

इसी प्रकार कागजों में तरमीम करके सेटिलमेंट हुआ था जयपुर में और कुछ रेवेन्यू रेकार्ड्स में इस प्रकार के इन्द्राज हुए जिसकी भी जानकारी मिली कि वे इन्द्राज नहीं होने चाहिएं और ये ट्रांसफर्स सही नहीं हैं तो इस संबंध में थोड़े दिन पहले ही कार्यवाही की गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खातीपुरा वाली जमीन ?

श्री परसराम मदेरणा : हां। दुबारा सेटिलमेंट हो रहा है वह इसलिए किया जा रहा है ताकि जो ट्रांसफर्स गलत हुए हैं......

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अनरजिस्टर्ड डाक्यूमेंट्स के बेसिज पर ट्रांसफर्स हुए हैं उनको भी न माना जाए वरना फर्जी दस्तखत से पट्टे दे दिए।

श्री परसराम मदेरणा : खातीपुरा के पास में फर्जी पट्टों का मामला है इसलिए सेटिलमेंट को रीओपन किया है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा सेक्शन 9 के बारे में कि यदि कोई भूस्वामी पजेशन नहीं दे तो पेनल्टी इम्पोज करने का प्रावधान क्यों नहीं रखा ? कलेक्टर्स फोर्सीबली उसका पजेशन ले सकते हैं। It will be opened to the Collector उसके सामने यह विकल्प होगा कि जो पजेशन नहीं देते हैं स्पेसीफाइड पीरियड के अन्दर तो कलेक्टर फोर्सीबली पजेशन ले लेगा। प्रावधान रखने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका जो प्रावधान है सेक्शन 9 ए में जिसमें पजेशन फौरन पब्लिकेशन के साथ दे देना चाहिए तमाम रूलर्स ने एस्टेट्स का पजेशन दे दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो मुझे मालूम नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां अध्यादेश पब्लिश हो फौरन देना चाहिए। what is the exact position ?

श्री परसराम मदेरणा : इस अध्यादेश निकालने के बाद में इन 21 लैंड ओनर्स के संबंध में मैंने कलेक्टर्स को परसनली बुलाकर जयपुर और अजमेर में बात की है। पजेशन कलेक्टर को स्वयं लेना है किसी नीचे के अधिकारी को नहीं। जितना पूरा रेकार्ड है वे देख रहे थे, मैं नहीं कह सकता कि पजेशन किस चीज का लिया है लेकिन कुछ कलेक्टर्स ने स्टेप्स जरूर लिए हैं और उन स्टेप्स के अन्दर दूसरा ट्रेसपासर है या नहीं, मैं कहने की पोजीशन में नहीं हूं। लेकिन पजेशन लेने के लिए वे इफेक्टिवली काम कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां तक अलवर का ताल्लुक है, मुझे जानकारी है उन्होंने एक इंच जमीन का भी कब्जा नहीं दिया है।

श्री केदारनाथ : यही हालत गंगानगर की है।

श्री परसराम मदेरणा : हो सकता है लेकिन इम्मीजिएटली पजेशन ले लें, राज्य सरकार आदेश देगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (जयपुर)?

श्री परसराम मदेरणा : जब तक रेकार्ड को दुरुस्त नहीं करेंगे तो पजेशन नहीं ले सकेंगे क्योंकि दूसरे आदमी जिनका रेकार्ड में सेटिलमेंट में नाम दर्ज होने के बाद खातेदारी के हक मिल जायेंगे लेकिन लगाने के पर्चे नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए, री-सेटिलमेंट के आदेश दिए हैं 142 में। 7 ए के संबंध में जो बात आपने कही ग्रोव्ज लैंड के संबंध में, लैंड के डेफीनेशन में ग्रोव्ज और गार्डिन्स को इन्डक्ट कराना चाहते हैं। कोई भी लैंड हार्टीकल्चर है तो वह एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिए है, एग्रेरियन रिफार्म्स के लिए या एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिए है तो उसके डेफीनेशन में आयेगी। लेकिन कुछ चीजें एक्सक्लूजिवली इसलिए लिखी है, फोर्ट्स की थोड़ी बहुत जमीन आ गई है। जहां तक मैं जानता हूं जोधपुर में किसी फोर्ट में कृषि पर्पजेज के लिए यूज नहीं की जा रही है। जैसलमेर के फोर्ट में कुछ आई है लेकिन इनकी प्राइवेट प्रापर्टी में जो मकान बन गए हैं टिनेन्ट्स हैं उनकी प्राइवेट प्रापर्टी रहेगी, इन्वेंटरीज में उल्लेख है बाकी फोर्ट कहीं नहीं है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो लैंड गांवों में इस्तेमाल आने वाली है उसको एग्रेरियन रिफार्म्स के डेफीनेशन में कवर कर सकते हैं, अर्बन एरियाज वाले कवर नहीं होंगे। इस प्रकार के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इन सबको देखते हुए लैंड डेफीनेशन रीप्राडक्शन आफ आर्टीकल 31ए संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया जाए तो फ्री फ्राम लीगल काम्प्लीकेशन्स नहीं रहेगा। ऐसी हालत में एबंडंड कॉशन के तौर पर इस डेफीनेशन को नहीं टच करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस डेफीनेशन के अन्दर वेस्ट लैंड और फारेस्ट लैंड डाला है, उसका भी रेस्ट्रिक्टिव इन्टरप्रिटेशन दिया है जिससे एग्रेरियन रिफार्म्स को इफेक्ट देने के लिए बाकी फारेस्ट लैंड को भी नहीं माना है। एस्टेट के डेफीनेशन को नहीं माना है। इसलिए इस पोरशन में कोई संशोधन करना जबकि संविधान का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उचित नहीं रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें आपने प्रोब्ज को तो निकाल दिया है खासतौर से।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य जो बात कहना चाहते हैं उसको मैं समझ गया हूं वह अपने आप ही सेक्शन 10 में आजायेगा और उसके लिये जब अपने क्लाज बाइ क्लाज बिल को लेंगे तब मैं अपने विचार इसके बारे में निवेदन करूंगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी के लिये, जनमत जानने के लिये प्रसारित किया है उसको मैं अब चेष्टा करूंगा कि वह इसे वापिस ले लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपना संशोधन इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी में जाने के लिये रेफर किया था उसे मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री रामानन्दजी अग्रवाल ने जो अपना संशोधन प्रस्ताव रखा उसको वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस बिल को जनमत जानने के हेतु प्रचलित करने के लिये संशोधन प्रस्ताव रखा था वह वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री दीपंकर ने जो अपने संशोधन प्रस्ताव जनमत जानने हेतु रखा था वह वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री दीपंकर : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं में भी अपने जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव रखा था उसको वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री गुमानमल लोढ़ा ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा जनमत जानने हेतु उन्हे उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गयी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये दिया था उसको वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने जो प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया था उसको वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं वापिस लेता हूं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपना संशोधन प्रस्ताव इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय, रखा है वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री शंकरलाल ने जो प्रस्ताव अपना वापिस लेने के लिये कहा है उसको वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभी प्रस्ताव वापस हो गये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभी तो वापस नहीं हुए। वृद्धिचन्द्रजी ने वापस अपना प्रस्ताव नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : वृद्धिचन्द्रजी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया।

विधेयक पर खण्डशः विचार एवं पारण

माननीय मन्त्रीजी विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के लिये प्रस्ताव करें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

माननीय मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : खण्ड दो पर कोई संशोधन नहीं है इसलिये इसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि खण्ड दो को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : खण्ड तीन।

श्री उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड तीन में एक में मेरा निम्न प्रस्ताव है।

"In the proposed clause (f), in the second line after the word 'including' and before the word 'waste' insert the following expression 'grave land' gardens (whether existing separately or along with some building)".

इसमें मेरा यह कहना है कि लेण्ड में ग्रेव्ज को क्यों नहीं इन्क्लूड किया इसके लिये भी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्पेशिफिकली मेन्शन करना चाहिये था। आप ऐसा नहीं करते हैं तो ग्रोव्ज लैण्ड जो है वह क्लाज दस के अनुसार एग्जेम्प्ट हो जायेगी। इसको स्पेशिफिकली मेन्शन नहीं करने की राज्य सरकार की क्या मंशा है। दूसरे फोरेस्ट लैण्ड, पास्चर लैण्ड और गार्डन्स वगैरह के बारे में जो कि स्पेशियल काइन्ड आफ लैण्ड है उसके लिये भी आपको स्पेशिफिकली करना चाहिये था। इसमें सिर्फ ग्रोव्ज लैण्ड का ही सवाल नहीं है इसीके पार्ट सैकिन्ड में दूसरा मेरा संशोधन यह है कि

"In the proposed clause (f) in the sub-clause (a) add the following at the end after the word 'Irrigation &-"or capable of being used for purposes of irrigation."

तो इसमें आप टेन्क्स वगैरह को नहीं लेते हैं इसके अन्दर उसका कारण क्या है। यह ठीक है कि आज उन टेन्क्स वगैरह से इर्रीगेशन नहीं हो रही है लेकिन कभी उनसे इर्रीगेशन हो तो सकती है इस प्रकार के केसेज कई आपको राजस्थान में मिलेंगे मैं आपके अलवर में जो विजय सागर तालाब है उसमें एक विजय मन्दिर बना हुआ है। उसमें इर्रीगेशन हो सकती है क्योंकि उसमें काफी एग्रीकल्चरल लैण्ड उसके साथ लगी हुई हैं उसमें कई वाटर गेट बने हुए हैं और जिसमें वाटर चैनल्स भी है उसके बारे में कई बार एजीटेशन भी हुए थे और इस सदन में भी उसकी चर्चा आयी थी तब यहां पर आश्वासन दिया गया था कि चूंकि यह प्राइवेट प्रोपर्टी में आता है इसलिये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी एग्रेरियन रिफार्म्स होंगे तब उस तरफ ध्यान दिया जायेगा। आज वह मौका सदन में आगया है अब उस जमीन को और विजय सागर तालाब तथा वहां पर जो है उसको अवाप्त कर लेना चाहिये। आपको इस डेफीनेशन को इस प्रकार थोड़ा वाइडर स्कोप इसका देना चाहिये था ताकि यह इसमें इन्क्लूड हो जाता। बस दो ही मेरे संशोधन क्लाज तीन में है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लाज में फोरेस्ट लैण्ड whether existing separately or along with some building.

स्पेसिफिकली डेफीनेशन के लिये कहा वह तो मैं समझता हूं इसमें कवर हो जायेगा और दूसरे जो इसमें कवर नहीं होते हैं जैसे टेन्क्स हैं चैनल्स आफ वाटर, और रिवर्स वगैरह के बारे में है उसके लिये सेपरेटली डेफीनेशन में मेन्शन किया गया है। क्योंकि वह इसमें कवर नहीं होता इसके लिये पहले ही जब लैण्ड रेवेन्यू के बारे में बिल्स लाया गया था तो वह उसमें कवर हो जाता है। अब यह जो ग्रोव्ज लैण्ड वगैरह है टिनेन्सी एक्ट के अन्दर आ गये हैं लेकिन इस प्रकार के जो गार्डन्स वगैरह के बारे में जहां तक सवाल है वह इस एग्रेरियन डेफीनेशन के बारे में लॉ डिपार्टमेंट की यह राय है कि गार्डन्स इसमें कवर नहीं होंगे। इस डेफीनेशन से इसको एक्सक्लूड किया गया है। पिछली दफा भी सदन में यह बात हुई थी तो हमने यह कहा कि ग्रोव्ज लैण्ड गार्डन जो कि बिल्डिंग के अन्दर वह इसमें कवर नहीं होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो आपके नोटिस में लाया हूं कि राजाओं के जो महल वगैरह जहां बने हुए हैं वहां पर इस प्रकार की जमीनें करीब 100 बीघा तक के रकबे इस तरह की बिल्डिंग्ज में हैं, जहां की खेती होती है इसलिये इसको भी आप इसमें शामिल करें तो ठीक रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : 'Land' means any land held or let for purposes of agriculture or for purposes ancillary thereto including waste land, forest land, land for pasture or sites of buildings and other structures occupied by cultivators of land, agricultural labourers यह होर्टीकल्चर में यह ग्रोव्ज लैण्ड आती है अब बिल्डिंग्ज के साथ में जो बाग वगैरह हैं वह इसमें कवर नहीं होते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर में बीकानेर महाराजा के 27 मुरब्बे जमीन है उनकी केपेसिटी 100 मुरब्बों की जमीन के बराबर है इसी प्रकार कोटा महाराजा की दो सौ एकड़ जमीन सभापति महोदय, है उसमें उनका बिल्डिंग बना हुआ है तो फिर यह तो एक्जेम्प्ट् हो जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अगर उसमें कैपेबिलिटि सेट हो एग्रीकल्चर के काम में लेने की तो उसमें कवर होगा····

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है।

श्री केदारनाथ : सीलिंग तो मैं··

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये मेरी बात को। जितना यहां पर इस बिल का उद्देश्य है वह केवल एक ही उद्देश्य है कि एग्रेरियन रिफार्म्स को कैरी आउट करने के लिए यह बिल लाया गया है। जो एग्रेरियन रिफार्म्स कैरी आउट करने के लिए कोई भी प्रसेंट द्वारा जिनको नहीं एक्वायर करें तो यह दूसरी बात है। लैंड की डेफीनेशन में इन्क्लूडेड है गार्डन और ग्रोथ। तो ग्रोथ किया है, ग्रोथ लैंड नहीं किया है। गार्डन एण्ड ग्रोव्ज का मतलब क्लस्टर आफ ट्रीज है ला में। कोई ट्रीज होगी तो उस आदमी को अगर हम एक्वायर करेंगे तो कम्पन्सेशन देना पड़ेगा, बाकी रेस्ट आफ दी लैंड एक्वायर की जा सकती है।

श्री केदारनाथ : गार्डन तो कहीं जोड़ दीजिए। इट आलसो इन्क्लूड्स।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जोड़ नहीं सकता। मैंने डेफीनेशन को री-प्रोडक्शन आफ कांस्टीट्यूशन किया है आर्टिकल का और जो मुझे राय दी गई है क्योंकि पहले जो प्रोवीजन है उनको भी एक्सक्लूड इसीलिए किया है इन्क्लूसिव में जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 30 (1) (ए) में कहा है, यह तो आर्टिकल 14 उसको एक्सट्रेक्ट करता है बाकी प्रोटेक्शन है इन सारी एस्टेट के ऊपर जो एक्वायर की जा सकती है। जब जब एस्टेट के ऊपर आर्टिकल 30 (1) (ए) का टकराव होता है और वह एस्टेट की डेफीनेशन में और एस्टेट जो आज हम एक्वायर करने जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में दूसरी कोई डेफिनेशन डाल देना मैं समझता हूं कि फ्री फ्रोम डाउट नहीं रहेगा और स्क्रूटनि में जो लैंड की डेफीनेशन दी गई है पार्ट ए में वह हमने कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल को री-

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रोड्यूज किया है और उसमें किसी प्रकार का इस वक्त संशोधन करना उचित नहीं होगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप बाग बगीचों को डिफाइन कर दीजिये। जहां फल वगैरा के दरखत हों वहां तो ठीक है लेकिन दो सौ बीघा जमीन भी बाग बगीचा नहीं हो सकती उसको डिफाइन कर दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : यूज आफ लैंड और किस प्रकार के यूज में पुट अप किया है यह तो रिकार्ड से मालुम होगा कि किस यूज में है। यहां डिसिजन डिटरमिन नहीं कर सकते हैं कि इसमें खेती के काम में लेते हैं या दूसरे काम में। पिछली दफा यह भी रखा था कि शिकार के राइट के बारे में, फिशिंग के राइट के बारे में डिलीट कर दिया इसलिए वह उनका प्रिविलेज प्रोविजन रहा है कांस्टीट्यूशन में, इसलिए उसको डिलीट कर दिया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : रेवेन्यू रिकार्ड में गार्डन है और पैदा कर रहे हैं गेहूं।

श्री परसराम मदेरणा : In order to carry out the Agrarian reforms द्वारा यह यूज में लाना चाहते हैं। किसी व्यक्ति की प्रोपर्टी नहीं ले सकते लेकिन चूंकि एग्रेरियन रिफार्म की परिभाषा है There is great difference between the Agrarian reforms and land reforms.

यह सुप्रिम कोर्ट ने तीन चार केसेज में, मामलों में अपने जजमेंट में इस बात का उल्लेख किया है और क्योंकि एग्रेरियन रिफार्म है, एग्रेरियन रिफार्म किया है हमारा उद्देश्य क्या है यह इसमें रख दिया है और हम क्यों एग्रेरियन रिफार्म करना चाहते हैं यह भी सेक्शन (7) में रखा है। एग्रेरियन रिफार्म के लिए जिस एस्टेट को हम एक्वायर करेंगे वह परपज क्या है यह सेक्शन 11 (ए) में बहुत क्लियर बताया गया है। यह परपज क्या है मंशा क्या है यह ट्रायल टू ट्रायल रखा है। इण्टरपिटेशन के द्वारा जो बात सामने आई है उसको प्रोटेक्शन देते हुए ताकि किसी तरह से लॉ के अन्दर स्ट्रक डाउन न हो सके, मैं समझता हूं कि लैंड की डेफीनेशन में जो संशोधन अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

दूसरा संशोधन रखा है उन्होंने और वह है क्लाज 3 (ए) में :

"or capable of being used for purpose of irrigation."

सैकिंड पार्ट के अन्दर इसलिए कर दिया गया, यह भी एग्रेरियन रिफार्म्स को और एग्रीकल्चर परपज के लिए unnecessary two irrigation channels, टैंक्स वगैरा इसलिये हम एक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन जो तालाब आज न तो इर्रीगेशन कर सकते हैं और न जिसके बेड में कल्टीवेशन होता है लेकिन आने वाले किसी समय में उनका यूज होगा तो जब इर्रीगेशन होगा तो उसमें आ ही आयगा। कैपेबिलिटि में अनसरटेनन्टी का अलाइन्मेंट बीच में डालना चाहते हैं, पूरा क्लाज (ए) जो है इसको मैं

(श्री परसराम मदेरणा)

इस अनसरटेन्टी में डेफिनेशन में डालना उपयोगी नहीं समझता हूं, इसलिए मैं इसे भी एक्सेप्ट करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य वापस लेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : I press for this.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975 के खण्ड 3 में जो संशोधन अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किए गए।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमिसुधार तथा भू-स्वामियों की भू-संपदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975 के खण्ड 3 को स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा निम्न संशोधन प्रस्तुत किए गए:—)

Clause 4

(1) Replace section 7, sought to be inserted by chapter IV in clause 4, by the following namely:-

"(7) Acquisition of estates:- On the date of the commencement of this Act all estates of the land owners in the State shall vest in the State Government."

(2) In proposed clause 7 A, in part (i),

(a) omit the word "no" occurring in the beginning,

(b) the word" recognised for any purpose of this Act" occurring in line fifth & sixth substitute the words" *null and void*".

(3) In the proposed new section 8 in sub-section (1) after part (g), add the following new part (h), (i) and (j), namely:—

"(h) the Land Owner shall be liable to pay to the State Government all amounts received by him on account of transfers and agreements declared null and Void *under section* 7 A;

(i) The State Government shall be liable to pay to bonafide transferee or the party in whose favour agreement was

executed by the land owner, amounts paid by such person to the land owner, in lieu of transfers or agreements declared null and void under section 7 A, out of the compensation to be paid to the Land owner;

(j) the tenants who are in cultivatory possession of the land owner's Land shall become Khatedar to the extent of ceiling applicable to such tenants under the Imposition of ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Rajasthan Act No. 11 of 1973)"

(4) In the proposed new section 10, in sub-section (1) in clause (a),-

(i) Part (i) be deleted.

(ii) In part (ii) the words included in such enclosures or house sites as are specified in clause (i) above "be deleted and the words" "in such private buildings or places of worship" be inserted.

(iii) after the words lands" in line two part (iii) be deleted.

(iv) clause (c) shall be replaced by the following, namely:

"(c) All tanks in the personal occupation of the land owner which are not capable of being used for irrigation purposes".

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस खण्ड (4) में मेरे संशोधन खण्ड (4) दरअसल चैप्टर (4) को रिफार्म करने का क्लॉज है इसके लिए जो नए क्लाजेज हैं उसमें क्लाज 7 में मेरा यह है "Replace section 7, sought to be inserted by chapter IV in clause 4, by the following namely :— (7) Acquisition of estates on the date of the commencement of this Act all estates of the land owners in the State shall vest in the State Government."

इसमें तो यह दिया हुआ है कि गवर्नमेंट जब चाहे तब कोई तारीख मुकर्रर करेगी जब उसके अन्दर वेस्ट होगी। मैं इसके अन्दर यह संशोधन करता हूं कि वेस्टिग और कमेंसमेंट में कोई फर्क नहीं रहे ताकि वह बीच का पीरियड है वह अननेसेसरिली न निकले। इसलिए कमेंसमेंट और वेस्टिग इसकी एक ही डेट एडजेस्ट करना चाहता हूं। मेरा एक तो संशोधन यह है।

दूसरा संशोधन क्लॉज 7A के अन्दर है

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज सात

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह 4 के पार्ट हैं इस बिल के। इस बिल का चार नया चैप्टर इंटरड्यूज किया है वह 7 ए है। इस 7 (ए) में मेरा प्रपोजल वही है कि जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसमें यह कहा गया है कि–ऐसे ट्रांसफर They will not be recognised for any purpose of this Act. यह जो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है इसकी बजाय यह कहा जाय जिसको पहले इसके नो शब्द उड़ा दिया जावे No transfer of any estate. इसके बजाय नो हटा कर ट्रांसफर Transfer of an estate liable to acquisition under this Act or part thereof made by the landowner on or after the date of commencement of this Act and before the date of vesting, whether by way of sale, mortgages it, exchange, lease, assignment, surrender, bequest, creation of trust or otherwise shall be null and void.

यह इसके अन्दर कहा जाय। यह मेरा इसमें संशोधन हैं।

तीसरा संशोधन मेरा इसमें जो इसका क्लॉज आठ है।

Consequences of acquisition-

इसमें मैंने (जी) के बाद आखिर में तीन पार्ट एच, आई और जे जोड़ने का सुझाव रखा है और वह इस प्रकार से है.—

(एच) The landowner shall be liable to pay to the State Government all amounts received by him on account of transfers and agreement declared null and void under sec. 7A;

इसका परपज यह है कि जैसे कि 71 में जो भी ट्रान्सफर्स सीमिलर वेस्टिंग्स से पहले या बाद में किये गये हैं उनको रेकगनाईज नहीं किया गया है। ये राइट्स null & void डिक्लेयर किये हैं अब इतना ही काफी नहीं होता। सीमिलर सेल के अन्दर से पैसा वसूल कर सकते हैं, कि अधिकारी नहीं थे, इसलिए कान्सीक्वेन्स के रूप में लायेबुल बनाना चाहता हूं जो पैसा वसूल किया गया है, सेल के रूप वेस्टिंग के रूप में या एग्रीमेन्ट के रूप में सेल मनी के रूप में सारा का सारा पैसा उनको गवर्नमेन्ट का वापिस जमा कराना चाहिए। यह इसमें में संशोधन करना चाहता हूं।

(आई) The State Government shall be liable to pay to bonafide transferee or the party in whose favour agreement was executed by the land owner, amounts paid by such person to the land owner, in lieu of transfers or agreements declared null and void under sec. 7A, out of the compensation to be paid to the Land owner;

(J) The tenants who are in cultivatory possession of the land owner's land shall become Khatedar to the....

कि जो बोनाफाइड ट्रान्सफरी है जिन्होंने कि जमीन की खरीद करली है और उन लोगों ने पैसा दिया है एक तरफ से जुर्माने से पैसा वह गवर्नमेन्ट को जमा कराये यह लायबिलिटी उनकी मैं। बढ़ाना चाहता हूं और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दूसरी तरफ उस जुर्माने का जो पैसा दे दिया था वह पैसा वापिस मिल जावे। जिन लोगों का सेक्टिव ट्रान्सफर था उन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो कई माननीय सदस्यों ने, अभी पाली के माननीय सदस्य ने और ने कही सभी ने इसकी चिन्ता व्यक्त की थी कि कोटा में एक कोआपरेटिव सोसायटी के जरिये प्लाटों को बेचा गया और एक सामान्य क्लर्क ने उनको खरीद लिया। वह भी पैसा वापिस देवे यह दोनों प्रोविजन्स इसमें नहीं रखे गये है जो मैं इसमें रखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहते हैं कि मन्त्रीजी सुनें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्य जो भी कह रहे हैं, उसको सुन रहा हूं, मैं कन्सल्टेशन में चला गया था। वह क्लाज (आई) के बारे में जो कह रहे हैं उसको मैं ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इसके जरिये आप जो प्रावधान रखना चाह रहे हैं कि वेस्टिंग डेट में जो कल्टीवेटर्स पजेशन में हैं चाहे वह किसी भी तरह से चल रहे हों, चाहे खरीद के तौर पर या लीज के तौर या किसी प्रकार से ले ली हो तो इन लोगों को to the extent of ceiling ultimately आज उनके पास है इस हद तक उनके पास रहे इस तरह की क्लाज इसमें हो यह भी ठीक नहीं होगा। इस सम्बन्ध में अभी केरल के अन्दर जो एक्ट पास हुआ है उसके जरिये जो डाइरेक्टली पजेशन है उनको राइट्स दे दिये गये हैं बजाय इसके कि वे उसका मुआवजा दें। पजेशन में हो उसको वह डाइरेक्टली टीनेन्ट बना देते हैं तो मुआवजा कम देना पड़ेगा। दूसरा, आपने पहले जो कहा था कि वेस्टिंग से नोशनल ओनरशिप अन्डर सेक्शन (6) खातेदार बन चुके हैं वह तो अब भी रहेंगे इसलिए सब-टीनेन्ट्स का प्रावधान रहा है। रूलर्स की जमीन के जो सब-टीनेन्ट्स हैं वह खातेदार नहीं बने हैं इससे वह बनाये रखना रह जायेंगे। इन सब-टीनेन्ट्स को वह राइट्स नहीं मिलेंगे।

तीसरा, जो ट्रान्सफर बाद का है उनको जो आप 11 (ए) के तहत इलिजिबल-होज इलिजिबल फार अलाटमेन्ट-अलॉट करना चाहते हैं यहीं यह परपज आपका हल हो जायगा सो उनको बेदखल नहीं करें। अगर ऐसे लोग हैं तो उनको पजेशन देकर के खातेदारी राइट्स दे दिये जायं तो इससे परपज हल हो जायगा। मैं चाहूंगा कि जो जमीन कल्टीवेटर के पजेशन में है और कल्टीवेट हो रही वह अगर पजेशन में है, खरीद करली है तो उनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिए वे टिलर आफ दी सोइल- उनको खातेदार डिक्लेयर किया जाना चाहिए - They should be declared.

इसके बाद जो इसका क्लोज 10, सेक्शन 10 है चेप्टर (4) में इसमें मैंने जो एग्जम्पशन्स प्राइवेट टीनेन्टस और बिल्डिंग वालों को वगैरह जो है इसमें (ए)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का जो फर्स्ट पार्ट है इसको पूरा का पूरा डिलिट करने के लिये मेरा अमेन्डमेन्ट है:

(i) part (i) be deleted;

All open enclosures in possession of the land owner ..

अब यह ओपन एन्क्लोजर है, इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग हेट नहीं वह एग्रीकलचर के लिए इस्तेमाल हो तो वह लैण्ड रिफार्म्स के लिए इस्तेमाल हो नहीं सकती—मैं समझता हूं कि यह इस बिल के परपज से कन्ट्राडिक्टरी होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि सब पार्ट (ए) का जो पार्ट है इसको डीलिट कर दिया जाना चाहिए। जो सेकिन्ड पार्ट है, मेरी अमेन्डमेन्ट जो साइक्लोस्टाइल हुई है ऐसा लगता है कि साइक्लोस्टाइल में गलती हो गई है वह है—

After the word 'land' included in such enclosures or house sites as are specified in in clause (i)........above be deleted and the word 'In such private buildings or places of worship' be inserted........

यह मेरा अमेन्डमेंट है। इसका मकसद यह है कि हमें केवल, इसमें जो आपने....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, यह जो अमेन्डमेन्ट है I have been informed by the office that this amendment has been rejected by Hon'ble Speaker.

श्री रामानन्द अग्रवाल : It has been circulated and this is not in the form in which you are reading.

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जिस फोर्म में है न तो वह, न दूसरा क्लाज ही है, अपनी मन्शा बता रहे हैं मगर....

श्री रामानन्द अग्रवाल : They have changed it. What I have said is different ?

श्री उपाध्यक्ष : That has been rejected.

श्री रामानन्द अग्रवाल : To accept a senseless thing is...

श्री उपाध्यक्ष : That might have been the reason of rejection also.

श्री रामानन्द अग्रवाल : It has been circulated in a wrong way it has got no sense. It has been wrongly typed and wrongly cyclostyled.

इसमें ये शब्द ऊपर लिखे हुए हैं—

after the words 'land'. it has no sense. I have redrafted this clause—

जिसमें ये शब्द हैं—

included in such enclosures or house sites as are specified in clause...

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसके बजाय है In such private buildings or places of worship इसको इन्सर्ट करना चाहिए।

क्लाज 3 all private wells and buildings belonging to or held by the landowner or any other person, and

इसको मैं बिलकुल डिलीट करना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी इस पर पुन: विचार करें। सिर्फ ग्रोज कहा है। ग्रोअर लैंड नहीं कहा है। दौसा में दरख्त खड़े हों पूरी जमीन पर उनको आप एक्जम्प्ट करना चाहते हैं। टेक ओवर नहीं करना चाहते हैं। उसको एक्जम्प्शन देने का क्या कारण है? लैंड की डेफिनिशन में आ सकता है। ग्रोवर लैंड का मतलब यह है कि दरख्तों की जमीन। इसका मतलब यह है-

the land which is covered by bunch of trees.

फसल नहीं हो सकती है। दरख्त खड़े हैं। ग्रोज को छोड़ना है इसका मतलब ग्रोव लैंड को छोड़ना है। माननीय मंत्रीजी इस तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं और आपका इससे मकसद हल नहीं होगा।

क्लाज (सी) को मैंने रिड्राफ्ट किया है। उसमें ऐसा है-

All tanks in the personal occupation of the land owner and used solely for irrigating the land referred to in sub-section (2) of section 6.

All tanks in the personal occupation of the land owner which are not capable of being used for irrigation purposes."

इर्रीगेशन परपजेज के लिए यदि इस्तेमाल हो सकता हो तो एक्जम्प्ट करना नहीं चाहिये। ये मेरे अमेन्डमेन्टस हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा: उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लाज 4 का जो सेक्शन 7 है उस पूरे सेक्शन को एक नये तौर से सबस्टीचूट करवाना चाहते हैं उसके लिए उनका अमेन्डमेन्ट है। वह यह है-

"Acquisition of estates-On the date of the commencement of this Act, all estates of the land owners in the State shall vest in the State Government."

पहले एक्ट की स्कीम थी उसमें कमेन्समेन्ट की एक तारीख थी 13-4-64 और वेस्टिंग की दूसरी तारीख थी 1-9-64। ये अपने इस संशोधन के द्वारा 13-4-64 को शिफ्ट होना चाहते हैं 1-9-64 से जिस दिन यह कानून फोर्स में आया था, on the date of the commencement of the Act.

माननीय उपाध्यक्षजी, इस संशोधन को स्वीकार करने में मेरे सामने कुछ असुविधाएं हैं वह यह है कि मौजूद सेक्शन 7 में है—

"As soon as may be after the commencement of this Act,

(श्री परसराम मदेरणा)

the Government may for the purpose of carrying out agrarian reforms in accordance with the provisions....''

जो सेल आउट की गयी है, मेजर्स आफ एग्रीगेरियन रिफोर्म्स, यह ऑटोमेटिकली प्रोमिट हो जावेगा यदि उनका संशोधन मान लेते हैं। दूसरा शिफ्ट कर रहे हैं डेट में, कमेन्समेन्ट की ओर वैस्टिंग की दो अलग 2 तारीखे हैं और पूरे एक्ट की स्कीम ऑफ थिंग्स को वैसा रख रहे हैं। माननीय सदस्य के परपज को उससे पूरा कर दिया गया है। दोनों के बीच के पीरियड के ट्रान्सफर को रिकोग्नाइज नहीं किया है। 7 (ए) के (1) से स्पष्ट है। माननीय सदस्य इसको सबस्टीचूट करना चाहते हैं, वह तो कोर्ट में चैलेन्ज किया जा सकेगा और मेलाफाइडी इन्टेनशन का चार्ज भी लगाया जावेगा। वेस्टिंग की डेट को चेन्ज करने से मेलाफाइडी इन्टेशन के चार्ज से बच नहीं सकेंगे। कोर्ट के द्वारा यही इन्टरप्रेट किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I don't insist for this, as far as this part is concerned.

श्री परसराम मदेरणा : and is a consequential amendment. When I don't accept this amendment now can I accept the other.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I am pressing the other.

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज 4 में सेक्शन 7 का अमेन्डमेंट किया है उस पर इन्सिस्ट नहीं कर रहे हैं, (ए) में जो किया है वह कान्सिक्वेन्शियल है मैं पहले ही कह चुका हूं कि दोनों डेट्स के बीच के पीरियड के ट्रान्जेक्शन को नल एन्ड वायड नहीं मानते हुए ऐसे ट्रान्सफर्स को सरकार रिकोग्नाइज नहीं करेगी। ट्रान्सफरेबल एन्ड इनहेरेन्ट राइट इस बीच में ट्रान्सफर की है नल एण्ड वायड उस पीरियड में नहीं थी इसलिए कैसे कह दें कि Null and Void हैं। ऐसी एस्टेट जो हमारे में वेस्ट होती और राजा के पास नहीं होती उसके ट्रान्सफर को रिकोग्नाइज नहीं किया है। रिट्रोस्पेक्टिवली इसको मान लें यह उचित नहीं है।

सेक्शन 8 आप कहते हैं कि जो कुछ भी कम्पन्सेशन मिले जो कुछ भी ट्रान्सफर से अमाउन्ट रूलर के पास आवेगा वह स्टेट को पे कर दिया जावेगा। एक तरफ नल एन्ड वायड मानते हैं तो हमको कैसे ट्रान्सफर कर देंगे? नल एण्ड वायड में कोई कन्सीडरेशन रहता है तो हम उसको कैसे मान लेंगे?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसका मतलब यह है जैसा 11 में किया है, लगान वसूल करने का अधिकार नहीं था, करलें तो वापिस देना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : वेस्ट होने के बाद जिस किसी आदमी से किया ऐसा तो चूंकि वह प्रोपर्टी हमारे में वेस्ट होती हैं इसलिये हमें मिलता हैं हमने कानून को रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से लागू कर दिया है तो उसने लिया वह हमारा है। जिसको हम

(श्री परसराम मदेरणा)

नल एण्ड वायड मानते हैं तो डेडलाक वह नहीं ले सकता था। रिट्रोस्पेक्टिव अमेन्ड-मेंट किया है किसी से किराया लिया रेन्ट लिया, एग्रीकल्चरल या नोन एग्रीकल्चरल परपज के लिये जमीन दी थी, वह हमारे पास आना चाहिये क्योंकि वह वेस्ट हमारे में हो गयी है।

आपका दूसरा अमेन्डमेन्ट यह है—

"The State Government shall be liable to pay to bona-fide transferee or the party in whose favour agreement was executed by the land owner, amounts paid by such person to the land owner, in lieu of transfers or agreements declared null and void under sec. 7 A, out of the compensation to be paid to the land owner बोनाफाइड था वह तो टिनेन्ट था और टिनेन्ट था तो सेक्शन 6 के अन्दर टिनेन्ट हो गया और जो टिनेन्ट उसका है वह खातेदार हो गया। उसके बादमें तो हमने ट्रान्सफर भी नहीं माना फिर कौन सा बोनाफाइड रह गया? कोई भी अमेन्डमेन्ट होगा तो सेक्शन 6 में तो सोचा जा सकता था कि ऐसा अमेन्डमेन्ट हो सकता था लेकिन सेक्शन 6 में अमेन्डमेन्ट नहीं है तो यह अमेन्डमेन्ट करना मैं समझता हूं कि उपयुक्त नहीं होगा।

अब रहा प्रश्न Amounts paid by such person to the land owner, in lieu of transfers or agreements declared null and void........"

अमेन्डमेन्ट इस प्रकार का लीगली तो पासीबल हो सकता था क्योंकि हमने सीलिंग में ऐसा प्रावधान रखा है लेकिन सीलिंग के अन्दर छोटे छोटे किसान बहुत ज्यादा थे इसलिए वह सिविल सूट के जरिये प्रोपर्टी रिकवर नहीं कर सकते थे। उन्होंने लिमिटेड आदमियों को किया है और राजाओं की जो भी एस्टेट एक्वायर हो जायेगी उसके बादमें भी इनके पास बहुत प्रॉपर्टी है और सिविल कोर्ट में जाकर जो राजाओं को अमाउन्ट दिया है वह सिविल डिग्री के जरिये वह उनसे वसूल करे और बोनाफाइड ट्रान्सफर हम नहीं मानते क्योंकि सब ट्रान्सफर्स को हम नल एण्ड वायड मानते हैं इसलिए इस संशोधन को भी मैं एक्सेप्ट करने में असमर्थ हूं।

कल्टीवेटरी पजेशन की बात आपने कही। कल्टीवेटरी पजेशन के अन्दर यह जो टर्म आप यूज कर रहे हैं यह फ्री फ्रॉम डाउट नहीं है क्योंकि कल्टीवेटरी पजेशन को जो ट्रान्सफर किया है, मैं लिस्ट देख रहा हूं ज्यादातर इनके रिलेटिव्स, कामदार या दूसरे लोग हैं और कल्टीवेटरी पजेशन में वह भी हैं, एक बोनाफाइड ट्रांसफरी भी हो सकता है और बोनाफाइड ट्रान्सफरी के बारे में जब तक यकीन नहीं हो कि यह बोनाफाइडी ट्रान्सफरी है तब तक हर आदमी को कल्टीवेटरी पजेशन से खातेदार कन्वर्ट कर दें और खातेदार हो नहीं सकता क्योंकि वह होता तो सेक्शन 6 में होता और 6 में कन्फर होता है। दूसरे आपने कहा है कि अगर उसके पास ज्यादा जमीन है तो सीलिंग में ले ली जायेगी। जब लागू तो कर रहे हैं इसको रिट्रोस्पेक्टिवली डेट से, जब सीलिंग कानून 1973 का बना था ··

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल्टीवेटरी पजेशन वाले को मैं प्रेस नहीं करता।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे अब आपका जो संशोधन है वह सेक्शन 10 में है। सेक्शन 10 में एन्क्लोजर के सम्बन्ध में है। एन्क्लोजर के संबंध में जो आपका संशोधन है पर्सनल कल्टीवेशन में जो भी लैण्ड है वैसे तो लैंड ओनर को सेक्शन 6 में खातेदार मान लिया गया है और अगर किसी भी खातेदार के पास में एग्रीकल्चर परपजेज के लिए कोई एन्क्लोजर है तो इस प्रकार के एन्क्लोजर को ही जो खेती के काम में आता है उसको फिर एक्वायर करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। इसलिए एन्क्लोजर के क्लाज को डिलीट करने का जो संशोधन रखा है सेक्शन 10 (ए) में इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

दूसरे अब मैं (ए) (ii) पर आता हूं। वह कान्सीक्वेन्शल है। जब मैं पहला ही स्वीकार नहीं कर सकता हूं तो इसको एक्सेप्ट करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तीसरे, आपने टैंक्स के बारे में बात कही। टैंक प्योरली इर्रीगेशन परपजेज के लिए हो और जो सेल्फ कल्टीवेशन करता हो लैण्ड ओनर तो उसको एक्वायर करने का प्रश्न नहीं है। इर्रीगेशन परपजेज के लिए जैसे सरदार समन्द की बात पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा तो वह तो लैण्ड की डेफीनेशन में बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि जो टिनेन्ट बैठे हैं राजाओं के यहां तो ज्योंही लैण्ड ओनर का टाइटल समाप्त हो गया तो सरकार का टिनेन्ट बन गया। अब सरकार के टिनेन्ट के खेत में कहीं से पानी आ रहा है किसी भी तालाब से तो उसका पर्सनल कल्टीवेशन का टैंक नहीं रहा। कोई छोटे टैंक होंगे राजाओं के पजेशन में ...

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज का बिजनेस समाप्त हो तब के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि आज का बिजनेस समाप्त हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

(सदन का समय बढ़ाया गया)

श्री परसराम मदेरणा : इन्होंने अमेंडमेंट यह किया है—

"All tanks in the personal occupation of the land owner which are not capable of being used for irrigation purposes."

एक तरफ तो आपने सेक्शन 6 में खातेदार माना है और पर्सनल आकुपेशन के लिए जिस टैंक से वह खेती करता है उसको तो मत रखो और ऐसे टैंक को दे दो कि जो खेती के काम नहीं आते हैं तो फिर वह खेती किससे करेगा ? इसलिए यह स्प्रिट ऑफ दी बिल के विपरीत है और इस प्रकार के जो टैंक जो खेती के काम में नहीं आते हैं और इर्रीगेशन के बिल्कुल काम में नहीं आते हैं वह लैण्ड की डेफीनेशन में नहीं आते हैं। अगर कोई भी ऐसा टैंक आए वह एग्रीकल्चर परपज के लिए नहीं है तो लिया ही नहीं जा सकता। यह हमने एग्जामिन करवा लिया है इसलिए इस संशोधन को भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री मनोहर कोठारी : मन्त्री महोदय से एक स्पष्टीकरण मैं यह चाहता था कि यदि किसी टैंक से जागीरदार या राजा की खुद की जमीन इर्रीगेट होती है तो इर्रीगेशन तो होता है, उससे छोटे दूसरे और किसी काश्तकार को पानी नहीं मिलता है तो ऐसे टैंक तो इर्रीगेटेड टैंक की श्रेणी में आने चाहिए और एक्वीजीशन में लाये जाने चाहिएं।

श्री परसराम मदेरणा : पर्सनल कल्टीवेशन जहां पर हो रहा है और दूसरे किसी का इर्रीगेशन नहीं हो रहा है, वह तो नहीं लिया जा सकता। इनकी मांग यह नहीं है। इनकी मांग तो यह है कि जो इर्रीगेशन परपजेज के लिये काम में नहीं आता है उनको अवाप्त कर लेना चाहिये। वह मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री मनोहर कोठारी : इर्रीगेशन परपजेज के लिये जो टैंक्स काम में आते हैं, और केवल राजाओं की जमीन का ही इर्रीगेशन उसका होता है, तो टेक्नीकली तो वह इर्रीगेशन के काम में आता है, ऐसे तालाबों का दूसरे लोग भी उपयोग कर सकें, उससे दूसरे लोगों को भी पानी मिल सके इर्रीगेशन के लिये, ऐसे तालाबों को ले लेना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा नहीं है। उदयपुर में कई तालाब ऐसे हैं जहां केवल पन्द्रह बीस बीघा का ही इर्रीगेशन होता है। पन्द्रह पन्द्रह बीघों के तालाब भी हैं जिनसे पर्सनल कल्टीवेशन होता है, वह तो सीलिंग के अन्तर्गत भी उनके पास ही रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, वह स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खंड 4 स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 लगायत खण्ड 8 स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 लगायत 8 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम एवं प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम एवं प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

माननीय मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि-सुधार तथा भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975 पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान भूमि सुधार तथा भू स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति (संशोधन) विधेयक, 1975 सर्व-सम्मति से पारित हुआ।

राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1975

राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1975)

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया]

" यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश सं. 25 सन् 1974) को अस्वीकार करता है। "

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार अध्यादेश के जरिये किसानों पर यह सीधा कर लगाया है....

श्री मीठालाल : टेड़ा कर है यह तो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में कहा गया है कि वर्ष 1974-75 के दौरान तथा उनके पश्चात् अतिरिक्त साधन जुटाने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया कि विधि द्वारा विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक फसलों के अधीन समस्त भूमियों पर, सिंचित असिंचित भूमि का ध्यान रखते हुए ऐसी दरों से उपकर उद्ग्रहीत किया जाये जो, जैसा समय समय पर वह नियत करे, रु. 9 प्रति एकड़ से अधिक न हो।

यहां अध्यादेश का विरोध मैं इसलिये कर रहा हूं कि पहले के अध्यादेश में तो आपने 11 वर्ष पहले उस बिल को हाई कोर्ट में चेलेंज किया और हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, उसको ठीक करने के लिये निकाला, पर इस अध्यादेश से तो सरकार ने सीधा किसानों पर टैक्स लगाया है।

(5.06 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

आज सरकार द्वारा लगाती है कि जय जवान, जय किसान। लेकिन इस अध्यादेश से लगाये गये जो टैक्स है, उसमें छोटे किसानों को भी छोड़ा नहीं गया है, उनको भी छूट नहीं दी गई है। यदि कोई टैक्स राजस्थान के ऐसे भूमिपतियों पर लगाई जाती जिनके पास बड़े बड़े फार्म्स हैं, तब तो मैं समझता हूं बात दूसरी होती।

मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट के अन्दर आप जितनी मर्जी आये उतनी टैक्स लगाते, पर बजट सत्र समाप्त हो गया और दूसरे बजट सत्र का इन्तजार नहीं करके अध्यादेश के जरिये किसानों पर आपने टैक्स लगा दिया, इसको सराहनीय कदम नहीं कहा जा सकता। निवेदन करना यह है कि छोटे किसानों को कोई राहत नहीं है। यह गन्ने पर कर, कपास पर कर, मिर्च पर कर, जीरा और धनिया पर कर, सौंफ और मूंगफली पर कर, राई, तिल, अलसी, सरसों, अरण्डी, तारामीरा, आलू, तम्बाकू और पोस्त पर कर। इसके अतिरिक्त सरकार ने पहले लेवी लगाई गेहूं पर फिर बाजरे पर और फिर लगाई जो और चने पर।

श्री परसराम मदेरणा : कहां लगाई ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लगायेंगे। आपने घोषणा की है। आपकी मन्शा यही जाहिर होती है।

श्री मीठालाल : आशंका है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब किसान गेहूं पैदा नहीं करे, बाजरा पैदा नहीं करे ज्वार पैदा नहीं करे, जौ पैदा नहीं करे, और करे तो उस पर लेवी, फिर कोई इन सब चीजों से बच कर अन्य चीज पैदा करे, तो उस पर भी आपने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। 9 प्रतिशत का जो इस प्रकार टैक्स लगाया है वह टैक्स भी लैंड रेवेन्यू के साथ देना पड़ेगा और जैसे लैंड रेवेन्यू वसूल किया जाता है उसी प्रकार इस टैक्स को भी वसूल किया जायेगा। तो यहां पर मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान का जो किसान है, जिस पर पहले ही इतने भार हैं, उस पर आपने यह टैक्स अध्यादेश के जरिये से लगाकर उचित नहीं किया है। इस अध्यादेश का मैं विरोध करता हूं और मेरा संकल्प है कि इस अध्यादेश को वापिस लिया जावे।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति जी,...

श्री सभापति : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ : आपको (श्री कोठारी) बोलना है तो आप बोल लें।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा जो यह वाणिज्यिक फसल उपकर अध्यादेश लाया गया है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में इससे बढ़कर और कोई कदम नहीं हो सकता है...

श्री मीठालाल : अच्छा या बुरा ?

श्री मनोहरलाल कोठारी : अच्छा।

एक तरह से जहां हमारे यहां पर खाद्यान्न की कमी है और काश्तकार खाद्यान्न पैदा करने के बजाय इस प्रकार से वाणिज्यिक फसलें पैदा करने लगे और जैसा कि हमारे हवामहल की ओर से आने वाले...

श्री मीठालाल : ओर से नहीं हवा महल से।

श्री मनोहर कोठारी ... ने कहा था कि काश्तकार लेवी के कारण खाद्यान्न पैदा नहीं करना चाहता है और इस तरह की वाणिज्यिक फसलें पैदा करना चाहता है, तो मैं समझता हूं कि उनकी भावना इससे भी स्पष्ट होती है। जब देश के सामने खाद्यान्न का संकट है और काश्तकार खाद्यान्न अधिक से अधिक पैदा करने में कतराये और वाणिज्यिक फसल पैदा करे, और ऐसी फसलों से उनको लाभ भी ज्यादा है तो यह स्वभाविक है कि राज्य सरकार को उन पर टैक्स लगाना चाहिये। और यह सीधा टैक्स काश्तकार पर लगा कर जिस दृढ़ता का राज्य सरकार ने परिचय दिया है, मैं समझता हूं कि उसके लिए हमारी राज्य सरकार को हमें बधाई देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जिन फसलों का इसमें जिक्र किया गया है उनमें से ऐसी कोई फसल नहीं है जो कि सामान्य जनता की दृष्टि में उसका खाद्यान्न में कोई उपयोग हो। इसलिए मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है कि इसको राज्य सरकार वापिस ले या

Page No 118

(118)

(श्री मनोहरलाल कोठारी)

इसको निरस्त किया जाय, उस संकल्प का विरोध करता हूं और सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं।

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : सभापतिजी, राजस्थान असेम्बली की हिस्ट्री में यह पहला ही एक ऐसा टैक्स आर्डिनेन्स है कि जिसके विरोध में हमने यह संकल्प दिया है। कभी भी आर्डिनेन्स की मारफत राज्य सरकार ने आज तक कोई सेस, कोई टैक्स या कोई लेवी नहीं ली। बिना असेम्बली की बैठक बुलाये, बिना लोगों को मौका डिसकशन का दिये हुए इस प्रकार से आर्डिनेन्स के मारफत टैक्स लगाना यह अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक और अनकान्स्टीट्यूशनल है। इसमें कोई शक नहीं, सभापति महोदय कि आर्डिनेन्स लॉ का रूप लेता है चाहे वह फिस्कल हो, चाहे नॉन-फिस्कल हो। मगर टैक्सेशन का जो बेसिक प्रिन्सीपल है कि बिना असेम्बली या पार्लियामेंट में डिसकस हुए कोई नया टैक्स या लेवीज जो पहले से लगी हुई हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं या रेट को बढ़ा सकते हैं। जब तक कि नये टैक्स या लेवी के ऊपर पूरा डिसकशन नहीं हो जाता है और हर माननीय सदस्य को मौका नहीं मिल जाता है तब तक नया टैक्स या लेवी लगाना अनडेमोक्रेटिक है। हमारी पार्लियामेंट और दूसरी स्टेट असेम्बली ही हिस्ट्री में एक उड़ीसा की मिसाल मिलती है और दूसरी स्टेट्स में नई लेवी आर्डिनेन्स के मारफत नहीं लगाई गई है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने 73 में आर्डिनेन्स के मारफत लेवी लगाई थी उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ है और लोकसभा के स्पीकर महोदय की यह रूलिंग हुई थी कि जब नये टैक्स या नई लेवी लगाई जाय तो असेम्बली की बैठक बुलाई जाय और टैक्स बिना रिप्रेजेन्टेशन के नहीं लगाये जाने चाहिएं।

सभापतिजी, हमें वह दिन याद है कि यहां पर 69-70 कॉमर्शियल क्रॉप्स पर टैक्स लगाया और उस वक्त जो माननीय मुख्य मंत्री जी थे तो किसान एजीटेशन के दौरान में उन्होंने उस टैक्स को वापिस लिया। मैं बेसिकली टैक्स के खिलाफ नहीं हूं। आप कह सकते है कि सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन की रिकमेन्डेशन के बाद सारे देश के अन्दर सारी स्टेट्स ने टैक्स लगाये हैं। हरियाणा और पंजाब की आसपास की सारी स्टेट्स ने टैक्स लगाये हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स के नाम पर। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि आप अपने रिसोर्सेज को इम्प्रूव करें। आखिर कौनसी क्लासिफिकेशन आफ लैण्ड के बिना पर, कौन लोग कितना फायदा उठाते हैं एक एकड़ पर टैक्स लगाया है। जिसके पास 30 एकड़ जमीन है और कॉमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है उस पर टैक्स लगायें। इसलिए हमारा यह मकसद है कि हरियाणा, पंजाब जिसकी इरिगेशन की इन्टेन्सिटी हमसे ज्यादा है और जमीन की क्वान्टिटी ज्यादा है और जमीन वहां पर ज्यादा डेवलप्ड है उसका अनुमान करके ले लें। पंजाब और हरियाणा का अनुमान ले लें, और जब तक इस तरीके से रेशनल बेसिस न हो टैक्सेशन या सेस जो है उसको वापिस करवा लें। मेरा केवल यह ऐतराज है कि आर्डिनेन्स के मारफत नया सेस या टैक्स लगाना अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री है। यही शब्द कहते हुए मैं अपना संकल्प पेश करता हूं और इस संकल्प को, हाउस पास करे।

श्री सभापति : श्री गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सभापति महोदय, ऐसा है कि दिसम्बर 74 में यह आर्डिनेन्स लागू किया गया और हमारे······

कई माननीय सदस्य : नवम्बर ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : नवम्बर, तीन महीने पहले असेम्बली के टैक्सेशन का जो आर्डिनेन्स लाया गया है यह उचित नहीं है और जिस शक्ल में आया है उस शक्ल पर मैंने एमेंडमेंट पेश किया है, वह मैं रखूंगा । तो मेरा अर्ज करना यह है कि जो आर्डिनेन्स आते हैं उनके बारे में यहां पर हमारे अध्यक्ष महोदय, स्पीकर साहब द्वारा यह आदेश दिये गये थे राज्य सरकार को वह आमतौर से भी कोई अध्यादेश के जरिये किसी कानून को लागू न करें। अब इसमें क्या औचित्य था कि असेम्बली के 2–3 महीने पहले यह लाया गया ? वह समझ में आने वाली चीज नहीं है । जब हमारी सोसाइटी डेवलपिंग है तो टैक्स तो लगेंगे ही और टैक्स जो उचित तरीके से लगे उसमें हमारा पूरा समर्थन है । जब विकास होगा तो कठिनाइयां हमको झेलनी पड़ेंगी और टैक्स भी देना पड़ेगा और यह भी सही है और यह नजरिया भी सही है । हम लेवी लेते हैं तो यह धमकी दी जाती है कि साहब हम इसमें कॉमर्शियल क्रॉप्स करेंगे और यहां पर बजाय इसके कि गेहूं और जो पैदा करें, इसकी सूची एवेलेबल करेंगे तो उसके बारे में मालूम पड़ेगा कि कौनसी क्राप वह करेंगे । हमारे मुल्क में बगैर प्लानिंग के सब काम चलते हैं । न मालूम कौन कितना गल्ला कब पैदा होगा, न यह तय कर सकते हैं और न और कोई चीज कितनी पैदा हो । कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे तिलहन वगैरह हैं यह भी आवश्यक है । जब तक प्लानिंग नहीं करते हैं उस वक्त तो यह देखना होगा कि कहीं ऐसा न हो कि जो खाने की चीजें हैं गल्ला वगैरह उससे बिल्कुल महरूम हो जायं और किसान जो है वह जो सूची में दिया हुआ है वह पैदा करे । तो कॉमर्शियल क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ।

लेकिन इतनी जल्दबाजी में यह किया गया और उससे क्या लाभ होता यह समझ में नहीं आया । इस वक्त यह सेस वसूल भी नहीं हो सकता और वसूल होने का टाइम भी नहीं है उपयुक्त तो फिर आर्डिनेन्स के लाने की क्या आवश्यकता थी ? आप बिल ले आते और उसको पास करा लेते । ख्वामख्वाह एक गलत परम्परा और वह गलत परम्परा भी टैक्स लगाने की आप डालते हैं वह उसूलन राज्य सरकार के लिए उचित नहीं है । तो मेरा तो सिर्फ यह निवेदन है कि आप जब भी टैक्स की बात तय करें तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला हो और आपकी कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली हो उस वक्त आर्डिनेन्स लागू करें तो उसका तो कोई औचित्य हो सकता है । तो इस दरमियान में मैं यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि क्या आवश्यकता थी ? कितना पैसा सेस का अब तक वसूल हुआ है; और अगर वसूल हुआ तो इसका क्या औचित्य था इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, और उसके बाद मूल बिल पर मैंने एमेंडमेंट रखा है उस पर थोड़ा और कहूंगा ।

श्री सभापति : श्री गुरदयालसिंह सम्धु ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करनपुर) : सभापति महोदय, इस बिल का मैं भी विरोध करता हूं और आर्डिनेन्स का इसलिए विरोध करना चाहता हूं कि पिछले सेशन के समय हमको यह विश्वास दिलाया गया था। जबकि हमने बारबार पूछा था कि क्या कोई नये कर लग रहे हैं तो हमें बतलाया गया था कि कोई नये कर नहीं लग रहे हैं। तो सेशन के अन्दर हमने इसकी जानकारी करने की कोशिश की और हमें विश्वास दिलाया गया कि कोई नये कर नहीं लगा रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 1969 में ऐसा एक कर लगाया था कॉमर्शियल क्रॉप्स पर और जब हमारा एजिटेशन हुआ और जब हमने एक साथ बैठकर विचार किया तो यह फैसला हुआ कि चूंकि राजस्थान के अन्दर इरिगेशन रेट्स बहुत ज्यादा नहीं हैं इसलिए कॉमर्शियल क्रॉप्स पर टैक्स लगाना चाहते हैं। 1972 में इरिगेशन रेट्स और बढ़ा दीं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि उस समय अपने यहां 1968 बलकी रेट बैठती थी तो उस वक्त तो यह फैसला हुआ था कि पंजाब के बराबर पौने सात कपास का मुआमला था, इरिगेशन रेट थी लेकिन यहां पर 13 रुपये थी तो सुखाड़ियाजी ने यह शब्द कहे थे। जिन पर आप 13 रुपया पहले ही लगा रहे हैं अब उन पर इतना ज्यादा लगा चुके हैं। पंजाब में साढ़े 13 इर्रीगेशन रेट कर दिया। हमारी सरकार ने 1972 में कहा था। अब 25 रु० कर दिया है। 21 तारीख को यह फैसला हुआ था। इसी टैक्स के सिलसिले में हमारा एक एजीटेशन चल रहा है। यहां पर यह विश्वास दिलाया गया था कि हम आपस में बैठकर बातचीत करेंगे। अगर इस बिल को पास कर देते हैं तो हमारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तो मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि सरकार इस बिल को आज नहीं लाये। इसको वापिस ले। जो आर्डिनेंस जारी किया गया है, वह उचित नहीं है।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : सभापति महोदय, सदन के सामने वाणिज्यिक कर के बारे में विचार हो रहा है। इसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। एक तरफ आप बार बार प्रजातन्त्र का नारा लगाते हैं। एक तरफ आप सदन के अन्दर अध्यादेश लेकर आते हैं और वह भी आर्थिक मसलों के ऊपर। ऐसे मसलों पर असेम्बली के मेम्बर बैठकर सदन में विचार करें। इस प्रकार से किसी पैसे के मसले पर आर्डिनेंस नहीं लगाना चाहिए। इस ढंग से आर्डिनेंस लगाया जाना उचित नहीं है। वैसे ही विधान सभा न बुलाकर नेग्लीजेंस बरती जा रही है। 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो असेम्बली बुलाई जाती है। वैसे ही आर्थिक मसलों पर नेग्लीजेंस बरती जाये और, आर्डिनेंस आये तो यह विचारणीय प्रश्न है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। सभापति महोदय, कोई भी सरकार बिना टैक्स लगाये नहीं चल सकती है। सभापति महोदय, किसान प्रान्त के अन्दर ज्यादा गिरावट में हैं। उसमें शिक्षण की कमी, आर्थिक आमदनी की कमी है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बनायें, टैक्सेज लगाने का कदम उठायें तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। सभापति महोदय, इन सारी बातों पर विचार करने के लिए नरोरा में एक कैम्प चलाया गया था। अभी अभी हमने भूमि के मसले पर विचार किया था। मैं उस पर

(श्री मोहरसिंह)

विचार रखना चाहता था लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण मैं उस पर विचार नहीं रख सका था । फिर कभी रखूंगा । किसानों के मसले पर हमें बहुत सोचकर कदम रखना चाहिए। सभापति महोदय, कितने ही किस्म के किसान हैं। कुछ तो सूखे इलाके हैं। कुछ ट्यूबवैल में रहने वाले हैं, कुछ बिल्कुल रेगिस्तानी इलाके हैं। लेकिन जब हम ग्रार्डिनेंस को देखते हैं ग्रौर उसके बाद बिल तो उसमें बताया जायेगा कि किस प्रकार से एक डण्डे से सब को हांका गया है। सब के ऊपर 9 रुपया एकड़ लगा दिया है। जो खर्च ग्रादि है, वह पृथक है। तो सारी बातों को विचार कर लगाना चाहिए। पहले ग्रार्डिनेंस न लाकर यह किया जाता तो इस पर ग्रच्छे ढंग से विचार हो सकता था। ग्रभी भी किसानों के मामले पर विचार हो रहा है। भूमि के बारे में ग्रौर किसानों के बारे में धीरे धीरे सोचकर, कानून बनाया जाना चाहिए। क्योंकि यह सबसे ज्यादा ग्रनपढ़ और पीड़ित हैं। इसके बारे में उनको किसी भी तरह से एक्स्प्लोइटेशन किया जा सकता है। इसलिए इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा करुण दृष्टि रखकर कानून पेश करना चाहिए। इसलिए वाणिज्यिक कर ग्रार्डिनेंस के बारे में मुझे यही कहना है कि इस पर हर तरह से विचार करना चाहिए। खुश्क इलाकों में यह नहीं लगना चाहिए। इसमें एक शब्द ऐसा ग्राया है। तो जैसे जालौर का इलाका है, नागौर, का इलाका है। इसी प्रकार से बंजर इलाकों में भी ऐसा करेंगे, तो कितना दुखदाई होगा। कोई ट्यूबवैल में दो चार बीघे में कुछ पैदा करता है। जैसे सौंप वगैरह पैदा करता है। ग्राप जानते हैं, सौंप पर कितना खर्च बैठता है। वह नहीं देखा गया है। जिसके पास 30 एकड़ है, उस पर भी एक एक। जिसके पास ज्यादा जमीन है, उस पर भी एक एक। किसी प्रकार का हिसाब नहीं रखा गया है। एक डण्डे से हांका गया है। विधान सभा का टाइम नजदीक था। तब यह ग्रार्डिनेंस निकाला गया है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं टैक्स लगाने के सिद्धान्त के विरोध में नहीं हूं। क्योंकि बिना टैक्स के सरकार नहीं चल सकती है। लेकिन टैक्स उस पर लगाना चाहिए जो टैक्स दे सकता है। गरीब ग्रादमी है, वह टैक्स नहीं दे सकता है। जो टैक्स देने के काबिल हैं, उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो ग्रार्डिनेंस रखने का तरीका है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : सभापति महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि जो टैक्स लगाये गये हैं, सरकार जो टैक्स लगाती है, तो ग्राज क्या स्थिति हो रही है। ग्राज चारों ग्रोर से ग्रादमी घिर गया है। आपको कहीं पर भी कोई गुंजाइश मिलती है। आप कहीं पर भी टैक्स लगा देते हैं। एक किसान वर्ग ही ऐसा है। माननीय मन्त्री जी उसी वर्ग के हैं। किसान वर्ग किसी भी प्रकार का सत्याग्रह भी नहीं कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट सबसे ज्यादा कर ग्रगर कोई वर्ग है तो किसान वर्ग पर लगाती है। खरीफ की फसल हुई। रबी की फसल ग्रा रही है। फसल के समय वह सस्ती होगी ही। ग्रागे भी ग्राप बजट लाने जा रहे हैं, तो निश्चितरूप से ग्राप लगायेंगे। तो इधर

(श्री मीठालाल)

कृषि आय कर, सूखी जमीन, सिंचित-असिंचित जमीन पर बाजरा या तिल्ली वगैरह होगी तो उस पर लगा देंगे। बाड़मेर में आम के पेड़ होंगे, उस पर भी लगायेंगे। अब आप इसका किस तरह से मूल्यांकन करेंगे। रेगिस्तानी इलाके में जो जमीन है, उस जमीन पर फसल होगई तो ठीक है नहीं तो दस पेड़ सौ बीघे में भी नहीं मिलेंगे। इस पर आप मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें, ऐसी जमीन, जिस पर खेती की है, उसमें कुछ तिल्ली के पेड़ हैं, वैसे बाजरे की फसल है, लेकिन उसमें भी तिल्ली डाल दी, मोठ डाल दी और डाल दिया तो आप सबको अलग अलग ले लेंगे। उसमें आप कहते हैं कि पटवारी मूल्यांकन करेगा और उसका एक चौथाई कर देगा। मेवाड़ में एक खेत में पांच सात फसल पैदा की जाती है। यहां भी ऐसी रेतीली जमीन में फसल की जाती है उसमें पांच सात फसल की जाती हैं। तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। इसलिए आप ऐसी नीयत रखें कि किसान के साथ रियायत करें। वरना आगे के बजट में केन्द्र सरकार उनको दबायेगी और आप भी दबायेंगे। यह किसान के साथ में न्यायिक बात नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति : गुमानमलजी ?

श्री गुमानमल लोढ़ा: सभापति महोदय, अध्यादेश टैक्स के बारे में जारी किया गया और अध्यादेश की बाढ़ जिस प्रकार से गत विधान सभा सत्र के पश्चात् आयी उसके बारे में पहले इस सदन में सब ओर से भर्त्सना की जा चुकी है। सभापति महोदय, 1974 में राज्य सरकार ने 32 अध्यादेश निकाले और 32 अध्यादेश में से एक यह ऐसा अध्यादेश है, जिसके द्वारा केवल संविधान की धारा 213, जिसमें राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है, एमर्जेन्सी में, अत्यन्त आवश्यक होने पर, असाधारण परिस्थिति होने के कारण अगर विधान सभा सेशन में नहीं हो तो अध्यादेश के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। सभापति महोदय, राज्य सरकार इस अध्यादेश को नहीं लाती तो क्या राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई थी जिसके कारण से एकदम से उसके सारे के सारे कामकाज ठप्प हो जाते ? क्या सरकार इन्सोल्वेन्सी, दिवालियापन के कगार पर आगई थी। ऐसा था तो बजट प्रस्तुत करते समय, पिछले विधान सभा सत्र में माननीय वित्त मन्त्री जी ने आने वाले वर्ष के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान क्यों नहीं किया। सभापति महोदय, बजट के समय यह कहना कि कोई टैक्स नहीं लगेगा राजस्थान की जनता पर किसी प्रकार का बोझ नहीं पड़ेगा, उसके बाद में चोर दरवाजे से अध्यादेश के द्वारा विधान सभा के सदस्यों को कान्फीडेंस में लिए बिना किसानों के ऊपर इस प्रकार का बोझ डालना मैं समझता हूं संवैधानिक दृष्टि से प्रतिकूल है, आपत्तिजनक है और जनतंत्रीय तरीके से भी कलंकित करने वाला कदम है। सभापति महोदय, किसानों के ऊपर इसलिए टैक्स लगाया, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ने कहा, लेवी देते समय, लेवी से बचने के लिए काश्तकार केश क्रॉप की ओर जा रहे हैं। इसलिए यह कुत्सित भावना है कि आप लेवी किसानों से जबरन वसूल करें और किसानों को फसल की पूरी कीमत न दें, किसानों के साथ में ज्यादती करें। किसान

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

को खाद के लिए कीमत देनी पड़े वह अधिक, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के लिए कीमत देनी पड़े वह अधिक, बिजली की दर अधिक, सिंचाई की दर अधिक, जो रेवेन्यू लिया जाय उस पर सरचार्ज लगायें और जब किसान कपड़ा लेने जाय तो उसको अधिक कीमत देनी पड़े और जब आप लेवी लेने जायं तो किसान को फसल की पूरी कीमत न दें। अब केश क्रॉप के ऊपर टैक्स लगाया है, अध्यादेश के द्वारा, मैं समझता हूं, यह जनतंत्र के अन्दर एक बहुत बुरा कदम है। अध्यादेश के द्वारा कॉमर्शियल सेस लगाया गया है—यह बहुत घातक है और राजस्थान सरकार की ओछी मनोवृत्ति का परिचायक है, जिसके द्वारा काश्तकारों के ऊपर सब प्रकार से हमला करना चाहते हैं, आपने रेवेन्यू पर सरचार्ज बढ़ा दिया, ईरिगेशन रेट बढ़ा दी, बिजली की दर बढ़ा दी, पानी की कीमत बढ़ा दी, अब सेस के रूप में अध्यादेश लाया जाय, मैं समझता हूं यह आपत्तिजनक हैं।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा इसमें क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, जैसा माननीय सदस्यों ने पाइन्ट आउट किया है, अनइकॉनामिक होल्डिंग को नहीं बचाया गया है, बीघे के ऊपर टैक्स लगाया है। जैसे क्रॉप के ऊपर लेवी ली जाती है, जैसे राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है, पश्चिमी हिस्सा, जोधपुर डिवीजन का, बीकानेर डिवीजन का, जैसलमेर का, जहां पर एक बीघा, दो बीघा में बहुत कम फसल पैदा होती है। वहां कुछ कॉमर्शियल क्रॉप पैदा होती हैं, अधिक नहीं, वहां पर 9 रुपया एकड़ लगेगा, दूसरे कोटा, भरतपुर और अलवर का एरिया है, जिन स्थानों पर फर्टिलिटी अच्छी है, गंगानगर में पानी अच्छा है, अन्य साधन उपलब्ध हैं, वहां भी 9 रुपये लेते हैं अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। मैं सोचता हूं, राज्य सरकार को सोचना चाहिए और खासतौर से गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, एक बार इस प्रश्न को लेकर आन्दोलन हो गया। उस समय पांच रुपया लगाया था, उसके कारण आन्दोलन हो गया। बाद में समझौता हो गया और पांच रुपये का सेस वापिस ले लिया गया। वह सरकार, उसी दल की सरकार एक बार निर्णय करने के बाद, समझौता करने के बाद इन काश्तकारों के साथ विश्वासघात करती है और उनके साथ समझौते के बाद में अध्यादेश लेकर आयी है। यह बहुत बड़ा विश्वासघात है किसानों के साथ में। मैं समझता हूं इससे किसानों की आपके प्रति आस्था हट जायगी। आखिर समझौता करने का अर्थ क्या है। उस समय सब बातों को सोचा होगा, मंत्रिमण्डल में विचार किया होगा उसके बाद में पांच रुपये का सेस वापिस लिया गया। फिर क्या कारण है कि उसको नौ रुपये के रूप में लेकर आयें हैं, हो सकता है आने वाले समय में दुबारा रेट रिवाइज कर दें। मैं समझता हूं इस पर विचार किया जाना चाहिए और इस अध्यादेश को लोपित किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री केदारनाथ : आज घोषणा कर दें।

श्री रामलाल (बाड़ी) : सभापति महोदय, पांच पांच मिनिट सबको बोलने का मौका दिया जाय।

Page No 124

(124)

श्री गुमानमल लोढ़ा : मंत्री जी आ गये। बिल आजाय तब बोल लें।

श्री मीठालाल : बिल तो तब आयेगा, जब यह हो जाय। यह वापिस ले लें तो किस पर बोलेंगे।

श्री गुरदयालसिंह संधु : आन्दोलनकारियों से बातचीत करना चाहते हैं तो या तो इसका स्थगन कीजिये या वापिस लीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : या आन्दोलन को फेस कीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, यह प्रारम्भ में मैं स्वीकार करता हूं कि कोई भी टैक्स आर्डिनेन्स के जरिये नहीं लाना जाना चाहिए और मैं गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य के विचारों से भी सहमत हूं कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रजेन्टेशन, मैंकाशे के सिद्धांत का उल्लेख किया। आर्डिनेन्स परिचालित करने की प्रक्रिया संवैधानिक है, गवर्नर द्वारा 213 के अन्तर्गत इनवोक किया जाता है, यह इन्टर सैशन के पीरियड के लिए है। उसके बाद में कोई कानून इस सदन के द्वारा इस आर्डीनेन्स को भी पास नहीं किया जाय और जो स्टेटुअरी मोशन माननीय सदस्य ने रखा है जिस पर बोल रहे थे, उन्होंने इस अध्यादेश को अस्वीकार करने की बात अपने संकल्प में कही है, उस प्रकार का कोई ओटोक्रेटिक मन्त्री, जिसमें लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी नहीं हो—ऐसी बात नहीं है, राजस्थान सरकार अपने आपको इस लेजिस्लेचर के प्रति आन्सरेबल मानती है, जैसा कि सदन के माननीय सदस्य जानते हैं, प्राइस के स्पाइरल का ट्रेन्ड चला, उसकी वजह से पूर्व में पंचवर्षीय योजना के टार्जेट मुकर्रर किये थे, फाइनेंसियल और फिजिकल, कोस्ट के एक्सप्लेट होने की वजह से डिस्ऐरे में चले गये, पंचवर्षीय योजना के दूसरे साल की वार्षिक योजना बनाने के समय राजस्थान की आर्थिक स्थिति यह है कि राजस्थान की योजना अगले साल का है, 105 करोड़ की, जब कि पंजाब जो राजस्थान से छोटा है, उसकी 127 करोड़ की है। प्लानिंग कमीशन ने इस बात को कहा कि जब तक हम अतिरिक्त साधन नहीं जुटायेंगे तब तक हमारी योजना पूरी नहीं बनती। यह 1975-76 की योजना 105 करोड़ की नहीं बनती। ऐसी हालत में यह सेस ऐसी भूमियों पर लगाया है जो कॉमर्शियल क्रॉप्स के तहत हैं और उनमें ज्यादातर क्रॉप्स रबी की होती हैं, रबी से लागू किया गया है। पटवारी गिरदावरी करने के लिए 15 फरवरी से जारहा है, पहले एक फरवरी से था उसको मैंने 15 फरवरी किया और रूल्स न बनाकर इस प्रकार तमाम स्टेटमेंट गिरदावरी के समय तैयार करेंगे। अगर यह स्टेप नहीं लेते और सदन में कानून बनाने के बाद में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते तो फिर एक साल का फर्क पड़ जाता क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं ··

श्री गुमानमल लोढ़ा : गिरदावरी का रेकार्ड होता है।

श्री पूनमचंद विश्नोई : पटवारी टैक्स को ध्यान में रखकर करेगा।

श्री परसराम मदेरणा : जब उनको मालूम है कि किसी पर्टीक्यूलर फसल पर

(श्री परसराम मदेरणा)

सेस लगा है तो इस बात का ध्यान रखेगा कि हमारी गिरदावरी ठीक तरह से हो।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : आमतौर से ठीक करता है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि प्रोड्यूसर्स पर लेवी जो बीड़ पर लगी लेकिन कहते हैं कि खरावा है उसको एक्सक्लूड करें, तो दुबारा आदेश प्रस्तावित करने पड़े एक्सक्लूड करने के। तो प्रोड्यूसर्स पर जो लेवी लगाई थी पहले 1967 में और उसके बाद में 1974 में लगाई। तो मेरा अनुभव है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और स्वयं काश्तकार सचेत हैं तो इस बात की कोशिश करेंगे कि उसकी गिरदावरी में जो कुछ क्रॉप अलग अलग एरिया बनता है एकड़ज वह उसमें आना चाहिए।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि 9) रु० का कर लगाया है, वह तो मैक्सीमम सेस की दर रखी है लेकिन उसके नीचे धारा 3 है उधर ए के नीचे सरकार ने जो-जो नोटीफिकेशन जारी किया है उसमें सिंचित भूमि का जो क्रॉप है उसमे 6) प्रति एकड़ और असिंचित पर 2) प्रति एकड़ है। यह कहना सही नहीं है कि 1969-70 में जो सेस थी वह 5) थी लेकिन 6) और 2) थी। राजस्थान में कुछ मांगों को लेकर विभिन्न राजनैतिक दलों ने आंदोलन छेड़ रखा है, उसके लिए करनपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आश्वासन दिया गया है। उनका 12 सूत्री मांग-पत्र है। जहां सरचार्ज है वहां सेस है। वहां दो तीन आइटम्स एक एक मांग में इन्क्लूड किए हुए हैं। जब टेबल पर बैठकर बात की जाएगी तो विचार विमर्श होगा। यह जरूरी नहीं कि 12 की 12 मांगें ही हम मान लेंगे। आपने कहा है कि चीजों के भाव गिर जायेंगे। राजस्थान का 105 करोड़ का प्लान और पूरे देश में योजना आयोग ने 14-15 राज्यों का बनाया है। उस दिन लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री विद्याचरण शुक्ल ने कहा कि पूरा प्लान दो हजार कुछ करोड़ का है। उसके बाद में नॉन-प्लान खर्चा, सर्टेन फिसकल मेजर्स जो भारत सरकार ले रही है, 105 करोड़ की वार्षिक योजना वाला प्रांत, इस तरह पूरे देश का विश्व सर्किल है। चीजों के भाव इसको रोकें मगर दूसरे रूट से डाल देगें, तो यह आशा करना अतिशयोक्ति होगी। तो भी पिछले कुछ सालों से इस बात पर चिंतन चल रहा है योजना आयोग, राज्य सरकार और भारत सरकार के स्तर पर, कि राज कमेटी की जो सिफारिशें हैं कृषि आयकर की, उनको मानना चाहिए और रेटेवल तरीके से, सारे क्लासीफिकेशन, प्रॉडक्टिविटी सब को ध्यान में रखते हुए इस तरह का मेथड इवाल्व करना चाहिए। कृषि आयकर पहले इस राज्य में लगा है और कई जगह तो 300 बीघे में भी पैदावार नहीं होती है। अकाल पड़ जाए तो एक हजार बीघे में भी न हो जहां आज की रुलिंग मार्केट प्राइस बाड़मेर फलोदी में 12 और 20) के बीच में है प्रति बीघा। आपने देखा होगा कि कृषि आयकर लगायें तो लालसोट के माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे सवाई माधोपुर और जयपुर की दौसा सब-डिवीजन में, जयपुर सब-डिवीजन में यह लागू नहीं था जिनके पास डेजर्ट एरिया है, हजारों काश्तकार हैं जिनके पास जमीन ज्यादा है

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए उनकी आमदनी ज्यादा होती होगी।

सीलिंग में भी 30 स्टैंडर्ड एकड़ रखे हैं वह 550 बीघा बनते हैं इसलिए उसको वापस लिया गया और सरकार सोच रही है कि कृषि आयकर लगाने से लोग अनपढ़ हैं उनके हिसाब किताब के आंकड़े व अकाउंट्स रखना संभव नहीं होगा। इसलिए यह तो सरकार ने माना है कि कृषि सेक्टर के रिसोर्सेज को लिया जाए लेकिन यह सरकार ने स्वीकार नहीं किया है कि कृषि आयकर लगाया जाए।

श्री मीठालाल : बजट आउट कर दो।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कहता हूं कि नहीं लगा रखा है। इसलिए हमने दो क्लासीफिकेशन्स किए हैं एक सिंचित और दूसरा असिंचित भूमि का। उसके बीच में थ्री टाइम्स का फर्क रखा है। सब जानते हैं बढ़ते हुए भावों के कई कारण हैं। कम प्रोडक्शन का अनुपात है उसके साथ ही साथ अनाज की लेवी भी जो फीड टाइप का था जैसे मतीरे के बीज जो डेजर्ट एरिया में होते हैं, कड़वे होते हैं, कोई खरीदने वाला नहीं था, 5) रु० क्विंटल में भी लेकिन, क्योंकि वह तेल बनाने के काम आने लग गया है और रॉ मैटीरियल के नाते उसका यूज किया जा रहा है। इसी तरह से गवार है। 10 साल पहले गवार को कौन पूछता था लेकिन गम की 10-15 फैक्ट्रीज लग गई हैं, गवार में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि उसकी आवश्यकता ज्यादा है और एक एक फैक्ट्री को कम से कम 5-6 हजार क्विंटल रॉ मैटीरियल की आवश्यकता पड़ती है। यह सब भाव एक दूसरे से सिम्पेथाइज करते हैं। कपास, गन्ना और मूंगफली है इसके बहुत अच्छे भाव हैं और हमने नार्मीनल टैक्स लगाया है और टोटल जो रेवेन्यू होगी उसका अंदाज 90 लाख के आसपास है। तो जब क्लाज बाइ क्लाज मामला चलेगा, जो कुछ सजेशन्स सदन में आए हैं, उन पर सरकार विचार करने के लिए तैयार है, इन शब्दों के साथ में, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने मोशन को वापस लें अगर नहीं लेते तो सदन उसे अस्वीकार करे।

श्री केदारनाथ : क्योंकि मंत्रीजी ने गल्ती मान ली है कि अध्यादेश के जरिए कोई नया कर नहीं लगना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति गल्ती मान ले, तो मैं समझता हूं उसको माफ कर दिया जाए, इसलिए मैं अपने मोशन को वापस लेता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं भी वापस लेता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, जो मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा था उसे मैं वापिस लेता हूं।

एक माननीय सदस्य : माफ कर दिया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माफ करके वापिस ले लिया है।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्ताव दिये हैं उन्हे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

(सर्वश्री केदारनाथ, मोहम्मद गफ्फार अली, गिरधारीलाल भार्गव ने प्रस्ताव वापिस लिया)

माननीय मन्त्री जी विधेयक को विचारार्थ लेने के लिये प्रस्ताव करें।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री केदारनाथ : अब गलती मानली है इसे जाने दो।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया : "राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल) : गलती मान ली तो क्या। सभापति महोदय, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मन्त्री महोदय ने कहा कि हमने तो सिर्फ 90 लाख रुपये के नोमीनल टैक्स लगाए हैं इसका मतलब यह हुआ कि पौने दो एकड़ यानि एक बीघा पर आपने 9 परसेन्ट लगाया है। यह करीब एक बीघा पर चार रुपया आप का टैक्स होगा। सभापति महोदय, अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जयपुर जिले के लिए भी आपने यही टैक्स रखा और कहते हैं कि बहुत ही मामूली टैक्स लगाया है। खैर आज तो आपने चार रुपया लगाया आर्डिनेन्स से, कल आप दूसरा आर्डिनेन्स लगाकर 8 रुपया टैक्स कर देंगे। क्योंकि आपको कोई पूछने वाला तो है नहीं आपने यह टैक्स लगाने वाली बात तो आर्डिनेन्स से जारी कर दिया लेकिन राज्य सरकार जो किसानों पर लगातार पिछले कई वर्षों से टैक्स लगा रही है उनकी हालत के बारे में आपने कभी सोचा ? मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने कभी भी किसानों के बारे में पिछले 27 वर्षों में सिवाय टैक्स लगाने के कुछ भी नहीं सोचा। आज आपने सड़कों पर, बिजली, पानी पर सिंचाई पर और चिकित्सा पर सभी जगह पर टैक्स लगा दिए हैं लेकिन आपने कभी भी जनता को और काश्तकार को राहत देने की बात नहीं सोची। आपने कभी उनको सुविधायें देने की बात नहीं सोची। आपने किसानों के प्रति सिर्फ टैक्स लगाने का ही अपना कर्तव्य समझा आपका दायित्व क्या है उनके प्रति इस बारे में आपने कुछ नहीं किया। आज आपने किसानों का जो धन्धा था वह भी उनसे छीन लिया है। क्योंकि ज्योंही किसान का बच्चा मैट्रिक पास होता है वह सीधा खेती करने के बजाय बाबू बनना पसन्द करता है। वह यह समझता है कि उसकी कहीं पर नौकरी लग जाय तो बहुत ही अच्छा है। वह खेती करना ही नहीं चाहता उसका कारण है कि आप किसान को उसकी खेती का पूरा फायदा ही नहीं देते। इसके अलावा मैं तो यह कहूंगा कि अब खेती में कुछ रहा ही नहीं। कहां गयी आपकी हरित क्रान्ति यह जो आप लम्बी-लम्बी लोगों में डींगे मारते हो,

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

ग्रौर जनता को थोथी घोषणायें करके आप जो अपने वोट सीधे करते हो ग्रौर कुछ नहीं करते। ग्रापने किसानों को खेती के ग्रन्दर जो सुविधायें मिलनी चाहियें वह सुविधायें दी हैं क्या ? पिछले 27 वर्ष से ग्रापने किसान को ग्रभी तक भी इन्द्र-भगवान की मेहरबानी पर छोड़ रखा है। ग्रगर इन्द्र भगवान की मरजी से वर्षा होती है तब तो काश्तकार की खेती हो सकती है नहीं तो उसके कुछ भी पैदा नहीं होगा। एक तरफ भगवान का नाम लें भगवान की मेहरबानी उसे कहें तो ग्राप दूसरी तरफ कहेंगे कि हम नहीं मानते हैं क्योंकि हमारी तो सैक्यूलर स्टेट तो इसे है। हम तो धर्म निरपेक्ष राज्य के हैं अब अच्छा करो तब तो आप समझते हैं कि हमने किया ग्रौर बुरा हो गया तो ग्राप उसे दूसरे पर रख देते हैं। ग्रब आपने पिछले 27 वर्षों में किस पर दर नहीं बढ़ायी। इर्रीगेशन की ग्रापने दर बढ़ादी। जयपुर जिले में ग्रापने सबसे ज्यादा सिंचाई की दरें रखी हैं। सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह ज्यादा दरें आपने जयपुर जिले में क्यों रखी ? इसी प्रकार ग्रापने कुग्रों पर बिजली तो दी नहीं लेकिन जहां पर बिजली है वहाँ पर ग्रापने साढे ग्यारह पैसे से बिजली की दर बढाकर 33 पैसे युनिट करदी है। ग्राज ग्रापने कोटा में बिरला को, डी० सी० एम० की फैक्ट्री के मालिक को तो तीन पैसे युनिट के हिसाब से बिजली दी ग्रौर जो ग्राप नारा देते हैं जय जवान जय किसान उसके लिये ग्रापने बिजली की दर साढे 11 पैसे से बढा कर 33 पैसे युनिट करदी है। ठीक उल्टा राजस्थान सरकार कर रही है। नारा तो देती है जय जवान, जय किसान, का पर बिजली की दरों में रियायत देती है बिरला और डी. सी. एम. को। इसके ग्रलावा यह भी है कि किसान को बिजली समय पर मिलती नहीं है। ग्रगर कोई इसके लिये कहता है तो ग्रापके मुख्य मन्त्री जी यह कहते हैं सदन में बिजली ग्रौर पानी जब भी मिले उस वक्त लो चाहे रात ही क्यों नहीं हो। तो सभापति महोदय, यह तो जो लोग बड़े-बड़े फार्मों के मालिक हैं उनको पता नहीं लगता कि रात को काम करने में कितनी दिक्कत ग्राती है जब सर्दी पड़ती है उस वक्त ग्राप लोग तो काम करते नहीं हैं उस काश्तकार को पूछो जो बेचारा रात में कड़-कड़ाती सर्दी में ग्रपने खेत में काम करता है। ठीक है ग्राज ग्राप मुख्य मन्त्री हैं।

जब मुख्यमन्त्री ग्रौर एम. एल. ए. नहीं रहेंगे उस वक्त ग्रापको ग्रगर सर्दी में खेतों में पानी देना पड़ेगा तब पता चलेगा। मैं तो ग्रापको इस तरह की बातों के लिये धिक्कारता हूं क्योंकि ग्राज तो ग्राप बड़े फार्मों के मालिक हो सारी सुविधायें ग्रापको प्राप्त हैं ग्रगर यह सुविधायें ग्रापके पास नहीं रहे तब ऐसी बातें करना तो पता पड़ेगा। इसके ग्रलावा सभापति महोदय, ग्राज जयपुर जिले में बिजली की सप्लाई बिलकुल बन्द है। पिछले दो सालों में एक भी कुए पर काश्तकारों को बिजली नहीं मिली है इतना ही नहीं लोगों ने सात 2 हजार रुपये इनके कहने से कुग्रों पर बिजली लगाने के लिये जमा भी करा दिये हैं लेकिन उनको बिजली ग्रभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा सभापति महोदय, राज्य सरकार ने 18 जनवरी, 1975 को यह ग्रादेश भी निकाल दिये हैं कि किसीको भी नहीं बिजली दी जावेगी। अब सभापति महोदय, लोगों ने रुपये जमा करा दिये, मोटरें फिट उधार रुपये लेकर ग्रपनी

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

औरतों के गहने वगैरहा बेच कर कर्ज लेकर यह सभी कार्य किया लेकिन किसी को भी अब आगे बिजली नहीं दी जावेगी। अब उनके लिए यह भी मुश्किल हो गयी कि मोटर फिट होने से चड़स से भी पानी निकाल कर वह सिचाई नहीं कर सकते और इधर राज्य सरकार ने यह आदेश निकाल दिया कि किसी को भी बिजली नहीं दी जावेगी। तो सभापति महोदय, किसानों की फसल कैसे पैदा होंगी ? यह जो सरकार अपने आपको किसानों को हित में कहने वाली, है जो किसानों के विकास की बातें करती हैं वही सरकार किसानों का विनाश कर रही है। वहां तो लोग यह उम्मीद लगाये बैठे हैं कि हमारे कुओं पर बिजली आयेगी, हमारी फसलें अधिक होंगी वह सभी बातें बेकार हो गई। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार किसानों पर टैक्स तो लगा सकती है लेकिन उन्हें डीजल पूरा नहीं दे सकती, देती है तो उसकी भी अव्यवस्था है, किसानों को उन्नत बीज नहीं दे सकती और न ही किसानों को खाद ही दे सकती है। तो सभापति महोदय, किसान को बिजली मिले नहीं सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, उन्नत बीज उसे प्राप्त नहीं हो, डीजल उसको मिलता नहीं समय पर खाद भी उसे नहीं मिलती तो क्या राज्य सरकार का काम यही है कि काश्तकारों से सिर्फ टैक्स वसूल करे ? यहां आपके सदन में मुख्य मंत्री जी लम्बी-लम्बी घोषणायें कर देते हैं कि हम किसानों को इतनी रियायतें दे रहे हैं पर मैं तो कहूंगा सभापति महोदय, यह सभी थोथी घोषणायें हैं। गवर्नमेंट का जो नारा है 'जय जवान जय किसान' का वह नारा बिलकुल किसान के फेवर में नहीं है। जो सरकार बिजली की सुविधा काश्तकार को नहीं दे सके, सस्ती सिंचाई के साधन उपलब्ध करा सकती नहीं, उस सरकार को मैं काश्तकार की मददगार कैसे मान सकता हूं ? इसके अलावा अभी आपने कल एक किताब और हमें जो विधान सभा की कार्य सूची वगैरहा आती है उसके साथ में लगी हुई थी पुस्तक में लिखा था कि किसान को किस प्रकार से कर्जा मिल सकता है। लेकिन सभापति महोदय, कर्जा भी काश्तकार को मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसकी सैकड़ों की ही फोरमेलिटीज हैं जिस को बेचारा काश्तकार भर नहीं सकता और बिचौलिये ही इसमें पैसा खा जायेंगे और अगर काश्तकार खुद बैंक में अपना फार्म लेकर चला जाय तो पहले तो उस फार्म की फोरमलीटीज अधूरी उससे रह जायेगी और दूसरे बैंक के लोग उसको अन्दर नहीं जाने देंगे और अगर वह अन्दर चला जाय तो उसको यह भी पता नहीं चलेगा कि बैंक का मैनेजर कौनसा है ? मैं समझता हूं ये कोरे थोथे नारे ही हैं जो राष्ट्रीयकरण के नाम पर लगाये जाने वाली बात है। किसी को लोन नहीं मिला है, किसी ने लोन दिया नहीं है, और अगर किसी को लोन मिला है तो बिचौलियों के आधार पर लोन मिला है। और काश्तकार पर आपने कितने ही टैक्स, गन्ने पर टैक्स, कपास पर टैक्स लगाया, गेहूं पर टैक्स लगाया और कितने ही टैक्स लगा दिये और यह कहते हो कि कुछ नहीं, मामूली टैक्स लगाये हैं, 90 लाख रुपये की आय होगी इससे। आज किसान कितना दुखी है इसकी आपने कोई जांच नहीं की है। वह किसान जो अपना खून पसीना एक करके गेहूं पैदा करता है, उससे आप लेवी लेंगे, व्यापारियों को छोड़ दिया

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

तो यह तो आपने सौदेबाजी कर ली। कहते जोकि जहां पैदा करेगा उसी से लेवी लेंगे। आज किसान को अपनी उपज का पूरा मूल्य भी बाजार में नहीं मिलता है। और किसान को पूरा मूल्य नहीं मिलने के कारण वह तो पहले से ही दुखी है। गेहूं, कपास, गन्ना और ये सारी चीजें उससे आप सस्ते मूल्य पर, सस्ते आधार पर लेना चाहते हैं। महोदय, हम और आप सभी आज यह देख रहे हैं कि शहरों के उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हुआ है। आप गेहूं जो राशन में दे रहे हैं उसमें कंकड़, पत्थर और मिट्टी-कचरा मिलाकर उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। जयपुर शहर में इस महीने की चीनी भी, इस माह की चीनी भी राजस्थान सरकार खा गई। तो सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो प्रति बीघा उत्पादन यहां पर होता है, उस पर जो कीमत आती है यह तो निर्धारण नहीं किया गया और यह निर्धारण करके आप यहां सदन में बिल लानें की बात करते तो मैं इसको ठीक समझता। किसानों के फायदे की बात करते, उनमें उनके अन्दर जन-जागृति लाने की बात करते तो राजी-राजी किसान आपको कर देने के लिए तैयार हो जाता मगर आप तो वहां पर पुलिस के जरिये, तहसीलदार के जरिये और कलक्टर के जरिये उनके आधार पर उनसे टैक्स वसूल करना चाहते हैं तो किसान तो वैसे ही बहुत परेशान है, वह टैक्स नहीं देगा तो उसके पास पुलिस का सिपाही जायगा तो मैं यह समझता हूं कि यह आपका अप्रजातान्त्रिक तरीका है और किसान के प्रति घोर अन्याय है। आपको जगाना था तो किसानों को जगाते उनमें जागरण पैदा करते। सभापति महोदय, जिस समय हमारे देश पर संकट आया था, चीन का आक्रमण हुआ था, पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, जवाहरलालजी ने और लालबहादुर शास्त्री ने देश की जनता से अपील की तो सभापति महोदय, हमारे देश की माताओं ने, बहनों ने हर तरह से अपने गहने दिये, गहनों को बेचकर भी सब तरह से सहयोग दिया वह सब कुछ नजर-अन्दाज कर दिया, इसलिए सरकार से मैं....

श्री सभापति : संक्षेप में....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कपास का मूल्य गिर गया था तो भी गत वर्ष के मूल्य के आधार पर वह जो आप कर लगाना चाहते हैं वह देने को तैयार नहीं है। और जब कीमतें गिर रही थीं तो राज्य सरकार ने कोई, किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस प्रकार के जो टैक्सेज, अप्रत्यक्ष रूप से वाणिज्यिक कर के नाम पर लगाये हैं एक एकड़ पर 9 परसेन्ट, चार रुपया प्रति बीघा जो टैक्स लगाया है उससे किसानों की परेशानियां बढ़ेंगी और बढ़ रही हैं, घटेंगी नहीं तो मैं समझता हूं कि जब इस बारे में किसानों को मालूम पड़ेगा....

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, समय का भी ध्यान रखा जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जब किसानों को यह बात मालूम पड़ेगी कि उनको सहूलियतें देने के बजाय उन पर टैक्स लगाये गये हैं तो वह आपके खिलाफ हो जायगा और प्रत्यक्ष रूप से विद्रोह करेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पास करने से पहले आप इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित करें।

श्री सभापति : श्री दीपंकर

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, मैंने भी यह प्रस्ताव रखा है कि जनमत जानने के लिये इस विधेयक को प्रसारित किया जावे एक सप्ताह के लिये, परन्तु यह तो एक तरीका है बोलने का, वस्तुतः मैं इस विधेयक का बहुत ही समर्थन करने वालों में से हूं। जिस तरीके से माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे और उनसे पहले भी जिन्होंने कहा कि दर-असल जो कालम गिनाये गये हैं जिनसे कि कृषि उपज के ऊपर टैक्स लगाये गये हैं और जो वाणिज्य के काम आते हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया। जिस तरह से माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि ग्वार की क्या कीमतें थीं, वस्तुतः उसको कौन समझता है ? हर एक चीज का वक्त आता है। पहले के जमाने में गांवों में किसी को बुलाने के लिये कहते थे कि अरे फलांनिया को बुलाओ इस तरह से पुकारते थे, और अब नाम से श्री लगाते हैं, इसलिए वक्त की चीज है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि उपज के ऊपर कर लगाने की जो व्यवस्था की गई है वह वस्तुतः सही है। और जैसा कि माननीय सदस्य अभी पश्चिमी इलाकों की बात कर रहे थे वे तिल के लिए कह रहे थे। मैं समझता हूं कि वे वहां पर जाकर देखें हमारे वहां, मेड़ता तो तिल की अच्छी मण्डी रही है। वे हमारे यहां आकर देखें कि तिल किस रूप में होता है। बहुत मात्रा में तिल की खेती होती है और उपज भी बहुत होती है। क्या भाव था पहले तिलों का और तिल्ली के तेल का और आज क्या भाव हो गये हैं तो यह तो वक्त की बात है। यदि काश्तकार को उसकी उपज की सही कीमत मिल जाय और वह उसमें से थोड़ा हिस्सा सरकार को दे दें जिससे कि सरकार की योजना आगे बढ़ती है तो समझ में नहीं आता कि हम इसका विरोध क्यों करें ? आज अगर हम यह सोचें कि शहरों की बड़ी समस्याएं हैं और एक तरफ काश्तकार की सुविधाओं की भी बात करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकार भी स्वयं समझने लगा है कि सरकार किस कठिनाई में है वह जानता है सरकार की कठिनाइयों को फिर भी वह बड़ा सन्तुष्ट है और हिन्दुस्तान के निर्माण में आज किसानों का सबसे बड़ा हाथ है। वह मानता है कि एक वक्त था जब बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके तन पर पूरा कपड़ा नहीं था, उसको पूरी रोटी नहीं मिलती थी और वह बहुत ही हीन अवस्था में रहकर दूसरों का पेट भरता था। परन्तु आज स्थितियां बदली हुई हैं, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है और उसकी उपज भी बढ़ी है और जिस तरह की लहर गांवों में आई है जो सफेद हवेलियों में हमको नजर आ रही है क्या इससे काश्तकार को कुछ नहीं मिला इसलिए यह कह देना कि काश्तकार के ऊपर कई तरीकों से उपज के ऊपर जिसका वह व्यापार करता है, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए यह सिद्धांततः एक गलत बात है और जिन लोगों की आदत है, शहरों में बहुत सी म्युनिसिपलिटीज हैं उनमें हाउस टैक्स नहीं लगा है। इस तरह के जन प्रतिनिधि लोगों को बहकाते रहते हैं कि तुम टैक्स मत दो। हाउस टैक्स देते नहीं। हमारे यहां पर भी यह प्रश्न आया था तो हमने कहा कि दूसरे नहीं दे इसका मतलब यह नहीं कि हमारे यहां भी नहीं दिया जाय। हमने कहा कि हम टैक्स लगायेंगे। यह कल्याणकारी सरकार है। सरकार काश्तकारों के इन्ट्रेस्ट में, मजदूरों

(श्री दीपंकर)

के इन्ट्रेस्ट में, शहरों और गांवों के इन्ट्रेस्ट में हर प्रकार की योजनायें बनाती है। इस बात को ध्यान में रख कर टैक्स लगाये जाते हैं।

गंगानगर में देखा जाय तो लोग खुद काश्त बहुत कम करते हैं। बड़े बड़े जमींदार हैं, जो हाथ से काम करते नहीं, मजदूरों से काम करवाते हैं और यहां आकर काश्तकारों की बात करते हैं। बड़े बड़े काश्तकार छोटे छोटे काश्तकारों के नाम पर चलते हैं। उन लोगों का टूल बनाकर उनको आगे करते हैं और इस प्रकार अपना उल्लू सीधा करते हैं। आन्दोलन चलाते हैं इस प्रकार करके।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : ऐसा चलेगा आन्दोलन कि आप सहन नहीं कर सकेंगे।

श्री दीपंकर : इतनी अधिक उपज करते हैं, सोने में दो दो तीन तीन दफा तोल दें। हम देखते हैं कि होटलों में कई काश्तकार आते हैं, सरदार आते हैं जमींदार लोग आते हैं। किस तरह से वे लोग पैसा खर्च करके जाते हैं। पचास हजार मामूली बात है। इस प्रकार पैसा खर्च करके चले जाते हैं। उसी जमीन से तो ये इतना पैसा पैदा करते हैं जो कि खर्च करते हैं। सस्ता पानी लेकर इतनी उपज उस जमीन से करते हैं। सही तरीके से नहीं लगाया, गलत तरीके से लगाया लेकिन आमदनी तो है। सरकार की योजनाओं के लिए न दें, निर्माण कार्यों में न दें, इसका विरोध करें, लेवी के नाम पर विरोध करें, आन्दोलन करें इस तरह से जो डराने की नीति है वह उचित नहीं हैं। आपको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आपके यहां की भी कुछ जरूरत है। आपके यहां पर भी कुछ काम करते हैं। आज आपके हाथ में सरकार नहीं कल आ सकती है। प्रजातन्त्र है। हम समर्थन की बात करते हैं, आप कल करेंगे। आपको सरकार चलानी होगी तो टैक्स भी लगाने होंगे। बिना टैक्स के सरकार नहीं चल सकती इतना ही निवेदन करना है। ऐसी उपज, जिसका बाजार में सौदा होता है, इस तरह की उपज है उस पर टैक्स वाजिब है, जायज है, काश्तकारों का तो केवल नाम लिया जाता है। 2 नम्बर का मनी है। इसी रूप में तो यह बना है। इस प्रकार के आन्दोलनों की बातें इसी प्रकार के लोगों के द्वारा उठती हैं।

दूसरों से काम करवाया है और स्वयम् कुछ नहीं करते। सरसों पैदा करने के लिये, दूसरी क्रेश आप पैदा करने के लिये सस्ती दर पर पानी लेते हैं, सेठों को पहले विश्वास था कि इस पर टैक्स नहीं लगेगा। दो नम्बर की पैरेलल इकोनोमी पैदा करके आर्थिक ढांचे को बिगाड़ने के लिये काश्तकारों के नाम पर किये गये यह सब मामले हैं, और इस कानून से जब उनके ऊपर असर आ रहा है और दबाव पड़ रहा है तो विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य किसानों का नाम लेते हैं। दो नम्बर का मनी इसमें वेस्ट कर चुके हैं, उन पर इसका असर आ रहा है। लेकिन उनके पास अब जमीन नहीं रहने वाली है। हमारे मंत्री महोदय इतने प्रोग्रेसिव हैं कि वे नहीं छोड़ेंगे इस तरह से जमीन के कितने काश्तकार सामने आते हैं कि जो यह कहते हैं कि हम सरकार का विरोध करते हैं। जमींदारों के द्वारा भेजे हुए भाड़े के आदमी, जिनकी औरतों को काम में लेते हैं, शरीर को भी काम में लेते हैं यह उनका शोषण हो रहा है वह बन्द होगा। यह टैक्स जायज है और लगन,

(श्री दीपंकर)

चाहिये। मैं इसका समर्थन करता हूं। इसलिये जनमत जानने का जो मेरा प्रस्ताव है मैं उसको विथड्रा करता हूं।

श्री सभापति : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, केश क्राप्स के बारे में जो आर्डिनेन्स लाया गया है उस सम्बन्ध में सदन में विचार हो रहा है, मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

पिछले साल डेढ़ साल से बराबर काश्तकारों पर देश में भार बढ़ाया जा रहा है। लेवी का एक भार। बिजली, सिंचाई की दरें बढ़ाकर यह और भार बढ़ाया। लैंड रेवेन्यू में सरचार्ज बढ़ाया और केश क्राप्स पर यह टैक्स लगाया। इस सब विचारधारा के पीछे धारणा यह है कि खेती के तरीकों पर, सिंचाई पर, बिजली पर सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है किसान में खुशहाली आयी है, इसलिये उसको देश के निर्माण में योगदान देना चाहिये।

सीधा सा प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत इस देश के लोग हैं जिनका फायदा इन चीजों से होता है, विशेषतौर से राजस्थान के सिंचित एरिया में जो गांव आते हैं समझ लीजिये फायदा होता है उनमें। जहां पर बिजली पहुंच गयी है समझ लीजिये फायदा होता है। लेकिन काश्तकार जो बरसात पर निर्भर रहता है, उसको जागीरदारी उन्मूलन के कारण से फायदा हो गया हो तो क्या उस पर इस प्रकार का टैक्स लगाना उचित है? केश क्राप्स के बारे में लोगों की यह धारणा है कि खराब होती है तो एकदम होती है और फायदा होता है तो एक दम। सरसों, अलसीड का क्या भाव है? दो महीने पहले 365) का भाव आज 160) 170) रु० का भाव है।

एक माननीय सदस्य : इससे और भी नीचे जायगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दूसरी जो केश क्राप्स हैं, उन पर भी इसका असर आया है। काश्तकारों को कभी फायदा हो गया तो कभी कभी बड़ा भारी नुकसान भी होता है। विकास से जिन काश्तकारों का भला हुआ वह बहुत थोड़े हैं इस देश में। एक भी बरसात न हो तो जो दुर्दशा हो सकती है आप हम अच्छी तरह से जानते हैं।

किसान की एक मजबूरी है, वह संगठित हो नहीं सकता। हड़ताल कर नहीं सकता। हड़ताल करेगा तो फसल सूख जावेगी। खुद का ही नुकसान होगा। हमने किसान संघ बनाया। राजनैतिक चेतना उनमें लाने की कोशिश की। आखिर में हमने देखा कि यदि सरकार मेहरबान है तो किसान का भला है। वरना किसान अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जो भी देश का शासक रहा है उसने हमेशा उन पर सहानुभूति रखी है। मशीनीकरण के कारण, बिजली के कारण, खाद बीज के कारण, हाथ से मजदूरी करने की जरूरत नहीं, बैठे 2 काश्त कर सकते हैं। इसलिये आज काश्तकार सम्पन्न दिखता है और इस दृष्टि से लोगों का नजरिया बदलता है। चूंकि काश्तकार अमुक राजनैतिक दल को वोट देता रहता है तो यह कहा जाता है कि यहां के काश्तकारों की यह राय है। काश्तकार का तो नाम ही

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

नाम है। राय में बड़े सत्ताधारी हैं, कुछ के पास काफी पैसा है इसलिये काश्तकार सम्पन्न हो गया इसलिये उसको टैक्स देना चाहिये, कर देना चाहिये यह इनके साथ अन्याय की बात होगी यदि यह पास कर दिया जाता है। बहुत गरीब तबका है। किसान चाहे जहां का हो, चीन का हो या भारत का हो, चाहे दूसरे देशों में हो, उसको मौसम का मुकाबला करना पड़ता हैं, बीमारियां हो जाती हैं फसल को उसका मुकाबला करना पड़ता है। धूप में काम करना पड़ता है। पचासों दिक्कतें हैं। इसलिये इसको शताब्दियों तक मुक्त रखा जबकि लेण्ड रेवेन्यू ज्यादा थी। तो भी इस पर बहुत सोच समझकर टैक्स लगाया है लेकिन हमने पिछली साल बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया और मैं समझता हूं कि निर्माण के लिए टैक्स लगाया जाय तो अच्छी बात है। लेकिन आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले वर्षों में सरकार ने इस गरीब देश की जनता की छाती पर बहुत ज्यादा टैक्स थोपा है। जागीरदार कितने ही बुरे थे, कितनी ही हम उनको गालियां देते हैं कि जागीरदार ऐसे थे वैसे थे लेकिन वह भी होता था तो लेते थे और नहीं होता था तो नहीं लेते थे। अकाल के समय कितनी ही जनता दुखी थी लेकिन सरकार की तरफ से एक पैसा भी करों में कम नहीं किया गया। जैसे अकाल के दिनों में मोर बोलते हैं हाऊ, हाऊ उसी तरह से सरकार टैक्स के लिए चिल्लाती रहती है। एक छोटा सा तो कुनबा और सारे देश में वातावरण बना रखा है और यह भार गरीब जनता के ऊपर पड़ता है। जनता की कुछ हालत सुधरी है स्वतन्त्रता के बाद इसको हम स्वीकार करते हैं लेकिन वह दुखी हो गयी है। यह मत सोचिये कि आज काश्तकार सुखी है। वह बहुत दुखी है उसको ज्यादातर नुकसान ही होता है। फायदा होता है तो एक साथ होता है और जब नुकसान होता है तो एक साथ होता है।

आपने तिल के ऊपर टैक्स लगाया। आमतौर से काश्तकार पर कोई टैक्स लगता है तो हम तो उसका विरोध करेंगे। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को तिल का इन्सटान्स देता हूं। राजस्व मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जोधपुर डिवीजन में तिल की खेती को नन्ही खेती कही जाती है। इसमें नहीं होता तो कुछ नहीं होता है और हमारे वहां पर खेत बहुत बड़े-बड़े हैं। 40 बीघा तो मामूली लोग भी बो देते हैं। 50-60 और 100 बीघा में भी बो देते हैं। तो यह तिल की खेती चार, पांच साल में कभी हो जाती है तो बहुत हो जाती है। अब उसकी गिरदावरी करके तिल पर टैक्स लगाया जाये तो मैं समझता हूं कि न्यायोचित नहीं है। आपने इसके लिए प्रासीजर दिया है कि पटवारी करेगा और तहसीलदार के पास होगा और फिर वह दिन नियत करेगा और उसके बाद एतराजात सुनेगा और फिर तय होगा। फिर कलेक्टर के यहां तय होगा। लेकिन आप यह देखिये कि यह कितना मंहगा सौदा है ? वहां आदमी जाये और वकील और चाहिए साथ में। तो यह बहुत महंगा काम है। फिर भी पटवारी के हाथ में है। इससे तो अच्छा यह होता कि दो तीन पड़ौसियों के अंगूठे करवा लेते तो अच्छा था। यह सौदा सस्ता होता।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

मंत्री महोदय, जोधपुर जाते रहते हैं बिलाड़ा और जोधपुर के बीच में कुछ गांवों में बरसात हुई और सड़क के किनारे सरसों बोई हुई है। उसकी हालत आप देखें तो मुश्किल से वहां पर सौ, डेढ़ सौ पौधे भी नहीं होंगे और यह बारानी सरसों है। यह बड़ी रिस्क का काम है। ठीक है भरतपुर है, अलवर है वहां बारानी सरसों काफी होती है लेकिन अक्टूबर में वहां बरसात हो जाये तो हो जाये वरना वहां सरसों बिलकुल नहीं होती है। और इस तरह से उस पर यह टैक्स लगायें मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। तिल्ली पर टैक्स बहुत ज्यादा है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आवश्यक वस्तु है। तो आवश्यक वस्तु तो सभी है। साग सब्जी में जीरा, धनिया, मिर्ची और उसके बाद में तड़के के लिए घी मिलता नहीं है। सब आजकल तो तेल ही उपयोग में लाते हैं और आलू गरीबों की सब्जी है। सन के लिए कहा है तो सन को खाद के लिए बहुत लोग पैदा करते हैं। कुछ फसलों को इसमें से अवश्य निकालना चाहिए। सरकार को कमी है तो अलग बात है। काश्तकार की फसल जब घर में आ जाये तब मानना चाहिए कि कुछ पैदा हुआ है। सिंचित एरिया के लिए तो मान सकते हैं लेकिन जो क्षेत्र बरसात पर ही निर्भर हैं वहां पर यह टैक्स लगाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है।

मैं आपको कह रहा हूं कि किसान आज कर्ज में डूब रहा है। यह बात छोड़ दीजिए कि काश्तकार को दो टाइम रोटी मिल जाती है। लेकिन यह वहीं है जहां कि सिंचित क्षेत्र है। काश्तकार के अन्दर बहुत ज्यादा खुशहाली आ गयी हो यह मनगढ़न्त बात है। एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स करना चाहते हैं तो इसमें बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। आमतौर से काश्तकार के ऊपर और खासतौर से बारिस के ऊपर निर्भर करने वाली जो खेती है उसके ऊपर टैक्स लगाने से उसका भार उतना ही ज्यादा पड़ेगा और काश्तकार के ऊपर अन्याय होगा। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस बात पर पुनर्विचार करें। बहुत सी फसलों में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं बोलना नहीं चाहता।

श्री सभापति : श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, जो राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक विचारार्थ माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है उसके बारे में, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय।

श्री केशरीमल : सभापति महोदय, प्रान० ए० पाइन्ट ओफ प्रोसीजर। मेरा निवेदन करना है कि ·······

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप पहले प्रस्ताव के प्रोसीजर को तो फालो कीजिये। बोलना चाहते हैं वह बोलें लेकिन यह प्रोसीजर है।

श्री केशरीमल : प्रान ए पाइन्ट आफ प्रोसीजर सर। कल यह रूलिंग हुई है कि जिनका लिस्ट में नाम है पहले उनको

(श्री केशरीमल)

मौका दिया जाये बोलने का। नहीं बोलें तो दूसरी बात है लेकिन लिस्ट वाले बैठे हैं और बिना लिस्ट वाले बोल रहे हैं।

श्री सभापति : जनमत जानने के लिए जो सूची है उसमें कोई नाम नहीं था। क्योंकि यह जनमत जानने के लिए बोलना चाहते हैं इसलिए इनको बोलने दिया जाये।

श्री लूणाराम : सभापति महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि असिंचित क्षेत्र और खासकर जो रेगिस्तानी पश्चिमी क्षेत्र के जिले, जहां पर कि कभी फसल नहीं उगती है और जो उगती है तो बरसात के अभाव के कारण सूख जाती है, उसी क्षेत्र के अन्दर टैक्स लगाने का जो सवाल है खास कर तिल के बारे में है। तिल के बारे में, मैं निवेदन कर दूं कि हमारे यहां कहावत है कि तिल किस जगह पैदा होता है। तो कहा बताते हैं कि तिल तारिये और मूंग मगरिये। याने तिल धोरों में कहीं नहीं पनपता है। गहरी ताल में होता है जो है नहीं। और तिल वह भी कितनी मात्रा में किसान बोते हैं कुल जो बीज डाला जाता है मिश्रण करके 1 परसेन्ट या ज्यादा से ज्यादा 2 परसेन्ट में डाला जाता है। आज जो यह टैक्स लगाया जारहा है उसमें मिश्रण में 4 एकड़ का काश्त भूमि के अन्दर एक एकड़ भूमि में तिल माना जायगा। मेरा इस सम्बन्ध में सभापति महादय, यह निवेदन है कि जहां इस प्रकार से 1 परसेन्ट केवल बीज डाला जाता है और दूसरी तरफ उस को 25 परसेन्ट के अनुपात में मान लेते हैं उसकी काश्त में तो यह अपने आप में अतिशयोक्ति है। हास्यास्पद है इसके साथ साथ मंत्री महोदय, अगर पिछले 10 वर्षों के गिरदावरी के आंकड़े भी देखकर फलावट करें तो शायद यह नहीं होता। तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र के अन्दर जहां तक खेती का खासकर तिल का सवाल है कोई तिल नहीं होता। टैक्स नहीं लिया जाय और लिया भी जाय तो उस अनुपात को अवश्य खयाल में रखेंगे। किस अनुपात में काश्तकार ने बोया है न कि खेती के क्षेत्र को। इसके साथ दस वर्षों के आंकड़े देकर या जिस अनुपात में बीज डाल कर एक परसेन्ट से अधिक बीज नहीं डाला हो तो उस हिसाब से ही लगाय तो कोई बात भी समझ में आ सकती है।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है माननीय सभापति जी, कि इसके अन्दर पटवारी की अनुमान लगाने की व्यवस्था की है। हो सकता है कि इस टैक्स से सरकार को आमदनी हो या न हो, काश्तकार लुटे या न लुटे पर पटवारी के घर तो आज ही घी के दीये जलने प्रारम्भ हो जायेंगे। इस प्रश्न पर पटवारी से काश्तकार को मुक्त कर देना चाहिए। हर किसान को चाहे वह किसान तिल डाले या न डाले तिल पैदा हो या न हो लेकिन उसको लूटने का मौका अवश्य इस मामले में पटवारी को मिल जायगा। तो इस सम्बन्ध में टैक्स देने के मामले में पटवारी को रख देने से सरकार को चाहे पैसा मिले या नहीं मिले लेकिन पटवारी इस रूप में भय दिखाकर दस रुपया अपनी जेब में जरूर डाल ही लेगा। चाहे सरकार के घर में एक पैसा न जावे, किसान के घर में पैदावार जावे या नहीं जावे लेकिन पटवारी की जेब जरूर गरम हो जावेगी। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो

(श्री लूणाराम)

सरकार ऐसे टैक्स लगाकर अधिक पैसा किसान से लेना चाहती है उसमें अधिक चोरी बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है उससे शासन में शिथिलता व अव्यवस्था फैलती है। इसलिए हर चीज में हमें उदार दिल से टैक्स कम कर देना चाहिए। अगर टैक्स कम होगा तो ईमानदारी से वसूल होगा और उससे चोरी कम होकर व्यवस्था बनी रहेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार से आज टैक्स तिल पर लगाने की बात है, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जहां तक माननीय मंत्री महोदय ने अधिक से अधिक 9 रुपया फी एकड़ लगाने का प्रावधान रखा है, मैं यह चाहूंगा कि इस प्रकार के सूखे क्षेत्र में जहां दस वर्ष के अन्दर एक बार भी पैदावार हो जावे तो बहुत होता है। जहां फसल का सवाल नहीं होता है उस पर इस प्रकार से टैक्स लगाना बहुत ज्यादा है। इसलिए सूखे क्षेत्र में माननीय मंत्रीजी या तो कतई न लीजिये। अगर किसी भी तरह से लें ही तो रुपये में कुल 25 परसेन्ट तो मत लगाइये ...

श्री परसराम मदेरणा : अनइरींगेटेड में तो दो रुपया ही है।

श्री लूणाराम : हम तो यह चाहते हैं कि इस पर लिया ही नहीं जावे और लिया जावे तो 25 पैसे प्रति एकड़ से अधिक कतई नहीं हों और इस सूखे क्षेत्र के अन्दर तो कतई लगाई न जावे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : 25 पैसे में तो पटवारी भी ज्यादा खींचतान नहीं करेगा।

श्री लूणाराम : इसी प्रकार से दूसरे रूप में रेगिस्तानी क्षेत्र के अन्दर एक तरफ तो हमारी सरकार यह चाहती है कि अधिक से अधिक उत्पादन हो, किसानों द्वारा पैदा किया जाय। इस उत्पादन वृद्धि के अंदर कोई कुआ लगाकर अगर पांच बीघा आधा बीघा, या एक बीघा के अन्दर कोई आमदनी करता है, मिर्च लगाता है, सौंफ लगाता है और अपने घर के काम के लिए आलू आदि लगाता है तो भी उस पर इस प्रकार से टैक्स लगाते है यह उचित नहीं है। इसलिए कम से कम एक निश्चित सीमा तक का क्षेत्र बंद के महत्व के अनुसार मुक्त रहना चाहिए और घर के काम के लिए किसान लगाता है तो उसको मुक्त रखना चाहिए, यही मेरा निवेदन करना है।

(6.32 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया]

"राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)"]

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्षजी, जो माननीय मंत्रीजी ने यह केश क्रोप पर टैक्स लगाया है उसका जो आर्डिनेन्स निकालने की बात थी उसको आपने बताया है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वह आर्डिनेंस निकालना आवश्यक था। इसमें आर्डिनेंस निकालने के जो कारण दिये

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हैं कि हमें एडीशनल् रेवेन्यू चाहिए दूसरे कामों के लिए और इसलिए यह मामला ऐसा अरजेंट था कि यह लगा दिया, ये दो रीजन आपने बता दिए। तो माननीय उपाध्यक्ष जी, इस कानून के अन्दर जो प्रोसीजर निर्धारित किया है एलोबरेट करने का और कर लगाने का जो प्रोसीजर निर्धारित किया है उसके हिसाब से यह दोनों रीजन्स आर्डीनेंस निकालने के ड्राप होते हैं। उनसे कोई मंशा की पूर्ति नहीं होती है। आपने माननीय मंत्रीजी और खासतौर पर कई माननीय सदस्यों ने कहा कि किसान की हालत अच्छी हो गई और बहुत कीमतें बढ़ गई माली हालत अच्छी हो गई, ऐसे लोगों से जब आप रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे उसकी पूर्ति नहीं होगी। अगर आप सरचार्ज बढ़ा दें, जैसा पहले सरचार्ज लगाया और आप भी यह महसूस करेंगे कि कुछ लोगों की इन्कम ज्यादा है उससे क्या होगा, अगर लैंड रेवेन्यू एक आना है तो उसका दो आना हो जायगा, एक रुपया का दो रुपया हो जाएगा। इसके अगेंस्ट में इतना लम्बा प्रोसीजर निर्धारित किया है। 9 रुपये प्रति एकड़ यह बहुत ज्यादा है। अभी तो पांच सात साल से केश क्रोप कर रहे हैं वह भी बहुत लिमिटेड मात्रा में करते है। तो इसमें आपको सरचार्ज से जो 90 लाख रुपया वसूल करना चाहते हैं तो क्या गारन्टी दी है। यह क्या गारन्टी है कि 90 लाख ही वसूल करेंगे और दो करोड़ कर लिया तो क्या गारन्टी है। और इसका जो प्रोसीजर है, पटवारी अपनी लिस्ट दे दे प्रोविजनल और उसकी लिस्ट के आधार पर ही तहसीलदार प्रोविजनल असेसमेंट करके निकाल दें और उसके बाद डेट मुकर्रर कर दे कि उसको करेक्ट करवा ले। यह समरी प्रोसीडिंग्स है। यह बहुत ही कम्पलीकेटेड प्रोसीजर है जिसके आधार पर आप लैंड रेवेन्यू वसूल करना चाहते हैं। आपने उसको क्या गारन्टी दी है, जो असेसमेंट कर लिया वह पैदा हो ही इसकी क्या गारन्टी है, जैसे शीत लहर चल जाती है, जैसे हमारे जालोर जिले में, सिरोही और पाली जिले में कीड़ा लग गया फसल के अन्दर। एक चीज और है और इसके बारे में राज्य सरकार के सामने बारबार कहा है कि आप क्रोप इन्श्योरेंस इण्ट्रोड्यूस कीजिये लेकिन आप क्रोप इंश्योरेंस नहीं कर सकते। आप फसल की गारन्टी नहीं दे सकते। सरकार खुद भी क्रोप इन्श्योरेंस के लिए तैयार नहीं है और इस तरह से करते हैं तो इस कर से सरकार को कोई इन्कम भले ही हो या नहीं हो लेकिन पटवारी की इन्कम जरूर होगी, लेकिन राज्य के खजाने में कितना पैसा आएगा उसकी कोई गारन्टी नहीं है। यह बहुत ही डेंजरस कानून है। यह हमारा अनुभव है, उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स इसी विधान सभा में लगाया गया था और अनुभव के आधार तो बताता हूं कि ऐसे हजारों काश्तकारों को अफसरों ने नोटिस दे दिए और उससे एक पैसा भी इन्कम नहीं हुई। इन्कम नहीं होने के कारण वह कानून वापिस लिया गया। विथड्रा किया गया उस कानून को। तो यह आपका अनुभव है। काश्तकार अनपढ है, Irrigated, unirrigated without any demarcation यह लगा देंगे, नोटिफिकेशन में डिस्क्रिमिनेट करेंगे यह चीज हो जाने से एग्जामिन किए बगैर नोटिस निकाल देंगे और उसके बाद काश्तकार आन्दोलन करें, हंगामा करें जैसे गंगानगर वालों ने किया और हमारी जो मंशा है कि अधिक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इन्कम हो वह तो नहीं सकती। आखिर गंगानगर वालों के आन्दोलन से उसको वापिस विथड्रा किया गया। उनसे हम ज्यादा लेना चाहते थे लेकिन क्यों नहीं लिया। 1968-69 में हमारे भूतपूर्व सुखाड़ियाजी की गवर्नमेंट ने इसको विथड्रा किया। और यह भी अनुभव है कि कुछ लोगों को कमाण्ड में आता है, कुछ कमान्ड में नहीं आता है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह टैक्स का कल्टीवेटेड एरिया के अन्दर सिर्फ असेसमेंट के आधार पर जिस प्रकार से पटवारी लिस्ट दे दे उसके आधार पर यह टैक्स लगा दें तो रिकवरी हो नहीं सकती है। काश्तकार को आप परेशान करें यह प्रोसीजर अच्छा नहीं लगता है। आपकी मंशा है कि लैंड रेवेन्यू वसूल करना चाहते हैं, एडीशनल इन्कम पर आप टैक्स लगाइये और वसूल कीजिए। इधर आप एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाना चाहते हैं लेकिन उस पर भी माइण्ड नहीं बना है इसलिए एग्रीकल्चर इन्कम पर अभी तक आपका कोई आधार भी नहीं है, कोई ग्रेडेशन नहीं है। यह परम्परा कि तीन चार महीने में रिवीजन हो, अपील हो, अपील के बाद रिवीजन और रिव्यू हो यह प्रोसीजर इस तरह का है कि जो आप नब्बे लाख की इन्कम करना चाहते हैं तो नब्बे लाख के लिए सारे राजस्थान के काश्तकारों को परेशान करें यह कहां तक वाजिब है। आपको नब्बे लाख चाहिए यह तो आप दूसरे तरीके से भी वसूल कर सकते हैं। आप सरचार्ज लगा दीजिये। सरचार्ज डबल होगा तो एक आना से दो आना होगा, दो रुपये से चार रुपये होगा यह बात तो समझ में आती है लेकिन नाइन टाइम्स आखिर कितना है। आपने लेवी लगाई थी सुखाड़िया साहब के टाइम में और लेवी को विथड्रा करना पड़ा। गिरदावरी के हिसाब से दस किलो, पांच किलो का असेसमेंट करके जितना पैदा हुआ उससे ज्यादा लेवी आ गई और इसको विथड्रा करना पड़ा। तो यह हमारा अनुभव है माननीय मंत्री जी। एक तो आपने अनइरिगेटेड, डजेर्ट एरिया, सेमी डजर्ट एरिया सब में लगा दी, तिलों में लगा दी, अरण्डी पर लगा दी, सरसों, कस्टर्ड पर लगा दी, पोटेटो, चिली, अरण्डी वगैरह पर लगा दी। यह तो आपका खुद का अनुभव है माननीय मंत्रीजी और आपका भी उपाध्यक्ष जी अनुभव है कि इतना आप आर्डिनेन्स के जरिये अरजेण्ट कर लगावें तो क्योंकि आपने आर्डिनेंस निकाल दिया इसलिए आप खुले दिल से विचार नहीं कर सकते, आप एक सीमा में बंध गए हैं और माननीय उपाध्यक्ष जी, यह क्लाज बाई क्लाज लिया जावेगा उस समय के लिए भी हमने देखा है कि इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है तो यह मजबूरी की हालत में पास होगा। इस पर क्योंकि क्लाज बाई क्लाज कोई अमेंडमेंट नहीं है इसलिए अगर आप महसूस भी करेंगे तो भी अमेंडमेंट कर नहीं सकेंगे। तो यही कारण है कि जो आपने 17 कैटेगरीज रखी हैं इसके अन्दर डजर्ट, सेमी डेजर्ट, इरींगेटेड, अनइरींगेटेड इसके अन्दर जो नोटिस पटवारी देगा और पटवारी के नोटिस के आधार पर तहसीलदार नोटिस इश्यु कर देगा। आपको मालूम है कि गिरदावरी खातेदारी पर बन्द कर दे तो यह अनुभव है कि पटवारी परेशान करता है खातेदार को। तो यह भी विड्रो की थी सदन की मंशा ले करके तो इस हालत में यह जो कर आपने लगाया है और यदि आपको यह लगाना ही

.(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है और आप ऐसा समझते हों कि काश्तकार की यह टेन्डेन्सी हो गई है कि कैश क्राप्स ज्यादा करे, जैसा कि महाराष्ट्र और गुजरात में हो रहा है, और उनकी देखा-देखी आप यहां पर लगाते हैं तो वहां पर तो 90 पर्सेन्ट कल्टीवेशन उसकी उन्होने कर दी है और अनाज पैदा करना ही बन्द कर दिया है, मगर यहां पर तो ऐसा खतरा ही नहीं है। अगर टेन्डेन्सी है और काश्तकार कैश क्राप्स की ओर जा रहा है और अगर इसको ही आप रोकना चाहते हों तो इसके लिए दूसरा प्रोसीजर है। आप एरिया लगाकर उसके अन्दर लैण्ड रेवेन्यू कर दें डबल, ट्रिबल आपकी मन्शा सिर्फ रुपया वसूल करने की ही है तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, कि आपको बार बार एमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे। आप एक साल भी इसको रिकवर करके देखें तो या तो रिकवरी ज्यादा होगी और उससे काश्तकारों को हैरासमेंट होगा, जैसा कि लेवी का अनाज काश्तकारों को बाजार से खरीद कर देना पड़ा था। लैण्ड रेवेन्यू जो एक आना, दो आना बीघोड़ी का होता है और फैमीन पड़ता है और आपको रिकवरी करना पड़ती है तो आपको खेत नीलाम करने पड़ते हैं। तो, माननीय उपाध्यक्षजी, आप माननीय मंत्रीजी से लिस्ट मांगे कि इन 4–5 वर्षों में कितने खातेदारों के खेत बिके हैं और मनी लेन्डर्स के यहां पर मोरगेज हुए हैं। एरण्डा पर जो आपने रखने का आधार रखा है तो मैं आपसे कहूं कि यह पूअर कल्टीवेटर्स को परेशान करेंगे····

श्री परसराम मदेरणा : जीरा आपकी तरफ होता है वह तो ठीक है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जीरा कितने एरिया में होता है आप आंकड़े निकाल कर देखिये। जीरा बोया जरूर है लेकिन खत्म हो गया। माननीय मंत्रीजी आपको अच्छी तरह से अनुभव है। पिछले साल सरसों के जो भाव थे वह बिल्कुल आज कौड़ियों के भाव हो गई है। जो बीमारी फसल में लगी है और खराबा कितना हुआ है उसकी उजरदारियां कौन सुनेगा? उजरदारियां सुनेंगे तो रिकवरी कैसे होगी? आपका सक्यूंलर जायेगा फिर कि इस 90 लाख की वसूली क्यों नहीं हो रही है तो 90 लाख से भी ज्यादा की वसूली हो सकती है, लेकिन इसमें हजारों काश्तकार बरबाद हो जायेंगे। तो जो इसकी मन्शा है और जो आपने एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में लिखा है एक तो एडिशनल रेवेन्यू और दूसरी अर्जेन्ट वसूली की ओर जो आपने ड्राफ्ट प्रोसीजर कर दिया है उससे 6 महीने तक रिकवरी नहीं होगी। आपने सेटलमेंट के बाद पट्टे जारी कर दिये और उसके बाद उजरदारियां मांगी थीं तो वह आज तक इतनी फाइलें पड़ी हुई हैं अनडिसाइडेड तो आपका यह तो प्रोसीजर है। एट रेन्डम आपने लगा दिया और एट रेन्डम वसूली नहीं हुई तो कलेक्टर खा जायगा कि रेवेन्यू वसूल क्यों नहीं हो रही है राज्य सरकार लैण्ड रेवेन्यू का सस्पेन्शन कर देती है। फैमीन में फिर भी सारी रिकवरी होती है। आपका आर्डर बाद में निकलता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक खतरनाक पीस आफ लेजिस्लेशन है। यह सारे काश्तकारों को परेशान करेगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) या तो आप ग्रेड के हिसाब से करें। ग्रेड कर जिसके अन्दर कुछ तो ऐसा करें। आपकी कुछ तो केटेगरीज हों। बिल्कुल इस

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तरह से लगाकर सिर्फ पटवारियों की इनकम कराने का सोर्स पैदा कर रहे हैं तो अलग बात है लेकिन इससे राज्य की इनकम तो नहीं होगी और आपका जो परपज है वह डिफीट हो जायगा।

लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि काश्तकारों की हालत अच्छी हो गई है, लेकिन अच्छी हालत वालों से आप वसूल नहीं कर सकते हैं। वह तो पटवारी को 100 रु० देकर बच जायगा। ऐसे लोगों पर कल्टीवेटेड एरिया निकालकर सरचार्ज लगा दें। इतने से रुपयों के लिए सारे काश्तकारों को परेशान न करें। आप खुद मानते हैं। यह तो दुगना होगया है। आप किस रेट से लगायेंगे, किस दर से लगायेंगे यह कुछ नहीं है। जगह जगह किसान आन्दोलनों के नाम से सारी पार्टियां चिल्लायेगीं। तो यह तो अच्छा प्रोसीजर नहीं होगा। पहले का हमें बिटर अनुभव है। तो ऐसी हालत में आप इसको सिलेक्ट कमेटी में मेरा सुझाव है 7–8 दिन के लिए भेज दें ताकि वहां पर ठंडे दिल से विचार कर सकें और सरल तरीके से टैक्स लगना चाहिए। टेक्सेशन सरल होना चाहिए। काश्तकार तो यह कहता है कि 5–10 रुपये ले लो और बाबा पिण्ड छोड़ो। काश्तकार से सरचार्ज के रूप में टैक्स लगाकर वसूल कर लें। लम्बा-चौड़ा कानून है वह बहुत ही खतरनाक है। आपको मजबूर होकर एमेंडमेंट बार बार करना पड़ेगा और कैटेगरीज बनाइये कि जीरा, सरसों पर कितना कितना हो। इसके एरिया बहुत कम हैं। कुछ थोड़े से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो कल्टीवेटेड एरिया को लेकर सरचार्ज लगायें और लैण्ड रेवेन्यू से दुगुना, तिगुना लगा दें तो भी आपका 90 लाख हो जायगा। जिनके पास में इनकम है उनसे 100, 50 रुपया ले लें जैसे कि गंगानगर वाले हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला ऐसा है कम्प्लीकेटेड कि बहुत से लोग समझ नहीं पाये हैं। यह आप खुद जानते हैं। क्लाज वाई क्लाज एमेंडमेंट नहीं है। यह जनरल डिसकशन यहां पर होने के बाद फटाफट पास होने जा रहा है। यह मुझे दिख रहा है। तो इसके अन्दर अगर यह मान लें कि 4–5 दिन में ..

श्री परसराम मदेरणा : एमेंडमेंट दिये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं कहता हूं कि एमेंडमेंट कुछ नहीं है। राज्य सरकार के एमेंडमेंट्स अभी तक मूव नहीं हुए हैं। यह ऐसा मामला है कि जिसको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। अच्छा हो कि इसको 8 दिन के लिए रोक लिया जाय। यह मैंने पढ़ा है। यह इतना खतरनाक कानून है कि राज्य सरकार ने जिन एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स से इसको जारी किया है उनकी पूर्ति नहीं होगी। राज्य के खजाने में 90 लाख से ज्यादा दो करोड़ भी आ सकते हैं और 90 लाख रुपये आयेंगे भी नहीं। ज्यादा भी आ सकते है और कम भी आ सकते हैं। उसको फुलफिल करने की बात करेंगे तो गिरदावरी में कहीं पर 100 बीघा पर फसल की और पैदा कितना हुआ इसकी गारन्टी कौन करेगा? अगर आप गारन्टी करते हैं तो क्राप इन्श्योरेन्स क्यों नहीं लागू कर देते हैं। आप खुद क्राप इन्श्योरेन्स के लिए कह रहे हैं। जब जब भी हमने सवाल उठाया है कि आप क्राप इन्श्योरेन्स लगाने में असमर्थ हैं क्योंकि फसल की

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कोई गारन्टी नहीं है। जब उसमें कोई गारन्टी नहीं है तो इसमें गारन्टी कहां से आ जायेगी ? पटवारी गारन्टी दे देगा। इसलिए यह बिल्कुल काम्प्लीकेटेड मामला है। इसमें पटवारी प्रोवीजनल लिस्ट दे देगा और नोटिस जारी कर देगा और तहसीलदार भी फट लगा देगा। कल्टीवेटेड एरिया 1000 एकड़ का है और उसमें पैदा कितनी हुई ? क्योंकि कोई गारन्टी नहीं है तो वह क्या सबूत पेश करेगा। पहले जागीरदार लोग लौटा लेते थे तो वह खलिहानों में जाकर कूंता करते थे और उस हिसाब से जितना उनका हिस्सा होता था उतना लेते थे। लाटा निकालने के ऊपर जितना हो, 10 किलो हो या 10 मन हो जितना भी हो आप हासिल लगा दें उसकी कीमत करके तो फिर वह भी तो ठीक है। उसका वह निकालकर उसकी कीमत कर दें तो यह तो समझ में आता है। कल्टीवेटेड एरिया निकाला नहीं और 9 रुपये के हिसाब से लगा दिया। जहां एक रुपया है वहां पर दो रुपया कर दें। एक आना लैंड रेवेन्यू है तो किस कानून में आप 9 रुपये का टैक्स लगा रहे हैं। नाज कितना हुआ यह मालूम है आपको ? 100 बीघे का तिल है या कितने का। एरण्डा का आपने कर दिया तो एरण्डा तो मिर्चियों को बचाने के लिए लगाया जाता है। उसमें पटवारी ने बता दिया कि एरण्डा था तो जिस तरह से कलेक्टर के बंगले के महाते में अलवर में किसी ने अफीम के पौधे लगा दिए और कलेक्टर को पता नहीं था तो इस तरह से यह अफीम वाला मामला होगा। हर तरह से काश्तकारों पर टंटे चलायेंगे पटवारी और तहसीलदार। आपको तो इसका अनुभव है कि कितनी उजरदारियां बन जायगीं। आर्डिनेन्स निकालने जा रहे हैं नवम्बर में और दो महीने में आपके यहां से क्लियर नहीं हुआ तो पटवारी और तहसीलदार के यहां क्या हालत होगी ? वह ठोक देंगे फटाफट ·······

श्री गुमानमल लोढ़ा : परसरामजी की सिट्टी बन्द हो गई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं राज्य सरकार से अपील करूंगा कि यह बहुत गम्भीर मामला है। इरिगेटेड और नान-इरिगेटेड का डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए वह नहीं करते हुए सब पर लगा दिया है। वह खतरे की घन्टी है। उससे आपका निकलना मुश्किल हो जायगा। इसके अन्दर कल्टीवेटेड एरिया की बात पकड़कर बीघोड़ी का दुगुना तिगुना कर देते तो समझ में आता। जिनके यहां पैदा होता है जैसे कि गंगानगर में कहा गया कि 10 हजार की इनकम है तो एक हजार का एग्रीकलचर इनकम टैक्स आपने विद्ड्रा किया है इसी असेम्बली में। आज वहां खड़े होकर यह कहने लगें कि किसानों के अच्छे मकान बन गये तो जिनके अच्छे मकान हैं वह तो वकील की फीस देकर माफ करा लेंगे। आप भाषण देते हैं उससे उसकी पूर्ति नहीं होगी। जिनके पास पैसा है, इन्कम है उनसे लेने की कोशिश करें और ऐसा कानून लायें कि आप ले सकें। सब को एक ही डंडे से हांकना, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, यह ठीक नहीं है। इसलिए आप गंभीरता से विचार करें नहीं तो आपकी मन्शा की पूर्ति नहीं होगी। इसको थोड़े समय के लिए स्थगित करके उचित संशोधन करके फिर

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

लायें। आज ही पास करना जरूरी नहीं। आप इसको हल्के ढंग से ले रहे हैं कोई प्रलय नहीं हो रही है। दो महीने विधान सभा का अधिवेशन चलने वाला है, बार बार समय खराब होगा। आप प्रवर समिति में भेज कर कुछ मुद्दों पर विचार करायें, रीड्राफ्ट करायें। अध्यादेश जारी कर दिया तो आपका प्रेस्टिज इश्यू नहीं है। ऐसे कानून अध्यादेश के जरिए नहीं लाए जाते हैं। रिवीजन, रिव्यू, अपील, पटवारी, तहसीलदार, इतना लंबा चौड़ा कानून है। पंचायत कानून और टेनन्सी कानून रात को एक बजे तक बैठकर पास किया था और इस समय जल्दबाजी में पास करायेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा और उधर समय खराब होगा। आपकी आमदनी बढ़े उसके लिए इस तरह के कानून लायें ताकि लोगों को परेशानी न हो........

कई माननीय सदस्य : बहुत बढ़िया, परसरामजी मान गए।

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर) : मैं समझता था कि राजस्व मंत्री किसान तबके से तालुक रखते हैं इसलिए काश्तकार की बात को समझते होंगे लेकिन यह मेरा कोरा भ्रम था। उन्होंने किसान पर जिस ढंग से प्रहार किया है, यदि गैर किसान मंत्री होता तो भी नहीं करता। आज मैंशनल प्रॉडक्शन जितना भी है उसमें कैश क्रॉप्स है, वे किस ढंग से पैदा होते हैं, किसान पर कितनी लागत आती है, हम हमेशा अंधकार में रहते हैं। खेती तभी समझनी चाहिए जब पल्ले पड़े। जो चीज पल्ले नहीं पड़े, उस पर टैक्स लगायें इससे बढ़कर गलत कार्यवाही और क्या हो सकती है, वह भी अध्यादेश के द्वारा। मैं समझता हूं इस पर कर लगाकर किसान को मारा गया है और उस बात को जोड़ा गया है कि कर आम आदमी पर बढ़ जाएगा। सारी चीजों पर कर लगायें हैं जो फैक्ट्रीज में पैदा होती है। उद्योग के हिसाब से जितना उत्पादन होता है, आम यह रास्ता खोला जा रहा है, किसान पर लगेगा। यह रास्ता खोला जा रहा है, किसान पर कृषि आयकर का इशारा करता है। एक दिन आएगा क्योंकि दिल्ली में कमीशन बैठा है वह कहता है कि 105) में किसान से गेहूं ले लो, फिर भी आज किसान की आवश्यकतायें नहीं हैं, उनकी आवश्यकतायें छोटी हैं, आज मोटा कपड़ा चाहिए, मोटा अनाज चाहिए तो शायद आप यह भी कर सकते हैं कि केवल मार्जिनल जिससे वह जीवित रह सके, उसके पास उतना ही अनाज छोड़ दिया जाए, बाकी सरकार ले लेगी। तो मेरे मन में खतरा बना हुआ है कि यह रास्ता जो खोला जा रहा है, आमदनी के नाम से, उसमें किसान इसलिए जिंदा नहीं रह सकता कि एग्रीकल्चर की मिक्सड फार्मिंग है। किसान के पास भेड़ बछड़ा नहीं है। आपने किसान को बख्शा नहीं। राई ऐसी चीज है जिससे घर में काम चलता है, ऐसी चीजों को ले लिया उसके घर में बछड़ा प्रोड्यूस होगा तो उस पर कर लगेगा। बहुत भारी लगेगा। आप देखें कि क्या करने जा रहे हैं? उधर पटवारी का खतरा है। संवत् 1900 में गिरदावरी इसलिए बंद कर दी कि पटवारी मेरी जमीन इनके नाम कर दें, तुम्हारी

(श्री भ्रावरमल सूण्डा)

जमीन दूसरे के नाम कर दे क्योंकि पटवारी पर भरोसा नहीं था और किसान को यह कम्युनिस्टों की देन है कि दुबारा चालू करना पड़ता है। किसने जमीन जोती है उसका हिसाब रखा जाए। पटवारी की जगह से सीकर जिले की तोरावाटी एरिया में 90 प्रतिशत कुए आज भी किसान के कब्जे में नहीं हैं। आप अंदाजा लगायें कि जिस किसान से आप इस तरह से लेना चाहते हैं उसको क्या देते हैं। तोरावाटी में सूखे सरसों की खेती होती है उसमें एक बिसवा या तीन बिसवा के कुए में नाल आज भी किसान के कब्जे में नहीं है, वे बिजली नहीं ले सकते, मुकदमे चल रहे हैं। 90 प्रतिशत किसानों के कुएं पटवारी की वजह से जमीन से एटेच्ड नहीं हैं। राज्य व मंत्री ध्यान दें कि तोरावाटी में 45 पंचायतें हैं जिनमें 90 प्रतिशत कुए किसान के कब्जे में नहीं हैं। अगर बैल से सिंचाई करते हैं तो माफी है, बिजली लगाते हैं तो कई दिक्कतें हैं। बढ़िया जमीन अभी भी असिंचित है क्योंकि पटवारी का पैदा किया हुआ अंड़गा है।

प्रोसीजर की बात आई कि अपील करेगा उसकी सुनना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि यह एक ऐसा रास्ता पकड़ा जा रहा है कि राजस्थान का किसान अगर प्रगतिशील नहीं होता और फिर आप उस पर बजन पर बजन डालते तो एक माइनर बात थी लेकिन इस सरकार के साथ राजस्थान के किसान ने जो सहयोग किया है उस सहयोग का इस तरह से बदला ? यह कोई विश्वासघाती ही कर सकता है। जो आदमी रोज रोज हर मामले में सरकार का सहयोग करे और फिर आप रोज रोज उस पर प्रहार करते जायं तो विश्वासघात के अलावा और क्या हो सकता है ? मैं चाहूंगा कि इतनी बड़ी समस्या को हाथ में लेने से पहले विस्तार से विचार हो जाए और क्लाज बाई क्लाज इस ढंग से लिया जाए कि रोज रोज परेशानी में नहीं पड़ना पड़े। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए।

श्री रतिराम यादव (तिजारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, वास्तव में यह बड़ा खतरनाक विधेयक है और जिस मन्शा से हमारे मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है वह इससे कतई पूरी होने वाली नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा वह हमारे सारे लक्ष्य भी, जो कि हम देश के अन्दर छोटे वर्गों को उठाने के लिए जो समाजवादी प्रोग्राम हम हाथ में लेते हैं, वे भी इससे पूरे नहीं होंगे, बल्कि होगा यह कि जो छोटे किसान हैं, जिनकी हालत बड़ी नाजुक है, वह एक अधिक कर के भार से दबते जायेंगे और बड़े भूमिपति हैं, बड़े धनी किसान हैं वे उठ कर इसमें से रास्ता निकाल कर बच निकलेगें। और उनके ऊपर कोई बड़ा भार नहीं पड़ेगा। यह ठीक है कि विकास के कार्यों के लिए हमको पैसा चाहिए और मैं समझता हूं, उनके लिए अगर धनी किसानों पर, अगर बड़े बड़े भूमिपतियों पर, जमींदारों के ऊपर, अगर इस प्रकार कोई कामर्शियल आप पर सैस लगाना चाहें तो यह बात माननी चाहिए। यह बात उपयुक्त भी

(श्री रतिराम यादव)

है और वह हमारे प्रोग्राम के हिसाब से ठीक बैठती है। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो खाने के लिए भी अनाज पैदा नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी जिनके पास होल्डिंग हैं, उनके ऊपर भी उसी हिसाब से सैस लगा दें, बिना इस बात का विचार किये हुए कि इसके पास कितनी जमीन है, आया वह जमीन में अनाज पैदा कर सकता है, जिससे वह पेट भर सके, या जमीन के ऊपर कामर्शियल क्राप बो कर धनी हो जाना चाहता है क्या मन्शा है? इन सब पहलुओं पर विचार करना आवश्यक था। मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने प्रस्ताव किया है कि यह जो विधेयक पेश किया गया है, यह बिना सोच विचार के प्रस्तुत कर दिया है, मंत्री महोदय स्वयं किसान हैं, मुझे आश्चर्य होता है इस बात का, उन्होंने बिना सोचे विचारे इस विधेयक को किस तरह इस सदन के अन्दर प्रस्तुत कर दिया? क्या उनके खयाल में इस विधेयक से उनकी मन्शा पूरी हो सकेगी, छोटे किसान, जिनकी हालत खराब हैं, को कोई राहत मिल सकेगी, वह विकास कर सकेंगे, तरक्की कर सकेंगे और जो भूमिपति हैं, बड़े किसान हैं, उन पर बोझ पड़ कर उनसे इतनी आमदनी सरकार को हो सकेगी जिससे इस राज्य के विकास के अन्दर मदद मिल सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं इस विधेयक की धाराओं पर जाकर आपके सामने उदाहरण रखूं तो बिलकुल यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि इस विधेयक की मन्शा पूरी नहीं होने वाली है, बल्कि उसके बुरे परिणाम, गम्भीर परिणाम इस रूप में निकलेंगे कि इस राज्य में छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनकी हालत और अधिक खराब होती चली जायेगी और बड़े किसान हैं वह और अधिक हावी होते चले जायेंगे।

जैसे, उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की जो दूसरी धारा है—इससे पहले कि मैं धाराओं का जिक्र करूं, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आखिर हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह कामर्शियल क्राप किसान बोता है, वह किस भावना से बोता है, उसको उससे क्या लाभ होता है उसके बोने में। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कामर्शियल क्राप के बोने के पीछे अलग अलग भावनायें किसानों की हैं, जो छोटे किसान हैं, जिनकी होल्डिंग बहुत छोटी है, पांच एकड़ से लेकर दस एकड़ तक है, वह कामर्शियल क्राप बोते हैं लेकिन अपने हिसाब से बोते हैं, वह खाने के लिए अनाज अधिकतर बोयेंगे और थोड़ी बहुत कामर्शियल क्राप बोयेंगे, इसलिए बोयेंगे कि जितना अनाज है, वह परिवार के खाने पीने या मवेशियों को खिलाने के काम आ जाता है, उसके बाद और जीवन की दूसरी आवश्यकता हैं, जैसे उनको विवाह शादी करनी हो, बच्चों को शिक्षा देनी हो या दूसरी जरूरत की चीजें खरीदनी हों, अपना मकान बनाना हो, या और कोई काम करना हो, तो वह किस चीज से करेगा, इसलिए वह कामर्शियल क्राप भी अपने अनुपात के हिसाब से थोड़ी बहुत बोना चाहता है, जिससे फोरी तौर पर, जब फसल घर में आये तो उसके हाथ में पैसा आ जाय, जिससे अपना कर्जा चुकाये या दूसरे काम उससे निकाले। इस लिए उसका उद्देश्य कामर्शियल क्राप बोने में यह होता है। दूसरी तरफ जो धनी किसान है, बड़े बड़े किसान हैं, बड़ी 2 होल्डिंग जिनकी है वह भी कामर्शियल क्राप बोते हैं।

:(श्री रतिराम यादव)

उनका उद्देश्य एकमात्र यह होता है कि वह कार्मशियल क्राप के कारण से बड़ी पूंजी इकट्ठी कर लेना चाहते हैं और इस तरह और अधिक मालामाल हो जाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमी के ऊपर, जो उस उद्देश्य से, पूंजी इकट्ठी करने के इरादे से कार्मशियल क्राप बोता है, उस पर सैस लगाया जाय तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन छोटे किसान, जो जीवन की छोटी 2 जरूरत को पूरा करने के लिए थोड़ी सी कार्मशियल क्राप को भी करे तो उसको बोझ से दबा दिया जाय, तो मैं समझता हूं यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी, न समाजवादी प्रोग्राम की ओर बढ़ने का कदम होगा।

अब मैं इन धाराओं का जिक्र करते हुए अपनी बात स्पष्ट करूंगा।

श्री मीठालाल : संक्षेप में करें।

श्री रतिराम यादव : शार्ट में करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो इसमें रखा है, सिंचित भूमि का, जिसके अन्दर वर्गीकरण नहीं है। एक तरफ छोटा किसान है जो लाव चरस चला कर कुए के पानी से फसल उगाता है। दूसरी तरफ बड़ा धनी किसान है, जिसका मैकेनाइज्ड फार्म हैं, जो बड़े साधनों से सिंचाई करके फसल पैदा करता है, एक तरफ नहर, जो सरकारी साधन है, ट्यूब वैल है, नहर हैं, उन से कार्मशियल क्राप पैदा करता है—इनके अन्दर कोई भेद नहीं रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं। इसके अन्दर यह जो रखा है, तीसरी धारा में, दूसरा परन्तुक है, जिसमें लिखा है, उसकी जो मिश्रित कार्मशियल क्राप होगी उसमें से हम असैसमेंट कैसे करेंगे, तो लिखा है, अंत में उस भूमि की केवल एक चौथाई का ही विचार किया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है जब मैं इस धारा को पढ़ता हूं कि किस प्रकार से यह रखी गई है। अब आप देखिये, मिश्रित फसलों में कौन कौनसी फसल मिश्रित हैं। अब इसके अन्दर एक तरफ तो छोटे किसान पिसेंगे। जरा गौर करके देखने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा वह बात को ध्यान से सुनें, किस तरह छोटे किसान पिसेंगे, पटवारियों के जरिये, इस विधेयक के जरिये और धनी किसान किस तरह बच निकलेंगे। मान लीजिये, थोड़ी देर के लिए मूंगफली बोई जाती है, मूंगफली के अन्दर कुछ ग्वार डाल देता है, मूंगफली में किसान बाजरे के बीज फेंक देता है—वह मिश्रित फसल हो गई। तिल्ली बोता है, या किसान ने बाजरा बोया उसमें तिल्ली के बीज थोड़े बहुत डाल दिये वो मिश्रित फसल हो गई। अब देखिये, किस तरह फायदा हुआ बड़े किसान को। मिश्रित फसल को एक चौथाई माना है तो वह बच निकलने को क्या करेगा, मूंगफली बोयेगा खूब ज्यादा और थोड़ा बहुत बीज बाजरे का डाल दिया, तो वह बच निकला आराम से। क्योंकि पूरी की पूरी मूंगफली मानी जानी चाहिये वह एक चौथाई मानी जायगी, जब कि वह बहुत पूंजी इकट्ठी कर लेगा। दूसरी तरफ छोटा किसान है, जिसके पास छोटी होल्डिंग है, वह थोड़ा बहुत पैसा प्राप्त करने

(श्री रतिराम यादव)

के लिए बाजरा दो बीघा में बोयेगा और उसमें एक पाव तिल्ली के बीज फेंक देगा या सन के बीज फेंक देगा तो वह भी एक चौथाई माना जायगा, जबकि उसकी फसल बहुत कम होगी यह दूसरी बात मान लें।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी खत्म कर रहा हूं। दूसरी तरफ किसान है, उसने मेथी बोई है। या तो सारी मेथी है या डोली पर धनियां बो दिया है। तो यह सारी मिश्रित मान ली जायेगी। इसलिए यह डिफेक्टिव है। इस पर विचार होना आवश्यक है। इसीलिए मैंने कहा है कि इसको प्रवर समिति को दिया जाना चाहिए। अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कह कर समाप्त करूंगा। मैं ने जो डिफेक्ट बताये हैं, उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। उसके बाद बहस की जानी चाहिए। जो किसान जिसके पास में सिंचित 5 एकड़ और असिंचित 10 एकड़ है, ऐसों को माफ करना चाहिए। वर्ना इसके नतीजे गम्भीर होंगे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चारों तरफ किसानों में असन्तोष व्याप्त है। मैंने तो यह निर्णय कर लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी 21 मार्च को विधानसभा के ऊपर प्रदर्शन करने जा रही है। किसान आकर यह कहेंगे कि यह जो फसल पर एक डण्डे से टैक्स लगा दिया है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। वरना सरकार को उनके भीषण संघर्ष का मुकाबला करना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय नोट कर लें। आज ही नोट कर लें। उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इन धाराओं को प्रवर समिति के सुपुर्द करके गम्भीरता से विचार किया जायेगा। उसके बाद लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीमल।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा, वास्तव में इस पर गहराई से विचार नहीं किया गया है। हमें पैसा इकट्ठा करने के लिए जो कार्य करना है, वह पैसा किस किस से आ सकता है। इस पर गहराई से विचार करना है। लेकिन एक ही डंडे से सब को हांकना ठीक नहीं है। जिसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा नहीं है, सब को एक ही डण्डे से हांकने की कोशिश की गई है। ये दोनों ही बातें समाज में असन्तोष और असन्तुलन पैदा करती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह टैक्स लगाया गया है, तो इसके बारे से कुछ वैज्ञानिक तरीका सोचा जाना चाहिए। जैसे लोग क्या पैदा करते हैं, यह किससे लिया जा सकता है? यह सोचकर किया जाता तो ठीक था। यहां पर सबके ऊपर लगाया गया है। जो चार बीघा जमीन वाला है, उसके ऊपर भी यह टैक्स लगेगा। जिसके पास 100 और 200 बीघा जमीन है, उसके ऊपर भी होगा। बड़ी जोत वाला बोयगा, पैसा पैदा करने के लिए और छोटी जोत वाला किसान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। या शौकिया तरीके से कुछ धान डाल देगा। तो आप सोच सकते हैं कि पटवारी किस तरीके से परेशान कर सकता है। तो 5 एकड़ सिंचित और 10 एकड़ असिंचित भूमि पर जो किसान हैं, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। फिर उसके ऊपर पैदावार और जमीन देखकर

(श्री केसरीमल)

लगाना चाहिए। छोटे लोगों को बचाया नहीं हैं। छोटे लोगों पर दबाव देकर वसूल कर लिया जायेगा। बड़े लोग तो वैसे भी बच जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, छोटे किसानों को छोड़िये और बड़े किसानों पर लगाइये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव रखा है। जहां तक इसकी भावना का प्रश्न है, 74-75 में वित्तीय साधन जुटाने के लिए और आगे भी साधन जारी रहे, इसके लिए यह विधेयक लगाया गया उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि सभी फसलों पर कर लगना चाहिए और कोई साधन नहीं रह गया था। जबकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण 74-75 के अनुसार 18,750 गांव अकाल से पीड़ित हैं कुओं में पानी नहीं रहा है। कमर्शियल या दूसरे प्रकार की फसल कैसे हो। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रोड्यूस की क्वान्टिटी पर टैक्स नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, वर्षा ज्यादा नहीं हुई हैं। गतवर्ष भी सिंचाई नहीं हुई। आपका जमीन के हिसाब से टैक्स लगाया गया है। आपका टैक्स प्रोड्यूस पर होना चाहिए। उपज ज्यादा हुई हो तो टैक्स लगायें। लेकिन आप जमीन के माप से टैक्स लगाते हैं। आज राजस्थान में जमीन तरह तरह की है। जमीन का कैटेगराइजेशन हो सकता है। इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। कई जगह कम होगा और कई जगह ज्यादा होगा। आज गंगानगर का इलाका राजस्थान में है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। इस पर विचार करने के लिए प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि सितम्बर से यह लागू कर दिया गया है। दूसरी तरफ यह कहा गया है कि इसके लिए रूल्स बनाये जायेंगे। इर्रीगेटेड और अन् इर्रीगेटेड पर कितना लगाया जायेगा। अभी तो यह तय किया जायेगा, उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन आपने इसको लागू कर दिया है। यह बहुत जल्दबाजी में किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : 29-11 को ही रूल्स पब्लिश हो गये।

श्री शंकरलाल : आप कह रहे हैं कि हो गये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सदन की टेबल पर रखे हैं।

श्री शंकरलाल : वह तो आपने जिस प्रकार के रखे होंगे, वह होंगे। मेरा निवेदन है कि इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के लिए इसको प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए।

आपने प्रावधान रखा है कि पटवारी जो रिपोर्ट कर देगा, तहसीलदार जो फैसला कर देगा, वह आखरी होगा। उसकी अपील कलेक्टर के यहां होगी। आप इस प्रकार का लीगल प्रोसीजर रखते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कि इस पर प्रवर समिति में सोचा जा सकता है। दूसरे सदस्यों

(श्री शंकरलाल)

ने भी कहा है और मैं उनसे सहमत हूं। इससे छोटे किसान अपनी जरूरत की चीजें जैसे तिल है, जीरा है, पोटेटो है, वह जो पैदा करता है, उसको भी आपने इसमें ले लिया है। आपने मिश्र क्राप लगाने की बात कही है। यह कोई साइन्टिफिक या लाजिकल नहीं लगता है। इससे आप छोटे किसानों को बचा नहीं सकेंगे। बड़े किसानों पर आप लगा सकते हैं। हमें उन्हीं पर टैक्स लगाना चाहिए जो टैक्स देने के लिए सक्षम है। जो नहीं दे सकते हैं, उनको छोड़ा जाये। आपने साधन जुटाने की बात कही है। मेरी समझ में नहीं आता है, उपाध्यक्ष महोदय, यह किस प्रकार से किया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इसको सदन में पारित नहीं किया जाये, इस पर प्रवर समिति में विचार किया जाये और विचार करने के बाद ही हम निर्णय निकालें कि वास्तव में हम इसको प्रोड्यूस पर लगायें या किस प्रकार से लगायें। वरना किसानों के दिल में यह भावना पैदा होगी कि सरकार बिना सोचे समझे हमारे ऊपर जल्दबाजी में टैक्स लगाती है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय बहुत कम है मैं इतना ही नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को क्लाज बाई क्लाज न लेकर इस बिल को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, जो कि एक सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करदे। उसके बाद में इस विधेयक को सदन में पुनः लाया जाय तो ठीक रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जो।

श्री परसराम मदेरणा : (राजस्व मन्त्री) उपाध्यक्षजी।

श्री मीठालाल मीणा : अगर इस बिलको प्रवर समिति को सौंप रहे हैं तो फिर वक्तव्य देने से क्या फायदा ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्षजी, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये और प्रवर समिति को सौंपने के लिये जो संशोधन पेश किये हैं उनको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। यह बात जरूर मैं मानता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने कामर्शियल क्रॉप के सम्बन्ध में जो बातें सदन में कही हैं उसके प्रति मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर क्रॉप्स दो तरह की होती हैं जिसका कि इस विधेयक में प्रावधान रखा गया है। एक तो इर्रीगेशनसे जिसमें कि इर्रीगेशन चाहे वह किसी सोर्स से हो चाहें कुओं से नहरों से या लिफ्ट इर्रीगेशन से उस पर हमने 6 रुपये सरचार्ज प्रति एकड़ लगाया है, दूसरे असिंचित जमीन पर हमने दो रुपये प्रति एकड़ टैक्स लगाया है। जहां तक डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि तिल तो हम दूसरी फसलों के साथ बीच में बोते हैं और मगरे में बाजरे के साथ और गवार के साथ मूंग भी बोते हैं। या लगरिया बोते हैं, इस प्रकार का प्रावधान क्लाज तीन में रखा गया है उसमें वन फोर्थ एरिया में लगाये हैं। हालांकि उपाध्यक्ष महोदय, इस साल अकाल की स्थिति है और मैं मानता हूं कि राजस्थान में एक बहुत बड़े इलाके में करीब 23 हजार गांवों में अकाल डिक्लेयर किया गया है और वह गजट में

(श्री परसराम मदेरणा)

भी नोटीफाई हो चुका है। इसलिये हमने यह खरीफ की फसल पर टैक्स लगाया है और रबी में नहीं लगाया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रबी में नुकसान भी काफी हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : चूंकि रबी में फसल में नुकसान हुआ है इसलिये यह टैक्स खरीफ की फसल पर लगेगा। इसके अलावा अकाल की स्थिति को देखते हुए कुछ संशोधन मैं जब क्लाज बाई क्लाज लेंगे तब प्रस्तुत करूंगा, कुछ संशोधन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा इसके अलावा जो अलग अलग सोर्सेज के सम्बन्ध में ग्रान्ड लेवी और ग्रान्ड सेस के बारे में जैसा कि दूसरे स्टेट्स में हुआ है हालांकि मेरे पास दूसरी स्टेट्स के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं इस वक्त फिर भी अभी ऐसा ही टैक्स महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, मध्यप्रदेश और हरियाणा में लगाया है। इसमें सिंचित एरिया में 6 रुपये टैक्स प्रति एकड़ लगा है और असिंचित के ऊपर वहां पर तीन रुपया प्रति एकड़ टैक्स लगाया गया है। राजस्थान में हमने सिंचित भूमि पर 6 रुपये प्रति एकड़ टैक्स लगाया है और असिंचित पर दो रुपया टैक्स लगाया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वहां पर बिल पास हो गया है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : वहां पर लागू हो गया है। वहां पर चूंकि रबी की फसलें फेमीन के कारण खराब हो गयी हैं इसलिये राज्य सरकार इसको खरीफ की फसल में लागू करेगी। इसके अलावा वहां पर सुगर केन, कोटन, और चिलीज का जहां तक सवाल है सिवाय मध्यप्रदेश के बाकी सभी जगह पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा में सुगर केन चिलीज और कोटन के ऊपर टैक्स लगाया है इससे काफी अच्छी आमदनी होगी। राजस्थान में अलबत्ता मैंने एक अनुसूची दी है जिसमें कि 17 फसलों पर टैक्स लगाने की बात की है। अब चूंकि यहां पर अक्सर फेमिन पड़ते रहते हैं इसलिये अब मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूं और 17 में से आधी फसलें ही रख रहा हूं जिससे लोगों को राहत मिल सके इन्हीं शब्दों के साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने जो अपने अपने संशोधन पेश किये थे मैं उन्हें मानने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उप-कर विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि जिन राजस्थान वाणिज्यिक फसल उप कर विधेयक, 1975 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

माननीय मन्त्रीजी विधेयक को विचारार्थ लेने के लिये प्रस्ताव करें।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उप कर विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर, विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया। माननीय मन्त्रीजी।

विधेयक पर खण्डशः विचार एवं पारण

श्री परसराम मदेरणा : खण्ड दो स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 माननीय मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा संशोधन खण्ड 3 में यह है " अभिव्यक्ति "भूमियों के अनुसार" के पश्चात् अभिव्यक्ति तथा सिंचाई" के विभिन्न श्रोतों के अनुसार "अंत: स्थापित की जावे।" खण्ड तीन में जो लास्ट लाइन में लिखा है कि ऐसी भूमियों के विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध में विभिन्न दरें, उनके सिंचित या असिंचित भूमियां होने के अनुसार नियमन की जा सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अब इरीगेशन कैसे होती है चाहे वह कुओं से हो चाहे लिफ्ट इरीगेशन से हो चाहे नहरों से हो उसको देखना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि नहरी इलाके में दूसरे मेथड्स से जो सिंचाई होती है उससे कोस्ट आफ प्रोडक्शन कम लगता है और इसी प्रकार जयपुर जिले में और उसके पास जो दूसरे जिले हैं जैसे सीकर जो कि असंटवाईल जयपुर स्टेट में थे। रेन्ट रेट भी बहुत आई है उसके रेशनलाइजेशन के सम्बन्ध में कुछ बातचीत चालू है लेकिन इस बारे में कोई प्रगति नहीं हो सकी है। इसको देखते हुए कोस्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा आता है इसको ध्यान में रखते हुए मैं संशोधन ला रहा हूं और इसको स्वीकार करने के बाद कानून बन जायगा तो राज्य सरकार यह आश्वासन देना चाहती है कि सिंचित और असिंचित क्षेत्र मामलों के जहां कुओं से और अन्य साधनों से सिंचाई होती है उसको तीसरी श्रेणी में रखकर बीच की कोई रेट्स रखी जानी चाहिए जिससे कि किसानों पर ज्यादा भार नहीं पड़े।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : बीस करोड़ को...

श्री परसराम मदेरणा : आज जो कानून है वह है अध्यादेश इसके अन्दर किसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट या नोटिफिकेशन निकालने का सरकार को अधिकार नहीं है। हम इसमें मेग्जीमम 9/–तक लगा रहे हैं और इस कानून के बन जाने के बाद बीच में कम रेट हैं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इन पर एक अमेन्डमेन्ट रखा है,

श्री उपाध्यक्ष : आपके अमेन्डमेन्ट्स को बाद में कर लेंगे, इसके बारे में कुछ कहना हो तो कह दीजिये। मोहम्मद गफ्फार अली,

Page No 152

(152)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय उपाध्यक्षजी, खण्ड 3 में मेरा संशोधन प्रस्ताव यह है : "उप खण्ड (1) में प्रयुक्त द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक और जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—"परन्तु यह और भी कि जिन काश्तकारों के पास पांच एकड़ असिंचित भूमि या इससे भी कम है, तो ऐसी दशा में उन से कोई उपकर वसूल नहीं किया जायेगा।....यह जो सिंचित भूमि के बारे में उन्होंने आश्वासन दिया है वह तो बीच की केटेगरी को करने के लिये किया गया है मेरा अलग किस्म का अमेण्डमेन्ट है । उपाध्यक्ष महोदय सुझाव यह है कि खण्ड (3) में जो तरमीम करना चाहता हूं उसका आधार यह है कि हमारा यह स्टेन्ड नहीं है कि हम चाहें वह लेवी नाज की शक्ल में हो चाहे किसी और शक्ल में हो, हर लेवी की एग्जम्पशन होनी चाहिए और ग्रेडेड लेवी होनी चाहिए । दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कम्युनिष्ट पार्टी जो सुझाव रखती है उसको पहले तो रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर बाद में उसी पर आते हैं। आज भी हमारी मान्यता यह है कि आज आप जो भी आधार बनाते हैं वह यूनिफोर्म और इस तरह का न बनायें कि सब लोगों पर एक ही किस्म का भार पड़ेगा मेरा सुझाव यह है कि सिंचित भूमि पर जो है वह पांच एकड़ तक मुश्तरका कीजिये और असिंचित को 10 एकड़ तक करें ताकि छोटे काश्तकारों पर ज्यादा भार नहीं पड़े और वे पांच-दस एकड़ में कोई चीज बोलें तो अपने साधन पैदा कर सकें और खाने पीने की चीजें पैदा कर सकें । आज आप सब पर एक जैसा ही टैक्स लगाकर एक लकड़ी से सबको हांकना चाहते हैं तो वह छोटे काश्तकारों के साथ बड़ा अन्याय होगा इसलिए मैं चाहूंगा कि खण्ड तीन के अन्दर यह अमेंडमेंट किया जाये, जो दो परन्तुक हैं-सिंचित भूमि पर 5 एकड़ से कम पर और असिंचित भूमि पर 10 से कम पर तो ऐसा कोई कर न लगावें इसको मैं मूव करता हूं और मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस पर गौर फरमावें और मंजूरी फरमावें इसलिए नहीं कि यह अपोजीशन की तरफ से आया है बल्कि मैं यह भी कहूंगा कि कांग्रेस बेंचेज की तरफ से भी कई माननीय सदस्यों ने यह बात, इसी बात को रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : उपाध्यक्ष महोदय मैं "खण्ड 3 के खण्ड (1) की चतुर्थ पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति प्रति एकड़ 9/-से के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रति एकड़ 3/-से" प्रति स्थापित करने का संशोधन रखता हूं । इस सदन के कुछ साथियों ने माननीय सदस्यों ने कहा था कि यह बिल इस सदन में इसलिए लाना पड़ा कि कुछ लोक आजकल लेवी के डर के मारे फूडग्रेन की बजाय कामर्शियल क्राप्स वो ज्यादा बोने लग गये हैं, मैं इस बात को गलत मानता हूं । राज्य सरकार ने हमें आदेश दिया था कि इस साल आपको गेहूं की फसल कम बोनी चाहिए । इसलिए मैं कहूंगा कि····

श्री शिवचरण माथुर : यह आदेश कब दिया था आपको राज्य सरकार ने ?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : राज्य सरकार ने हमको यह लिखकर आदेश दिया था उसकी कापी आप देखना चाहें तो मेरे पास आप देख सकते हैं । यह मैं डेफिनेट कह रहा हूं इसके बावजूद भी वहां पर 8078 एकड़ में गेहूं की फसल बोई गई है । परन्तु फसल को थोड़ी 2 बोई जाय । 1970 में भी राज्य

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

सरकार ने इसी तरह के पहले जो एक एक्ट बना हुआ था उसको वापिस ले लिया। आज उस दिन की स्थिति में और आज के दिन की स्थिति में भावों में बहुत, रात दिन का अन्तर है। उन दिनों कपास के भाव, लैण्ड रेट्स के भाव चार सौ से ऊपर थे और आज कपास के रेट्स उस दिन के रेट्स से दुगने से भी ज्यादा हैं। उस दिन गन्ने के रेट्स क्या थे, चीनी का भाव 1.80 पैसे किलो था और गन्ने का रेट 8/-और आज चीनी का भाव 6/-और गन्ने का भाव 12/- हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज कपास की बहुत कमी है। देश के अन्दर 8 लाख गांठों की कमी है जिसमें से दो लाख गांठें हमने पाकिस्तान से खरीदी है और सरकार कहती है कपास ज्यादा बोओ। मैं लम्बा भाषण तो नहीं देना चाहता कोई पैटर्न बना लीजिये, गंगानगर की बात आती है तो कोई पैटर्न तो आपके सामने होना चाहिए। गंगानर को आप हरियाणा और पंजाब के किसी पैटर्न के साथ जोड़ दीजिये। गंगानगर के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य आपका संशोधन क्या है?

श्री गुरदयालसिंह सन्धु: मैं रीजन्स दे रहा हूं कि गंगानगर में बरसात कम होती है, सोइल अच्छी नहीं है, पानी जमीन में बहुत गहरा है। जमीन रेतीली है। नहरों में पानी कम है। पंजाब साढ़े तीन सी. सी. पर थाउजेण्ड एकड़ और वाटर इन्टेन्सिटी 90 परसेन्ट है। गंगानगर में 2.56 और 60 परसैन्ट वाटर इन्टेन्सिटी है। वहां की वाटर रेट्स के हिसाब से कपास का ही मुकाबला कर लो। 1970 में वहां पर इरींगेशन रेट्स पौने सात रुपये पर एकड़ था और अब डबल हो गया है जो साढ़े तेरह है। राजस्थान में उस समय 13 रुपये था, 1972 में 20 रुपए हो गया और अब 25 रुपये है। पंजाब सरकार ने अभी अभी ऐलान किया है कि अबोहर में जिसके अन्दर सबसे ज्यादा लम्बे रेशे की कपास पैदा होती है, उसकी भूमि कमजोर है। वहां पर सुविधायें अधिक हैं और भी देना चाहते हैं, वाटर रेट भी कम हैं और ईल्ड ज्यादा है पर एकड़। यह पंजाब सरकार की पांच दिन पहले की घोषणा है। आप कपास को जोते हैं तो साढ़े तेरह तो पंजाब में है और उसमें 6/-जोड़ दिये जायं तो 19.50 हो जाते हैं और इसी प्रकार से राजस्थान में 25 और 9 को जोड़कर 34 हो जाते हैं। सब बातों को ले लीजिये। वहां पर 6/ कॉमर्शियल क्रोप टैक्स है और यहां पर 9/-है। इस साल आप 90 रुपया इकट्ठा करने की बात कहते हैं मगर ये एक करोड़ और पैंतीस लाख रुपये होंगे।

तो मैं आप से अर्ज कर रहा था कि किसी चीज को भी ले लीजिये, आपने कोई सुविधा नहीं दी है। वाटर रेट्स बढ़ गये हैं, पैदावार में कमी हुई है। आप कहते हैं कि पंजाब से आगे जाना चाहते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि हम पंजाब हरियाणा के पैटर्न को मानने के लिये तैयार हैं, सिंचाई रेट के साथ उन खसरों पर टैक्स लेना चाहते हैं तो उनको जोड़ कर वाटर रेट्स कम लेंगे तो, हमें मंजूर है, उनके बराबर कर दीजिये। वाटर रेट्स ज्यादा लेंगे तो कम कर दीजिये। आप पंजाब के पैटर्न को लायेंगे तो हम उसको स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन रखा है उस सम्बन्ध में निवेदन करना है। तीन प्रकार की है। कुआ, नहर और असिंचित मैं आपसे यह प्रार्थना करने जा रहा हूं कि आपने यह बात स्वीकार कर रखी है लोगों को छूट देना चाहते हैं। आप संशोधन भी कर रहे है। मैं निवेदन करूंगा कि जितना आपने संशोधन किया उसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि गरीब तबके के लोग हैं, उनको आप छूट दें। 10 एकड़ तो आप सिंचित भूमि कर दें और 25 एकड़ असिंचित भूमि कर दें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : गिरधारी लालजी साहब आप क्षमा! करेंगे। दस एकड़ छूट दे देंगे तो क्या फिर सौ एकड़ कैश क्रॉप होगी। तम्बाकू क्या सौ एकड़ में होती है?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा यह सुझाव है, इसको दस एकड़ कर दीजिये और असिंचित को 25 एकड़। अलवर भरतपुर इनमें मान लीजिये मिक्स्ड हैं ये 25 एकड़ और 50 एकड़ रेगिस्तान है। जहां पर लोगों को पानी मिलना ही नसीब नहीं होता है।

श्री केशरीमल : 50 एकड़ मुश्किल कर देंगे एक ही एकड़ काफी है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : 50 एकड़ रेगिस्तानी इलाके में मंजूर करें तो यह विधेयक पास करना उचित होगा। मूलतः क्लाज 3 पर ही निर्भर है। मेरा संशोधन मंजूर कर लेते हैं तो पटवारी यह करेगा वह करेगा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने बहुमूल्य सुझाव रखे हैं। इन सारे सुझावों को आप निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, खण्ड 3 पर जोहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि छोटे काश्तकारों को एक्जेम्प्ट किया जाय। छोटे काश्तकारों का सवाल नहीं है। यह तो होल्डिंग का सवाल है जिसमें वह कैश क्रॉप पैदा करता है। तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि अलवर के अन्दर जिसके पास में अच्छी सिंचित भूमि है दस बारह बीघा भी जमीन है, वह उतनी पैदा करता है उसमें कि रेगिस्तान में 300 बीघा की होल्डिंग वाला किसान पैदा नहीं कर सकता है और दूसरी भूमि में पचास बीघा में भी नहीं कर सकता है जहां पर यह कॉमर्शियल क्रॉप पर सेस लगा है, 1/4 एरिया की महाराष्ट्र में छूट रखी है, बाकी किसी स्टेट में ऐसा नहीं है। मैंने खण्ड 3 में संशोधन प्रस्तुत किया है उसके स्वीकार हो जाने के बाद तीन प्रकार की केटेगरीज एरिया की हो जायगी। सिंचित, असिंचित और तीसरी हो जावेगी मिक्स्ड। कुओं पर के काश्तकारों पर उसका भार कम पड़ेगा। शिड्यूल में संशोधन ला रहा हूं। मैंने आश्वासन दिया था, काफी विलोपित कर रहा हूं। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, उनका समाधान हो जावेगा और हमेशा के लिए दिक्कत मिट जावेगी। गफ्फार साहब ने जो संशोधन रखा है मैं उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं इस पर डिवीजन क्लेम करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। हैव पेशेन्स।

श्री परसराम मदेरणा : करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 1 दिसम्बर, 74 के बजाय 1 मई, 1975 से लागू किया जाय। 1 दिसम्बर से यह कानून लागू होगा। असेसमेंट होकर मई में जाकर टैक्स लगेगा। उसके लिए कुछ प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है और लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। आंकड़े तैयार करने पड़ेंगे। मई के महीने का संशोधन दिया है वह न रबी का दिया और न खरीफ का दिया है। मैं समझ नहीं सका। गंगानगर में दो फसली इलाके होते हुए भी अन्दाज चलता है उनका।

यह संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : आंधी में भी चल जावेगा।

श्री परसराम मदेरणा : आपने यह भी बताया कि पंजाब के मुकाबले में इन्टेन्सिटी आफ वाटर बहुत कम है। राजस्थान कैनाल क्षेत्र में इस साल इंटेन्सिटी 110 है। पोंग डेम में पानी कम्पाउन्ड होने पर गंग कैनाल और भाखरा क्षेत्र में इन्टेन्सिटी पंजाब से कम नहीं है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट पर बढ़ेंगे तो 180 हो जावेगी।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा सदन में आश्वासन दिया था सरकार ने, मोतीराम कमेटी 25—7—70 को बिठायी थी। एक मुद्दा है। उस पर विचार किया जायेगा रिपोर्ट मेरे पास भी है। डिटेल्स में बैठ कर बात करनी है।

कपास की कमी की बात कही। कपास की कमी है तो तेल की कमी है। करोड़ों रुपयों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिये कपास की कमी नहीं है तेल की कमी है। फर्टीलाइजर की कमी है। बेलेन्स ऑफ पेमेंट की पोजिशन आपने देखी होगी तो 300 करोड़ का घाटा फोरिन एक्सचेन्ज के मामले में है। मैं विवाद में नहीं जाना चाहता, कमी है इसमें, और इसके होते हुए भी राज्य के साधनों को जुटाने के लिए अतिरिक्त और साधन जुटा कर राजस्थान की विकास की गति को धीमा न होने दिया जाय और दूसरे हमारे पड़ोसी राज्यों ने इस प्रकार के सेस लगाये हैं तो उसके अनुरूप यहां पर भी लगाये. इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। पंजाब, हरियाणा दोनों में लगाया है। पाकिस्तान की मैं बात नहीं करता वहां क्या है। दोनों पड़ोसी राज्यों का सिंचित एरिया है उसका हिसाब लगाया गया है। क्रॉप्स पर लगाया है। एक्जम्पशन्स की बात कही जा रही है, कम एरिया में क्रॉप होती है उस पर किसी प्रकार का सेस नहीं लगे और उनको राहत मिले। इन शब्दों के साथ मैं जौहरी बाजार से आने वाले और करनपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये हैं उनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप अपने शिड्यूल में कौन कौन सी चीज को घटाना चाहते हैं वह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अभी नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन पहले आने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चाहिए थे। लिखित में आ जायें तो मालूम हो जाये कि मंत्रीजी यह संशोधन देना चाहते हैं और जानकारी भी मिल जायेगी। वरना पता नहीं मन में वह क्या क्या बातें सोचे बैठे हैं।

श्री मीठालाल : शिड्यूल तो खण्ड 2 में है।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 2 तो पारित हो गया।

श्री भाबरमल सूंडा : इसमें ऐसा है कि मिश्रित फसल की दशा में उसको 1/4 कर दिया जावेगा तो मै यह कहना चाहता हूं कि कई दफा क्या होता है कि जैसे जौ की फसल में सरसों डाल दी चारे के रूप में काम में लेने के लिए, दूसरे जैसे मिर्ची के दाने डाल दिए प्याज के बीच में जिससे कि वह मिर्ची घर में काम आजाये और इसी तरह से मूंगफली डाल दी बाजरे में तो घर में काम में लेने के लिए इसलिए यह मिश्रित फसल होगई और इसको आप 1/4 मान लें तो यह बहुत ज्यादा है। इसलिए इसको 1/8 कर दिया जाये तो किसानों के लिए भी अच्छा रहेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जो सिंचित जमीन है उसका आपने केटेगराइजेशन किया लेकिन जो असिंचित जमीन है उसके बारे में आप कहते हैं कि कुछ लिया ही नहीं जायेगा वह कुछ समझ में नहीं आया। वह एक्सप्लेन हो जाये तो मसला हल हो जाय।

श्री परसराम मदेरणा : असिंचित में, मैं इसलिए कह रहा था कि सिंचित के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई रेमीशन देने का या किसी एरिया को एक्जम्प्ट करने का प्रावधान नहीं है। असिंचित में तो है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो असिंचित को आप 10 एकड़ तक तो एक्जम्पशन फरमा दें।

श्री परसराम मदेरणा : Provided that the State Govt. may, by notification published in the official Gazette, exempt, whether prospectively or retrospectively, from the levy of such cess areas under commercial crops on unirrigated lands;

इसलिए अन-इर्रीगेटेड में तो राज्य सरकार यह देखती है कि फसल फेल हो गयी और फसल फेल हो भी जाती है जैसा कि भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरसों की फसल में हमारे यहां कहीं कहीं पौधे उगे हुए हैं। इस प्रकार की स्थिति है इसलिए यह प्रावधान इसलिए रखा गया था। मध्यप्रदेश में इस प्रकार का प्रावधान है। असिंचित एरिया के अन्दर टोटल एरिया रखा गया है तो किस एरिया को एक्जम्प्ट करना पड़ेगा तो यह प्रावधान था। तो सिंचित के लिए न तो केटेगराइजेशन के लिये प्रावधान था इसलिए मैंने क्लाज 3 में संशोधन किया है। जहां कुओं से सिंचित एरिया है वहां पर कॉमर्शियल प्लाट होते हैं और इस सम्बन्ध में जो रेट 6 रुपया प्रति एकड़ का नोटीफिकेशन निकाला है उससे कम कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपने जो एक्जम्प्शन का क्लाज रखा है वह हालात के पेशे नजर नहीं रखा है।

श्री परसराम मदेरणा : इस अध्यादेश में सरकार को पावर्स दी गई है। किसी एरिया के अन्दर शीत लहर आगई है या किसी एरिया में कोई और बात हो गयी है और उसमें फसल पक्की नहीं है कतई और उस एरिया को एक्जम्प्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति अन-इर्रीगेटेड एरिया में सरकार के सामने आती रहती है इसलिये एक्जम्प्शन का क्लाज रखा है। यह गलत होगा कि इस पर्टीकुलर एरिया में सरसों की फसल फेल हो गयी है तो एक जिले के अन्दर एक तहसील के किसी क्षेत्र में फेल हो जाती है तो उसको एक्जम्प्ट किया जायेगा न कि पूरे जिले को किया जायेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : परन्तु होल्डिंग आप तय ही नहीं कर पाये हैं तो मालूम कैसे पड़ेगा ?

श्री मीठालाल : जो असिंचित एरिया के लिये बता रहे हैं तो सिंचित एरिया में जैसे जीरे की फसल है तो वह फसल जायेगी तो बिल्कुल चली जायगी तो इसके बारे में कुछ निर्णय करें। दूसरे मिश्रित फसल के लिए कहा है तो इसे स्पष्ट करें कि जैसे सरसों का है उसके लिए कैसे आप मूल्यांकन करेंगे ? जैसे मूंगफली और तिल्ली दोनों का मिक्सचर और तिलहन सामने आ जाये, तारामीरा के बीज भी बाद में डाले जाते हैं तो उसको आप मिश्रित मानेंगे या कैसी मानेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : अनुसूची को भी तो देखिये।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे सीरियल्स में मिश्रित है उसको 1/4 मानने वाले एरिया की बात नहीं होती। फसल तो कम होती है और पूरा एरिया ले लें यह तो रिलीफ देने वाली बात है। जहां मिश्रित है उसको 1/4 क्षेत्र माना जायेगा। यह बिल्कुल साफ है।

श्री भाबरमल सुंडा : कभी कभी कोई चीज अपने आप उग आती है तो क्या उसको आप मिश्रित मानेंगे ? मिश्रित का क्लेरीफिकेशन नहीं हुआ। जैसे सरसों में कुछ तिल्ली के बीज डाल दिये जायें तो घर के काम के लिए तो आप 1/4 मान लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिविजन क्लेम करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बारे में बहुत सुनिश्चित हैं जीतने के बारे में ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जी हां। ऐसा है कि कांग्रेस के लोगों ने बहुतों ने सपोर्ट किया है और वह हमारा साथ देंगे।

(मत विभाजन सूचक घन्टी)

Page No 158

(158)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह बदकिस्मती है कि बिश्नोई साहब ने भी हमें समर्थन नहीं दिया ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो आप को गलतफहमी है, यह आलू और मिर्च ···

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आलू तो एक दो बीघा में बोया जाता है और······

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप तो भूल जाते हैं, आप बादाम का हलवा इस्तेमाल कीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान : अश्रव्य)

आर्डर प्लीज ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपको अनुभव तो है नहीं ···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : असल में आपकी याददाश्त बहुत खराब हो गई है आपको इलाज कराना चाहिए ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपको अनुभव ही नहीं है । बिच्छू का झाड़ा जाये नहीं और सांप की बांबी में हाथ डाले, यह ठीक नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने तो कृषि विज्ञान पर विस्तृत लेक्चर देना शुरू कर दिया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 मय संशोधन के स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

श्री मीठालाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मिश्रित फसल की व्याख्या है उसे नहीं बतावें तब तक कैसे स्वीकार किया जावे ।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी क्या संशोधन रखना चाहते हैं यह पता नहीं लगता है, शिड्यूल में क्या छूट देना चाहते हैं, छोटे किसानों को राहत देने वाली बात नहीं बतायें तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से हैप हैजर्ड वे में बिल को पास कराना चाहते हैं मनमानी के आधार पर तो मैं समझता हूं कि जब तक छोटे किसानों को छूट नहीं दी जाती है तब तक मैं और मेरा दल इसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं और बाहर जाते हैं ।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : यह मिश्रित फसल वाला जब तक साफ नहीं हो तब तक कैसे पास कर सकते हैं।

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक मंत्री महोदय यह नहीं बतावें कि किन पर टैक्स लगायेंगे और किस पर छूट देंगे यह कैसे पास किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप और मंत्रीजी तो बहुत दिनों से समझ रहे हैं।

श्री केशरीमल : न खुद समझ रहे हैं और न खुद समझा रहे हैं।

श्री मीठालाल : बाद में निराकरण कर लेंगे, हम मान लेंगे, हमें आप पर भरोसा है लेकिन इसके बारे में बतायें तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 मय संशोधन के स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 से 9

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 लगायत 9 स्वीकार किया जावे।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री मीठालाल : ना पक्ष जीता। We claim division. नो पक्ष जीता।

(मत विभाजन सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1975 के खण्ड 4 लगायत 9 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 लगायत 9 स्वीकार किये गये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, खण्ड 10 में मेरा संशोधन इस प्रकार है कि "उपखण्ड" (ग) में अभिव्यक्ति "अंतिम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अस्थायी" प्रतिस्थापित की जावे।

इसी प्रकार "उपखण्ड" में अभिव्यक्ति "धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन अंतिम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन अस्थायी प्रतिस्थापित किया जावे"। यह जो क्लाज 4 के अन्दर चार ही था लेकिन यह साइक्लोस्टाइल से गलती से पांच हो गया, गलती से हो गया है। यह प्रिंटिंग की वजह से यह संशोधन लाया हूं। यह रूटीन का संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1975 के खण्ड 10 में माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन रखे हैं उनको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 मय संशोधन के स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 10 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड 11

इसमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड 11 स्वीकार किया गया।

अनुसूची। माननीय मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, अनुसूची में "आइटम संख्या 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, और 16 को लोपित किया जावे।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक की अनुसूची में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि अनुसूची मय संशोधन के स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

अनुसूची मय संशोधन के स्वीकृत गई गई।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम प्रस्तावना आदि स्वीकृत किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम एवं प्रस्तावना स्वीकृत किये गये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

श्री झाबरमल सुथडा : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, इसको पारित नहीं किया जाय। जिस जल्दबाजी में यह लाया गया है। पहले तो यह प्रस्ताव था कि पूरी तरह से विचार करने के लिए इसको प्रवर समिति को सौंप जाना चाहिये। वह आया गया हो गया। जब व्याख्याएं करने में सरकार सक्षम नहीं है कि विस्तृत बात क्या है? सूची पूरी नहीं आई है। कौनसी साइल की रिटेन्शन कैसी होगी यह कहीं किसी तरह का हिसाब हो यह नहीं है। सिर्फ योंही किसानों को परेशानी में डाल रहे हैं। इस लिये इसको पारित नहीं किया जाय।

श्री मोठालाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मिश्रित फसल है इसको पहले दिया जाय कि जो फसल किसी भूमि के एक-चौथाई पर हो कम से कम होगी। सही तो यह है कि इस तरह से कर दें एक-चौथाई हो जितनी भूमि में फसल करे उसका। अगर सौवें भाग में दो फसलें करेगा उसका क्या होगा?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य लोक सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। जो खण्ड अभी पारित हो गया है। अब उस पारित हुए खण्ड को रि-ओपन करने की प्रक्रिया जो हैं कार्य संचालन और रूल्स ऑफ बिजीनेस और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कहां

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रावधान है। थर्ड रिडिंग के स्टेज पर, यह मुझे पता नहीं है। जो संशोधन की मांग कर रहे हैं क्लाज 3 में जो प्रोविजन हैं उसमें ....

श्री मीठालाल मीणा : मैं सरकार से उसकी व्याख्या के बारे में शुरू से ही निवेदन कर रहा हूं। हमारा यह कहना है कि यदि माननीय मंत्रीजी यह कह दें कि कोई अन्याय नहीं होगा तो हम मान लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : अन्याय के सम्बन्ध में फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य की मेरे बारे में काफी भ्रान्ति थी वह मिट गई है। उन्होंने पहले कहा था। जहां तक आप अन्याय की बात करते हैं जब कभी भी आप किसी मसले को लेकर आये हैं चाहे वह इन्टरप्रिटेशन का सवाल था आप मेरे पास आये हैं और जहां आपने यह बात कही कि हार्डशिप होने वाली है तो मैंने हमेशा आपको लिफ्ट दिया है। ऐसे मामलों में जहां इन्टरप्रिटेशन नीचे के अधिकारी दूसरे तरीके से करते हैं जब कभी भी सार्वजनिक मामलों को लेकर आये हैं मैंने सुना है।.....

श्री केशरीमल : आप रोज जाते हैं।

श्री मीठालाल : हां, मैं तो रोज जाता हूं क्योंकि वह हमारे मंत्री हैं और जाना पड़ता है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने सुना ही नहीं कार्यवाही भी की है।

कॉमर्शियल क्रॉप्स का एरिया एक-चौथाई समझा जायगा। चाहे उसमें किसी भी प्रकार की क्रॉप हो। जो आपके विभाग में भ्रान्ति थी तो 17 में से 10 हो गई, तो वह क्रिस्टल जो था दिमाग में वह साफ हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप मिक्स्चर की बात कह रहे थे तो आपके दिमाग में मिक्स्चर तो नहीं होना चाहिए लेकिन कन्फ्यूजन हो सकता है तो कन्फ्यूजन की आवश्यकता न पड़े। दो फसलें मिल जाती हैं तो मैंने जीरे का तो कर दिया तो उसके बारे में प्रश्न नहीं होना चाहिए और आपके दिमाग में इसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए। अब जो दूसरी खेती हैं जैसे कपास है, गन्ना है, सरसों है तो अब 17 के मुकाबले में 6-7 रही हैं। मैं समझता हूं कि मिक्स्चर वाले मामले का इस हद तक समाधान हो चुका है। तारामीरा उसमें शामिल था वह उसमें नहीं रहा........

श्री मीठालाल : मेरा कहना था कि तारामीरा तो आपने गलती से निकाल दिया।

श्री परसराम मदेरणा : तारामीरा मैंने समझ बूझकर निकाला है, वैल इन्टेन्शन से निकाला है। तारामीरा तो वैसे स्थान पर होगा जहां पर सरसों नहीं होने वाली है। वह वहां पर ही होगा।

श्री मीठालाल : मैं बता दूं कि आपने तारामीरा निकाला है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वाणिज्यिक फसल उपकर विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1975

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1975

परिनियत संकल्प

[निम्नांकित परिनियत संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया "यह सदन श्रीमान् राज्यपालमहोदय द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 27, सन् 1974) को अस्वीकार करता है।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव (अनुपस्थित)

श्री रामकिशन (अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ (अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : किस चीज पर ?

श्री उपाध्यक्ष : यह टिनेन्सी पर है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अभी लिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लम्बा-चौड़ा नहीं कहना है। जिस उद्देश्य से यह एमेन्डमेंट्स लाये गये हैं उस उद्देश्य को मैं सही समझता हूं। मगर मैं एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी के जो दूसरे नम्बर के मंत्री है राजस्व मंत्रीजी वह तशरीफ फर्मा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो टिनेन्सी के पीस मील्स में आप लेजिस्लेशन लाते हैं उसका कोई उचित कारण नहीं है। पहले आपने सदन में यह आश्वासन दिया था, और यह उस समय तय भी हुआ था कि एक साथ बैठकर टिनेन्सी एक्ट में विस्तारपूर्वक एमेंडमेंट लाकर इस मसले को फाइनली तय किया जायगा। जहां तक हम लोगों ने इस सवाल को रखा है कि आज बहुत ज्यादा भूमि ऐसे लोगों के पास है जो खुदकाश्त नहीं करते हैं और आज वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स, निहित स्वार्थ के लोग उस पर कब्जा किये हुए बैठे हैं चाहें वह किसी पार्टी के हों। और खासतौर से मैं यह गुजारिश करना चाहूंगा कि जो लोग प्रगतिशील और जो पार्टी प्रगतिशील कदम अपनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, खासतौर से कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी मगर इस किस्म के लोग उनमें मौजूद हों जो निहित स्वार्थ से कोई लेजिस्लेशन नहीं लाना चाहते हैं, या जो रिफार्म्स नहीं चाहते हैं टिनेन्सी में उनके लिए यह बड़ी शर्मनाक बात है। इसलिए मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि बड़ी तरमीम की जाय टिनेन्सी एक्ट के अन्दर ताकि उन लोगों को जो भूमिहीन हैं या एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन उपलब्ध हो। जो लोग दूसरे बिजनेस करते हैं चाहे वे वकालात करते हों, चाहे वह व्यापार करते हों, चाहे वह दूसरों का शोषण करके अपनी काश्त करते हों तो सैकड़ों बीघा चाहे ऐसे लोगों के पास हो, तो यह जरूरी है कि ऐसी तरमीम लाई जाय कि जो खुदकाश्त करते हैं वह जमीन के मालिक हो। कई बार रामचन्द्रजी के बारे में यह सवाल उठाते रहे हैं कि किसी के पास 12 मुरब्बे जमीन होती है; किसी के पास 10 मुरब्बे है, तो इस प्रकार के एलि-

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

गेशन्स लेजीटिमेट और इललेजिटिमेट लगाते रहते हैं। मगर इस टिनेन्सी बिल को लाकर रिफार्म्स करके और एग्रीकल्चर रिफार्म्स की तरफ हम तवज्जह करें तो मैं यह मानता हूं कि आपस का वाद-विवाद खत्म हो जाता है और जो लोग असल में हकदार हैं जमीन के उनको हक पहुंचे।

इसके पहले सदन में आपको याद होगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब और पूनमचन्दजी विश्नोई में इसी सिलसिले में नोक-झोंक हुई थी। उन्होंने कहा कि उनके पास इतनी जमीन है और उनके इतनी जमीन है, तो मैं यह गुजारिश किया चाहता हूं कि जो विश्वास हमको दिलाया गया था कि इस सेशन के बाद 15-20 रोज का एक स्पेशल सेशन बुलाकर इस टिनेन्सी एक्ट को लाकर पास करायेंगे और मौजूदा टिनेन्सी एक्ट में जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जायगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार इस तरफ तवज्जह क्यों नहीं कर रही है। जो स्पेशल सेशन बुलाना था वह आज तक नहीं बुलाया गया। टिनेन्सी एक्ट में जब तक एग्रीकल्चरल रिफार्म्स नहीं होंगे तब तक इनको राहत प्राप्त नहीं हो सकती है। आज जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट फन्क्शन कर रहा है, जिस तरह से रेवेन्यू आफिसर्स फंक्शन कर रहे हैं वह निष्पक्ष नहीं हैं। अगर आप निष्पक्ष और पक्षपात रहित हैं तो रेवेन्यू लाज कमीशन की रिपोर्ट थी उसको आज तक नहीं अपनाया गया है। बरसों तक केसेज तय नहीं होते हैं। पक्षपात किया जाता है। मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि आप जुडीशियल कोर्ट्स को उन केसेज को डील करने का हक दें। यह एडमिनिस्ट्रेटिव जाब्स के लिए जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको हक दे रखा है। उनको जो जुरिस्डिक्शन दे रखा है उसकी वजह से हमारा संकट है कि जिन भूमिहीन लोगों को जमीन मिल जाती हैं उनसे भी छिन जाती है और जिनके पास जमीन नहीं है उनको उपलब्ध नहीं होती है इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि आपने इस लेजिशलेशन की जरूरत महसूस की। यह एक सराहनीय कदम था। लेकिन मैं यह कहूंगा कि हमें यह विश्वास दिलाया गया था कि स्पेशल सेशन करके हम इसको अमेण्ड करेंगे। तो इस पर तवज्जोह देकर जल्दी से जल्दी इसी सेशन में लाकर जो भूमिहीन लोग भारी संख्या में हैं, वह कम हों। जिससे कि हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढा। (अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह (अनुपस्थित)

श्री मालाराम (अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री (अनुपस्थित)

माननीय मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक अध्यादेश का प्रश्न है, वह माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया है। वह अध्यादेश की भावनाओं से सहमत हैं। वह यह भी चाहते हैं, और उनकी यह भावना है कि यह कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन टिनेन्सी एक्ट के सम्बन्ध की बातें कही गई हैं, वह इस आर्डिनेन्स से सम्बन्ध नहीं रखती हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको ध्यान है, आपके सामने ही यह फैसला हुआ था ।

श्री परसराम मदेरणा : बिल की बात है ! राज्य सरकार ने सेक्शन 259 में यह प्रारम्भ में किया है। किसी नियम में संशोधन करने के लिए डिस्पेंस किया जाना चाहिए। ताकि जो शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स लैण्डलेस वर्ग हैं, उसको भूखण्ड आवण्टित किये जा सकें। उसका प्रीवियस प्रॉवीजन यह है ...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: मैंने तो यह कहा है कि मैं सहमत हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आपका प्रस्ताव है, जनमत जानने के लिए...

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैंने अर्ज किया लेकिन आपने सुना नहीं। मैंने वापिस ले लिया है। मैंने यह कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप वापिस लेते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जी हां, मैंने अर्ज किया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

माननीय मंत्रीजी।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान .....

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : टिनेन्सी संशोधन विधेयक...

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया]

"राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जायेगा।"

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है, इसकी घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। पर यह अधूरी घोषणा की गई है। परन्तु राज्य सरकार की जो नीयत व्याप्त है, उसकी मैं निन्दा करता हूं और घोर निन्दा करता हूं। राज्य सरकार ने इसका खूब प्रचार किया है और यह कहा है कि हम भूमिहीनों को जमीन देंगे। कई जगह पर जिन लोगों ने किसी बाड़े पर कब्जा किया था, उस बाड़े की थोड़ी सी भूमि को नियमित कर दिया और बाकी पड़ी रही है। तो यह कहा गया है कि हम भूमिहीनों को जमीन दे रहे हैं।

श्री चेतराम : आप बाड़ा किसको कहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे चैम्बर में आकर मिल लेना। बता दूंगा।

आपने श्रीमती इन्द्रा गान्धीजी को आप मनोहरपुर में ले गये। लाखों रुपया आपने खर्च किया। राजस्थान सरकार ने वाहवाही

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लूटने के लिए लाखों रुपया खर्च किया और जो चारागाहों की जमीनें थी, वह अलाट कर दी। अब कहां पशु चरेंगे, यह भावना नहीं है। तो मैंने यह कहा है, जमीन दी गई उसका स्वागत करता हूं। परन्तु आज तक 25 वर्ष में यह, किसने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को जमीन नहीं दी जाये। किसने कहा है। यह केवल प्रचारात्मक काम किया गया है। और, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पास कुछ पट्टे हैं। असली पट्टे हैं। जिन पर कोई मुहर नहीं है।

एक माननीय सदस्य : नकली होंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह असली पट्टे हैं। लोगों ने लेकर दिये हैं। इनकी ट्रू कापी मेरे पास आ चुकी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप सब लोगों को देखने के लिए टेबल पर रखूंगा।

एक माननीय सदस्य : उनको भी चेम्बर में दिखा दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, इन पट्टों में हस्ताक्षर नहीं हैं। समय लिखा है। वहां जाकर के कब्जा जमाया गया हैं। यह केवल अभियान चलाया है। यह 26 जनवरी, समाप्त हो गई हैं। आपने इस अभियान को संभालने वाली अथोरिटी तो मुकर्रर नहीं की है। कहां पर वह भूखण्ड दिये हैं। उनको कब्जा देंगे। काम करायेंगे।

श्री चेतराम : यह तो हो गया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी सुरक्षा की व्यवस्था करें।

(व्यवधान – शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : असुरक्षा की भावना कैसे हो गई ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका बहुमत है। आप सुन ही नहीं रहे हैं। हंस रहे हैं। आप मजाक समझ रहे हैं।

मैं निवेदन कर रहा था, तहसील जमवा रामगढ़ में ग्राम फगवाड़ा है। ये उनके मूल पट्टे हैं। क्या हुआ ग्राम फगवाड़ा में, जो जमीन अच्छी थी, वह तो दी नहीं गई थी। जो ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, नले की जमीन थी। उस नले की जमीन पर पट्टे दे दिये। आप वहां विराजमान हो जायें। न तो वहां कोई पानी की व्यवस्था है। न वहां पर सड़क जा सकती है। न आने जाने का रास्ता है। वहां के ये 14 मूल पट्टे हैं। जो मौजूद है। मैं आपकी आज्ञा से इसकी ट्रू कॉपी सदन के पटल पर रख दूंगा, मेरे भाषण के बाद। भाषण समाप्त हो जाये, उसके बाद रखने की आज्ञा चाहूंगा। इसका प्रचार तो बहुत हुआ है। आपका जो प्रचार हुआ है, वह कितना थोथा है। उस मूल पट्टे के पीछे नक्शा हरएक में बना दिया गया है। बस एक खाना खींचा गया, क्या है, कौनसा नम्बर है। सब पर इस प्रकार एक एक पर खाना बना दिया है। आपने यह पट्टे लोगों को प्रचार के लिये बांटे हैं, कब्जा दिलाने के लिए। उनको कब्जा नहीं मिलना चाहिए। उनको सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। बड़े बड़े चरागाह में लोगों को पट्टे दे दिये गये। पशुओं को चराने की जगह नहीं रही है। इसके अलावा दूसरों की जमीन पर पट्टे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दे दिये हैं। मनोहरपुर में लोग जमीन का कब्जा लेने गये। कहा कि हमें पट्टा मिल गया है। तो कहा कि किसने पट्टे बांटे हैं, जमीन हमारी है। लोग सामने खड़े होगये। लट्ठ चलने की नौबत हो गई। वकीलों के घर भरने लगे और मुकद्दमेबाजी शुरू हो गई। यह सच बात है। यह पट्टे मेरे पास हैं। आप भले ही हंस लें। आप हंस सकते हैं आप सत्ता में मदहोश हैं। तो इस प्रकार नकली पट्टे लोगों को दिये गये हैं, लोगों को जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया है। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, राजनैतिक भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे कई राजनेता बैठे हैं जिन्होंने पट्टे लेकर अपने कब्जे में रख लिए हैं और सारी जमीन वह लोग खा गये। उस दिन कम्युनिस्ट भाई कह रहे थे, मैं आज चुनौती के साथ कहता हूं, जनसंघ के पंच, सरपंचों में से किसी ने एक पैसा भी खाया हो। आप मेरी चुनौती स्वीकार करें और यह सिद्ध कर दें तो जो दण्ड यह सदस्य मुझे देना चाहे वह मुझे स्वीकार है। लेकिन स्वयं कांग्रेस के लोगों ने बेईमानी करके भूमिहीन के नाम पर जमीन ले ली है। श्रीमती इन्दिरा गांधी, हमारी प्रधान मंत्री हैं, उनको लाकर, यहां लाकर इस राजनीति में उनका समावेश कर दिया। इससे बढ़ कर बुरी कोई बात हो नहीं सकती है। आखिरकार वह हमारी प्रधान मंत्री है, वह यहां पर पार्टी के नाते से नहीं आयीं, देश की प्रधान मंत्री के नाते से यहां आयीं ......

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : निराधार आरोप हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं मांग करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि एक उच्चस्तरीय समिति बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए। इन पट्टों की भी जांच होनी चाहिए, जो उदाहरण के स्वरूप में निवेदन किया है ...

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ऑन ए पॉइन्ट आफ ऑर्डर, सर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिनको पट्टे दिये हैं उनको कब्जा मिला है या नहीं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य ने जनरल तरीके से वाइड और वाइल्ड एलीगेशन लगाये हैं, और एक भी स्पेसिफिक इन्स्टान्स नहीं दिया है तो जांच किसकी हो। मैं चाहूंगा .....

श्री रामसिंह कुड़ी : पट्टे सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो पट्टे दिये हैं.. —

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आपने कहा है कि कांग्रेस के लोगों ने पैसा ले लिया ..

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (सदन पटल के समीप आकर) यह मूल पट्टे हैं, इन पट्टों की कॉपी मैं पेश करता हूं। यह मूल पट्टे मौजूद हैं।

(पट्टों की प्रति सदन पटल पर रखी)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : स्पेसिफिक इन्स्टान्स दें, वरना इसके कोई मायने नहीं निकलते हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी : सही बात कड़वी लगती है।

[redacted]

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : पट्टे में कोई बात लिखने से रह गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस के लोगों ने पैसा ले लिया। आपने एलीगेशन लगाया है जनरल तरीके से। उसके लिए कहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने मूल पट्टे सदन की मेज पर रख दिये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस बारे में, यह जो रखे हैं, इसकी परमिशन ली नहीं है। तो क्या होगा इन पट्टों का ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : बहुत तरीके से अपना रोल अदा किया है। इनको छोड़ दीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह मूल पट्टे हैं, जो, उपाध्यक्ष महोदय, आपके नहीं है, हम सबके नहीं हैं। मैं समझता हूं कि आप इसमें मेरी सुरक्षा करेंगे। इनको कड़वी बात पसन्द नहीं होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इजाजत लेकर पेश होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप क्या बोलना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस तरह कागज, पट्टे वगैरह सदन की मेज पर रखने के पहले चेग्रर की इजाजत लेनी चाहिए; इजाजत जब हो जाय, परमिशन लेकर पेश किये जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार की व्यवस्था दी है। अब इनका क्या होगा, किस तरह पट्टे पेश करेंगे, आपकी इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने स्वीकृति दे दी है।

श्री चेतराम : उन गरीबों का क्या होगा जिनके यह पट्टे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू करिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा था; गरीबों के साथ खिलवाड़ न करें, अन्याय न करें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के साथ। इस तरह से आपने गलती स्वीकार कर ली; आप ऊपर से कुछ भी करते रहें।

श्री चेतराम : गलती आप कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फिर दूसरा आरोप मैं लगा रहा हूं, हृदय थाम कर आप सुनिये। अधिकांश लोग कृषि भूमि हथियाये हुए बैठे हैं। गुढ़ा, हम, बूंदी में राजनैतिक और उनके रिश्तेदारों ने भूमि पर कब्जा ले लिया है। चित्तौड़ जिले में किसने लैंड हथियाई है लैंड ग्रेब के कई केसेज कांग्रेस के कई नेताओं ने रखे हैं, उनकी जांच नहीं की। मंत्री महोदय, आप इन मामलों की जांच करते नहीं, कोई विधेयक आप पास कराते नहीं, कोई विधेयक आप पारित नहीं करा सकते....

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : आप जिनकी बात कर रहे हैं ?

श्री रामसिंह कुड़ी : आपके खिलाफ कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो व्यक्ति कृषक नहीं हैं, उनको भूमि रखने का अधिकार नहीं है। आप जयपुर शहर के आस-पास चले जायं, सांगानेर चले जायं, जो बाहर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के रहने वाले हैं, वह यहां बैठे हैं कृषक बन कर। मैं समझता हूं कि वह कृषक नहीं हैं। उन्होंने ख्वामख्वाह जमीन दबा रखी है। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के विधायकों के पास जमीन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कृषक नहीं हैं, उनकी भी आपको उच्च-स्तरीय जांच करनी चाहिए''''

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, वह तो वास्तव में काश्तकार है जो जयपुर में काश्त कर रहे हैं। भार्गव साहब को मालूम नहीं है, कौन कृषक हैं, कौन नहीं। मैं उनको चुनौती देता हूं। कृषि में पैसा लगता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे पास दूसरा धंधा नहीं है, न बाड़ी है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : होगी भी नहीं क्योंकि खेती करते नहीं हैं। हाथ से काम करते नहीं हैं तो गाड़ी कैसे होगी, ट्रैक्टर कैसे चलायेंगे। आप क्या अपने मकान की छत पर खेती करके पैदावार करेंगे, ट्रैक्टर से खेती करेंगे। गाय होगी तब ही तो दूध देगी, नहीं तो कहां से दूध पैदा होगा। कृषक ही अनाज पैदा करेगा। बाड़मेर के किसान जयपुर में आकर कृषि करें तो उन्हें कृषि करने का अधिकार है। आप क्या लाटसाहब हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी : तुम क्यों बोल रहे हो, ख्वामख्वाह में यहां

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस वक्त भी इतने जोश में बोल रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : इस प्रकार की झूठी बात सदन में नहीं सुनी जा सकती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जोर जोर से बोलने से झूठी बात सही नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आपकी बात सही है, ईमानदारी से कहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप चुनौती देते हैं तो मैं''''

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मैं चुनौती देता हूं, सदन पटल पर जो पट्टे रखे हैं वह फर्जी हैं ''''''''

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप जो सजा देना चाहें वह मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। मैंने ईमानदारी से प्रमाणित बात कही है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : ईमानदारी से मैं चैलेंज करता हूं कि जो पट्टे रखे हैं वह फर्जी हैं, बोगस हैं। अगर सही हों तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, नहीं तो आप दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लिख लीजिये, मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आप जो बात कह रहे हैं, मेरा निवेदन है कि इसकी जांच की व्यवस्था करिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप इसकी जांच करायें। मैं इस्तीफा देने को

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो आपका विरोध करने के लिए यहां भेजा गया हूं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आप पंच हैं नहीं। आपने तमाम चार्जेज लगाये हैं कांग्रेस के सरपंचों पर।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : कांग्रेस के सरपंचों पर चार्ज लगाये हैं कि उन्होंने पैसा ले लिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जनसंघ के कितने सरपंच हैं, कितने पंच हैं? हैं ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : इसका प्रावधान है, नियमानुसार आपको चलना चाहिए।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : उपाध्यक्ष महोदय, जिस नियम से भार्गव साहब बोल रहे हैं उसी नियम से मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप तो इस विभाग के मंत्री हैं, आपको जवाब देने का है। माननीय मंत्रीजी सुन रहे हैं, आपके सामने संकल्प का जवाब देंगे। उस वक्त आपको मौका दिया जायगा, यदि आप बोलना चाहें। आपको मैं मौका देने को तैयार हूं। दूसरे माननीय सदस्य को भी कहने का अधिकार है। आप उनकी बात सुनें। उनको भी अपनी बात कहने का अधिकार है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : गलत बात कहने का अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! यह निर्णय करना कि कौनसी बात गलत है, कौनसी सही है, यह आपके लिए नहीं मेरे लिए जरूरी है। और एकदम तेज ढंग से कहें, यह सदन की परम्परा नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मुझे कुछ अनुभव है, इसलिए कहा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी बात कड़वी लग रही है इसलिए अब मैं टिनेन्सी एक्ट की ओर आना चाहता हूं। जो गलतियां की हैं उनको ओर संकेत करने का प्रजातांत्रिक अधिकार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह डेमोक्रेसी है, मैं भी आऊंगा और आप भी आयेंगे ....

श्री गोकुल चन्द : पूर्णमासी का व्रत किया है क्या आपने?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टिनेन्सी एक्ट में सेक्शन 19 में रिकार्ड आफ राइट्स में उनको खातेदारी राइट्स दिए जायेंगे संवत् 2012 का रेकार्ड अलवर और भरतपुर में है, बाकी जगह है नहीं, सारी चीज इनकम्पलीट है....

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प की सीमा में बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बाहर नहीं जाऊंगा। फिर हालत यह हो रही है राजस्थान में कि टिनेन्सी एक्ट में यहां पर तहसीलदार अब नोटिस भी सर्व नहीं करा सकता। नोटिस सर्व करवाने के लिए तहसीलदार को अखबारों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मेरे पास राजस्थान पत्रिका है उसमें है आर्डर नं० 5। इसमें लिखा हुआ है अजीतकुमार मुद्रालय, पूरा पत्र

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मौजूद है। यहां पर तहसीलदारों की यह हालत है। फिर 1953 के एलाटमेंट रूल्स 1962 में कब्जों के नियमन आदेश जारी किए। आज हम 1975 से गुजर रहे हैं। आज तक न तो एलाटमेंट हुआ न नियमन हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि धारा 91 की कार्यवाही हजारों लोगों पर तहसीलों में क्यों चल रही है। तो यह थोथा नारा है। जयपुर शहर को 10 मील की परिधि में नियमन और एलाटमेंट पर प्रतिबंध है तो जिन लोगों का कब्जा है उनका क्या होगा? औद्योगिक क्षेत्र में लाखों रुपए बकाया है, उद्योग विभाग में मालूम नहीं कि कितने लोगों को उधार दिया है, कितनों की बकाया है। मैं मंत्री महोदय से एक घोषणा और कराऊंगा। ठीक है आपने गांवों में पट्टे दिए। लेकिन जयपुर शहर में मास्टर प्लान फाइनल होने के लिए जा रहा है उसमें कच्ची बस्तियां शामिल हैं। गृह निर्माण सहकारी समितियां भी हैं। जैसे गांवों में भूमिहीन अनुसूचित जाति जन-जाति के लोगों को जमीन दी और हमारे लिए मुख्य मंत्रीजी ने दो तीन दिन पहले रेडियो में भी आया था कि शहर में जो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग हैं उनको पट्टे देंगे और एक बार मैंने अखबार में भी पढ़ा था कि मार्च तक लोगों को पट्टे दिये जायेंगे। गांवों में आपने पट्टे दिए वह तो स्वागत योग्य है। तो मेरा निवेदन है, कि शहर में जो अनुसूचित जाति व जन जाति के भूमिहीन लोग हैं या जिनके पक्के मकान बने हुए हैं, जयपुर में 21 अगस्त 1969 तक या कच्ची बस्तियों में आबाद हैं उनका नियमन कर दिया जाए। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को पट्टे मुहैया हो जायेंगे यह घोषणा करें। जैसे गांवों के लिए कहा कि बैंकों से लोन दिलवायेंगे, मकान दिलवायेंगे उसी प्रकार शहर के लोगों को भी मुफ्त पट्टा देकर मकान बनाने के लिए पैसा दिलवायें। ऐसी घोषणा मुख्य मंत्री ने की है आप जानकारी कर सकते हैं। यदि आप अपने मुख से ऐसी घोषणा करते हैं तो मैं आपका अत्यधिक हृदय से आभारी रहूंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह जो आपने इस समय अध्यादेश जारी किया, यह सही कदम था लेकिन मैं आश्वासन चाहूंगा कि यह पावर जो आपको दी गई है, इसका दुरुपयोग नहीं होगा। हर मौके पर बगैर पब्लिक किए हुए करेंगे और जानकारी नहीं होगी तो हानि पहुंच सकती है। इसलिए इस किस्म का आश्वासन दें कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह। (अनुपस्थित)।

श्री मनोहरलाल, (अनुपस्थित)

श्री मालाराम, (अनुपस्थित)

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री बृद्धिचन्द्र जैन : (अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई : (अनुपस्थित)

श्री झाबरमल सूण्डा : (अनुपस्थित)

श्री केसरीमल।

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया :

"राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों को नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)"]

श्री केसरीमल : मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि यह स्वागत योग्य है लेकिन अभी भी जहां पट्टे दिए गए हैं गावों में, लेकिन गांव वालों ने उनको वहां बसने नहीं दिया है । पट्टा देना एक बात है लेकिन इस बात के लिए भी सरकार व्यवस्था करे कि जिनको पट्टे दिए गए हैं उनको बसाने की कोशिश करें । कई जगह इस बात का झगड़ा होता है कि इन लोगों को रहने नहीं दिया जाता है । मारपीट करके ऐसी परिस्थितियां पैदा करके उनसे लिखवाया जाता है ताकि वे न रहें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (अनुपस्थित) ।

श्री शंकरलाल (पाली) (अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह ।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है, वह वास्तव में नरोरा सम्मेलन के बाद यह कदम इस किस्म का है जो प्रगतिशील कदम है और लोगों को देखने में अति उत्तम कदम मालूम हो रहा है, बशर्ते कि इसके अन्दर अब तक जो काश्तकार के लिए प्रोग्रेसिव कदम उठाने में ढील बरती जा रही थी, उसकी पुनरावृत्ति आगे से न हो । मुझे कुछ शंका इसमें अवश्य दीखती है कि यह जो संशोधन है, यह जो कदम उठाया गया है कि लोगों को आवासीय भू-खण्ड दिए जायेंगे, अगर वास्तव में उनकी यह सही मन्शा है तो मैं समझता हूं कि इस कदम से भविष्य में भी किसानों के लिए, गरीब हरिजनों के लिए, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए अच्छे कदम और भी उठा सकेंगे बशर्ते कि हमारी मन्शा सही है । मुझे शक मालूम हुआ कि इसके अन्दर मन्शा, हमारा जो बिल आया है, भविष्य में भी एक बिल आने वाला है, पंचायतों के संबंध में मियाद बढ़ाने के लिए, उसके उद्देश्यों में लिखा है कि क्योंकि गरीब आदमी पशुओं को लेकर अकाल के कारण बाहर निकल गए इसलिए पंचायत के चुनाव स्थगित किए जा रहे हैं । इधर तो यह बताया और उससे उल्टा पट्टा देने में जल्दी की गई । आज जो यहां हाजिर नहीं जो भटिंडा या सरसा की तरफ चले गए, उनको पट्टा दिए जाने में जल्दी की गई और पंचायत के चुनाव में कारण दिखाए कि लोग बाहर चले गए इसलिए ये चुनाव एक्सटेंड कर रहे हैं । यह कुछ कांट्रे-डिक्टरी बात है । समझ में कम आने वाली बात है । इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि जिस तरह से देहातों में गरीबों के लिए पट्टा देने की व्यवस्था की गई है, अच्छा होता उसी प्रकार शहरों के लिए भी कानून लागू किया होता । वरना वर्षों के बाड़े बने हुए हैं 20-25 वर्ष से, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है । नगरपालिका की तरफ से तो ये दोनों कांट्रे-डिक्टरी चीजें जो चल रही हैं, वह ठीक नहीं है । गरीब शहरों में भी हैं । तो यह चीज भी कुछ ढंग से आनी चाहिए कि इस प्रकार जो बातें हैं, आगे नहीं होंगी । साथ में एक संशोधन है । माननीय सदस्य श्री गफारअली ने जैसा कहा कि इसका दुरुप-योग न हो । इसके दुरुपयोग से कहीं कोई टिनेन्सी के अन्दर गलत कदम न उठाया जाए इसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए ।

इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो पट्टे दिये गये है वह इतने छोटे हैं यह 15 बाई 10 मीटर के है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले टिनेन्सी एक्ट के अन्दर ऐसा प्रावधान था कि लैण्ड के पीछे

(श्री मोहरसिंह)

एनक्लोजर्स के लिये व्यवस्था नहीं हो सकती थी क्योंकि जो काश्तकार होता है वह अपनी गाड़ी खड़ी करे, अपने जानवरों को खड़ा रखने के लिये तथा उनके लिये चारा व फूस रखने के लिये थोड़ी जगह तहसीलदार और एलॉट कर सकता था । पर जो 15×10 की आपने जो जगह दे रखी है यह बहुत ही कम है क्योंकि एक परिवार में पांच आद-मियों का परिवार होता है उनके लिये यह जगह बहुत ही कम होगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि आपको इससे ज्यादा जमीन देनी चाहिये थी वह उन लोगों के गाड़ी वग़ैरह, उनके जानवरों के रहने के लिये जमीन व चारे की व्यवस्था के लिये जगह हो, ऐसी व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिये थी । पहले भी आपने कानून बनाये लेकिन उसमें डिफेक्ट्स रह गये थे इसलिये उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिये आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये । इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, अब जो आपने भूमिहीनों के फायदे के लिये आप जो यह नियम बनाने जा रहे हैं उनसे उन लोगों को मेरा तो निवेदन यही है कि जल्दी से जल्दी भूमि पर कब्जा मिलना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा भूमि आपको भूमि-हीनों को देनी चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार भूमि-हीन किसानों की प्रगति के लिये उनको सह-योग देना चाहती है, उनके प्रति सहानुभूति रखना चाहती है उन्हें किसी प्रकार का फायदा पहुंचाना चाहती है, और जिस प्रकार राज्य सरकार हरि क्रान्ति को सफल बनाना चाहती है तो उसके लिये किसानों को ऋण भी दिया जाना चाहिये और उन्हें मुआवजा भी देने की व्यवस्था आपको रखनी चाहिये ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपको वास्तव में भूमिहीनों को ऊपर उठाना है और राज्य सरकार का ध्येय यही है कि छोटे किसानों को, पिछड़े वर्ग को भूमि मिले और उसका फायदा उनको ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी मिले तो आपको land to the tiller और idle land to the idle hands जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिये ताकि पिछड़े वर्ग को इसका फायदा पहुँचे । इस कानून को आपको सही ढंग से काम में लेने की जरूरत है । इसमें अगर राज्य सरकार का कोई

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैलाफाइड इन्टेन्शन नहीं होते तो इससे पिछड़े वर्ग और भूमिहीनों को फायदा मिल सकता है । बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके इस कदम का स्वागत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्षजी, राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने सरकार से इस बात का आश्वासन चाहा है कि प्रिवियस पब्लिकेशन का जो आपने इसमें रखा है उसका कोई दुरुपयोग राज्य सरकार नहीं करे, इसका भय रहता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक प्रिवियस पब्लिकेशन का संबंध है यह करीब करीब सभी महकमों में ऐसा होता है लेकिन चूंकि इस टिनेन्सी एक्ट में ऐसा क्लाज नहीं था इसलिये इसमें एक छोटा सा प्रोविजन रख दिया है और तीन लाइन का एक संशोधन आर्डिनेन्स के जरिये इस एक्ट की धारा 259 में —

Page No 173

(173)

(श्री परसराम मदेरणा)

"Provided that any rules under setion 257 may be made without previous publication if the State Government considers that it should be brought into force atonce."

इसमें वर्ड इज में एण्ड नोट शेल लिखा है। अगर कभी कोई राज्य सरकार जरूरी समझे तो उसे काम में ले सकती है।

If the State Government considers that it should be brought into force atonce.

इसके लिये ऐसा कोई रूल बनना चाहिये इसलिये 257 में रूल बनाया गया। उसके लिये प्रिवियस पब्लिकेशन करें। यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि राज्य सरकार इसको तभी काम में लेगी जबकि कोई अत्यन्त आवश्यकता होगी। इसमें जैसे कि अभी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को भूमि आवंटन करनी थी उस वक्त हमें जरूरत पड़ी थी। ठीक उन लोगों को पट्टे आवंटन करने थे इसलिये हमने इसके जरिये लिमिटेड पावर्स लिये थे। इसमें किसी पावर का दुरुपयोग करने का सवाल ही नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ये तो आपने चूंकि मे शब्द का उपयोग किया है तो मैं और शेल में कोई फर्क तो है नहीं आप इसके बदले क्या शब्द रखते।

श्री परसराम मदेरणा : अगर इसमें कोई ऐसी परिस्थिति आये तो और अगर टिनेन्सी रूल में संशोधन करना आवश्यक समझें तो इसको काम में लिया जायेगा। इतना मैं आश्वासन सदन को देना चाहता हूं कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। अब यहां पर यह भी कहा गया कि लोगों को कब्जा नहीं मिला और लोग जमीनें नहीं ले सके ऐसा अन्दर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे और साथ में यह भी कहा कि उन लोगों को भूखण्ड आवंटित तो हो गये लेकिन उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया और अब चूंकि 26 जनवरी तक ही वह जमीनें मिलनी थीं तो अब वह नहीं मिल पायेगी। तो इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि यह सही है कि हमने 26 जनवरी तक अभियान चलाया था लेकिन उसमें ऐसा तो था नहीं कि उस अभियान को 26 के बाद समाप्त कर दिया जायेगा। उसे आगे भी एक्सटेन्ड किया जा सकता है। मैं उनकी जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने उस अभियान को 15 फरवरी तक एक्सटेन्ड किया है और जिन लोगों को 15 फरवरी तक कब्जा नहीं मिल पाया और उन्हें भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं तो उसके लिये मैं अभी रेवेन्यू अधिकारियों को इस प्रकार के आदेश दे रहा हूं कि उन लोगों को एलोटेड जमीन का कब्जा दिलाने की प्रेक्टीकल जिम्मेदारी उन रेवेन्यू अधिकारियों की होगी। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया कि प्रधान मन्त्री अभी मनोहरपुर गांव आयी थीं और उन्होंने कुछ घोषणायें की थीं जिसकी आप लोगों ने वाह-वाही लूटी थी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह तो गिरधारीलाल जी ने यों ही एक बात कही थी ऐसी तो भाषण में कई बातें कह देते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री देश की पूरे भारत वर्ष में जाती है और वहां पर कुछ न कुछ घोष-

(श्री परसराम मदेरणा)

णायें होती हैं। हमारा देश भारतवर्ष एक प्रजातन्त्र देश है और मैं समझता हूं कि हमारा प्रजातन्त्र दुनिया में सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक पद्धति का देश है उसमें प्रधान मन्त्री की घोषणायें करने में वाहवाह की कोई बात नहीं है। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य हवा में बातें करते हैं और इसको इस नजरिये से लेते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: इसमें नजरिये की बात नहीं है लोगों को वाह-वाही लूटने के लिये नकली पट्टे बांटे गये हैं।

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर आर्डर आर्डर, प्लीज सुनिये मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं आप भी सुनिये।

श्री परसराम मदेरणा: उपाध्यक्ष महोदय, पट्टे कोई नकली नहीं दिये गये थे। असली पट्टे बांटे गये हैं। इसमें कोई एकाध खामी रह गयी हो तो मैं कह नहीं सकता लेकिन वैसे सेन्टपरसेन्ट पट्टे असली बांटे गये हैं। सभी लोगों की लिस्ट तो मेरे पास अभी नहीं है लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि जब पट्टे दिये जाते हैं तो उस आवन्टी के चारों तरफ पास-पड़ौस में कौन 2 हैं उसका विवरण उसमें होता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य इस तरह की गलत गलत बातें सदन में करते हैं और लोगों को झूठे और बेईमान कहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आपने जो पट्टे लोगों को नाले पर दिये हैं क्या वहां पर आवंटन हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर। आर्डर। आप सुनिये।

श्री परसराम मदेरणा: उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में 6 लाख लोगों को भूखण्ड आवंटित किये गये थे और इन्होंने अभी अपने भाषण के दौरान कोई जगह सवागड़ा या ऐसा कोई नाम का गांव जमवा रामगढ़ तहसील के अन्दर कोई आवन्टन हुआ है उसका जिक्र किया है। मैं उन्हें यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का मुझे प्रायर नोटिस नहीं दिया और नियमों के अंतर्गत मुझे उन्हें नियमानुसार नोटिस देना चाहिये था अगर मुझे इसके लिये दो घन्टे भी मिल जाते तो मैं उसकी जानकारी कर के बता देता और अभी भी सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जानकारी करूंगा कि क्या वहां पर नकली पट्टे बंटे हैं। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया कि यहां पर सन् 1952 के बाद में कोई भूमि का आवन्टन नहीं हुआ है तो यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि शहर दिवारी के बाहर और गांवों में 1952 के बाद करीब 62 लाख एकड़ जमीन का आवन्टन राज्य सरकार ने किया है जो कि हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त ने नहीं किया। और इस के साथ 2 में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें साढे 9 लाख लोगों को भूमि का अलाटमेंट किया गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: यह सभी गलत हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुन लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा: उपाध्यक्षजी, यह कहना कि भूमि का आवन्टन नहीं किया है यह बिलकुल गलत है यह सभी सरकार

(श्री परसराम मदेरणा)

आंकड़े सही मैं दे रहा हूं । इसके अलावा यहां पर हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कांग्रेसी लोगों को बेईमान और उनके ईमान के बारे में कहा है···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने यह नहीं कहा ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह तो योंही आपको प्रोवोक कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो सच्ची बातें कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्षजी, अब मुझे आसन के प्रोटेक्शन की जरूरत है । कांग्रेसी लोगों के ईमानदारी के बारे में जो स्वीपिंग चार्जेज लगाये हैं कि भूखण्डों के आवन्टन में गड़बड़ियां की हैं तो उनको मालूम होना चाहिये कि कांग्रेस पार्टी देश की एक सबसे बड़ी पोलीटिकल पार्टी है । और कांग्रेस पोलिटिकल पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है इसलिए कांग्रेस मैन को बेईमान कहना — सारी ईमानदारी का ठेका आपने या आपकी पार्टी ने ले रखा है शायद । इस प्रकार का चार्ज पार्टी मैन के खिलाफ नहीं लगाना चाहिए जब तक कि आपके पास किसी प्रकार का प्रूफ नहीं हो ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने कोई आपको·······

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो अपना भाषण दे रहा हूं, आप मुझे बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं, बार-बार । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हो सकता है कि केस शीट किसी के बारे में आपके पास हो, उसके बारे में शायद आप कहें, परन्तु मैं सबकी ही ईमानदारी की बात तो करता नहीं । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, ये जो आरोप लगाये गये हैं माननीय सदस्य जो हवामहल से आये हैं, उनके ये आरोप मिथ्या, बेबुनियाद और राजनीति से ओत-प्रोत हैं ? बिल्कुल Baseless, Malicious & Politically motivated हैं । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, ये जो दो संशोधन रखे हैं, इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित करने का और सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने का, ये जो दो संशोधन रखे गये हैं, ये छोटे संशोधन हैं, और सामयिकी हैं और समाज के गरीब तबके को अविलम्ब राहत पहुंचाने के लिए, उनको आवासीय भूमि उपलब्ध कराने के लिए ताकि वह अपने मकान उन पर बना सकें। राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही वह ठीक है । अगर आबादी जमीन हो उसके आस-पास रहने के लिए, चाहें शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी हों, एग्रीकल्चर लेबर हों, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हों अपने क्षेत्र में 1/50 में मकान बना सकता है । उसमें राज्य सरकार के आदेश हैं कि उनको नियमित कर दिया जायगा और आज भी यह प्रावधान है कि कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट या दूसरे जो लोग हैं, लैण्डलेस टीनेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स या विलेज आर्टिजन्स जिनको इसमें सम्मिलत किया गया है, पांच सो वर्ग गज तक भूमि देने का है, अगर आबादी भूमि हो तो । अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि आबादी

(श्री परसराम मदेरणा)

के बाद से आज तक आपने क्या किया ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन 25 सालों में, 23 साल में साढ़े बासठ (62 1/2) लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है और अभी भी की जा रही है। यह नया अभियान चलाने के बाद में था और इसी प्रकार का अभियान तीन महीने के लिये मैं फिर चलाने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उनकी समस्याएं हल करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिले इसी के लिए हम अभियान चला रहे हैं। इन शब्दों के साथ जो संशोधन प्रस्ताव किये गये हैं, मेरा सदन से अनुरोध है कि मैं उनको अस्वीकार करता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं वापिस लेता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य बार-बार, जो हवामहल से आये हैं, खड़े होकर, वे जीरो आवर से पहले और प्रश्न काल के समय भी किसी न किसी तरह से इस तरह के प्रश्न को उठाने की कोशिश करते रहे हैं। शहरों में भू-खण्ड आवंटन करने की बात जो वे कह रहे हैं, उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ? ऐसा मालूम होता है कि वे मुफ्त में ही शहर में प्लोट लेना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप कितनी ही पैरवी....

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिये, माननीय सदस्य Please hear him, You must be knowing parliamentary procedure.

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष, जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैण्ड कन्वर्ट होने के बाद कई प्रकार की बातें हुई हैं। और उसके लिए सारी कार्यवाही की जा रही है और जो सोसाइटीज हैं टाउन प्लानिंग एरियाज में आ जाती हैं। जो क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है, जैसे-इन्डस्ट्रियल एरियाज वगैरह के लिये, कारखानों के लिये, फैक्ट्रीज के लिये और ऐसे कामों के लिये उसमें कोई भी संशोधन अब नहीं किया जायगा। माननीय सदस्य ने पूर्व राजस्व मन्त्री जी का भी हवाला दिया है, मैंने वह भी पढ़ा है उन्होंने कोई भी इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है उसको भी उन्होंने गलत ढंग से रखने की कोशिश की है। सरकार इस बात की व्यवस्था कर रही है कि शहरों के अन्दर जो को-आपरेटिव सोसायटीज हैं उनकी भी समस्याओं पर उनको हल करने के लिये कदम उठाये जायं, गांवों के अन्दर भी, जो नोन-हरिजन्स को नान-शिड्यूल्ड को भी आवासीय प्लाट देने के सम्बन्ध में मामले विचाराधीन है, उन पर सरकार विचार कर रही है और शहरों और गांवों में आवासीय भूखण्ड आवंटन करने का भी अभियान चलाया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1975 एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने के जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किये गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 26 फरवरी, 1975 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 9 बजकर 9 मिनट पर बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

178

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 133 की सूची)

राज्य में वर्ष 1974 की अन्तिम तिमाही (अक्टू० नव० दिस०) के लिये जिलेवार सीमेन्ट के आवंटन व प्राप्ति की तालिका (मात्रा टनों में)

क्र० सं०	नाम जिला	त्रैमास में आवंटित मात्रा	त्रैमास में प्राप्त मात्रा
1.	अजमेर	2000	1966
2.	अलवर	3000	1296
3.	बाड़मेर	500	454
4.	बून्दी	300	270
5.	बांसवाड़ा	500	160
6.	भरतपुर	2600	2288
7.	भीलवाड़ा	1000	1065
8.	बीकानेर	800	308
9.	चूरू	800	468
10.	चित्तौड़गढ़	800	740
11.	डूंगरपुर	400	540
12.	गंगानगर	2000	2000
13.	जयपुर	6000	6000
14.	जोधपुर	1700	2700
15.	जैसलमेर	100	88
16.	जालौर	400	857
17.	झुंझुनूं	900	500
18.	झालावाड़	300	155
19.	कोटा	1400	1400
20.	नागौर	900	604
21.	पाली	1200	2080
22.	सीकर	900	900
23.	सवाई माधोपुर	900	610
24.	सिरोही	500	378
25.	टोंक	400	400
26.	उदयपुर	3200	2900
	योग—	33500	31127

परिशिष्ट–– 2

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

जयपुर एवं जोधपुर के जन्तुआलय

134. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर एवं जोधपुर के जन्तुआलयों में कौन-कौन से कितने-कितने पशु एवं पक्षी है ? कृपया उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि दोनों स्थानों के उपरोक्त जन्तुओं की संख्या में भारी विषमता है ? यदि हां, तो उसका कारण बताने की कृपा करें।

(3) वित्तीय वर्ष 1974–75 में जयपुर एवं जोधपुर के जन्तुआलयों के पुनर्वास एवं विकास के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई और वित्तीय वर्ष 1975–76 में उपरोक्त कार्यक्रम के लिए कितना प्रावधान है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) 1974–75 के लिए आवंटित राशि निम्नानुसार है :—

	पुनर्वास	विकास
जयपुर जू	1,78,620	27,000
जोधपुर जू	1,13,850	10,000

वास्तविक व्यय की सूचना वर्ष के अंत तक ज्ञात हो सकेगी। 1975–76 के लिये निम्नानुसार राशि आवंटन करना प्रस्तावित है।

जयपुर जू	3,21,050	80,000
जोधपुर जू	2,45,550	35,000

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मैसर्स सिलिका सप्लाई कम्पनी बून्दी

135. श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बून्दी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि आज से तीन वर्ष पहले राज्य सरकार ने बून्दी सिलिका सप्लाई की लीज इस शर्त पर रिन्यू की थी कि वो तीन साल में बून्दी में कांच का कारखाना लगा देंगे किन्तु तीन साल बीत जाने पर भी राज्य सरकार मैसर्स सिलिका सप्लाई कम्पनी, बून्दी से कांच का कारखाना नहीं लगवा सकी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। बून्दी जिले में 5 वर्ष की अवधि में ग्लास फैक्ट्री लगाने की शर्त पर श्री कन्हैयालाल घाटी वाले को खनन पटटे का नवीनीकरण दिनांक 28–5–73 को किया गया था अभी अवधि की मियाद समाप्त नहीं हुई है इसलिये इससे पहिले ग्लास फैक्ट्री लगाने के लिये पट्टेधारी को मजबूर नहीं किया जा सकता।

रायसिंहनगर में पानी की व्यवस्था

136. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंहनगर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील रायसिंहनगर वाटर वर्क्स 5000 (पांच हजार) की जनसंख्या को पानी देने के लिए ही पर्याप्त है ?

(2) क्या यह सही है कि रायसिंहनगर की इस समय करीबन अठारह हजार (18000) जनसंख्या है ? यदि हां, तो क्या वाटर वर्क्स छोटा होने के कारण से तहसील रायसिंहनगर में पानी की सुविधा बहुत ही कम है ?

(3) क्या यह भी सही है कि गंग कैनाल 10 रोज बन्द होने पर शहर में पानी की बहुत ही समस्या बन जाती है ?

(4) क्या यह सही है राज्य सरकार ने वाटर वर्क्स के लिए आठ लाख रु० सन् 1974 में निर्धारित किये थे लेकिन न तो अभी तक वाटर वर्क्स का निर्माण ही चालू किया गया है और ना ही कोई बजट अभी तक भेजा गया है ?

(5) अब कब तक वाटर वर्क्स बड़ा किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्तमान आबादी के लिये पर्याप्त जल है लेकिन Overhead Tank की क्षमता कम होने के कारण पूरे दबाव से पानी नहीं दिया जा सकता है।

(2) जी नहीं, आबादी 1971 की जनगणनानुसार 10977 है। उच्च जलाशय की क्षमता कम होने के कारण कुछ क्षेत्रों में जल का दबाव कम रहता है।

(3) जी नहीं, वर्तमान स्टोरेज टैंक लगभग 14 दिन के लिये पर्याप्त हैं।

(4) जी नहीं। योजना 8.87 लाख रुपये की लागत की जुलाई सन् 1974 में स्वीकृत की गई थी तथा वर्ष 1974-75 में 4 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, योजना निर्माणाधीन है।

(5) कार्य चालू है वित्तीय वर्ष 1976-77 के अन्त में पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

ग्राम सेंगरपुरा का विद्युतिकरण

137. श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत केन्द्र सेंगरपुरा (पंचायत समिति, करौली) को विद्युतिकरण से वन्चित रखा है जब कि आस-पास के क्षेत्र के सभी कुओं को विद्युत सप्लाई की जा रही है ?

(2) क्या विद्युत लाइन ग्राम सेंगरपुरा से केवल दो फर्लांङ्ग की दूरी पर है ?

(3) उक्त ग्राम के कितने कुओं के विद्युतिकरण के लिये मांग-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ?

उत्तर

(1) ग्राम सेंगरपुर पंचायत समिति करौली का विद्युतिकरण अभी नहीं हुआ है।

(उत्तर)

(2) जी हां, 400 वोल्टेज की है जिससे इस गांव को बिजली देना संभव नहीं है। जिस जगह से इस गांव को बिजली देना है वह इस गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है।

(3) चूंकि यह गांव विद्युतिकृत नहीं है अतः इस गांव के कुओं को बिजली देने हेतु प्रार्थना पत्रों का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय सहकारी बैंक, अजमेर

138. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक के उपनियम 32 के अन्तर्गत संचालक मंडल का कोई सदस्य 6 वर्ष से निरन्तर अधिक नहीं रह सकता ?

(2) क्या यह सही है कि श्री भोपाल सिंह 6 वर्ष से अधिक से संचालक मंडल के सदस्य हैं ? यदि हां, तो अब तक इन्हें क्यों नहीं हटाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि सर्व श्री भोपालसिंह व श्री हनुवंतसिंह रावत उपरोक्त बैंक के संचालक मंडल की दिनांक 10-9-74, 3-10-74 व 21-10-74 की बैठकों में निरन्तर अनुपस्थित रहने के कारण संचालक मंडल ने दिनांक 4-11-74 की बैठक में उनके स्थान रिक्त घोषित कर दिये ?

(4) क्या यह भी सही है कि अवैधानिक रूप से मनोनीत अध्यक्ष ने 4-11-74 के प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही न करके मनमाने ढंग से तथाकथित स्थगित बैठक दिनांक 8-11-74 को पुनः अनधिकृत एवं अवैधानिक रूप से आमंत्रित की ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री भोपालसिंह 5-12-70 से निरन्तर संचालक मंडल के सदस्य हैं और अभी इनका कार्यकाल निरन्तर 6 वर्षों से अधिक का नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं। 10-9-74 की बैठक को उप-रजिस्ट्रार द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी जिसके अनुसार 3-10-74 की भी अवैध हो चुकी हैं और 21-10-74 की बैठक भी नियमानुसार नहीं थी। अतः संचालक मंडल में रिक्त स्थान घोषित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(4) अध्यक्ष का मनोनयन वैधानिक है व 8-11-74 की मीटिंग नियमानुसार की गई है तथा सिटिंग नियमानुसार होने के कारण कोई कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

जयपुर जिले में पास-बुकों का वितरण

139. **श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में कुल कितनी पास-बुकें वितरित की गई ?

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

(2) तहसील चाकसू एवं फागी के किस-किस गांव में कितनी पास बुकें वितरित की गई तथा कितनी वितरित करनी बाकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बाकी पास बुकों का वितरण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की समस्त तहसीलों में अब तक 1 लाख, 62 हजार, 689 पास बुकों का वितरण किया जा चुका है।

(2) तहसील चाकसू क्षेत्र के ग्रामों में अब तक 15 हजार, 56 पास-बुकें वितरित की जा चुकी है तथा दो हजार, 769 पास बुकें वितरित करना शेष है। इसी प्रकार फागी तहसील क्षेत्र के ग्रामों में 15 हजार, 52 पास बुकें अब तक वितरित की जा चुकी है तथा 4 हजार, 622 पास बुकें वितरित करना शेष है। ग्रामवार सूची संलग्न है।

(3) जयपुर जिले की सभी तहसील क्षेत्रों में बकाया पास-बुकों का वितरण शीघ्र करा दिये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जावेगा ताकि यह कार्य निर्धारित समय में त्वरित गति से पूरा कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील नादौती की जल प्रदाय योजना

140. श्री चेतराम (टोडाभीम): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील नादौती (जिला सवाई माधोपुर) में जिन-जिन गांवों की जल प्रदाय योजना स्वीकार हुई थीं उनमें जल वितरण हो रहा है अथवा नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना से गांवों के पास करीबन 11-12 गांवों में भी पेयजल की विकट समस्या है और इन गांवों को भी इस योजना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उन गांवों के नाम बतलाने की कृपा करें तथा यह भी बतलायें कि इनका सर्वेक्षण (सर्वे) कब तक पूर्ण हो जावेगा और कार्य कब शुरू होगा।

(3) क्या यह सच है कि पंचम पंच-वर्षीय योजना में उपरोक्त कार्य पूर्ण हो जावेंगे ?

उत्तर

(1) योजना में से स्वीकृत 10 ग्रामों में से 8 ग्रामों में जल वितरण किया जा रहा है व शेष 2 ग्राम रोसी व सोप में जल वितरण किया जाना बाकी है।

(2) जी हां। आस-पास के 7 अन्य ग्रामों (लावद, बड़ा गांव, बड़ा वजीरपुर, सिकन्दरपुर, खेरला गुजर, खेरल्ली तेस गांव इब्राहिमपुर) को भी इसी योजना में शामिल करने के लिये सर्वेक्षण कर योजना बनाई जा रही है। योजना बनने के उप-रान्त उस पर कार्यवाही की जावेगी।

(3) स्वीकृत योजना के कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरे होने की सम्भावना है व नई प्रस्तावित योजना का कार्य धन की उपलब्धि के अनुसार पूरा किया जायेगा।

अलवर की सहकारी संस्थाओं के चुनाव

141. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अलवर की सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, लैंड मोरगेज बैंक एवं अलवर होलसेल भन्डार के चुनाव काफी समय से नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो अब सरकार इन संस्थानों के चुनाव कब तक कराने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

उत्तर

जी हां। अलवर सेन्ट्रल कॉआपरेटिव बैंक लि० अलवर के चुनाव की तिथि 7-3-75 निश्चित की जा चुकी है। अलवर सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, अलवर के संचालक मंडल के चुनावों पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये हुये हैं। उनके हटने के पश्चात् ही चुनाव कराये जा सकेंगे तथा अलवर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि० के चुनाव के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

कोटपूतली सब-डिवीजन में मारे गये छापे

142. श्री सुरेशचन्द (कोटपूतली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपूतली सब-डिवीजन में उप-जिलाधीश, रसद विभाग के अधिकारी एवं पुलिस द्वारा वर्ष 1974 में किस किस गांव में किस किस व्यक्ति के छापे मारे गये तथा क्या क्या माल पकड़ा गया ? सूची मय तारीख दर्शाते हुये सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामलों में कुछ व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराये गये और कुछ को छोड़ दिया गया ?

उत्तर

(1) कोटपूतली सब डिविजन में उप-जिलाधीश, रसद विभाग के अधिकारियों एवं पुलिस द्वारा 1974 में निम्न छापे मार-कर माल पकड़ा गया था। (सूची संलग्न है)

(2) जी हां, कुल 18 मामले पकड़े गए थे। जिनमें 13 व्यक्तियों के खिलाफ सम्बन्धित थाने में एफ० आइ० आर० दर्ज कराई गई व 5 व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय जांच की गई और जुर्म साबित न होने पर माल छोड़ दिया गया।

Page No 184

(184)

सूची

क्र. सं.	नाम व्यक्ति जिसके छापा मारा गया मय सकूनत	वस्तु जो पकड़ी गई	तिथि छापों की
1.	मूसालाल अग्रवाल नारहेडा	खाद्यान्न	6–6–74
2.	भूलराम महाजन नारहेडा	खाद्यान्न	6–6–74
3.	श्योबक्स मीना नारहेडा	खाद्यान्न	7–6–74
4.	रतनलाल अग्रवाल नारहेडा	खाद्यान्न	7–6–74
5.	बाबूलाल अग्रवाल नारहेडा	खाद्यान्न	6–6–74
6.	रामप्रसाद हजारीलाल आतेली	खाद्यान्न	9–6–74
7.	जयनारायण भगवान सहाय जवानपुरा	खाद्यान्न	22–6–74
8.	कल्याण सहाय मूलचन्द महाजन जवानपुरा	खाद्यान्न	22–6–74
9.	दामोदर प्रसाद महाजन मेडवाले जवानपुरा	खाद्यान्न	22–6–74
10.	कालूराम पुत्र मुरारराम विनोदीलाल कोटपूतली	खाद के कट्टे	8–7–74
11.	रामधन पुत्र चन्द्रसेनी कोटपूतली	खाद के कट्टे	8–7–74
12.	मामराज पुत्र हनुमान शरण कोटपूतली	खाद के कट्टे	8–7–74
13.	म्होरीलाल वसन्तीलाल महाजन कोटपूतली	वेजीटेबल	9–7–74
14.	पालाराम अहीर ढाणी डालूकावाली	खाद्यान्न	7–6–74
15.	ग्यारसीलाल मोहनलाल महाजन आतेला	खाद्यान्न	9–6–74
16.	गूजरमल किशनचन्द महाजन भाभरू	खाद्यान्न	6–7–74
17.	बद्रीप्रसाद बोदीलाल महाजन भाभरू	खाद्यान्न	6–7–74
18.	घूडमल छगनीराम महाजन भाभरू	खाद्यान्न	6–7–74

गुड़गांवा नहर का निर्माण कार्य

143. श्री रामकिशन (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भरतपुर जिले में गुड़गांवा नहर का निर्माण किस साल में प्रारम्भ हुआ ? अब तक इस नहर के निर्माण पर कुल कितना व्यय हो चुका है तथा कितने मील लम्बी नहर का निर्माण हो चुका है ? क्या इस नहर का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जायेगा ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

गुड़गांव नहर का कार्य सन् 1966 में प्रारम्भ हुआ। अब तक इस नहर पर राजस्थान का 337 लाख रुपये व्यय हो चुका है। नहर का अर्थ वर्क का कार्य 22 मील की लम्बाई में पूर्ण हो चुका है। इस नहर का निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं हो सकेगा। क्या ओखला बैराज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये बिना इस नहर पर खर्चा करना उपयोगी नहीं होगा।

राज्य कृषि विपणन बोर्ड

144. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का निर्माण कब हुआ ? इस बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्य कौन कौन हैं ?

(2) बोर्ड का विस्तार किस किस जिलों में किया गया है तथा गांवों के विकास के लिए कौन से कदम उठाये हैं ?

उत्तर

1. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना राज्य सरकार ने 6 जून, 1974 को की थी। इस बोर्ड के अध्यक्ष श्री यशवन्तसिंह नाहर है तथा बोर्ड के अन्य 21 सदस्य निम्न प्रकार है—

1. श्री अमृतलाल गहलोत

2. श्री सेहूराम अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी समिति, जयपुर (ग्रेन)

3. श्री रामसिंह शास्त्री अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति कामां

4. श्री प्रेमनाथ जोशी अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति बांदीकुई

5. श्री पृथ्वीसिंह अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर

6. श्री रोशनलाल नागदा अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति उदयपुर

7. श्री श्रीनिवास शारदा अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी निम्बाहेड़ा

8. श्री सी० एल० सोरल अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति कोटा

9. श्री फरताराम अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति हनुमानगढ़

10. श्री कांतीभाई मै० मनहरलाल आशा भाई रामगंज मण्डी (कोटा)

11. श्रीमान् कृषि उत्पादन सचिव राजस्थान सरकार

12. खाद्य आयुक्त राजस्थान सरकार

Page No 186

(186)

(कृषि मंत्री)

13. निदेशक कृषि राजस्थान सरकार

14. निदेशक पशु पालन राजस्थान सरकार

15. पंजीयक सहकारी समितियां राजस्थान सरकार

16. निदेशक भेड़ व ऊन राजस्थान सरकार

17. प्रबन्ध संचालक राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम

18. प्रादेशिक व्यवस्थापक भारतीय खाद्य निगम राजस्थान सरकार

19. श्री जे० एम० जोशी, प्रोफेसर आफ इकानामिक्स राजस्थान विश्वविद्यालय

20. मुख्य विपणन अधिकारी कृषि विभाग राजस्थान सरकार

21. सु० श्री उमा माथुर एडवोकेट अलवर

(2) विपणन बोर्ड का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान है मण्डियों और ग्रामीण विकास के लिए बोर्ड के अधीन एक अभियांत्रिकी शाखा (इंजिनियरिंग सैल) की स्थापना दिनांक 7-9-74 से की है इस शाखा ने अभी तक एक करोड़ तीन लाख रुपये के अनुमान मण्डियों में सुविधाओं और सम्पर्क सड़कों हेतु स्वीकृत किये है इसके अतिरिक्त 7 करोड़ 76 लाख के नव मण्डी विकास हेतु 19 प्रोजेक्ट तैयार किये जा चुके हैं।

सीकर जिले में पंचायतों में रिक्त स्थानों के चुनाव

145. श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में पंचों, उप सरपंचों, सरपंचों, उप प्रधान तथा प्रधानों के काफी स्थान रिक्त है ? यदि हां, तो किन किन पंचायतों तथा पंचायत समितियों में यह स्थान रिक्त है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जहां जहां उप प्रधान तथा सरपंचों के स्थान रिक्त है, उनके चुनाव करवाने का आश्वासन गत वर्ष पंचायत मंत्री द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो ये चुनाव अब तक नहीं करवाये जाने का क्या कारण है ? अब ये चुनाव कब तक करवा दिये जावेंगे ?

(स्थगित किया गया)

बियापाड़ा तालाब का निर्माण कार्य

146. श्री ओंकार (किशनगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला बांसवाड़ा कुशलगढ़ क्षेत्र में बियापाड़ा तालाब का निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त तालाब पर कितने विभागीय मजदूर कार्य कर रहे हैं ? माह जून से नवम्बर के आखिर तक की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि विभागीय मजदूरों में जून 1974 से नवम्बर 1974

(श्री जीथिंग)

तक दस-पंद्रह मजदूरों का फर्जी मस्टररोल तैयार किया गया जिसकी शिकायत मजदूरों ने ही की है ? यदि हां, तो इस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त तालाब पर लगभग 100 विभागीय श्रमिक कार्य कर रहे हैं। माह जून से नवम्बर तक की सूची संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है और न ही ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रमिकों की मासिक सूची

माह का नाम	मासिक औसतन श्रमिक
जून	136
जुलाई	18
अगस्त	220
सितम्बर	129
अक्टूबर	193
नवम्बर	44
सारे माह का औसतन	123

नागौर जिले में अकाल समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित प्रोजेक्ट

147. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) नागौर जिले में अकाल समस्या के समाधान हेतु जो प्रोजेक्ट चालू हुआ है उसमें कितनी कितनी राशि किस किस मद में कितने समय में व्यय की जा रही है ?

(2) उक्त प्रोजेक्ट में संस्थापन (Establishment) का ढांचा किस किस प्रकार का है एवं किस किस विभाग के अधिकारी किस किस श्रेणी के इस प्रोजेक्ट में लगाये जायेंगे ?

(3) उक्त प्रोजेक्ट के अंतर्गत विश्व बैंक के ऋण से प्राप्त कितनी राशि व्यय होगी एवं राज्य सरकार कितनी राशि व्यय करेगी ? पृथक 2 वर्षवार आंकड़े दिलवाने की कृपा करें।

(4) उक्त प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में डी०पी०ए०पी० के तहत निम्न प्रकार व्यय करने का प्रावधान है:-

1. कृषि	133.28	रुपये	(लाख)
2. भू-जल	70.00	,,	,,
3. दुग्ध विकास	80.19	,,	,,
4. चारागाह एवं भेड़ विकास	114.91	,,	,,
5. अन्य मद	354.31	,,	,,

यह राशि 5 वर्ष की अवधि के लिए रखी गयी है। अन्य मद में महंगाई के कारण व्यय में होने वाली बढ़ोत्तरी तथा सब्सिडी आदि का व्यय भी सम्मिलित है।

(2) इस परियोजना की क्रियान्विति के लिये जिला विकास अधिकरण की स्थापना की गयी है जो कि एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में है। किस किस श्रेणी के अधिकारी इस परियोजना में लगाये जायेंगे इसकी स्थिति अभी अंतिम नहीं हुई है।

(कृषि मंत्री)

3. इस परियोजना के लिये विश्व बैंक कर्ज के रूप में सहायता भारत सरकार को प्राप्त होगी, राज्य सरकार को नहीं। भारत सरकार राजस्थान को परियोजना में होने वाले व्यय का 2/3 भाग उपलब्ध करवायेगी।

4. अंतिम परियोजना की प्रति हाल ही विश्व बैंक से प्राप्त हुई है उसकी प्रतियां बनवाने की कार्यवाही की जा रही है।

टोंक चर्म उद्योग में नियुक्ति

148. **श्रीमती जमुना सोलंकी** (केकड़ी): क्या मंत्री राजकीय उपक्रम विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या 1974 में टोंक चर्म उद्योग में नियुक्ति के लिए किसी पोस्ट का अखबार में विज्ञापन निकाला गया था? यदि हां, तो किस-किस तारीख को तथा इस पोस्ट का क्या नाम था और कितनी पोस्टों का विज्ञापन निकाला गया था?

(2) क्या उक्त पोस्ट के लिए प्रार्थना पत्र आये थे? यदि हां, तो कितने? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रार्थना-पत्र आने पर उक्त, पोस्ट के लिए इंटरव्यू हुआ? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

1. जी हां। टोंक चर्म उद्योग में नियुक्ति के लिए जिन पदों के लिए विज्ञापन वर्ष 1974 में निकाले गये थे उनके संबंध में चाही गई सूचना निम्न प्रकार :—

क्र० सं०	पद का नाम	पोस्टों की संख्या	विज्ञापन की तारीख भिन्न-भिन्न पत्रों में।
1	रख-रखाव अभियन्ता (मैन्टिनेंस इंजीनियर)	1	18/3/74
2	खाती (कारपेन्टर)	1	16/3/74
3	फिटर (फिटर)	1	20/3/74
4	विद्युत्कार (इलेक्ट्रिशियन)	1	20/3/74
5	मुख्य अधिशाषी अधिकारी (चीफ एग्जीक्युटिव आफिसर)	1	
6	क्रय प्रबन्धक (पर्चेज मैनेजर)	1	
7	विक्रय प्रबन्धक (सेल्स मैनेजर)	1	
8	लेखा प्रबन्धक (अकाउन्ट्स मैनेजर)	1	3/5/74
9	क्रय सहायक (पर्चेज असिस्टेन्ट)	1	
10	तकनिकी सहायक (टेक्निकल असिटेंट)	3	4/5/74

189

(मंत्री राजकीय उपक्रम)

क. सं.	पद का नाम	पोस्टों की की संख्या	विज्ञापन की तारीख भिन्न-भिन्न पत्रों में
11	भंडारपाल (स्टोरकीपर)	1	6/5/74
12	विभाजन रसायन ज्ञाता (एनेलेटिकल कैमिस्ट)	1	13/5/74
13	खालें छांटने वाला (स्किन शार्टर)	2	
14	समयपाल (टाईमकीपर)	1	
15	मुख्य अधिशाषी अधिकारी (चीफ एग्जीक्यूटिव आफीसर) (दूसरीवार)	1	8/8/74 9/8/74 21/8/74
16	शीघ्रलिपिक (स्टेनोग्राफर)	2	22/9/74 24/9/74 2/12/74
17	शीघ्रलिपिक (स्टेनोग्राफर) (दूसरी वार)	2	6/12/74

2. जी हां। उक्त पोस्टों के लिए जो प्रार्थना पत्र आये उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1	रख-रखाव अभियन्ता (मेन्टिनेन्स इंजीनियर)	21
2	खाती (कारपेन्टर)	1
3	फिटर (फिटर)	22
4	विद्युतकार (इलेक्ट्रिशियन)	16
5	मुख्य अधिशाषी अधिकारी (चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर)	8
6	क्रय प्रबन्धक (पर्चेज मैनेजर)	6
7	विक्रय प्रबन्धक (सेल्स मैनेजर)	10
8	लेखा प्रबन्धक (अकाउन्ट्स मैनेजर)	18
9	क्रय सहायक (पर्चेज असिस्टेन्ट)	10
10	तकनिकी सहायक (टैक्नीकल असिस्टेन्ट)	26
11	भंडारपाल (स्टोर-कीपर)	84
12	विभाजन रसायन ज्ञाता (एनेलेटिकल केमिस्ट)	84
13	खालें छांटनेवाले (स्किन शार्टर)	6
14	समयपाल (टाईम-कीपर)	21
15	मुख्य अधिशाषी अधिकारी (दूसरी बार) (चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर)	35
16	शीघ्रलिपिक (स्टेनोग्राफर)	13
17	शीघ्रलिपिक (स्टेनोग्राफर) (दूसरी वार)	24

उपरोक्त पदों के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के उम्मीदवारों की सूची पदोवार संलग्न है।

(मंत्री राजकीय उपक्रम)

3. प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर प्रश्न सं० 1 में वर्जित क्रम संख्या 1 से 14 एवं 16 की पोस्टों के लिए इन्टरव्यू लिये गए थे क्रम संख्या 15 में वर्णित मुख्य अधिशाषी अधिकारी के लिए पहली बार उम्मीदवार का चयन नहीं होने से दूसरी बार इस पोस्ट के लिए प्रार्थना-पत्र पुन: मांगे गए थे। बोर्ड की दिनांक 20/10/74 की बैठक में बोर्ड के द्वारा यही निर्णय लिया गया कि इस कम्पनी के लिए एक पूरे समय का प्रबन्ध संचालक रखा जावे। साथ ही बोर्ड ने यह भी निर्णय किया कि पूरे समय के प्रबन्ध संचालक के होने पर मुख्य अधिशाषी अधिकारी के रखने की जरूरत नहीं है। अत: इस पोस्ट के लिए उम्मीदवारों को इन्टरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। शीघ्रलिपिक के लिए पहली बार उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण से दूसरी बार प्रार्थना पत्र मांगे गये थे। इस पद के लिये इन्टरव्यू अब किया जावेगा।

अनाज के परमिट

149 **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 जनवरी, 1973 से अब तक राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाद्यान्न ले जाने हेतु किस किस व्यापारी को किन किन शर्तों के साथ कितने कितने अनाज का परमिट दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कालावधि में राज्य के बाहर से राज्य में आयात करने हेतु किस किस व्यापारी को कितने कितने और किस किस प्रकार के अनाज का किन किन शर्तों पर परमिट दिया गया?

(3) उक्त कालावधि में राज्य से कितने और किस प्रकार के खाद्यान्न के बाहर ले जाने का कितने कितने अनाज का किस किस व्यापारी को कब कब परमिट दिया गया और क्यों?

(4) उपयुक्त परमिट किस किस अधिकारी द्वारा दिए गए हैं?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्न ले जाने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जो परमिट दिये गये हैं वे निम्नांकित शर्तों के आधार पर दिये गये थे :—

1. वर्ष 1973 में खाद्यान्न ले जाने की अनुमति इस शर्त पर दी जाती थी कि व्यापारी जिलाधीश से खाद्यान्न का भाव निर्धारित करवाकर उनके निर्देशानुसार ही उक्त खाद्यान्न का जनता में वितरण करेगा।

2. वर्ष 1974 में राजस्थान गेहूं (व्यापार विनियमन) आदेश 1973 के अन्तर्गत 12 गेहूं बाहुल्य जिलों को सरप्लस जोन घोषित किया गया था। अत: इन जिलों में से गेहूं अन्य जिलों में ले जाने हेतु यह शर्त थी कि व्यापारी 50% गेहूं लेवी में राज्य सरकार को जमा करावेगा।

3. गंगानगर कोटा एवं बून्दी को पैड़ी बाहुल्य क्षेत्र घोषित कर इन जिलों से

(खाद्य मंत्री)

अन्य जिलों को पंडी परमिट के आधार पर ही ले जाने की अनुमति दी गई।

4. चावल राज्य के अन्य क्षेत्रों से आंतरिक एवं बाह्य सीमा पट्टी में जाने के लिये राजस्थान खाद्यान्न (रेस्ट्रिक्शन ऑन आर्डर मूवमेण्ट) आदेश, 1959 के अन्तर्गत परमिट के आधार पर ही ले जाने की अनुमति दी गई है।

(2) राज्य के बाहर से राज्य में खाद्यान्न आयात करने हेतु किसी भी व्यापारी का परमिट नहीं दिया गया।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य से बाहर खाद्यान्न ले जाने के परमिट व्यापारियों को निम्नांकित शर्तों के आधार पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दिये गये :—

1. राज्य के बाहर चना ले जाने के परमिट व्यापारियों को इस शर्त पर दिये गये कि वे दिनांक 3-9-73 तक 25% एवं दिनांक 4-9-73 से 11-10-73 तक 20% लेवी के रूप में जमा कराकर शेष चना राज्य के बाहर ले जा सकेंगे।

2 राज्य से बाहर चावल ले जाने की अनुमति व्यापारियों को इस शर्त पर दी गई कि वे जितनी मात्रा में बाजरा राज्य सरकार को लेवी में जमा करायेंगे उसकी मात्रा तक चावल राज्य से बाहर निर्यात कर सकेंगे।

3. परमिट देने वाले अधिकारियों के नाम संलग्न सूचियों में अंकित कर दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील कोलायत में खनिज ठेकेदारों से रायल्टी की वसूली

150. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील कोलायत जिला बीकानेर की किस किस पार्टी में अलग अलग एरिया से किस किस किस्म का किस किस वर्ष में कितना कितना माल सरकार का निकाला हुआ बतला कर कितने कितने माल की रायल्टी कितनी कितनी अदा की गई ? वर्ष 1967 से लेकर 31 जनवरी, 1975 तक की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त क्षेत्र से 31 जनवरी, 75 तक रेलवे बिल्टियों द्वारा किस किस के नाम से कितना कितना माल किस किस रेलवे स्टेशन से भेजा गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) अगर अदा रायल्टी से अधिक माल भेजा गया है तो वह माल कहां से आया ? 1967 से 31 जनवरी, 75 तक वर्षवार बताने का कष्ट करें।

(2) राज्य सरकार ने ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ जिन्होंने अधिक माल भेजा और रायल्टी अदा नहीं की क्या कार्यवाही की।

उत्तर

1. वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है—सूची नं० 1

Page No 192

(192)

(खनिज मंत्री)

2. वर्ष 1967 से लेकर 1973 तक की वांछित जानकारी न तो रेल्वे डिविजनल श्राफिस व न ही रेल्वे स्टेशन कोलायत में मिलती है। वर्ष 1974-75 से संबंधित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है——सूची नं. 2

3. श्रदा रायल्टी से कोई ज्यादा माल खानों से नहीं भेजा गया।

4. उपरोक्त श्राईटम नंबर 3 के संदर्भ में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खाद्य पदार्थों के वितरण पर नियंत्रण एवं नियमन के लिये आदेश

151. श्री मोहर सिंह (चूरू):-क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1972-73 से 1974-75 यानि अब तक खाद्य पदार्थों के वितरण पर नियंत्रण श्रथवा नियमन के लिये सरकार तथा ग्रन्य अधिकारियों ने कितने श्रादेश दिये ?

(2) क्या सरकार यह मानती है कि इतने श्रधिक कानून बनाने से जनता उनका पालन कर सकती है और उसका विश्वास सरकार की नीतियों पर बढ़ता है ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी ?

(3) क्या सरकार इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये खाद्य पदार्थों के वितरण नियंत्रण हेतु दीर्घकालीन नीति बनायेगी ?

उत्तर

1. वर्ष 1972-73 से 74-75 (श्रब तक) खाद्य पदार्थों के वितरण पर नियंत्रण श्रथवा नियमन के लिये 119 आदेश एवं अधिसूचनाए राज्य सरकार द्वारा एवं 111 श्रादेश जिलाधीशों द्वारा जारी किये गये है।

2. राज्य में खाद्य स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती है तथा राज्य सरकार को बदलती हुई परिस्थितियों में समय समय पर आवश्यकतानुसार कानून तथा नियमों में संशोधन करना जरूरी हो जाता है तथा इस प्रकार के संशोधन करने समय उनका उचित रूप से पालन हो, का भी ध्यान रखा जाता है।

3. निरन्तर बदलती हुई परिस्थितियों के सन्दर्भ में दीर्घकालीन योजना बनाना कठिन है।

परिशिष्ट 3

(अता. प्र. सं. 57 की सूची)

चूरू जिले में अब तक गठित भवन निर्माण सहकारी समितियों की सूची

क्रम संख्या 1	नाम समिति 2	तहसील 3
1.	सारसर भवन निर्माण सहकारी समिति लि०	सरदारशहर
2.	कितासर भवन निर्माण सहकारी समिति लि०	श्रीडूंगरपुर
3.	आदर्श भवन निर्माण सह० स० लि०	रतनगढ़
4.	सरदारशहर वार्ड नं० 10 भवन नि० सह० स० लि०	सरदारशहर
5.	राणासर हरिजन भवन नि० सह० स० लि०	चूरू
6.	खेतड़ी भवन निर्माण सह० स० लि०	रतनगढ़
7.	जोगलिया बीकान भवन निर्माण सह० स० लि०	रतनगढ़
8.	आबसर भवन निर्माण सह० स० लि०	सुजानगढ़
9.	ऊपनी भवन निर्माण सह० स० लि०	श्रीडूंगरगढ़
10.	बीरदेसर पुरोहितान भवन निर्माण सह० स० लि०	श्रीडूंगरगढ़
11.	भू-खरेड़ी भवन निर्माण सह० स० लि०	रतनगढ़
12.	सोनियासर भवन निर्माण सह० स० लि०	श्रीडूंगरगढ़
13.	पूनरासर भवन निर्माण सह० स० लि०	श्रीडूंगरगढ़
14.	बड़ी सवाई भवन निर्माण सह० स० लि०	सरदारशहर
15.	लाखनसर भवत निर्माण सह० स० लि०	श्रीडूंगरगढ़
16.	कोहिना भवन निर्माण सह० स० लि०	तारानगर
17.	लाखऊ भवन निर्माण सह० स० लि०	चूरू
18.	वार्ड नं० 9 भवन निर्माण सह० स० लि०	राजगढ़
19.	सुजानगढ़ वार्ड नं० 6 भवन निर्माण सह० स० लि०	सुजानगढ़
20.	दड़ीबा भवन निर्माण सह० स० लि०	सुजानगढ़
21.	लम्बोर खेड़ी भवन निर्माण सह० स० लि०	राजगढ़
22.	भोपालपुरा भवन निर्माण सह० स० लि०	सुजानगढ़
23.	सालासर भवन निर्माण सह० स० लि०	सुजानगढ़

Page No 194

(194)

1	2	3
24.	राजगढ़ वार्ड नं० भवन निर्माण सह० स० लि०	राजगढ़
25.	भोमासर आदर्श भवन निर्माण सह० स० लि०	श्रीडूंगरगढ़
26.	आदर्श भवन निर्माण सह० स० लि० वार्ड नं० 6 बी०	चूरू
27.	चूरू राज्य कर्मचारी गृह निर्माण सह० स० लि०	चूरू
28.	आदर्श ग्राम भादासर हाउसिंग को० स० लि०	सरदारशहर
29.	सिन्धी भवन निर्माण सह० स० लि०	श्रीडूंगरगढ़
30.	चूरू वार्ड नं० 6 भवन निर्माण सह० स० लि०	चूरू
31.	राणासर भवन निर्माण सह० स० लि०	चूरू
32.	वार्ड नं० 7 भवन निर्माण सह० स० लि०	चूरू
33.	वार्ड नं० 2, 6, 7 भवन निर्माण सह० स० लि०	राजगढ़
34.	बिग्गा भवन निर्माण सह० स० लि०	श्रीडूंगरगढ़
35.	सांखणताल भवन निर्माण सह० स० लि०	राजगढ़
36.	सातड़ु भवन निर्माण सह० स० लि०	तारानगर
37.	श्री डूंगरगढ़ भवन निर्माण सह० स० लि०	श्रीडूंगरगढ़
38.	तोलियासर भवन निर्माण सह० स० लि०	श्रीडूंगरगढ़
39.	पड़िहारा भवन निर्माण सह० स० लि०	रतनगढ़
40	बछरारा भवन निर्माण सह० स० लि०	रतनगढ़
41.	राघा छोटी भवन निर्माण सह० स० लि०	राजगढ़
42.	मुरडाकिया भवन निर्माण सह० स० लि०	सुजानगढ़
43	शोभासर भवन निर्माण सह० स० लि०	सुजानगढ़
44	बन्धनाऊ भवन निर्माण सह० स० लि०	सरदारशहर
45.	कानता भवन निर्माण सह० स० लि०	सुजानगढ़
46.	हरियासर घडसोलान भवन निर्माण सह० स० लि०	सरदारशहर
47.	सुजानगढ़ वार्ड नं० 435 भवन निर्माण सह० स० लि०	सुजानगढ़
48.	सहनाली महावीर गृह निर्माण सह० स० लि०	चूरू

सूची गृह निर्माण समितियां जिनको समाज कल्याण विभाग द्वारा सदस्यता पूंजी दी गई

क्रम संख्या	नाम समिति	नाम तहसील	सदस्य संख्या जिनको सदस्य पूंजी राशि दी गई
1.	सारसर भवन निर्माण सहकारी समिति लि०	सरदारशहर	40
2.	सरदारशहर वार्ड नं० 10 भवन निर्माण सहकारी समिति लि०	सरदारशहर	30
3.	लम्बोर खेड़ी भवन निर्माण सहकारी समिति लि०	राजगढ़	29
4.	सालासर भवन निर्माण सहकारी समिति लि०	सुजानगढ़	25
5.	चूरू वार्ड नं० 6 भवन-निर्माण सहकारी समिति लि०	चूरू	47
6.	सांखपाताल भवन निर्माण सहकारी समिति लि०	राजगढ़	30
7	सारयु भवत निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड	तारानगर	30
8.	मुरडाकिया भवन निर्माण सहकारी समिति लि०	सुजानगढ़	64
9.	सुजानगढ़ वार्ड नं० 4, 3, 5 भवन निर्माण सहकारी समिति लि०	सुजानगढ़	25
10.	सहूंताली महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति लि०	चूरू	35

परिशिष्ट 4

(अता. प्र. सं. 60 की सूची)

विभागीय कार्यों के लिए कितना कितना रुपया किस किस कार्य के लिए स्वीकृत किया गया है तथा इसमें कितने रुपयों का उपयोग किया गया। मार्च 72 से मार्च 75 तक।

नाम	कार्य श्रेणी	1972–73 स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	खर्चा	1973–74 स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	खर्चा	1974–75 स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)	खर्चा 1 जनवरी 75
1	2	3	4	5	6	7	8
पांचू डोला बांध	विभागीय कार्य	1-00	10906-06	0-51	26919-90	2-50	94755-77
रेंजिग बन्ध बूचारा	—	—	—	—	—	0-40	38744-45
फतेहपुरा कैनाल बंध	बूचारा फैमिन कार्य	—	—	0-58	58218-67	—	—
इम्प्रूवमेंट ऑफ मेन कैनाल बूचारा	ग्रामीण रोजगार कार्य।	0-53	52031-00	—	—	—	—

परिशिष्ट 5

(मता. प्र. सं. 64 की सूची)

राजस्थान सरकार

राजस्व (भूमि सुधार) विभाग

	जिला	क्षेत्रफल पुराने सीलिंग नियम के अंतर्गत				क्षेत्रफल नये सीलिंग के नियम के अंतर्गत			
		अधिग्रहण हेतु आदेश दिये गये	अधिग्रहण किया गया क्षेत्रफल	आवंटित क्षेत्र	आवंटितियों की संख्या	अधिग्रहण हेतु आदेश दिये गये	अधिग्रहण किया गया क्षेत्रफल	आवंटित क्षेत्र	आवंटितियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	6805	1716	220	57	497	—	—	—
2.	अलवर	1933	98	64	19	5	—	—	—
3.	बांसवाड़ा	14333	1233	1208	351	8	—	—	—
4.	बाड़मेर	31233	31233	7278	1184	3921	—	—	—
5.	भरतपुर	793	571	185	70	151	—	—	—
6.	भीलवाड़ा	29653	10000	3163	924	—	—	—	—
7.	बीकानेर	68475	45009	8368	276	7600	2061	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	बून्दी	12958	1060	—	—	—	—	—	—
9.	चित्तौड़गढ़	2402	1935	311	49	630	30	—	—
10.	चूरू	2164	957	469	27	—	—	—	—
11.	डूंगरपुर	1846	459	11	—	188	—	—	—
12.	गंगानगर	14950	2140	417	—	1402	1402	1402	80
13.	जयपुर	19775	3350	1013	127	—	—	—	—
14.	जैसलमेर	24301	4096	—	—	11389	9327	—	—
15.	जालोर	11556	7484	2964	484	314	—	—	—
16.	झालावाड़	3247	862	374	2	—	—	—	—
17.	झुंझनूं	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	जोधपुर	9082	2876	1909	148	22	—	—	—
19.	कोटा	16016	3176	904	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	नागौर	2869	822	107	10	10		—	—
21.	पाली	19588	12147	2589	485	1089	—	—	—
22.	सवाई माधोपुर	5720	1521	198	33	245	—	—	—
23.	सीकर	216	49	—	—	130	130	—	—
24.	सिरोही	2313	2069	1136	170	179	—	—	—
25.	टोंक	3386	3141	30	—	—	—	—	—
26.	उदयपुर	15125	2324	70	71	521	82	—	—
	राजस्थान राज्य	297819	141328	32003	4508	29205	13032	1402	80

(200)

परिशिष्ट 6

(प्रता. प्र सं. 67 की सूची)

भारत सरकार से प्राप्त ऋणों की बकाया की मद-वार सूची

(करोड़ रुपयों में)

	मद	ऋण राशि	
		वर्ष 1973-74 के अंत में 31-3-74 को शेष	वर्ष 1974-75 के आय-व्ययक अनुमानों से वर्ष के अंत में 31-3-75 को सम्भावित शेष
1.	विशेष सहायता	136.94	136.94
2.	संसाधनों की कमी की पूर्ति हेतु विशेष ऋण	64.10	59.83
3.	अल्पबचत योजना के अंतर्गत	26.33	29.23
4.	पुलिस गृह निर्माण	2.75	3.23
5.	अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिये गृह निर्माण हेतु ऋण	0.17	0.26
6.	सहायता एवं पुनर्वास	0.95	0.96
7.	स्वर्णकारों के पुनर्वास हेतु ऋण	0.56	0.49
8.	प्राकृतिक विपदायें (दुर्भिक्ष, बाढ़ आदि)	86.85	105.02
9.	कृषि योजनाएं (अल्प कालीन ऋण)	1.65	—
10.	लघु सिंचाई एवं भू-संरक्षण एवं क्षेत्र का विकास	0.60	0.47
11.	ग्राम परियोजना (आयोजना निगम)	11.17	1 51
12.	पुलिस का आधुनिकीकरण	1.18	1.50
13.	केन्द्र द्वारा बाजार से लिये गये ऋण में से प्राप्त ऋण भाग	5.00	5.00
14.	समूह ऋण (ब्लॉक प्लान लोन्स)	364.21	390.41
15.	केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए ऋण	23.75	27.43
16.	अन्य मार्गोपाय अग्रिम	34.46	24.00
	योग	760.57	786.28

201

शुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 1975

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
1	2	3	4	5
1	11	ऊपर से 3	निर्णम	निर्णय
2	120	,, 1	रखती है	रहती है ।
3	134	,, 14	अपना	अपने ।
4	139	,, 3	पूरा	पूरे
5	139	,, 15	राज	राय
6	140	,, 2	मायता	मान्यता ।
7	143	नीचे से 16	यहां	यह
8	144	,, 9	आर	और
9	160	,, 6	किया	करना
10	167	ऊपर से 3	साफ	बात
11	174	नीचे से 8	जी	जो
12	181	,, 7	लंड	लैण्ड
13	185	,, 6	मोी	मेरी
14	185	,, 6	से	में
15	193	ऊपर से 1	रेटिटक्टिव	रेस्ट्रिक्टिव ।
16	199	नीचे से 5	जेशन	पंजेशन
17	218	ऊपर से 10	नोशनल	नेशनल
18	233	नीचे से 1	राजथान	राजस्थान
19	238	ऊपर से 20	लते	डालते ।
20	251	नीचे से 10	रीदने	खरीदने ।
21	251	ऊपर से 4	सलिये	इसलिये ।
22	327	,, 8	ड्यूल	शिड्यूल